खण्ड-480, अंक-5
सोमवार 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(18 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	...	7-79
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	80-81
वाराणसी नगर में बढ़ते वाहनों और जाम से निजात दिलाये जाने हेतु मोनो रेल चलाये जाने अथवा कोई भी उपाय कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	81
विधान सभा क्षेत्र निधासन लखीमपुर के मुख्य कस्बा व बाजार तिकुनियां के सार्वजनिक मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	81-82
विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद जनपद लखनऊ के ग्राम सभा ससपन गढ़ी जिन्दौर मवई, बसन्तपुर जेहटा पारा मदराही में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	82
उप जिलाधिकारी आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	82
विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर में समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			83
विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत मझौली से नवलपुर में छोटी गण्डक नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	83
जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में करवन नदी पर चेक डैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		83
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में टोंस नदी पर जनहित में रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			84
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन में सन् 2006 से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	84
जनपद महोबा में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में हो रहे घोटालों की जाँच कराये जाने एवं परियोजनाओं को समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		85
जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त 11 चिकित्साधिकारियों तथा 01 महिला चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती तथा 05 महिला चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत कर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	85-86

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा की तहसील किरावली मुख्यालय में थाना खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक के हलुआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा के शबगा ग्राम से यमुना नदी तक तथा किरठल ग्राम से बरवाला ग्राम तक के दो नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
उत्तर प्रदेश शासन के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज को विधान सभा में मा0 सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज से जोड़े जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	87-88
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	88-100
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा (जारी)	100
बजट अनुदानों को एक साथ प्रस्तुत करने का सुझाव	101
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा (स्वीकृत)	101-106
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...	106
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-69, व्यवसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ...	106-142
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	142-159
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)... ...	159-179
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	179-191
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	191
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	191-192
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या 28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	192

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या 46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	192
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या 38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	193
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	193-210
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	210-211
जनपद गाजीपुर स्थित वीरपुर पम्प कैनाल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	212
प्रदेश में बी0पी0एड0, डी0पी0एड0 एवं सी0पी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा धारकों को कार्यभार व ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	212
जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचखुरा में भीषण अग्नि काण्ड से पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	212-213
जनपद कानपुर स्थित प्रिंटिंग इण्डिया कारपोरेशन एवं एन0टी0सी0 की बन्द पड़ी मिलों से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	213
जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिरसा टाउन एरिया फिर कुंवखटी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	213-214
उत्तर प्रदेश राज्य में मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध बन्दियों को पेंशन के रूप में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	214
जनपद बरेली के तहसील मीरगंज में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किये गये सार्वजनिक तालाब टाउन एरिया की भूमि के पटान को तत्काल रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	214
प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 2007 के शेष 1746 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सुश्री अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	214

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 15वीं विधान सभा की क्षेत्रीय विकास निधि की द्वितीय किश्त अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	215-216
जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर के अन्तर्गत नाबालिक लड़की के साथ हुए रेप की रिपोर्ट न लिखे जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री शहजिल इस्लाम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	...	...	...	216
जनपद मीरजापुर के ब्लाक हलिया व लालगंज में बेलन नदी के घाटों पर लिफ्ट कैनाल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भाई लाल कोल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...			216-217

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, 18 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-322

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमित गौरव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इकबाल, श्री — बिजनौर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
49. उदयराज, श्री — उन्नाव
50. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
51. उमाशंकर, श्री — बलिया
52. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम कुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
56. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कामेश्वर, श्री देवरिया
59. काली चरन सुमन, श्री आगरा
60. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
61. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
62. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
63. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
65. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
66. गंगा, श्री कुशीनगर
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
69. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
70. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
71. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
72. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
73. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
75. गोमती यादव, श्री लखनऊ
76. गोरख पासवान, श्री बलिया
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
80. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
81. जगपाल, श्री सहारनपुर
82. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
83. जफर आलम, श्री अलीगढ़
84. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
85. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
86. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
89. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
92. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
93. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
94. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
95. दलजीत सिंह, श्री बांदा
96. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
97. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
98. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
99. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
100. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
101. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
102. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
103. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
104. धर्मराज, श्री बाराबंकी
105. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
106. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
107. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
108. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
109. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
110. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
111. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर

112. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
113. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
114. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
115. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
116. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
117. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
118. पीतमराम, श्री पीलीभीत
119. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
120. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
121. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
122. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
123. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
124. प्रदीप कुमार, श्री औरैया
125. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
126. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
127. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
128. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
129. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
130. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
131. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
132. फेरन लाल, श्री ललितपुर
133. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
134. बदलू खां, श्री उन्नाव
135. बाबू खां, श्री हरदोई
136. बाबूलाल, श्री गोण्डा
137. बावन सिंह, श्री गोण्डा
138. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
139. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
140. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
141. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
142. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
143. बैजनाथ, श्री मऊ
144. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
145. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
146. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
147. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
148. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
149. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
150. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
151. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
152. मनबोध, श्री देवरिया
153. मनीष रावत, श्री सीतापुर
154. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
155. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
156. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
157. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
158. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
159. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
160. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
161. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
162. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
163. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
164. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
165. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
166. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
167. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
168. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
169. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
170. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
171. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर

172. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
173. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
174. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
175. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
176. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
177. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
178. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
179. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
180. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
181. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
182. यासर शाह, श्री बहराइच
183. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
184. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
185. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
186. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
187. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
188. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
189. रणजीत सुमन, श्री एटा
190. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
191. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
192. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
193. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
194. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
195. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
196. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
197. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
198. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
199. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
200. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
201. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
202. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
203. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
204. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
205. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
206. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
207. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
208. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
209. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
210. राधेश्याम, श्री कुशीनगर
211. राम करन आर्य, श्री बस्ती
212. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
213. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
214. राम गोविन्द, श्री बलिया
215. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
216. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
217. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
218. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
219. राम मगन, श्री बाराबंकी
220. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
221. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
222. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
223. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
224. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
225. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
226. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
227. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
228. रामेश्वर सिंह, श्री एटा

229. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
230. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
231. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
232. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
233. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
234. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
235. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
236. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
237. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
238. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
239. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
240. विजय कुमार, श्री सिद्धार्थनगर
241. विजय कुमार, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
242. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
243. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
244. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
245. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
246. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
247. विजय सिंह, श्री रामपुर
248. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
249. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
250. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
251. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
252. वीरपाल, श्री बागपत
253. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
254. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
255. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
256. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
257. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
258. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
259. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
260. शाकिर अली, श्री देवरिया
261. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
262. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
263. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
264. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
265. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
266. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
267. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
268. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
269. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
270. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
271. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
272. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
273. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
274. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
275. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
276. संजय कपूर, श्री रामपुर
277. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
278. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
279. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
280. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
281. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
282. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
283. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
284. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
285. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद

286. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
287. सन्तराम, श्री जालौन
288. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
289. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
290. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
291. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
292. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
293. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
294. सियाराम सागर, डा0 बरेली
295. सीमा, श्रीमती जौनपुर
296. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
297. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
298. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
299. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
300. सुधाकर, श्री मऊ
301. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
302. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
303. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
304. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
305. सुभाष, श्री गाजीपुर
306. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
307. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
308. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
309. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
310. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
311. सुल्तान बेग, श्री बरेली
312. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
313. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
314. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
315. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
316. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
317. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
318. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
319. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
320. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
321. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
322. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लूट एवं आतंकी घटनाओं को रोकने की कार्य योजना

*1-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आये दिन हो रही लूट एवं आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य-योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आये दिन हो रहे लूट को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल लगाया जा रहा है।

प्रमुख धार्मिक स्थल श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मन्दिर/ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी व महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल ताज महल के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई गई है, जहां पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय पुलिस बल व उत्तर प्रदेश पुलिस बल स्थायी रूप से आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कैम्प कर रहे हैं। अन्य अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, सुरक्षा विभाग की देखरेख में तैयार कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि सरकार का जवाब आया है कि केन्द्रीय पुलिस बल और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों मिलकर प्रमुख धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, दोनों ही बलों में सेन्ट्रल फोर्स और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल को-ऑर्डिनेशन नहीं है। मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार इस सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल है कि अभी तक ताजमहल पर कितनी लूट की घटनायें हुई और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? मा0 अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कि क्या सरकार आगरा में लाल किला, फतेहपुर सीकरी और सिकन्दरा के लिये भी कोई विशेष सुरक्षा योजना बनायेगी ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, पहली बात तो यह कहना कि प्रदेश सरकार और केन्द्रीय फोर्स में कोई समन्वय नहीं है, यह तो बड़ा आक्षेप है और जाहिर है कि इस आक्षेप को हाँ नही कहा जा सकता। समन्वय रहता है और समन्वय न रहे तो मान्यवर, जो धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की निगाहें इन पर रहती हैं। पूरे देश में और कहीं अयोध्या नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की खुशनसीबी है कि और कहीं ज्ञानवापी मस्जिद नही है, यह भी हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण जन्म भूमि भी यही है क्योंकि ये तीनों चैलेन्जेज उत्तर प्रदेश में ही हैं तो प्रदेश की पुलिस का, प्रशासन का, शासन का अगर समन्वय नहीं

रहेगा तो इतने चैन से, अभी देखिये दिसम्बर, 2010 में शीतला घाट पर एक घटना हुई और यह परिसर में बहुत बाहर की जगह है। बाकी कोई घटना नहीं हुई है तो इससे यह सिद्ध होता है कि समन्वय बना हुआ है। तीसरा ताजमहल के बारे में, मुझे याद हो रहा है, अभी आठ, दस रोज़ पहले की बात है और शायद आप ही का प्रश्न था और मैंने आपको पत्रावली भी दिखायी थी, जो शायद नहीं दिखानी चाहिये थी कि उस पर सुरक्षा का कितना इंतजाम है, खुद उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके भी अपने आदेश थे। सारे सी0सी0टी0वी0 कैमरे उसी वक्त के लगाये हुये हैं, सारी व्यवस्था उसी वक्त की की हुई है, बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था है और यह शिकायत मिलने पर कि जब कभी लाइट चली जाती है तब कैमरे काम नहीं करते हैं, उसको इन्वर्टर पर लाने की घोषणा भी सदन में हुई है तो सब मामला कुल मिलाकर ठीक ठाक है और मान्यवर, ये जेबकतरी वगैरह की घटनायें ऐसी हैं, ये होती हैं और इसमें होता यह है, अब तो आप देखिये मा0 सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आ गया है कि ऐसे तमाम जुर्म जिनमें सात बरस से कम की सजा हो, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता, उनका सम्मान बचाकर रखना चाहिये, ऐसे मुजरिमों का। मान्यवर, जाहिर है हम निकलते हैं राजनैतिक कार्यकर्ता पुलिस 151 में हमको जेल ले जाती है लेकिन जिनकी सजा पौने सात वर्ष है वह सम्मानित लोग जेल नहीं भेजे जा सकते। बहरहाल वो तो जो आदेश है, वह मानना ही पड़ेगा। अब देखिये जेबकतरी है, जुआ है, मोबाइल छीन लिया, इसमें चालान किया और आधे घण्टे बाद वह दरोगा जी को नमस्कार करता है, थाने में आकर। अजीब परेशानी है, क्या करें।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि ताजमहल में काफी घटनायें लूट की हुई हैं। रिकार्ड में दर्ज है। पिछले साल एक विदेशी महिला का पर्श यलो जोन मे लूटा गया। उन घटनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने यह पूछा था कि ताजमहल में लूट की कितनी घटनायें हुई और उसमें से कितनों पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? मैंने कोई छिनैती, जेबकतरी, चोरी के बारे में सवाल नहीं किया था। लूट की घटनायें हुई, आगरा में पुलिस रिकार्ड में दर्ज है, विदेशी पर्यटकों के पर्श छीने गये वहाँ इतना फोर्स रहने के बावजूद। अगर सेन्ट्रल फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस में समन्वय होता तो विदेशी महिला से कैसे पर्स लुट जाता ? मैं फिर अपना सवाल दोहराना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैंने इंकार कहाँ किया मैंने मान्यवर, इंकार नहीं किया, लेकिन हम उसे डकैती की संज्ञा नहीं दे सकते, लूट की नहीं दे सकते। पर्स छिना है उस पर रोक की गई है और रोक की जायेगी, सख्ती की जायेगी। आप देखिये वह तो चलते फिरते शरीर का पर्स था छिन गया। अब तो बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं में पर्स टंगे हैं उनका क्या होगा ? (हँसी) अब उनकी भी रखवाली करनी पड़ेगी। पता नहीं, इस पर्स में पायरामिड तो नही है। करेंगे।

डॉ0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जवाब नहीं आया है। लगता है कि सरकार गम्भीर नहीं है, ऐसे स्थलों की सुरक्षा करने में। मैंने तीसरा सवाल यह पूछा था कि आगरा में दो और विश्वदायी स्मारक हैं एक लाल किला और फतेहपुर सीकरी और सिकन्दरा उस लाइन में लगा है। विश्वदायी स्मारक घोषित होने की। मैंने यह भी पूछा था कि स्मारकों की सुरक्षा के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी। मान्यवर, इसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मेरे पास क्रमवार तो नहीं है तफसील वह मैं आपको फरहाम करा दूँगा। मेरे ख्याल से लाल किले से आपकी मुराद आगरे के किले से होगी तो इस तरह की सूचना मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर तो बड़ी संजीदगी से दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अपूर्ण है यह उत्तर। अपूर्ण इसलिये है मान्यवर, आपने कई स्मारकों का जिक्र किया, ऐतिहासिक स्थलों का जिक्र किया। मान्यवर, अभी हाल में 5-4 साल के अन्तराल में स्मारकों की संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ? और अगर बढ़ी है तो उनकी व्यवस्था भी अलग की गई है। आपने जो यह बात कही कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के समन्वय से, दोनों प्रदेशों की सरकार सुरक्षा कर रही है। जो उसके बाद के बने स्मारक हैं, उनकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। उनके लिये अलग ही पुलिस गठित किया गया। उन सुरक्षा बलों के साथ में कोई समन्वय का भी मामला नहीं है कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के सुरक्षा बल इसमें समन्वय करेंगे। वह अलग सुरक्षा बल है। तो दो व्यवस्थायें होंगी मान्यवर। एक तो वह होगी मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताई कि जिनकी सुरक्षा केन्द्र सरकार और प्रदेश की पुलिस कर रही है और दूसरी व्यवस्था की है, इन दोनों का समन्वय है कि नहीं ? सबकी सुरक्षा एक व्यवस्था के अन्तर्गत होनी चाहिये कि नहीं होनी चाहिये ? यह थोड़ी होगा कि कुछ की सुरक्षा, सुरक्षा बल करेगा और कुछ ही दूसरा सुरक्षा बल करेगा। इसमें एकरुपता लाने की बात कहेंगे आप।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हुकुम सिंह जी ने बड़ी गैर संजीदगी से रखी है बात। मैंने बहुत संजीदगी से रखी। हुकुम सिंह जी ने तो गैर संजीदगी से बात रखीं। मैं तो गैर संजीदा था ना।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी बात को तोड़ने मोड़ने का अधिकार नहीं है। सबने सुना।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो हुकुम सिंह जी ने कहा है यह गैर संजीदा बात है और संजीदगी से रखी गई है। वह स्मारक अभी ऐतिहासिक स्मारक नहीं माने गये हैं। 100 साल गुजर जाएं, तो शायद ऐतिहासिक हो जाएं। काली प्रतिमा से तो उम्र देखी नहीं जाएगी कि यह प्रतिमा सफेद लगी होगी और काली हो गई। तो थोड़ा सा यह ऐतिहासिक हो जाएं उस समय जिसकी सरकार होगी विचार कर लेंगे। हुकुम सिंह जी की यह जिज्ञासा सही है कि इसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिन्दाओं के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जितना इन पत्थर के बुतों के लिए थी। वह इसलिए थी अगर पर्स न होता तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती हर कोई पर्स के चक्कर में लगा है पर्स बचाना है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, मैंने अभी माननीय मंत्री जी का जवाब सुना, प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लूट रोकने के लिए उपाय बताए जा रहे थे। गैर ऐतिहासिक स्मारकों की बात आई माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा सभी धार्मिक स्थलों की होनी चाहिए। अभी हमारे आगरा के मा0 सदस्य बोल रहे थे, मैं चित्रकूट के बारे में कहना चाहता हूँ चित्रकूट का एक अपना इतिहास है यह हमारे मंडल में आता है। मैं महोबा क्षेत्र से आता हूँ यह चित्रकूट मंडल में ही आता है। चित्रकूट बहुत बड़ी धार्मिक

नगरी है। चित्रकूट में जो अमावस्या का मेला लगता है वहां सवारियां इतनी हो जाती हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है। वहां आए दिन हत्या और अपहरण की घटनायें घटती हैं। मध्य प्रदेश के बार्डर से लगा यह क्षेत्र है। चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। वहां मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस में समन्वय न होने के कारण जो घटनायें घटती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि यह घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है, और मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि यह हमारे क्षेत्र की घटना नहीं है। वहां गुप्त गोदावरी है, निरंजन ज्योति जी जाती हैं, हुमानधारा में लोग जाते हुए डरते हैं। कालिंजर में घटनायें हुई, हत्यायें हुई। देश विदेश से लोग आते है विदेशी पर्यटक आतें हैं, हत्यायें होती हैं, इसमें सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? साथ ही साथ हमारा महोबा क्षेत्र खजुराहो से लगा है वहा भी तमाम इस तरह की घटनायें होती है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जो घटनायें हुई हैं गत दिनों में उन सबकी कड़ी निन्दा करता हूँ। नहीं होनी चाहिए बहुत बुरी बात है। अगर यह बतायेंगे कि कब-कब कहां घटनायें हुई तो उसकी भी जानकारी लेंगे। सारी व्यवस्था अगर ऐसे धार्मिक स्थलों पर सरकार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न कर पाए तो यह सरकारों के लिए शर्म की बात है। गत सरकार में जो यह काम हुआ है हत्यायें हुई हैं आपने तवज्जों दिलाई है क्योंकि ब0स0पा0 की सरकार थी और आप उस पार्टी के मा0 सदस्य हैं तो मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में हुई हत्याओं के बारे में संजीदगी से विचार होना चाहिए और उस पर मालुमात होने चाहिए। अगर कोई खास मामला हो तो उसको दे दें उस पर अलग से जाँच होगी।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए, मान्यवर, मथुरा में गोबर्धन परिक्रमा मार्ग में करोड़ों लोग परिक्रमा लगाने आते हैं। हाल में अभी गुरू पूर्णिमा का मेला होने जा रहा है कम से कम दो करोड़ लोग परिक्रमा लगाने आयेंगे। एक तो उसकी स्थायी सुरक्षा व्यवस्था और इसी तरह से बाँकेबिहारी जी के मंदिर में लाखों तीर्थ यात्री आते है देश विदेश से लोग आते है वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कभी भी आतंकवादी घटना हो सकती है और इसी तरह से द्वारिकाधीश जी का मन्दिर है, जो मथुरा का जग-प्रसिद्ध मन्दिर है। इसलिए मैं चाहता हूँ, यह जो तीनों मन्दिर है, क्या सरकार इनकी स्थायी सुरक्षा व्यवस्था का इन्तजाम करायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्योंकि ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में केन्द्र से भी सहयोग लिया जाता है और हमारे प्रदीप जी मथुरा कांग्रेस पार्टी की नुमाइन्दगी करते हैं तो विशेष ध्यान रखा जायेगा और मथुरा के बारे में काई शिकायत नहीं होने दी जायेगी, बिल्कुल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और अगर चाहेंगे तो प्रमोद जी को भी उसमें कोई न कोई योगदान का पद दिया जायेगा।

(हँसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी सेवायें मथुरा और रामपुर दोनों के लिए हैं। यदि कहेंगे तो रामपुर समाजवादी पार्टी के लिए भी मेरी सेवाएँ रहेंगी।

(श्री मुकुट बिहारी वर्मा और श्री श्यामदेव राय चौधरी बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

दादा, अब आगे आपका ही सवाल है, इसमें अब रहने दीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरा भी इसमें एक सवाल है। काशी पर सवाल है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, गौतम बुद्ध की तपस्थली श्रावस्ती में विभिन्न देशों के लोग आते है, वहाँ घटनाएँ होती है लेकिन वहाँ कोई भी उनकी भाषा का ज्ञान रखने वाला नहीं रहता है जो उन लोगों को समझ सके। दो-दो दिन लग जाता है कि वह क्या कह रहे है, उनकी भाषा समझी जाए। तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार के लोग रहे जो बाहर से आने वालों की भाषा को समझ सकें ? वहाँ कम्पोडिया, थाइलैण्ड, वर्मा, जापान, लंका आदि विभिन्न देशों के लोग आते हैं, इन सारी कन्ट्रीज के लोगों की भाषा समझने के लिए जानकारी रखी जाये।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा, जी वहां कुछ लोग इस तरह के घूमते रहते हैं, जिनको लाइसेंस दिया हुआ है। हमारे यहाँ भी है तो वहां वह ऐसे लोगों को खोज लेते हैं जो उनकी भाषा का अनुवाद करते है। अलग से उनको लाइसेंस दिया जाता है, आप पता कर लीजिए। आपके यहां है या नहीं है, मैं श्रावस्ती खुद कई बार गया हूं। उनके कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया हूँ और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में बौद्ध को जो सबसे बड़ा सम्मेलन या सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसका नाम है, श्रावस्ती। तो वहां आते है और अपना आदमी लाते ही है, यह कौन सवाल है। यह केन्द्र सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, आप बैठिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ मन्दिर, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं, उसकी भी व्यापक सुरक्षा होती है, लेकिन खेद का विषय है और उसी ओर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था के कारण एक तो जो दर्शनार्थी हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। कोई ऐसी व्यवस्था अपनायी जाय, जिससे दर्शनार्थियों को परेशानी न हो, उनको बेहज्जती महसूस न हो, एक यह बड़ा बिन्दु है। दूसरा बिन्दु यह है कि वहाँ इतनी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था रहने के बावजूद भी पिक पाकेट भी होते हैं, चेन स्नैचिंग भी होती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था के कारण भी जो यह सारी घटनायें हो रही हैं, दर्शनार्थियों को जो असुविधा हो रही है, इसकी पुनर्समीक्षा करके कोई ऐसी व्यवस्था अपनायेंगे ताकि दर्शनार्थी भी सुविधापूर्वक दर्शन कर सकें और जेब कतरे भी उनकी जेब की सफाई न कर सकें और महिलाओं की चेन स्नैचिंग विश्वनाथ गली के अन्दर न हो सके। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ? अध्यक्ष जी, इन घटनाओं के कारण विदेशों में और देश के अन्दर बहुत बदनामी होती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कुछ करेंगे, बनारस के लिये ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मस्जिद मैंने नहीं कहा है। मैं तो मस्जिद को मस्जिद ही कहूँगा। आप चाहे गिरा दें। सरकार ने कहा है और सरकार को आप मानेंगे नहीं, आप तो सिस्टम को ही नहीं मानते। संविधान पर भी ऐतराज है, तो मैंने नहीं कहा है, प्रश्न का जवाब है, यह। ऐसी बात न कहिये जो आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को शोभा न दे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

गलत शब्द हो तो हटा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कुछ चीजें ऐसी होती है तो दिल दुखाने वाली होती है। इरादा तो नही है। लेकिन आपने कहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अगर दुःख पहुँचा है तो मुझे खेद है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सरकार पूरी सुरक्षा की गारण्टी देती है और पूरी सुरक्षा की जायेगी। और इस तरह के जो भी हादसे जैसे चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़ की घटनायें हैं इन पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी और रोक लगायी हुई है। यह सही बात है कि सम्मान का ख्याल रखना चाहिये, लेकिन जब आप किसी की जाँच करेंगे तो हर किसी व्यक्ति के सम्मान का पैमाना अलग-अलग है। मिसाल के तौर पर मैं हवाई जहाज से कम से कम सफर करता हूँ, इसलिये कि वहाँ की जाँच पड़ताल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे ट्रेन का सफर ज्यादा अच्छा लगता है। अब जो श्रद्धालु हैं जो आस्था से आये हैं वह तो जायेंगे। जहाँ तक तलाशी का सवाल है, अब अगर किसी के पास थैला है तो तलाशी तो होगी ही। अगर तलाशी नहीं होगी तो कोई हादसा हो सकता है। अब इसमें मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह उस सम्मान को बचाकर रखा जायेगा कि अगर व्यक्ति के शरीर के कपड़ों की तलाशी होना है अगर उसके साथ कोई सामान है अगर उसकी तलाशी होना है। मान्यवर, वह तलाशी सम्मानजनक तरीके से हो उसे अपमान महसूस न हो तो ऐसा ही होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विधवा पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान महंगाई को देखते हुए विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के अन्तर्गत रु0 300/- प्रतिमाह की धनराशि दी जा रही है। सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पेंशन की राशि बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मुझे खेद है कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में कोई अधिक संवेदनशीलता मुझे दिखायी नहीं दे रही है, मामला विधवाओं का है और उनको पेंशन राशि के रूप में

सिर्फ 300 रुपये मिलता है जो भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार देती है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस 300 रुपये की राशि में क्या यह सम्पूर्ण राशि भारत सरकार देती है या इसमें राज्य सरकार का भी कुछ अंशदान होता है। अगर होता है तो कितना होता है और क्या उसमें बढ़ोत्तरी करने पर राज्य सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, बुनियादी तौर पर यह भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा यह संचालित की जाती है। यहाँ तक कि कोटे का अलाटमेंट भी वहीं से होता है और पैसे का अलाटमेंट भी वहीं से होता है। हम इस पैसे को निराश्रित महिलाओं तक पहुँचाते हैं। इसमें बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में फिलहाल विचार की गुंजाइश नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बढ़ाने की बात तो नहीं कही है लेकिन जो 300 रुपये की धनराशि मिलनी है उसका मिलना तो सुनिश्चित हो जाये। यह मैं अपनी जानकारी की आधार पर मा0 मंत्री जी को बता रहा हूँ कि एक-एक साल की पेंशन नहीं जाती है। एक बार उनसे पासबुक बनवा ली गयी, पासबुक बनने के बाद कहीं से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कहीं अपना बैंक खाता भी खोल दिया परन्तु पैसा नहीं जा पा रहा है। उनके लिए जो धनराशि स्वीकृत है वह धनराशि तो उनको मिले। क्या मा0 मंत्री जी जनपदवार समीक्षा करेंगे कि कितने दिनों से कितनी महिलाओं की यह धनराशि नहीं गयी और यदि नहीं गयी तो क्या समयबद्ध योजनान्तर्गत धनराशि को उन तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, एक तो आपसे यह अर्ज कर दूँ कि केन्द्र सरकार से 200 रुपये आता है और राज्यांश उसमें 100 रुपये आता है। जमीन पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। जब छः महीने में एक साथ पेंशन आती है तो किसी गरीब व्यक्ति के लिए किसी परेशानी को हल करने का कारण बन जाती है। मान्यवर, कहीं-कहीं एक-एक महीने और एक-एक साल तक यह पेंशन नहीं आयी है। इसमें ज्यादा वजह इस बात की है कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिल पाता है। जब भारत सरकार से पैसा नहीं आ पाता तो राज्यांश भी नहीं मिल पाता, इस बिना पर यह देर होती है और बराबर इसके लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है और बराबर यह सिलसिला जारी है और इसे दृढ़ता से करनेकी कोशिश करेंगे, बिल्कुल यह आम इन्सानी सवाल है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि सम्बन्धित विभाग के माननीय मंत्री जी नहीं हैं और यह सम्बन्धित मंत्री जी के न रहने के कारण ही संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि यह सम्पूर्ण राशि 300 रुपये भारत सरकार देती है और राज्य सरकार सिर्फ उसको पहुँचाती है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नहीं, मैंने यह नहीं कहा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

यह रिकार्ड में है, आपने यह कहा कि 300 रुपये की सम्पूर्ण राशि भारत सरकार वहन करती है और राज्य सरकार उसको पहुँचाने का काम करती है। अभी आपने संशोधित कर लिया कि 200 रुपया भारत सरकार देती है और 100 रुपया राज्य सरकार देती है। बहरहाल आपने संशोधित कर लिया है, अच्छी बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुपूरक करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जो 100 रुपये का अंशदान करती है, 300 रुपये में, क्या इसको डबल करने पर यानी 200 रुपया करने पर या 300 रुपया करने पर विचार करेगी ? क्योंकि विधवाओं का सवाल है, कुछ तो संवेदनशीलता, संजीदगी का परिचय होना चाहिये, पिछली सरकारों और अब की सरकार में ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैंने कहा था कि भारत सरकार की यह स्कीम है और वहां से पैसा आता है, मैंने उसे टुकड़ों मे नहीं बांटा था। चौधरी साहब ने उसे टुकड़ों में बांद दिया और मैंने भी उसे पहले बांट दिया था और जहाँ तक संवेदनशीलता का सवाल है, गरीबों का खयाल रखने का सवाल है, उन तक लाभ पहुँचाने का सवाल है, तो मेरे ख्याल से मौजूदा बजट इस बात को पूरी तरह से साबित कर रहा है कि गरीबों तक इस खजाने को किस तरह से पहुँचाया गया है। यह भी एक तरीका है और वह भी तरीके हैं जो अपनाये गये हैं। तो पूरे प्रदेश के सारे बजट की कमाई गरीब तक पहुँचे, इसीलिए यह सत्र और यह बजट उसका आइना बना हुआ है और इस वक्त यह विचार में नहीं है, जब तक भारत सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया जाता उस हद तक प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मान्यवर, बहुत सारे अवसरों पर कठिनाई होती है जो यह पात्रता श्रेणी में आते हों, बुजुर्ग हों या महिलायें हों, अगर 300 रुपया किसी को मिलता है और उसके लिए वह दौड़ता है तो इसका मतलब यह है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं तो 300 रुपये के लिए कोई नहीं दौड़ेगा। मान्यवर, कई ऐसे अवसरों पर हम सब लोगों के संज्ञान में यह बात आती है, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं कि उस विधवा महिला के पास जिस समय वह जाँच करने के लिए जाता है, तो उसके नाम के ऊपर वह 500 रुपये 1000 रुपये लेने की बात करते हैं, जो उसके पाँच सौ, हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जिस समय वह पेंशन कार्यालय में जाती है तो उस समय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें उसकी गरीबी का कम से कम मजाक नहीं उड़ायें, उसको जो दिया जा रहा है, वह तो दिया जा रहा है, लेकिन उसकी गरीबी की बात करें और उससे सौ, दो सौ रुपया अतिरिक्त लेकर उसकी गरीबी का मजाक न उड़ायें। इस प्रकार से मा0 मंत्री जी सख्त निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस प्रकार की जितनी भी पेंशन है, उसमें केवल यही समस्या नहीं है, दलाली भी है और दलाल अलग से नहीं आते हैं, हम राजनीति करने वालों के बीच मे जो लोग पलते हैं, वह भी करते हैं, वहीं नहीं, वह भी करते हैं तो बहुत बुराई है और गरीब के साथ बड़ी नाइन्साफी है और

यह ऐसा सवाल है जो किसी एक दल या एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, इस सदन में बैठे हुए हर उस व्यक्ति से जो जमीनी राजनीति करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है, बड़ा भावुक सवाल है, बहुत सच्चा सवाल है और इसमें जमीर को जगाने की जरूरत है, सिर्फ कड़े नियमों से, सिर्फ एक नोटिस निकाल देने से सस्पेंशन से इन सवालों का जवाब नहीं आयेगा। हम अपने अन्दर की काली भेड़ों को देखें, हमारे यहां से जो दलाल, मान्यवर, इस हद तक हो गया है कि जो पहली पेंशन आयेगी, उसमें एक महीने की पेंशन दलाल साहब की होगी और जब तक एक महीने की पेंशन न दे दें, कहीं से लाये वह गरीब औरत पैसा या गरीब व्यक्ति उस हद तक कार्यालया से पेंशन जारी नहीं होती यह बिल्कुल सच है। सच यहाँ तक है कि मशलन 50 पेंशन हो गयी और उसका जो मूल पत्र है वह अपने पास रखा हुआ है और उसकी फोटोकॉपी दलाल साहब ले आये ओर उस गरीब को जाकर जब फोटोकॉपी दी तो वह यही समझी कि यही ऑरिजनल कॉपी है और उन्होंने जो एक महीने की पेंशन तय की है, वह ले ली है। अब हमसे तो यह बातें आप ज्यादा बहस न कीजिये, क्योंकि हम बिल्कुल जमीन के आदमी हैं और हुकुम सिंह जी ने जैसे कहा कि जब आप जनता के बीच में जाते होंगे। हम रहते ही जनता के बीच में हैं। हम जनता से इधर-उधर जाते ही नहीं हैं, क्योंकि खुद भी जनता के हैं। मुहल्ले की गली में रहते हैं, तो मुहल्ले की गली के अड़ोस-पड़ोस के वही लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलती है। हमें दूसरी पेंशन और उन्हें दूसरी पेंशन बस इतना ही फर्क है। तो हम जनता के लोग हैं और जानते हैं कि उनकी क्या तकलीफें हैं और उसके निदान के लिये, जो भी जरूरत होती है, उसकी कोशिश करते हैं। जहाँ जरूरत होती है समझाने की, सख्त करने की, लेकिन क्योंकि बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनका न मेरे पास हल है, न आपके पास हल है। हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट तक मुहर लग गई है, "द सस्पेंशन इज नो पनिश्मेंट" कर लीजिये सस्पेंड वह पनिश्मेन्ट है ही नहीं। अब जब सस्पेंशन पनिश्मेंट नहीं है तो क्या करेंगे आप ? टरमीशन आसानी से आप कर नहीं सकते, डिसमिशन आसानी से कर नहीं सकते, लेकिन जो कानूनी बाध्यतायें हैं, वह भी अपनी जगह है, लेकिन इस सब के साथ-साथ जैसा कि मैं बराबर कहता रहा हूँ कि हमारे अन्दर का जमीर जब तक नहीं जागेगा, उस हद तक इन ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं आ सकेगा। सरकार कोशिश करेगी, हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए सदस्य हैं, यह कोशिश करें कि हम अपने आप को भी तैयार करें और उन लोगों को भी गरीब के साथ इतना बड़ा जुर्म न करने के लिए उन्हें भी तैयार करें।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी इस सवाल के जवाब तो करीब-करीब सब आ गये हैं। आगे का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, बस मेरा यह एक सवाल है। मा0 अध्यक्ष जी, वृद्धा विधवा पेंशन की एक बड़ी व्यावहारिक समस्या है, कि घर में अगर कोई नौजवान पुत्र है तो ऐसी वृद्ध औरतें और विधवायें अयोग्य साबित हो जाती हैं बहरहाल की स्थिति यह है कि घर में नौजवान लड़का हो या न हो, वह रहती तो करीब-करीब अकेली ही है और इस आधार पर बहुत-सारी संख्या में पत्रों को कैंसिल कर दिया जाता है। यह जो 18 वर्ष से ऊपर के नौजवानों के साथ रहने की शर्त है, क्या सरकार इस शर्त को हटाने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अभी तो ऐसा विचार में नहीं है, और ऐसा सम्भव भी आसानी से नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संवेदनशील विषय पर जिसमे मंत्री जी की तरफ से भी और सदस्यों की तरफ से भी संवेदनशील वार्ता चल रही हे, उसमें सिर्फ दो सुझाव के रूप में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक तो सस्पेंशन इज नो पनिश्मेंट जैसा आपने कहा, मान्यवर, यह कोई विभागीय लापरवाही नहीं है, बल्कि यह रिश्वत है। अगर 300 रुपये की पेंशन में कोई 100 रुपये लेता है, तो सीधे-सीधे रिश्वत है, तो फिर सस्पेंड क्यों करें, क्यों न उसके खिलाफ दफा 161 आई0पी0सी0 में हम मुकदमा कायम करें ? मेरा यह सुझाव है, क्या मा0 मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ? क्या जो दो सौ रुपये केन्द्र सरकार दे रही अभी संसाधन नहीं है, सोच लें कि क्या मैचिंग ब्रांड की तरह अगर दो सौ रुपये केन्द्र सरकार देगी तो दो सौ रुपये राज्य सरकार भी मिलाकर, कम-से-कम 400 रुपये करने की कृपा करेगी। चूँकि मान्यवर, मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसा की कहा गया, कि जब जनता के बीच में जाओ, तो वहाँ पर जो औरतें विधवायें हैं, जिनका कोई सहारा नही है, और हम समाज से आँख मूँद भी नहीं सकते। आजकल बहुत से गैर-जिम्मेदार बच्चे हैं, जो अपने माँ-बाप का ध्यान नहीं रखते हैं और उनके लिए, शायद वही जीविका का साधन बन जाती है और सम्मान का साधन बन जाती है। तो मैं, मा0 मंत्री जी से यही दो प्रश्न करना चाहता हूँ कि सिर्फ सस्पेंशन न हो, धारा 161 में मुकदमा कायम करने पर क्या विचार करेंगे और दूसरा क्या इसे प्रत्येक माह सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारी तिमाही में या नहीं आयेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और कहीं अगर गड़बड़ी की शिकायत पायी जाय तो सस्पेंशन न हो बल्कि दफा 161 में मुकदमा कायम हो, क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं बहुत-सी बातें यहाँ वो कह देता हूँ, जो शायद नहीं कहनी चाहिये। इस सवाल का सिर्फ हाँ, न का जवाब था, उतने में यह सवाल खत्म हो जाता। श्री प्रमोद तिवारी जी ने क्योंकि एक बड़ा सवाल रखा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं जानना चाहूँगा, प्रमोद तिवारी जी बहुत सीनियर सदस्य हैं, वह पेंशन कराते होंगे, अगर उनके क्षेत्र में आज तक यह शिकायत नहीं है तो हमारे लिये वह बिल्कुल एक उसूल है और उनकी कांस्टीटियुन्सी बहुत ईमानदारों की है और वहाँ किसी से पैसे नहीं लिये जाते होंगे। तो क्या प्रमोद तिवारी जी बतायेंगे कि क्या किसी एक के खिलाफ उन्होंने भी रपट कराई है। क्या वह गरीब महिला जो ऐसे लोगों के चंगुल में आकर सिर्फ इस लालच में, कि उसकी पेंशन 300 रुपये हो जायेगी, उस हैसियत की महिला की यह हिम्मत है कि वह थाने में जाकर रपट कायम करा सके और हम इतने लोग बैठे हैं, कोई विधायक जी यह बतायें कि किसी ने करायी है। मैं तो प्रश्नकर्ता से जानना चाहता हूँ अगर उन्होंने करायी है तो बता दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्पष्ट कर दूँ कि हाँ मैंने ऐसी शिकायतें दर्ज करायी हैं।

प्रदेश में पुलिस सब इन्सपेक्टर्स के रिक्त पदों के भरे जाने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में मानक के अनुसार सब इन्सपेक्टर्स के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं ? पुलिस सब इन्सपेक्टर की कमी को पूरा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 पुलिस में वर्तमान में मानक के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 17,898 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 8,100 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस उपलब्ध है तथा 9,798 पद रिक्त हैं।

पुलिस सब इन्सपेक्टर की कमी को पूरा करने हेतु दिनांक 30-06-2009 तक कुल 9,087 रिक्त पदों के सापेक्ष उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के 3,698 पदों एवं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर विभागीय परीक्षा के 5,389 पदों का अधियाचन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को भेजा गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि जितने सब इन्सपेक्टर के पद हैं उसमें से केवल 45 प्रतिशत पदों पर लोग तैनात हैं और 55 प्रतिशत पद अभी सीधी प्रक्रिया से और प्रोन्नति से भरे जाने हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो 3 साल से यह अधियाचन भेजा गया, अभी तक इस पर क्या कार्यवाही हुई, सीधी भर्ती के सम्बन्ध में अभी तक क्या कोई कार्यवाही हुई या प्रोन्नति के सम्बन्ध में अब तक की अद्ययतन स्थिति से मान्यवर, अगर अवगत हो तो बता दें ? यह प्रश्न सीधे-सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 55 प्रतिशत सब इन्सपेक्टर का कम होना, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि इसमें जितनी तत्परता हो सके, जितनी शीघ्रता हो सके, वह होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्योंकि सुझाव मानने योग्य है और इस पर वाकई बहुत पहले से ही तत्परता से कार्यवाही होना चाहिये थी और किसी हद तक हुई भी, सरकार किसी की भी हो। लेकिन चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है और 10 जुलाई, 2012 तक के लिये रोक लगा दी गयी है, वह मजबूरी है। इसलिये 10 जुलाई, 2012 को देख लेते हैं कि क्या हाईकोर्ट का फैसला होता है। अभी लिस्ट रुकी हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन बाध्यता है, माननीय उच्च न्यायालय की वजह से। इस प्रश्न का जवाब यह भी हो सकता था कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहाँ से स्टेआर्डर है और जवाब न दिया जाता। लेकिन सिर्फ इसलिये कि इस सवाल के जवाब की बहुत जरूरत थी, इसलिये आपको पूरा जवाब दिया गया।

*3-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में राजीव आवास योजनान्तर्गत सर्वेक्षण आदि का पूर्ण कार्य

*4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार के शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन उपशमन विभाग ने महानगरों एवं

नगरों में रहने वाले शहरी गरीबों को आवास/पुनर्वासन हेतु "राजीव आवास योजना" के अन्तर्गत सर्वेक्षण आदि करके नीति बनाने हेतु प्रदेश सरकार को सन्दर्भित किया है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मो0 आजम खाँ)-

जी हाँ।

प्रदेश के 18 शहर में राजीव आवास योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक तैयारी के कार्य जैसे-सर्वेक्षण कार्य, मानचित्र बनाने तथा प्लान आफ एक्शन तैयार करना इत्यादि, राज्य नागरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 द्वारा किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 06 शहरों-आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा कानपुर नगर की कार्य योजना तैयार करने हेतु रीजनल सेन्टर फॉर अर्बन एण्ड इन्वायरमेन्टल स्टडीज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। पुनः प्रदेश के 12 अन्य शहरों-अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा एवं रायबरेली की कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

निदेशक, रीजनल सेन्टर फॉर अर्बन एण्ड इन्वायरमेन्टल स्टडीज उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा प्रथम चरण में पूर्वोक्त चिन्हित 06 शहरों का प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सूडा को प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, शहर में रेल लाइन के किनारे, सेना की भूमि पर, नदी-नालों के किनारे तमाम गरीब लोग बसते हैं। तो जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना की व्यवस्था की गयी है, उसी तरह भारत सरकार के शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन उपशमन विभाग ने 20 जुलाई, 2009 को राजीव आवास योजना शहरों में लागू करने के लिये योजना बनाई और देश के सभी राज्यों में इस पर सर्वेक्षण करने के लिये, कि कितना क्षेत्रफल है, कितने परिवार हैं, उनका रोजगार क्या है, उनकी आय क्या है, यह सब सर्वेक्षण करके भारत सरकार को भेजने के लिये दिया था। लेकिन मान्यवर, अगस्त, 2009 में सूडा विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 10 दिन में सर्वेक्षण करने के लिये दिया, लेकिन मान्यवर, पिछली सरकार गरीबों की सरकार थी, उसका नेतृत्व गरीबों का था, लेकिन इस पर कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ। मैंने पिछली विधान सभा में प्रश्न भी किये थे तो 14 सितम्बर, 2010 को फिर सूडा की एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में तमाम चर्चित अधिकारीगण सम्मिलित थे।

उन्होंने 6 नगरों को चुना और निदेशक, रीजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इंवायरमेंटल स्टडीज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को सर्वेक्षण का काम सौंपा। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने बताया है कि उन्होंने शायद 6 जिलों की कार्ययोजना सौंप दी है तो उसमें इलाहाबाद के सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है और यह कब सौंपा है। क्योंकि पिछली सरकार ने लगभग 3 साल का समय ले लिया, उन गरीबों के लिये जो झोपड़ियों में रहते हैं और एकदम नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके लिये केन्द्र सरकार योजना बनाकर आवास देना चाहती

है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि यह प्लान कब दिया है और उसमें विशेषकर इलाहाबाद के लिये क्या कार्य योजना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह मैं आपका ध्यान इस ओर लाऊंगा कि भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11027/69/2010-रे, दिनांक 30 जनवरी, 2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 नगरों यथा आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, मथुरा एवं रायबरेली को राजीव आवास योजना से आच्छादित किये जाने की सूचना राज्य सरकार को दी गयी है। इसका मतलब आप समझ गये होंगे कि यह सूचना राज्य सरकार को दी गई है। आपके द्वारा यानि केन्द्र सरकार के द्वारा। जहां तक सर्वेक्षण का काम है, वह हमारे मूल उत्तर में ही है कि उस्मानियां यूनिवर्सिटी, हैदराबाद को सर्वेक्षण का काम दिया गया है। क्योंकि पूरी स्कीम में बहुत से काम हैं, तो हर जिले के लिये वही स्कीम लागू होगी जो एक जिले के लिये होगी और इलाहाबाद के लिये भी उसी को लागू किया जायेगा। अब क्या-क्या होगा, इसके लिये जब भी आप चाहेंगे, आप हमारे साथ बैठ लेंगे, आपके हमारे बीच दूरी नहीं है और जो बेहतरी पैदा की जा सकती है, उसमें किसी तरफ की कोई कसर नहीं रखी जायेगी और यह भी सुनिश्चित कर दें कि जो भी काम होगा, लाख बदनाम सही सूडा गुजरे कल, लेकिन उस कल से पहले एक कल और भी आया था जो गुजर गया साढ़े तीन बरस का। उन साढ़े तीन वर्षों में भी आप सूडा का काम देख लें, उसकी कार्य शैली क्या थी, उसकी वर्क क्वालिटी क्या थी और अब भी सूडा का जो काम होगा, वही क्वालिटी होगी जो इस सदन के माननीय सदस्य चाहेंगे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार है और रोटी, कपड़ा और मकान समाजवाद की मूल आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी भी गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। हम लोग 1985 से साथ रहे हैं। जब आप श्रम मंत्री थे तब भी मैंने देखा कि किस प्रकार से आप श्रमिकों के लिये विशेष रूप से काम करते रहे हैं। गरीबों के आवास बनाने का भी विभाग आपके पास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर कार्यवाई करेंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि हमारे यहां संगम क्षेत्र है, वहां तमाम गरीब लोग झोपड़ियां बना करके रहते हैं। कई बार उनको उजाड़ने की कोशिश की गई। इस पर हम लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की थी। 27 जुलाई, 2010 को, उस जनहित याचिका में निर्णय भी हुआ है कि सेना की भूमि पर जो लोग बसे हैं उनको भी राजीव आवासीय योजना में पुनर्वासित करना है। मैं मा0 न्यायालय का निर्णय आपको दे दूंगा, आप उसको देख लें। सेना की भूमि या रेल लाइन के किनारे जो लोग बसे हैं उस पर भी जनहित याचिका में निर्णय हुआ है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बहुत पुरानी बात याद दिला दी है और अच्छा है वह आज रिकार्ड में दर्ज हो जाये। शायद ही कोई श्रम-मंत्री ऐसा हुआ हो जो अनुग्रह नारायण सिंह जी के साथ उस मिल मालिक के, मिल के दरवाजे पर जाकर बैठा हो, जो मिल मालिक सरकार की पार्टी का

हो और उसी की मेम्बर पार्लियामेण्ट हो। बहुत रोका गया मुझे वहां जाने से, सरकार ने भी रोका और उन सम्मानित सांसद ने भी रोका। मगर मैं क्योंकि श्रम-मंत्री था, मैंने उस वक्त की सरकार से यही कहा कि मैं इण्डस्ट्री मिनिस्टर नहीं हूं, अगर मैं उद्योग मंत्री होता तो मैं मिल के दरवाजे पर नहीं जाता। लेकिन क्योंकि मैं श्रम मंत्री हूं लिहाजा मैं मिल के दरवाजे पर जाऊंगा। हम और अनुग्रह नारायण सिंह मिल के दरवाजे पर गये और वहीं मिल के दरवाजे पर मजदूरों की समस्या का निदान हुआ। इसी तरह से गाजियाबाद में एक बहुत पुरानी हड़ताल चल रही थी, मैं अचानक पहुंच गया, मेरा पहुंचना ही इतना काफी हुआ कि मजदूरों ने सिर्फ इसी आश्वासन पर कि खुद मंत्री यहां पर आया है, उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। इस तरक का भाव जो कल था वही आज भी है। हमने 'आसरा' के नाम से उन कमजोर गरीब लोगों को जो फुटपाथों के किनारे रहते हैं और वहीं उनकी पूरी जिन्दगी गुजर जाती है, डोली वहीं से उठती है अर्थी वहीं से उठती है, वहीं बच्चा पैदा होता है, वहीं जवान होता है और वहीं बूढ़ा होकर मर जाता है। उनके लिये 'आसरा' 'बसेरा' के नाम से योजना ला रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन है, अपनी हदें हैं, बजट की भी एक हद है। जो वायदा किया है वह 05 साल का है। कोशिश यह कर रहे हैं कि इस एक साल में हम लोगों के अन्दर यह भरोसा कायम कर सकें कि हां, हमने शुरुआत कर दी है और अगर हालात साजगार रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि शहरों से इन पांच वर्षों में कम से कम फुटपाथ के सहारे पैदा होने वाले बच्चे और बढ़कर मर जाने वाले बूढ़ों के लिये कोई न कोई व्यवस्था करने हम कामयाब होंगे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

श्री सतीश महाना-

मैं जो प्रश्न करना चाहता था उसका बहुत बड़ा उत्तर अभी मा0 मंत्री जी ने दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

जब उत्तर आ गया तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं, अब खत्म करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम सरकार की तारीफ करना चाहते हैं। आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात है जो गरीबों के लिये आवास बनते रहे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। किसी के नाम पर बने, महापुरुषों के नाम पर बने, महत्वपूर्ण लोगों की नाम पर बने लेकिन उनकी जो पात्रता श्रेणी रही है, मैंने देखा है कि जो उसकी पात्रता श्रेणी में थे आज वहां पर उस पात्रता श्रेणी के बहुत ऊपर के लोग रह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जो प्रश्न करना चाहता था उसका उत्तर पहले समाहित हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सुझावात्मक सवाल करना चाहता हूं जो आपने किया है, उसके लिये बधाई के पात्र हैं। जो आप मकान बनायेंगे, इसके लिये एक श्रेणी बना दीजिये। मेरे पास भी छोटे मंत्री के रूप में थोड़े दिन यही विभाग रहा है। जो सड़क के किनारे बसे हुये लोग हैं जो नाले पर रहने के लिये मजबूर हैं उनकी लिस्ट बन जाय कि यह लोग यहां पर रह रहे हैं उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाय। इसमें अलग से सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी आपने बात कही है मैं उस बात को दोहराते हुये और आपको साधुवाद देता हुआ कि जब उनकी लिस्ट बन गई तो उन लोगों को प्राथमिकता हो जिनको उठाकर उस मकान में भेजा जायेगा उसके लिये अलग से आवेदन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या माननीय मंत्री जी इसके ऊपर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब है। सच यही है कि जो लोग वहां रहते हैं उनका खामोशी से सर्वेक्षण हो जाना चाहिये। आपका सुझाव अच्छा है इस पर विचार भी होगा और इस पर जिस हद तक अमल दरामद हो सकता है वह करेंगे। मान्यवर, इस पर भी विचार हो रहा है कि बम्बई में जिस तरह से तजुर्बा हुआ कि स्लम एरियाज में जिन जमीनों पर झोपड़ियां डाल ली गईं उनको हटाया नहीं जा सकता जाहिर है वह कहां जायेंगे उसमे काफी ऊँची मंजिला इमारतें बनाई गईं और रहने वालों को भी दिया गया कुछ हिस्सा सरकार को दिया बिल्डर्स ने और कुछ अपने लिये रखा। इस पर भी विचार कर लेते हैं सरकार के ऊपर उंगली न उठे कि सरकार ने बिल्डर्स से समझौता कर लिया और उत्तर प्रदेश पूरा नोयडा और ग्रेटर नोयडा हो गया इस पर भी मान्यवर, विचार करेंगे नीयत यही है कि हर उस व्यक्ति को जो फुटपाथ के किनारे सो रहे हैं उनको मकान दिया जा सके नीयत यही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु अनेकों जनपदों के शुद्ध ''पाइप्ड जलापूर्ति'' हेतु कार्य योजना की जानकारी

*5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से व्याप्त 'जल-जनित मस्तिष्क ज्वर' के रोकथाम हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश (विशेष रूप से जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच एवं संत कबीर नगर) के सभी ग्रामीण नागरिकों को शुद्ध ''पाइप्ड जलापूर्ति'' हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

जी हां।

जल-जनित मस्तिष्क ज्वर प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में मिनी पाइप जलापूर्ति योजनाओं तथा इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

मस्तिष्क ज्वर प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के 07 जनपदों (गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं संत कबीर नगर) में 3357 मिनी पाइप पेयजल योजना तथा 18822 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्ययोजना दिनांक 09-06-2012 को भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

जनपद-गोण्डा एवं बहराइच के प्रभावित ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी जवाब आपने भी सुना होगा इतने दिनों से यह बीमारी चल रही है हजारों हजार मौतें हो चुकी हैं और जलजनित इन्सेफ्लाइटिस के बारे में हम लोग सालों से यहां चर्चा कर रहे हैं और जवाब से स्पष्ट है कि पहली बार 6 जून, 2012 अर्थात् आज से 9 दिन पहले यानी जब यह सवाल विधान सभा से होता हुआ विभाग और विभाग से होता हुआ निगम तक पहुंचा होगा।

प्रश्न यह है कि जब इतने दिनों से यह बीमारी चल रही थी जल जनित इन्सेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे सरकार ने आज तक इस बारे में विचार क्यों नहीं किया कि इन ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहिये। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अपने विभाग के स्तर से जांच करके जिन विभागीय अधिकारियों ने इतने सालों तक लापरवाही की है किसी का कार्यकाल रहा हो मुझे इससे मतलब नहीं है आज तक कार्यवाही नहीं हुई पहली बार 9 जून को पत्र भेजा गया जब यह विषय विधान सभा में उठने जा रहा था क्या उन अधिकारियों की जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में भीषण लापरवाही की है उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? दूसरे आपने यह जो मिनी पाइप पेयजल योजना भेजी है क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि इस मिनी पाइप योजना पेयजल योजना में पानी का स्रोत क्या है यह पूछने का एक कारण है यह पूरा क्षेत्र आर्सेनिक प्वाइजनिंग से ग्रस्त है और आप 60 फीट से लेकर 300 फीट के बीच का पानी निकालकर देखते हैं तो एक ओर हो सकता है कि आप इन्सेफ्लाइटिस से बचा पायें, या न बचा पायें लेकिन यह शर्तिया है कि आप उन्हें अधिक मात्रा में आर्सेनिक दे देते हैं। और उन्हें आर्सेनिक प्वाइजनिंग का शिकार बना देते हैं। इसीलिये यह पानी 60 फीट से ऊपर का होना चाहिये सतही जल होना चाहिये और शुद्ध करके भेजा जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मिनी पाइप पेयजल योजना बनाई गई है इसमें जो पानी लिया जा रहा है वह किस स्रोत से लिया जा रहा है ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मान्यवर, पिछली बैठक 6-5-2012 को कार्य योजना की तैयारी के सम्बन्ध में हुई थी उसमें 20 जनपद लिये गये थे। इसमें 7 जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित पाये गये थे। उनकी कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, प्रभावित बस्तियों में एक ट्यूबवेल, एक हार्स पावर का समर्सेबिल पम्प, पावर कनेक्शन, एक नग टैंक पाईप स्टैण्ड पोस्ट चार टोटियों सहित शुद्ध पेयजल योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिससे 500-600 आबादी वाले ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब ट्यूबवेल लगाये जायेंगे तो उसमें कितनी गहराई से हम पानी लेने जा रहे हैं। यह देखने की बात है। मान्यवर, 60 से 300 फीट के बीच है गहराई। मान्यवर, जो उसमें दूषित जल आता है, वह आर्सेनिक प्वाइजनिंग पैदा करने के लिये जरूर मददगार होगा। क्या सरकार इस योजना पर विचार करेगी कि जो सरफेस का वाटर लेवल होता है और जो ग्राउण्ड तक नीचे जाता है आगे इस पर पुनर्विचार कर लेंगे कि उसमें शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मान्यवर, शुद्ध पेयजल लेने के लिये हम नीचे तक जा सकते हैं। मान्यवर, गांव में ग्रामीण लोगों को शुद्ध पेयजल देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, कुशीनगर जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित है। पीने का पानी बहुत खराब आ रहा है। उसमें जवाब आता है कि वहां मात्र 60 से 70 फीट की गहराई पर हैण्डपम्प बोर किये जाते हैं जबकि मानक 113 फीट की है। मान्यवर, वहां जे0 ई0 अलग फैला हुआ है। और कैंसर और लीवर जैसी गम्भीर बीमारियों से अलग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिससे

जहां पर लोगों ने पहले 60 से 70 फीट की गहराई में हैण्डपम्प बोर करने का काम किया है वहां 113 फीट पर बोर हों। आने वाले समय में कुशीनगर में शुद्ध पेयजल देने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है।

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने ग्राम्य विकास अधिकारियों के माध्यम से घर-घर सर्वे कराया था जिनके पास भी हैण्डपम्प लगे हैं। मान्यवर, जिनके यहां पर प्राइवेट नल लगे हुये थे उनके यहां यह सूचना दे दी गयी है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है तो उनके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। कि उनको कैसे डीप बोर के हैण्ड पम्प उपलब्ध हो जायें और उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जायें। क्या सरकार उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

मान्यवर, कुशीनगर जनपद उन 7 जनपदों की सूची में शामिल है। जो हैण्डपम्प वहां खराब हैं उसको दिखवाया गया है और उस पर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। इसमें सर्वे हो गया है। मान्यवर, शुद्ध पेयजल देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिये हम कटिबद्ध हैं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, गोण्डा एवं बहराइच जनपदों के ग्रामीण अंचलों में इंडिया मार्क हैण्ड पम्प-11 कब तक लगवा देंगे ? वहां दिक्कत है।

श्री अरविन्द सिंह ''गोप''-

मान्यवर, यह दोनों जनपद दूसरे चरण में लेने जा रहे हैं कार्य योजना इसकी बन रही है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, हमारे यहां लखनऊ जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। हमारे यहां जो पानी की टंकियां हैं उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह दो प्रकार की व्यवस्था है एक नगर विकास विभाग द्वारा है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग की व्यवस्था है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, हमारा आधा क्षेत्र शहर में और आधा देहात में है तो मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बन्थरा और विजोह जो दोनों देहात में है और ग्राम्य विकास में आते हैं वहां पर टंकियां बनी खड़ी हैं कई सालों से अब तक वह टंकी चालू नहीं हुई उसे कब तक चालू करा देंगे, यह बता दें ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

माननीय शुक्ला जी, अभी कुछ दिन पहले यह प्रश्न आया था हमारे नेता माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया था। टंकियों की क्या स्थिति है यह आपको मालूम है, वह टंकियां तो गिरवानी पड़ेंगी वर्ना बड़ी घटना घट जायेगी। पिछली सरकार ने जो काम किया है वह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और जानती है। उसी का परिणाम है कि वह आज वहां बैठे हैं। मैं शारदा शुक्ला जी को बताना चाहूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा जो आपकी समस्यायें हैं उनको लेकर उस पर विचार कर लूंगा।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है आपसे कि देहातों से लगता हुआ क्षेत्र है जो 12 किमी0 की पट्टी है जो सहारनपुर और देहरादून के बीच में है। मेरे 120 गांव पानी से त्राहि-त्राहि किये हुये हैं पिछले 2005 से पिछले साल तक 45 लाख, 30 लाख रुपया जनरेटर और हैण्ड पम्प के लिये जाता था जनरेटर से पानी की व्यवस्था पेयजल की हो जाती थी जो इस साल अभी तक नहीं गया कल सहारनपुर में घेराव हुआ, घड़े और मटके लोगों ने तोड़ डाले, 7 गांवों में आग लग चुकी है जिससे 45 मवेशी मर चुके हैं, मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब पिछले 7 सालों से जनरेटर के लिये तेल की व्यवस्था और किराये की व्यवस्था और 7 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हैण्डपम्प नहीं है पहले श्रोत चलते थे पहाड़ों से, देहरादून से श्रोत निकलते थे, शाकूमत मंदिर महोन, वन गूजर के डेरे हैं वहां पर भैंसें उन कुण्डों में पानी पीती हैं उन्हीं के पास में हमारे 80 गांव हैं वही गन्दा सड़ा पानी, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि 45 लाख रुपये का बजट पिछले डेढ़ महीने पहले जिलाधिकारी महोदय ने भेजा था वह कल तक भी रिलीज नहीं हुआ और सहारनपुर की बेहट तहसील जो देहरादून और सहारनपुर के बीच के पहाड़ों से मिलकर जो अपना काम करती हैं वे अत्यन्त परेशान हैं। मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि वह 45 लाख रुपया तत्काल रिलीज किया जाय ताकि 120 गांवों में पानी की व्यवस्था हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमारे दोस्त के भाई हैं और हमारे लिये छोटे भाई की तरह हैं। साढ़े सात वर्ष की बात कही बात ढ़ाई वर्ष की कहना चाहिये था क्योंकि पिछले 5 वर्ष में उनके साथ वह नहीं हुआ जो गुजरे ढ़ाई या तीन वर्ष में हुआ। वहां तालाब के कीचड़ से लोग पानी बनाकर पीते थे तो उस साढ़े तीन वर्ष की सरकार में जिस तरह से पानी की व्यवस्था की गयी है अगर एक शब्द भी उसके बारे में आपने कहा होता तो मुझे अपनी मेहनत का कुछ शिला मिल जाता। हमने आपके यहां पूरे उत्तर प्रदेश की जरूरतों को दरकिनार करके सहारनपुर के उस इलाके जहां पर किसी की कोई नजर नहीं थी उसके पहले की सरकारों की भी, डीप बोर कराये, एक खास सिस्टम लेकर आये बाहर से, जो पत्थर नहीं टूट सकते थे जहां से पानी मिल ही नहीं सकता था, कभी नहीं मिला, मगर क्योंकि हमारा कमिटमेन्ट था पानी देने का लिहाजा उस जगह से जहां से पानी मिल ही नहीं सकता था वहां से पानी निकालकर दिया है और मान्यवर, यह जो प्रश्न आया है कि पानी की क्वालिटी क्या होगी मान्यवर, हम तो मजदूर हैं, हमें जब आप पैसा देते हैं तब हम मजदूरी पर काम करते हैं। अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं जहां हमें पानी मिल जाता है हम उस पानी की टेस्टिंग करते हैं अगर वह पानी क्वालिटी वाटर है, पीने योग्य है तो उसको हम वहीं पाइप को फिट करके नल लगा देते हैं लेकिन जहां तक पानी पीने योग्य नहीं मिलता, जहां तक साफ्ट वाटर नहीं मिलता हमारा बोर डीप होता चला जाता है और मैं इन 5 सालों के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन अगर खुद माननीय सदस्य उन साढ़े 3 वर्ष की शिकायत रखें तो हम बिल्कुल मुजरिम हैं, उसकी सजा के लिये तैयार हैं और जो कमी है, चाहे वह ग्राम्य विकास हो, चाहे नगर विकास हो, आपकी पानी की समस्या को प्राथमिकता पर रखने का हमारा कल भी कमिटमेन्ट था, हमारा आज भी है चाहे आप किसी दल में हों और कहीं बैठे हों और जिस पैसे की आप बात करते हैं ? मैं खुद मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर कहीं रोक है तो उसको जल्द से जल्द जारी करा दें।

(श्री महावीर सिंह राणा के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर आ गया अब क्या पूछना है, धन्यवाद देना चाहो दे दो।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी 2005 से कहा, मेरा क्वेश्चन इसी पर लगा हुआ था, उस पर कहा कि वो 22 पेयजल योजनायें मा0 मंत्री जी के कार्यकाल में लगीं। ये 45 लाख रुपये में उन 5 गांव जो रह गये थे, उनको पानी सप्लाई होता है। 22 योजनाओं से 180 गांव लाभान्वित हुये 2004 में मा0 मंत्री जी के द्वारा, उसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने एक घण्टा की चर्चा सदन में जिन नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, उसको लेकर के करायी थी। उसी विषय में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी से कि मंत्री बहुत सक्रिय और जुझारू मंत्री हैं कि हमारे जिले में भी कृष्णा नदी, हिण्डन नदी जिनका पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, उनके आस-पास सैकड़ों की संख्या में गांव हैं। क्या उनके लिये शुद्ध पेयजल के लिये हैण्डपम्प या अतिरिक्त शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गयी है या मंत्री जी करेंगे ?

श्री अरविन्द सिंह गोप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा, फिर मा0 सदस्य से हम बात कर लेंगे, अगर उनकी कहीं कोई ऐसी समस्या हैण्डपम्प की है तो हम उस पर बात करके विचार कर लेंगे।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, जलजनित मस्तिष्क ज्वर जो होता है, जलजनित मस्तिष्क ज्वर में आपने लखीमपुर को शामिल नहीं किया है, यह जनपद भी बहुत ज्यादा प्रभावित है मस्तिष्क ज्वर के मसले में। क्या उसको भी शामिल करके जो योजना दूसरे जिलों के लिये बनायेंगे क्या वही योजना लखीमपुर जनपद के लिये भी बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अरे यह नौवां सवाल आप ही सम्बन्धित है, वहां तक पहुंचोगे ही नहीं।

श्री अरविन्द सिंह गोप-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें 20 अध्यक्ष चिन्हित किये गये हैं, 4 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मा0 सदस्य ने लखीमपुर की बात कही है, हम बात कर लेंगे, दिखवाते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आयी है।

प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों हेतु सेवा नियमावली एवं उनके वेतन भुगतान सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को भेजने की जानकारी

*6-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1993 से मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषय के शिक्षकों से सम्बन्धित नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को जनवरी, 2012 में जो बजट प्राप्त हुआ था, उससे शिक्षकों को वेतन का भुगतान हो

गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों को उनका वेतन भुगतान करने के पश्चात् उसका उपभोग प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जो पूर्णतया अस्थाई है। अतः योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई नियमावली नहीं बनाई गई है।

भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को जनवरी, 2012 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को उनका वेतन भुगतान करने के पश्चात् दिनांक 03-11-2011 तक व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, इस उत्तर के लिये मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। परन्तु, यह इतना सरल विषय नहीं है। पिछले कई वर्षों से हमारे जो मदरसा शिक्षक हैं, ये सड़कों पर उतर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। अगर स्थिति इतनी सामान्य होती तो इन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता न होती। एस0 पी0 क्यू0 ए0 एम0 क्वालिटी एजूकेशन मदरसे में देने के लिये केन्द्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इस योजना को जारी किया और 50 प्रतिशत इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है और नोडल उसकी उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसी 16 मई को नयी सरकार के आने के बाद, मदरसा टीचरों ने लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन किया और बंदरियाबाग की क्रासिंग पर लाठीचार्ज हुआ, खींचातानी हुयी, उन लोगों को पकड़ा गया, फिर छोड़े गये। मैं इतना कहना चाहती हूं क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, कोई शिक्षक अग्रसिव नहीं होता, कोई शिक्षक आक्रामक नहीं होना चाहता, वह शान्ति से अपना काम करना चाहता है और माता-पिता के अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व होता है तो वह एक शिक्षक का होता है। यह मसला करीब-करीब 18 हजार शिक्षकों का, अध्यापकों का है। मैं यह जानना चाहती हूं, आपने कहा कि 9-3-2011 तक जो धनराशि आयी थी वह जा चुकी है। मेरा संज्ञान है कि 1228, 440 और 223 मदरसों के लिये अलग-अलग तीन किस्तों में 16 दिसम्बर, 19 दिसम्बर और 6 मार्च को केन्द्र की यह धनराशि अवमुक्त हुई है। अब अगर 16 दिसम्बर को अवमुक्त हुई, 19 को हुई और 14-15 मई को उसको आंशिक रूप से रिलीज करके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को भेजा गया तो 6 महीना पहले यदि यह धनराशि आयी थी। मेरा प्रश्न है उसको अवमुक्त करने में 6 माह क्यों लगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा नियमावली से है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र की योजना है, अथवा इस स्टेज पर नियमावली बन नहीं सकती। अतः हमारी सरकार को विचार करना चाहिये कि 19 वर्षों से लोगों ने अपनी जिन्दगी का एक दशक पठन-पाठन में दे दिया और अभी उनकी सर्विस रूल्स नहीं है छुट्टी कैसे होगी, अवकाश कैसे होगा तो कितने शोषण की गुन्जाइश हम उनके लिये छोड़ रहे हैं हम सब जानते हैं कि किस तरह से अध्यापकों का शोषण भी हो सकता है अगर प्रोपर नियमावली न हो। तो क्या हमारी सरकार केन्द्र सरकार को

सजेस्ट करेगी, प्रस्ताव भेजेगी कि 19 वर्षों का जो कार्य काल है उसमें नियमावली बनाने की आवश्यकता है, यह मेरा द्वितीय प्रश्न है। तीसरा और अन्तिम प्रश्न मेरा यह है, मैं जानकारी चाहूंगी कि मेरी जानकारी में है, चार केटागिरीज हैं जिसमें वेतन का भुगतान होता है। जो इंटर पास हैं उनको 3 हजार रुपये, जो स्नातक हैं उनको 6 हजार, जो स्नातक और बी0एड0 हैं उनको 10 हजार, पोस्ट ग्रेजुएट और बी0एड0 को 12 हजार रुपये केरल और कर्नाटक में इस तरह से लागू किया गया है। परन्तु उत्तर प्रदेश में बी0एड0 स्नातक बी0एड0 ओर परास्नातक बी0एड0 यानि पी0जी0 बी0एड0 को कन्सोलिडेटेड 8 हजार रुपया दिया जाता है। तो ऐसा क्यों ? क्यों नहीं उन्हें 10 हजार 13 हजार दे सकते ? महंगाई का जमाना है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या आप विचार करेंगे कि इस महंगाई के जमाने में जब हमारा साधारण सा कर्मचारी 10-15 हजार रुपये लेता है, एक शिक्षक जो बच्चे के चरित्र का निर्माण करता है समाज के कल्याण के लिये काम करता है उसको आप 10 हजार रुपये जो कैटेगरी बनी है उसके अनुरूप वेतन का प्रस्ताव करेंगे अथवा नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, थोड़ा मैं जवाब के सिलसिले में क्रम बदलना चाहूंगा। एक तो जवाब में ही है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, केन्द्र पुनरोधारित योजना है जो पूर्णतया अस्थाई है। कम्प्लीटली टैम्परोरी योजना। अगर यह स्थाई हो, परमानेंट योजना हो तो रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती होगी, भारत सरकार के विचार में होगा यह प्रश्न। आपने इस पर जिज्ञासा जताई है, हमारे यहां से इस पर बराबर चिट्ठियां पिछले तीन महीनों में भी गई हैं हमने परसू किया है कई सवालों पर। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन तीन महीनों से पहले किन कारणों से पैसा नहीं दिया जा सका। इसकी जानकारी बस एक दूंगा आपको कि क्यों नहीं दिया जा सका।

मान्यवर, मैं पत्रावलियां देख रहा था। क्योंकि आम तौर पर होता यह है कि सचिव महोदय ही पत्रावली को ओके कर देते हैं लेकिन मेरे किसी भी विभाग में कोई पत्रावली ऐसी नहीं होती जिसके पढ़ने के बाद मेरे खुद के दस्तखत के बगैर वह आगे न बढ़े। किसी भी पत्रावली में। मेरी आंखें तरस जाती हैं उन पत्रावलियों में अपने पहले के मंत्रियों के कहीं यह पहचानूं कि कैसे दस्तखत करते थे। किसी पत्रावली में मुझे मंत्री महोदय के अभी दस्तखत देखने को नहीं मिले हैं ताकि पहचान तो हो कि ऐसे दस्तखत किये होंगे हमारे माननीय मंत्री जी ने। एक पत्रावली हमारे सामने से गुजरी जिसमें एक बहुत बड़ी रकम थी वो मदरसों को जानी थी तामीर के सिलसिले में कन्स्ट्रक्शन के काम के लिये। एक कमरा, दो कमरा बनाने के लिये। और वह बड़ी रकम थी, काफी बड़ी रकम थी। 4 साल से वह पत्रावली ठोकरें खा रही थी कभी क्लैरिकल लेविल पर और कभी अधिकारी लेविल पर और वह क्वैरी लगाकर वापस कर दी जा रही थी। बड़ी रकम थी। अगर वह पैसा दे दिया गया होता तो उससे अगले साल अगली रकम आ गई होती वह पैसा दे दिया गया होता तो तीसरी किश्त आ गयी होती और वह पैसा दे दिया गया होता तो चौथी किश्त आ गई होती। 4 बरस से रीता जी वह फाइल ठोकरों में थी कि यह पैसा मदरसों तक न पहुंच जाय। यह भी हुआ, इसी के साथ-साथ केन्द्र से पैसा आने में भी डिले हुआ है, जो पैसा आया है वह जारी हो गया है और बाकी पैसा मांगने के लिये हमारे यहां से बराबर मुतालबा जारी है। क्योंकि यह पैसा भारत सरकार से आता है बड़ी मदद होती है यहां मदरसों की, चुनांचे इसको लेने में बड़ी तत्परता बरती जाती है। आगे भी हम आपसे इसमें सहयोग चाहते रहेंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैंने मा0 मंत्री जी का उत्तर सुना, इससे मैं संतुष्ट हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका प्रयास अल्पसंख्यकों के विद्यालयों के लिये है, क्योंकि आप इसके मंत्री हैं। आप चाहते हैं कि उनके शिक्षकों का भला हो। लेकिन मेरा एक निवेदन है अगर नवम्बर में पैसा आता है और मई में रिलीज होता है तो मैं समझती हूं कि भुखमरी की कगार पर चलने वाले अध्यापकों का बहुत बड़ा नुकसान है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में धनराशि आये तो वह अवमुक्त हो जाये। 6-6 महीने का जो विलम्ब होता है यह उचित नहीं है। इसमें पुनः विचार प्लीज कर लीजियेगा जो मैंने कहा, जो आप उनको सेलरीज देते हैं उसमें आप आठ हजार देते हैं तो जो स्नातक बी0एड0 हैं, और जो पी0जी0 बी0एड0 हैं तो क्या इसमें पैसा बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह भारत सरकार की स्कीम है लिहाजा उनसे ही निवेदन किया जायेगा। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है कि नवम्बर में आया हुआ पैसा मई में रिलीज हुआ यह गम्भीर सवाल है इसमें हम चाहेंगे कि आपको आश्वस्त करें कि इसमें जांच करायेंगे और सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पैसे को नहीं दिये जाने के लिये जांच भी होगी और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी होगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। बस हो गया।

प्रदेश में बेकार ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी कार्य योजना

*7-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेकार पड़े ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार कोई व्यापक कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

प्रदेश में बेकार पड़े ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये विश्व बैंक की सहायता से उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना, उ0 प्र0, भूमि सुधार निगम द्वारा वर्ष 2009 में चलायी जा रही है। उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना में प्रदेश के 29 जनपद चयनित हैं जिसमें 1,30,000 हे0 ऊसर भूमि का सुधार किये जाने का लक्ष्य है। परियोजना के प्रथम सुधार वर्ष की समाप्ति पर 20,000 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 21,281 हे0 भूमि उपचारित की गयी है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेकार पड़े बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के चयनित जनपदों के 132 विकास खण्डों में वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक की अवधि में कुल 130 परियोजनायें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 तक 7,30,847 हे0 समस्याग्रस्त क्षेत्र उपचारित करके कृषि योग्य बनाया गया।

उपरोक्तानुसार।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रदेश में बेकार पड़े बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक की अवधि में कुल 130 परियोजनायें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है। इस योजना में वर्ष 2011-12 तक 7,30,847 हे0 समस्याग्रस्त क्षेत्र उपचारित करके कृषि योग्य बनाया गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछिये ना।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मंत्री जी ने जवाब दिया जहां तक सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि वर्ष 1991-92 से बंजर भूमि विकास का कार्य भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा था। और 1998 में भूमि विकास से जल संसाधन विकास विभाग अलग हुआ, उसके बाद से यह विभाग देख रहा है, माननीय मंत्री जी 1995-96 से कह रहे थे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह 7,30,847 हे0 भूमि उपचारित करके कृषि योग्य बनायी गयी है यह 1991 से है या 1998 से है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष इसका लक्ष्य कितना था और कितनी भूमि उपचारित की गयी ?

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो आंकड़ा है, वह वर्ष 95-96 से है। यह योजना वर्ष 95-96 से शुरू की गयी थी और उसमें भारत सरकार के तहत् लक्ष्य रखने का काम किया गया। इसमें 8,58,678 हेक्टेयर क्षेत्र की हमें व्यवस्था करनी थी, जिसमें कुल उपचारित क्षेत्रफल 7,30,847 हेक्टेयर है। इसमें दो योजनायें थीं, आपके ही जनपद बहराइच में एक बंजर भूमि विकास योजना (आई0 डब्ल्यू0 डी0 पी0) जो संचालित नहीं की गयी और दूसरी जो थी, जो सूखा बाहुल्य क्षेत्र है, उसके लिये थी, डी0 पी0 ए0 पी0 योजना। तो जो योजना पहले चालू की गई था उसमें 1,48,361 हेक्टेयर को सेचुरेट करने का काम किया गया। ऊसर भूमि वाली जो योजना थी, जो योजना का 18-9-2009 को करने का लक्ष्य है, उसमे से कुल उपचारित भूमि का 6 लाख 18 हजार हेक्टेयर जमीन और अवशेष जो पहले योजना में थी, 51 हजार हेक्टेयर, अभी हमारे पास जो 5.33 लाख हेक्टेयर जमीन बची है, उसको हम तीसरे फेज में लेने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में गांवों से पलायन रोकने हेतु कार्य योजना

*8-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिये सरकार ने ग्रामीण विकास की मूलभूत आवश्यकताओं तथा रोजगार सृजित करने के दृष्टिगत कोई कार्य-योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

*9-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ग्रामीण अंचल के प्रत्येक ब्लाक के गांवों में 150-150 हैण्डपम्प क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुति पर सरकार स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का उल्लेख नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ब्लाकवार स्वीकृत इन्दिरा आवासों को पूर्ण करने के सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच में वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ब्लाकवार स्वीकृत किये गये इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने तथा लाभार्थियों को दूसरी किश्त प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 मार्च, 2011 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निदान हेतु उपाय

2-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के निदान हेतु खराब हैण्ड पम्पों को री-बोर कराने तथा नये हैण्ड पम्प लगवाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है। ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों को री-बोर करने एवं नेय हैण्डपम्प अधिष्ठापन के कार्य नगरीय जिला योजना समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिला योजना (सामान्य/एस0सी0एस0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा शहर की पेयजल समस्या के स्थाई निदान के उपाय

3-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर की पेयजल की गम्भीर समस्या के स्थाई निदान हेतु आगरा में यमुना नदी पर बैराज अथवा चंबल से अपलिफ्ट कर पानी लाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा में यमुना नदी पर बैराज अथवा चंबल से अपलिफ्ट कर पानी लाने हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा हेड वर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगाजल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु वाह्य सहायतित आगरा पेयजल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना (मूल लागत रु0 1076.98 करोड़) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पालरा फॉल से 150 क्यूसेक कच्चा जल पाइप लाइन के माध्यम से लाया जायेगा, जिसमें से 140 क्यूसेक आगरा के लिए तथा 10 क्यूसेक मथुरा के लिए होगा।

आगरा शहर के क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल एवं नालों को पक्का कराये जाने की मांग

4-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा शहर में कई बड़े-बड़े कच्चे नाले हैं जिनकी बाउन्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों को सुरक्षा की दृष्टि से पक्का कर उनकी बाउन्ड्रीवाल या पैरीमीटर बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विभिन्न स्थलों पर बाउन्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त है।

बड़े कच्चे नालों को पक्का कराने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। पक्के नालों की दीवार एवं पैरापिट क्षतिग्रस्त होने पर ठीक कराने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाती है।

आगरा शहर में डाली गई मुख्य सीवर लाइन को सीवर लाइन से जोड़े जाने की मांग

5-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में विगत कुछ वर्षों से जल निगम द्वारा मुख्य बड़ी सीवर लाईनें डाली गयी है, किन्तु अभी तक उनसे क्षेत्रीय बस्तियों, कालोनियों और मोहल्लों को सीवर लाईनों को नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इनको मुख्य लाईनों से कब तक जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आंशिक रूप से क्षेत्रीय बस्तियों, कालोनियों और मोहल्लों की सीवर लाईनों को जोड़ दिया गया है।

निर्माणाधीन मुख्य सीवर लाईनों को क्षेत्रीय कालोनियों और मोहल्लों से जोड़कर सीवर लाईनों की कमीशनिंग मार्च, 2013 तक पूर्ण कराकर जल संस्थान आगरा को घरेलू संयोजन हेतु हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

आगरा नगर के मेन मार्केट की क्षतिग्रस्त सड़कों को बनवाये जाने की मांग

6-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में मेन मार्केट कमलानगर से अल्का कुंज तक की सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त सड़क के निरीक्षण उपरान्त इसके निर्माण हेतु धनांक रुपया 24,13,350.00 का आगणन तैयार कराया गया है। यदि नगर निगम सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो धन की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

आगरा नगर की जयपुर हाउस कालोनी के राम मन्दिर पार्क के पैदल पथ व दीवारों की मरम्मत कराये जाने की मांग

7-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की जयपुर हाउस कालोनी के मकान नं0 56 के सामने राम मन्दिर पार्क के अन्दर व बाहर पैदल पथ नहीं है व दीवारों की मरम्मत भी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत पार्क का निरीक्षण कराया गया। पार्क की बाउण्ड्रीवाल ठीक अवस्था में है। जगह-जगह प्लास्टर क्षतिग्रस्त हो गया है। पार्क के विकास कार्य (पैदल पाथ से सहित) एवं पार्क के बाहर साइड पटरी आदि के निर्माण हेतु रु0 6,52,100.00 का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा नगर के न्यू राजा मंडी कालोनी पार्क में अवैध कब्जा मुक्त कराते हुए विकसित करने की मांग

8-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में न्यू राजा मंडी कालोनी पार्क, जो राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन के करीब है पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवाकर पार्क, को पुनः विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आंशिक रूप से अतिक्रमण है। पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्व में नगर निगम द्वारा प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु स्थलीय स्वामित्व विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था। भूमि के स्वामित्व के संबंध में वाद मा0 जनपद न्यायालय में लम्बित है। प्रकरण न्यायाल में लम्बित होने के कारण विकास कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

सी0एण्ड डी0एस0, झांसी द्वारा एस0टी0पी0 योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण में वित्तीय अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

9-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एण्ड डी0एस0, झांसी द्वारा एस0टी0पी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कराये गये सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण मानक के अनुसार न होने एवं उक्त वित्तीय वर्ष में रु0 12 करोड़ की वित्तीय अनियमितता विषयक अपर जिलाधिकारी, जालौन का पत्र दिनांक 12-04-2012 परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड0 डी0एस0, झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

अपर जिलाधिकारी, जालौन के पत्र दिनांक 12-04-2012 द्वारा परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, झांसी से एस0सी0एस0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की निर्धारित प्रारूप पर सूचना शासन द्वारा स्वीकृत आगणन की प्रति एवं माप पुस्तिका जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय उरई को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपर जिलाधिकारी, जालौन के पत्र दिनांक 12-04-2012 में सी0एण्ड डी0एस0, झांसी द्वारा एस0टी0पी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कराये गये सी0 सी0 रोड एवं नाली का निर्माण मानक के अनुरूप न होने एवं उक्त वित्तीय वर्ष में रु0 12 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का उल्लेख नहीं है।

अपर जिलाधिकारी, जालौन के उक्त पत्र दिनांक 12-04-2012 के क्रम में परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 झांसी के पत्रांक-283/कार्य-9/12, दिनांक 20-04-2012 एवं पत्रांक-520/कार्य-9/17, दिनांक 17-05-2012 द्वारा प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट, माप पुस्तिका एवं प्राक्कलन की छायाप्रति जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय, उरई को उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर में राम नगर कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

10-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में रामनगर कालोनी की आंतरिक सड़कें विगत 5 वर्षों से जर्जर हैं तथा विगत वर्ष उसका एस्टीमेट बन चुका है किन्तु निर्माण

कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनके सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 16.00 लाख का आगणन बनया गया है। फिलहाल क्षतिग्रस्त मार्गों की पैच मरम्मत कराते हुए आवागमन हेतु मार्गों को सुगम बना दिया गया है।

नगर निगम सदन की कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित होने पर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर में दहतोरा मोड़ से महाप्रभू मन्दिर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

11-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में दहतोरा मोड़ से महाप्रभू मन्दिर तक लगभग 500 मीटर सड़क व नाली विगत 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त है जिससे मार्ग में बुरी तरह से जल भराव रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण एवं जल निकासी हेतु रु0 28,87,600 का आगणन तैयार कराया गया है। नगर निगम सदन की कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित होने पर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर की मालवीय कुंज शरणार्थी कालोनी वासियों को मालिकाना हक दिलाये जाने की मांग

12-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की मालवीय कुंज शरणार्थी कालोनी विगत 60 वर्षों से किराये पर दी गयी है ? क्या सरकार वाजिब राशि लेकर उनको मालिकाना हक देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कोलोनी की भूमि नजूल सम्पत्ति है। अतः बिना नजूल भूमि के फ्री-होल्ड नीति का अनुपालन किये, कालोनी के अध्यासन की भूमि को फ्री-होल्ड अथवा मालिकाना हक दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ के ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर में राहुल पुत्र जयपाल का धर्म परिवर्तन कराने का कथित प्रकरण

13-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर में नाबालिग राहुल पुत्र जयपाल जाति कुम्हार को एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने बहला-फुसलाकर माह अप्रैल, 2012 में धर्म परिवर्तन करा दिया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राहुल द्वारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान में वह अपने माता-पिता के साथ सकुशल रह रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ शहर में गली एवं सड़क किनारे खुली मुर्गे की मीट की दुकानों को बन्द कराये जाने की मांग

14-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर में रिक्शा-ठेलों पर गली-गली एवं सड़क कि किनारे खुली दुकानों में खुलेआम मुर्गे काटे जा रहे हैं जिसके कारण शहर में गंदगी तथा बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम मेरठ में मीट के लाइसेंन्स जारी किये जाते हैं। यदि कोई रिक्शा-ठेलों पर गली-गली एवं सड़क के किनारे खुली दुकानों में मुर्गे काटकर मीट बेचते हैं तो वह नियम विरुद्ध है।

ऐसे लोगों को चिन्हित करने के उपरान्त उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर में ए ब्लाक स्थित फूल वाटिका पार्क की जर्जर क्षतिग्रस्त दीवार व पथ की मरम्मत कराये जाने की मांग

15-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ए ब्लाक स्थित फूल वाटिका पार्क की दीवार जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा घूमने के लिये पैदल पथ भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दीवार व पथ की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। पार्क की बाउण्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त नहीं है। कहीं-कहीं प्लास्टर टूटा हुआ है। पैदल पथ कच्चा है, जिसके निर्माण हेतु रु0 5,32265.00 का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा की सिकन्दरा कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कें व नाली की मरम्मत कराये जाने की मांग

16-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सिकन्दरा कालोनी की सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। सिकन्दरा कालोनी आवास विकास परिषद् द्वारा 16 सेक्टरों में विकसित की गयी है, जिसका रख-रखाव वर्तमान में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में आवास विकास कालोनी की अधिकांश सड़कें यातायात के उपयुक्त हैं। समय-समय पर नगर निगम द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों की पैच मरम्मत कराके आवागमन हेतु उपयुक्त बनाया जाता है साथ ही नालियों की मरम्मत भी समय-समय पर करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु धनराशि दिये जाने का प्राविधान

17-श्री सुरेश राणा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 35 वर्ष की आयु तक की विधवाओं को पुवर्विवाह करने पर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000.00 रुपये दिये जाने का प्राविधान हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं माह अप्रैल, 2012 तक जनपद प्रबुद्धनगर में इस योजना के अन्तर्गत कितनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर रुपये 10,000.00 की धनराशि दी गयी है ? क्या सरकार उनके नाम व पते की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुन कुमारी कोरी-

महिला कल्याण विभाग द्वारा पति की मृत्युपरान्त 35 वर्ष से कम की आयु की महिला से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजनान्तर्गत रुपये 11,000.00 दिये जाने का प्राविधान है।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद प्रबुद्धनगर में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं माह अप्रैल, 2012 तक पात्र एवं अर्ह व्यक्तियों द्वारा दिया गया आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः इस योजना के अन्तर्गत किसी भी लाभार्थी को सहायता प्रदान नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के नालों की सफाई किये जाने के निर्देश

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नालों की सफाई की क्या नीति है ? क्या सरकार नालों की तलीझाड़ ए0 टू जेड0 तक सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शासनादेश संख्या-1000/नौ-7-2012-27 ज0/2004 दिनांक 23-04-2012 द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व विलम्बतम् 15 जून तक नालों, नालियों एवं सीवर लाइन की सफाई किये जाने के निर्देश समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, निदेशक स्थानीय निकाय एवं समस्त नगर आयुक्त उत्तर प्रदेश को दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशानुसार स्थानीय निकायों द्वारा नालों की तलीझाड़ सफाई करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि किये जाने की मांग

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि करेगी ? क्या सरकार पेंशन में अपने आप वृद्धि के लिये इसको प्राइस इन्डेक्स से जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुये पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

जी नहीं।

''प्राइस इन्डेक्स'' केवल राज्य कर्मचारियों पर लागू होता है।

जनपद कानपुर के अनेकों क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत करायें जाने की मांग

20-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, गांधीग्राम, सरनगवां पटेल नगर आदि क्षेत्रों में क्षतिगस्त सड़कों की मरम्मत एवं पूर्ण रूप से बनाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। शासनादेश संख्या-5097/ नौ-अ0-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26 मई, 2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि उक्त प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं। अतः यह दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

जनपद कानपुर नगर के अनेकों क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाई जाने की मांग

21-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, गांधीग्राम, सरनगवां, पटेल नगर आदि क्षेत्रों में सीवर की लाइनें विछाई गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर के सनिगवां एवं पटेल नगर क्षेत्रों में सीवर लाईन बिछाई जा रही है।

यशोदा नगर, गोपाल नगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, गांधीग्राम आदि क्षेत्रों में सीवर बिछाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मी नियुक्त कराये जाने की मांग

22-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 15-16 लाख है ? यदि हां, तो सरकार को जानकारी है कि हेल्थ-मैन्युअल के अनुसार आगरा नगर निगम में लगभग 8-10 हजार सफाई कर्मी नियुक्त होने चाहिए जबकि वर्तमान में मात्र लगभग 2100 सफाई कर्मी की कार्यरत हैं। ? यदि हां, तो हेल्थ मैन्युअल में मानक के अनुसार आगरा नगर निगम में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा नगर की जनसंख्या 15,76,138 है।

हेल्थ मैनुअल के अनुसार प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान आगरा नगर की जनसंख्या के अनुसार कुल 4413 सफाई कर्मचारियों की आववश्यकता है। वर्तमान में आगरा नगर निगम में 1889 स्थायी सफाई कर्मचारी व 611 संविदा सफाई कर्मचारी कुल 2500 कार्यरत हैं।

नगर की आवश्यकता के अनुसार असेवित क्षेत्रों में आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर निगम के संविदा पर रखे गये सफाई कर्मियों को स्थाई किये जाने की मांग

23-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम आगरा में सून् 2006 में रु0 3000.00 प्रतिमाह संविदा के आधार पर रखे गये 621 सफाई कर्मी को तत्कालीन शर्तों के बावजूद अभी तक स्थाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त सफाई कर्मियों को कब तक स्थाई कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शासनादेश संख्या-4140/नौ-1-2500-66सा0/2005 द्वारा प्रदेश के नागर निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगरा नगर निगम में 621 सफाई कर्मियों की संविदा पर रु0 2130.00 प्रतिमाह पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर नियुक्ति की गयी थी।

संविदा पर तैनात कर्मियों के स्थायीकरण के संबंध में नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

24-श्री मुकेश श्रीवस्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के लिये प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ज0हि0/12-13-क-एस0न0- 004968/278 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 प्रेषित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में 24 सम्पर्क मार्गों के निर्माण/उच्चीकरण के प्रस्ताव हैं। इनमें से 9 सम्पर्क मार्ग अन्य योजनाओं में निर्मित करा दिये गये हैं। भूमि की अनुपलब्धता के कारण एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है। शेष 14 सम्पर्क मार्ग के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-10 में सम्मिलित कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में स्थायी पात्रता सूची में इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का विवरण

25-श्री मुकेश श्रीवस्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद-बहराइच में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में स्थायी पात्रता सूची में ऐसे कितने नाम हैं जिन्हें अभी तक इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0प0/ज0ही0/क-एस0न0-0403051/326 दिनांक 01-05-2012 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में स्थाई पात्रता सूची में इन्दिरा आवास योजना के अवशेष लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	विकास खण्ड	स्थाई पात्रता सूची में उन अवशेष लाभार्थियों के नामों की संख्या जिन्हें अब तक इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
1	पयागपुर	489
2	विशेश्वरगंज	13
3	जरवल	463
4	हूजुरपुर	1049
5	कैसरगंज	930

जी हां।

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 01-05-12 के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी, बहराइच को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अनेक क्षेत्रों में जल भराव रोकने के उपाय

26-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, गांधीग्राम, सरनगवां पटेल नगर आदि क्षेत्रों में आगामी बारिश में जल भराव रोकने हेतु कोई तात्कालिक योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। प्रश्नगत क्षेत्र में जल भराव रोकने हेतु जल निकासी के लिये नाले/नालियां बनी हुई हैं जिनकी सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के शास्त्रीनगर कालोनी में नयी सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

27-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर कानपुर स्थित शास्त्रीनगर कालोनी के आवास संख्या-494 के पीछे स्थित 200 आवासों की मुख्य सीवर लाइन दो-तीन वर्षों के बन्द होने के कारण निवासियों को परेशानी हो रही है तथा गम्भीर बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं ? कया सरकार गली में स्थित मुख्य सीवर लाइन को हटाकर नयी सीवर लाइन बिछाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर स्थित शास्त्रीनगर कालोनी के आवास के पीछे स्थित सर्विस लेन में डाली गयी सीवर लाइन वर्तमान में चालू है। इस कालोनी की सीवर लाइन लगभग 40 वर्ष पुरानी है, जो वर्तमान आवश्यकतानुसार सीवर जल संवहन करने हेतु सीवर क्षमता के अनुरूप नहीं है।

नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-का प्राक्कलन विरचित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्राक्कलन में यशोदानगर, पशुपतिनगर, किदवई नगर, शास्त्रीनगर, बर्रा आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इस प्राक्कलन में प्रश्नगत क्षेत्र में विद्यमान सीवर के परीक्षणोपरान्त आवश्यकतानुसार नई सीवर बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेकों जनपदों के दुकानदारों को फेरी नीति के अन्तर्गत आवंटन किये जाने की मांग

28-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फेरा नीति लागू है ? यदि हां, तो नगर निगम इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा गोरखपुर में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा कितने दुकानदारों को इस नीति के अन्तर्गत आवंटन प्रदान किया गया है ? शेष को कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? यनि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। अधिसूचना संख्या-2842/नौ-9-2007 दिनांक 04-08-2007 के अनुसार प्रदेश के सभी नगर निगमों में फेरी नीति लागू है।

नगर निगम, इलाहाबाद में 6860 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें से पात्र 644 दुकानदारों (फेरी वाले) को आवंटन प्रदान किया जा चुका है। शेष पर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम, वाराणसी में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी दुकानदार को इस नीति के अन्तर्गत आवंटन किया गया है।

नगर निगम, लखनऊ में फेरी नीति के अन्तर्गत अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, परन्तु किसी दुकानदार को आवंटन प्रदान नहीं किया गया है।

नगर निगम, कानपुर में फेरी नीति के अन्तर्गत कुल 77326 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, सभी 773 फेरी कर्ताओं को अनुज्ञा पत्र दिया गया है।

नगर निगम, आगरा में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी दुकानदार को इस नीति के अन्तर्गत आवंटन किया गया है।

नगर निगम, गोरखपुर में कुल 2242 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर की राहुल नगर विष्णुपुरी रोड की क्षतिग्रस्त सड़कें व नालियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

29-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की राहुल नगर विष्णुपुरी रोड की सड़कें व नालियां क्षतिग्रस्त एवं टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। राहुल नगर विष्णुपुरी रोड में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा नाली व फर्श का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें स्थल पर लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका बीसलपुर में व्यक्तिगत परिसरों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 की जांच का कथित प्रकरण

30-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका बीसलपुर में मई, 1998 से 08-05-12 तक लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प व्यक्तिगत परिसरों में अधिष्ठापित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन नलों के गलत अधिष्ठापन की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका बीसलपुर में 189 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। कोई भी हैण्डपम्प किसी के व्यक्तिगत परिसर में अधिष्ठापित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर की अनेकों गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

30-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के मनीष नगर, माहो नगर वासन फैक्ट्री के पीछे की सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मनीष नगर में बेचे लाल के मकान से श्री दिनेश सिंह कि मकान तक एवं श्री रमेश के मकान से श्री लक्ष्मीनरायण के मकान तक अनुमानित लागत रु0 5.00 लाख का आगणन गली के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत है। स्थानीय निकाय निर्वाचन की आदर्श

आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। शेष आन्तरिक भाग ठीक है। मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसके निर्माण हेतु रु0 15.10 लाख का आगणन तैयार किया गया है।

माहौर नगर की आन्तरिक समस्त गलियों में इण्टरलाकिंग फर्श लगा हुआ है, जो ठीक अवस्था में है। मात्र माहौर नगर एवं मनीष नगर को जोड़ने वाले नाले के किनारे का मार्ग कच्चा है, जिसके निर्माण हेतु रु0 19.00 लाख का आगणन तैयार कराया गया है। नगर निगम सदन की कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित होने पर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर के काली सोंठ मंडी बस्ती की जर्जर गलियों को बनवाये जाने की मांग

32-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर के स्कूल की काली सोंठ मंडी बस्ती की आन्तरिक गलियां वर्ष 2008 से जर्जर हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। सोंठ की मण्डी क्षेत्र में कुछ गलियां क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें नाली एवं फर्श के पुनः निर्माण हेतु रु0 19,29,400.00 का आगणन तैयार कराया गया है। नगर निगम सदन की कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित होने पर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर में तोता ताल पर मीट की दुकानों पर रोक लगाये जाने की मांग

33-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में तोता का ताल पर खुले में मेन रोड पर मीट बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके पास में ही मन्दिर तथा बच्चों का स्कूल भी है जिससे आने जाने वाले लोगों तथा स्कूली बच्चों को बदबू एवं कुत्ते आदि जानवरों के कारण काफी असुविधा हो रही है ? क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कब्रिस्तान के बाहर तोता ताल पर मीट की दुकानों को पिछले 15 वर्षों से अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है। यह दुकानें अवैध नहीं है। समय-समय पर नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है तथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर माह मई व जून, 2012 में 09 चालान भी किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि उक्त दुकानें अवैध नहीं, इसलिये इन्हें बन्द नहीं कराया जा सकता है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

34-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, पयागपुर, बहराइच के अन्तर्गत आने वाले गरीब पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-04-12 खण्ड विकास अधिकारी, पयागपुर, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-04-12 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, पयागपुर, जनपद बहराइच से 06 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। खण्ड विकास अधिकारी, पयागपुर, जनपद बहराइच के पत्र संख्या 215, दिनांक 07-06-12 के द्वारा प्रश्नकर्ता को वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के गरीब व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिलाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड विशेश्वरगंज, बहराइच के अन्तर्गत आने वाले गरीब पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-04-12 खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-04-2012 के द्वारा इन्दिरा आवास से संबंधित 06 बिन्दुओं पर जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना का उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज के पत्र संख्या-291/सा0 लि0/जन सूचना-2012-13, दिनांक 24-05-2012 के द्वारा प्रश्नकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र प्रयागपुर के विकास खण्ड हजूरपुर के गरीब व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

36-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड हजूरपुर विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, बहराइच के अन्तर्गत आने वाले गरीब पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-04-12 खण्ड विकास अधिकारी, हजूरपुर को प्राप्त हुआ है। ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-04-2012 के द्वारा इन्दिरा आवास से संबंधित 06 बिन्दुओं पर जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचनाओं का उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, हजूरपुर के पत्र संख्या 110, दिनांक 10-05-2012 एवं पत्र संख्या 225, दिनांक 28-05-12 द्वारा प्रश्नकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संवर्ग के कतिपय अधिकारियों की संख्या एवं मानक के अनुरूप पदों का सृजन किये जाने की मांग

37-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय सेवा संवर्ग में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव तथा अनुभाग अधिकारियों की कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा परस्पर उनके मध्य संवर्ग संरचना में पदों के सृजन में मानक क्या हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सचिवालय के एक अनुभाग में समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के न्यूनतम तथा अधिकतम कितने-कितने पद हो सकते हैं तथा परस्पर उनके मध्य संवर्ग संरचना में पदों से सृजन का क्या मानक है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उ0प्र0 सचिवालय में उक्त सभी संवर्गों में मानक के अनुरूप पद सृजित है , यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार पद सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 सचिवालय सेवा संवर्ग में विशेष सचिव के 15, संयुक्त सचिव के 38, उप सचिव के 84, अनु सचिव के 158 तथा अनुभाग अधिकारी के 375 पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में स्वीकृत उक्त पदों की संवर्ग संरचना के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है। पूर्व में आदेश दिनांक 20-10-1994 के द्वारा अनुभाग अधिकारी व अनु सचिव के मध्य 3 : 1, अनु सचिव व उप सचिव के मध्य 2 : 1 उप सचिव व संयुक्त सचिव के मध्य 3 : 1 तथा संयुक्त सचिव व विशेष सचिव के मध्य 3 : 1 का अनुपात निर्धारित किया गया था।

कोई मानक निर्धारित नहीं है।

अनुभाग अधिकारी से विशेष सचिव तक के पद आदेश दिनांक 20-10-1994 द्वारा निर्धारित मानक से अधिक हैं। अनुभाग में समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के सृजन हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु दिये गये शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन एवं फायरिंग पर रोक के निर्देश

38-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये दिये गये शस्त्रों से शादी-विवाह, जन्मदिन, विजय जुलूस तथा सार्वजनिक प्रदर्शनों में खुशी जाहिर करने के दौरान फायरिंग से घटित हो रही घटनाओं को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 को शासन के पत्र दिनांक 2 मई, 2012 के द्वारा जनपदों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये व्यक्तिगत लाइसेंस धारकों एवं ऐसे मेले, धार्मिक जुलूस अथवा अन्य लोक जमाव के आयोजकों द्वारा शस्त्रों के प्रदर्शन एवं दुरुपयोग को रोकने हेतु इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही लाइसेंस धारकों के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस की शर्त संख्या-5 का उल्लंघन करने हेतु आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत निरस्तीकरण की विधिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़े सरकारी हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग हेतु धनराशि आवंटित करने की मांग

39-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल के घोर अभाव को दूर करने हेतु अधिष्ठापित खराब सरकारी हैण्ड पम्पों के रि-बोरिंग कराने हेतु क्या सरकार आवश्यक धनराशि आवंटित करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी नगर की कुल जल मांग 276 एम0एल0डी0 के सापेक्ष आपूर्तित जल की मात्रा 231 एम0एल0डी0 है। नगर में समुचित जलापूर्ति हेतु जेएनएनयूआरएन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने पर समुचित जलापूर्ति हो सकेगी।

हैण्ड पम्पों के रि-बोरिंग हेतु जिला योजना नगरीय पेयजल से उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया जाता है। बजट की उपलब्धता पर आवश्यक धनराशि आवंटित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में वर्षों पुरानी पेयजल लाइन के निराकरण के उपाय

40-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भूमिगत पाइप लाइन वर्षों पुरानी होने के कारण जर्जर होने से पानी की किल्लत के साथ ही दूषित पेय जलापूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की शिकायतों को निस्तारण करके शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की लाइन काफी अधिक पुरानी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन सकरी गलियों से गुजरती है पुरानी लाइनों में यदा-कदा लीकेज के कारण दूषित जलापूर्ति की शिकायत प्राप्त होती है, जिसका तत्काल निराकरण करा दिया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में शुद्ध एवं सामान्य रूप से जलापूर्ति की जा रही है। दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र सहित वाराणसी नगर में समुचित जलापूर्ति हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण नगर की जलापूर्ति व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी नगर के मध्य हज हाउस के निर्माण की मांग

41-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी नगर के मध्य में हज यात्रियों हेतु एक सुविधायुक्त हज हाउस के निर्माण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा स्थान का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण की दिशा में कोई प्रगति हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराणा प्रताप की जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

42-श्री रघुनन्दन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप की जयंती पर सरकार सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

सार्वजनिक अवकाशों की पर्याप्त संख्या के कारण औचित्य नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

43-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले गरीब पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-2012 खण्ड विकास अधिकारी, जरवल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना शीशगढ़, बरेली के नामजद मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

44-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र कम्प्यूटर संख्या-10023016 पत्र सं0-सी0एम0/वि0को/एम0-पी0जी0-10023016/2012, दिनांक को मु0अ0सं0/53/2012 थाना शीशगढ़, बरेली के नामजद मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें के नामजद सभी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

थाना शीशगढ़ में मु0अ0सं0 53/12पर एम0बी0 ऐक्ट पंजीकृत है जिसमें किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है। इसके अतिरिक्त थाना शीशगढ़ पर पंजीकृत मु0असं0 153/12 धारा 307/323/504 भा0दं0वि0 में अभियुक्तगण 1-बहाजुल हक 2-नजरूल हक, 3-कमरूल पुत्रगण बहाजुल हक निवासीगण मो0 अगवाड़ा, कस्बा थाना शीशगढ़ में से अभियुक्त नजरूल हक को गिरफ्तार कर दिनांक 9-4-12 को जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त नजरूल हक के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के उपरान्त आरोप पत्र सं0 14/12 दिनांक 23-5-12 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य व गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही कर विवेचना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[4थे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अनेकों क्षेत्रों में सीवर लाइन हेतु सड़कों की खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों को बनवाये जाने की मांग

46-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छावनी विधान सभा क्षेत्र कानपुर नगर के अन्तर्गत यशोदा नगर, दहेली सुजानपुर, गंगा नगर, बाबू पुरवा आदि क्षेत्रों में गहरी सीवर लाइन डालने के दौरान सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात से पूर्व उक्त क्षेत्रों की सड़कों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा छावनी विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर के अन्तर्गत देहली सुजानपुर, गंगा नगर, बाबू पुरवा में सीवर लाइन

बिछाये जाने का कार्य किया गया है। सीवर लाइन डालते समय कई स्थानों पर काटे गये सड़क/खड़न्जे/सी0सी0 रोड के लगभग 73 प्रतिशत का पुनर्निर्माण करा दिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

यशोदानगर क्षेत्र में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने का कार्य नहीं किया गया है।

काटी गयी सड़कों के पुनर्निर्माण के अवशेष कार्यों को यथा शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के बाबू बनारसी दास वार्ड को सुअरों के आतंक से निजाद दिलाये जाने की मांग

46-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के बाबू बनारसी दास वार्ड को सुअरों के आतंक से मुक्त करा लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ नगर में विगत 2 वर्षों में कितने सुअर पालकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये व कितने सुअर पकड़े गये व कितने राजस्व का लाभ हुआ ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ नगर निगम द्वारा 11-04-2012 एवं 13-04-2010 को बाबू बनारसी दास वार्ड के अन्तर्गत अभियान चलाकर क्रमशः 30 एवं 07 छुट्टा सुअरों को पकड़ा कर आलमबाग कांजी हाउस में बन्द कराया गया।

विगत 02 वर्षों में 44 सुअर पालकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही करके चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उक्त अवधि में 37 सुअर पकड़े गये तथा सुअरों की नीलामी से प्राप्त आय रु0 4200.00 नगर निगम कोष में जमा की गयी।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अनेक इलाकों में जल भराव एवं सीवर समस्या का समाधान कराने के सम्बन्ध में

47-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छावनी विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर के श्याम नगर, यशोदा नगर, बाबू पुरवा, गंगा नगर, दहेली सुजानपुर क्षेत्रों में गम्भीर जल भराव एवं सीवर समस्या है तथा कई स्थानों पर अभी तक सीवर लाइन भी नहीं डाली गई हैं ? क्या यह भी सही है कि जनता से कर वसूली भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की जल निकासी एवं सीवर समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

छावनी विधान सभा क्षेत्र कानपुर नगर के श्याम नगर, देहली सुजानपुर क्षेत्रों में होने वाले गंभीर जल भराव के निदान हेतु नाले/नालियां बनी हुई हैं। मुख्य नालों की सफाई एवं रख-रखाव प्रतिवर्ष नगर निगम, कानपुर द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुचारु रूप से जल निकासी हेतु श्याम नगर, देहली सुजानपुर में तीन नये नालों के निर्माण हेतु योजना बनाकर निविदा संबंधी कार्यवाही

की जा रही है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर नालियों की सफाई करके जल भराव की समस्या का निदान किया जाता है। यशोदा नगर एवं गंगा नगर का हस्तान्तरण अभी नगर निगम, कानपुर को नहीं हुआ है।

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत मिशन शहर कानपुर के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना के अन्तर्गत श्याम नगर, गंगा नगर, देहली सुजानपुर क्षेत्र में मुख्य सीवर एवं आन्तरिक सीवर बिछाने तथा बाबू पुरवा क्षेत्र में मुख्य सीवर बिछाने का कार्य किया गया है।

श्याम नगर, बाबूपुरवा, देहली सुजानपुर में सीवर कर की वसूली की जा रही है। यशोदा नगर, गंगा नगर में सीवर कर की वसूली नहीं की जा रही है।

यथा शीघ्र यशोदा नगर एवं बाबू पुरवा के आन्तरिक क्षेत्रों में सीवर बिछाने का कार्य राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राक्कलन में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत अनेकों क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

49-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2007-2008 में डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट से पिरैला सम्पर्क मार्ग और वर्ष 2008-2009 में बांसी-डुमरियागंज सम्पर्क मार्ग का निर्माण गुणवत्ता व मानक के अनुरूप न होने के कारण क्षतिग्रस्त होकर गड्ढायुक्त हो गये हैं यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की पुनः मरम्मत कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग डुमरियागंज से पिरैला एवं बांसी से डुमरियागंज का निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कराया गया है।

निर्माण के उपरान्त पांच वर्षों तक सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग का अनुरक्षण/मरम्मत कराया जाता है।

हल्के/भारी वाहनों की अधिकता होने पर कुछ जगहों पर गिट्टी उखड़ गयी है जिसका सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण/मरम्मत कराया जा रहा है।

चूंकि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग का अनुरक्षण/मरम्मत कराया जा रहा है, जो उनके अनुबन्ध में सम्मिलित है। अतः कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की नीति जनपद शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश में जिन नगर पालिका परिषद् क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, उनमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पेयजल की आपूर्ति एवं जिन नगरों में सीवरेज व्यवस्था है अथवा निकट भविष्य में प्रस्तावित है, उनमें 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने की शासन की नीति है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव में लगे इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प एवं उन्हें निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष चालू कराया जाना

51-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में विधान सभा क्षेत्र-130 बीसलपुर के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व गांव में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प कितने-कितने प्रत्यारोपित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने हैण्डपम्प खराब हैं तथा जो इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प कार्यशील नहीं हैं उन्हें सुचारु रूप से संचालित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद पीलीभीत में विधान सभा क्षेत्र-130 बीसलपुर के अन्तर्गत 346 राजस्व ग्रामों में वर्तमान में 5191 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं, जिनकी सूची राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II में से वर्तमान में 465 इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प खराब हैं, जिसमें से 280 नगर इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अस्थाई रूप से तथा 185 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं, जिन्हें रिबोर कराकर चालू किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में 120 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के रिबोर का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा जल को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने की कार्य योजना

52-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा के जल को स्वच्छ निर्मल बनाये रखने हेतु सरकार उसमें सीवर के पानी व कल कारखानों के प्रदूषित जल को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। प्रदेश में गंगा के जल में गिरने वाले सीवर के पानी को शोधित करने हेतु गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण/द्वितीय चरण)/जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) कार्यक्रम/राज्य सेक्टर/नेशनल मिशन क्लीन गंगा (नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी) कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें बनायी गयी हैं एवं बनायी जा रही हैं।

कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को रोकेन हेतु उद्योगों पर शुद्धीकरण संयंत्र (प्राइमरी एफ्लूएण्ट ट्रीटमेंण्ट प्लाण्ट) स्थापित हैं तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर शुद्धीकरण संयंत्रों का सतत् संचालन सुनिश्चित कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की टिकैतराय राजकीय कालोनी में खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कराये जाने की मांग

53-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित टिकैतराय राजकीय कालोनी में स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण रात में सड़कों पर अंधेरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि फेज-2 के पानी की टंकी के पास की स्ट्रीट लाइट भी खराब है ? यदि हां, उक्त सभी खराब स्ट्रीट लाइट ठीक करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। लगभग 30 प्रतिशत प्रकाश बिन्दु बन्द हैं।

टंकी के पास की स्ट्रीट लाइट बन्द है।

विद्युत सामग्रियों की आपूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु प्रज्जवलित करा दिये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में कतिपय सुविधाओं सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

54-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में इन्दिरा आवास सड़क जल निकासी, खड़न्जा कार्य के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-04-2012 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-4-2012 के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गई थी ? जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता को देने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

55-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का

पत्र दिनांक 16-04-2012 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा को उनके पत्र दिनांक 16-04-2012 द्वारा वांछित सूचनाएं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बहराइच के पत्रांक 1001/वि0-31/28, दिनांक 08-05-2012 द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ के कतिपय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

56-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य रेडियो अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ का पत्र संख्या-पी0-96/80 पार्ट-II, दिनांक 02-09-2011 जो कि कतिपय सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्ष 1979 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है, विशेष सचिव, (पुलिस) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

श्री संत बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक रेडियो अधिकारी एवं अन्य सहायक रेडियो अधिकारियों को परीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने का औचित्य नहीं पाया गया। इस संदर्भ में शासनादेश संख्या-4778/छः-पु-1-1300 (07)/83, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 तथा शासनादेश संख्या-4538/छः-पु-1-1300 (10)/98, दिनांक 1-12-2005 के द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कर पेयजल निराकरण हेतु पानी की टंकी चालू कराये जाने की मांग

57-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में अधिष्ठापित 12446 हैण्डपम्पों में से 6000 हैण्डपम्प खराब है तथा 2400 री-बोर होने हैं तथा जलकल विभाग की 32 पानी की टंकियों में से 12 बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी को चालू कराने तथा हैण्ड पम्पों के मरम्मत/रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर में कुल 14342 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 1986 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं। जलकल विभाग कानपुर द्वारा अनुरक्षित कुल 37 पानी की टंकियों में से 8 बन्द हैं।

हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग हेतु जिला योजना नगरीय पेयजल से उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया जाता है बजट की उपलब्धता पर आवश्यक धनराशि आवंटित की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के थाना केराकत के ग्राम छितौना में अमरपाल उर्फ मोनू की हत्या की रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

58-श्री अवस्थी बाल प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-02-2012 को जिला जौनपुर के थाना केराकत के अन्तर्गत ग्राम छितौना में दलित दूधनाथ के पुत्र अमर पाल उर्फ मोनू की हत्या किये जाने की सूचना स्थानीय पुलिस को दूधनाथ द्वारा दिनांक 24-02-2012 को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तगणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गयी ? यदि हां, तो दर्ज रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच हल्का उप निरीक्षक श्री सभाजीत सिंह द्वारा की गयी तो पाया गया कि आवेदक दूधनाथ के पुत्र मोनू के विरुद्ध मु0अ0सं0 477/11 धारा 302/202 भादवि पंजीकृत है, जिसमें वह वांछित है। मोनू राम उर्फ अमरपाल मरा नहीं है, बल्कि फरार चल रहा है। आवेदक द्वारा अपने पुत्र को उक्त अभियोग से बचाने के लिये झूठी कहानी बना कर प्रार्थना-पत्र दिया गया है। प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप असत्य एवं पेशबन्दी में होने के कारण आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। अभियुक्त मोनू राम के विरुद्ध दिनांक 16-3-12 को 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के थाना जैथरा की ग्राम पंचायत रूपधनी में श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव के घर दबंगों द्वारा फायरिंग की सूचना पर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

59-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 09-03-2012 को जिला एटा के थाना जैथरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूपधनी में धर्मेन्द्र सिंह यादव के घर में घुसकर गांव के ही दबंग राजकुमार पुत्र सुलतान सिंह, धनीराम पुत्र श्रीराम, सुखराम, सुखबरी पुत्रगण आदि लोगों द्वारा जानलेवा फायरिंग की गयी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिनांक 09-03-2012 को दी गयी थी ? क्या अभियुक्तगणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 26-5-12 को थाना जैथरा, जनपद एटा में वादी श्री धर्मेन्द्र यादव, नि0 रूपधनी द्वारा मु0अ0सं0 287/12 धारा 147/148/149/307/452/504 भा0द0वि0

बनाम रजिस्टर पुत्र गंगा सिंह, रत्नेश पुत्र कढेर सिंह, मुखराम पुत्र श्रीकृष्ण, धनीराम पुत्र श्रीमल, सुखवीर पुत्र श्रीकृष्ण, राजकुमार पुत्र सुल्तान सिंह, जगवीर पुत्र श्रीकृष्ण पंजीकृत कराया गया है। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री नत्थू सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है, विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अशासकीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध को हटाये जाने की जानकारी

60-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीधी भर्ती में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 प्रदेश के अशासकीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर भी प्रभावी है ? यदि हां, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं से प्रतिबन्ध कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 11 जून, 2012 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विभागों की संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों (यथा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर आदि) के पदों को भर्ती पर प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 से मुक्त कर दिया गया है। अर्थात् उपरोक्त सीमा तक प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[दिनांक 05-6-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0-20 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश की नगर पालिका व नगर पंचायतों की सेवा से निवृत्त स्व0 सावित्री देवी, सहायक अध्यापिका प्रा0 वि0 राजघाट, वाराणसी के पति को पारिवारिक पेंशन की सुविधा के सम्बन्ध में जानकारी

62-श्री श्यामदेव राम चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका और नगर पंचायतों की सेवा से दिनांक 06 फरवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को मात्र 10 वर्ष के लिये ही पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य है, लेकिन वर्ष 1996 के बाद रिटायर होने वाले अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ उनके जीवनकाल तक अनुमन्य है ? यदि हां तो क्या स्व0 सावित्री देवी, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, राजघाट वाराणसी के पति श्री सूर्य नारायण दूबे की उक्त विसंगति को दूर करते हुये वर्ष 1996 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-05-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करते हुए श्री सूर्यनारायण दूबे को जीवन काल तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उ0प्र0 नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 के अन्तर्गत नगर निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के समस्त कर्मचारियों को मात्र 10 वर्ष के लिये ही पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य है।

जी नहीं।

जी हां। मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 10-5-2012 मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय से बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है।

जी नहीं। पारिवारिक पेंशन मात्र 10 वर्ष के लिये ही अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार

63-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[दिनांक 6-6-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0-74 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मोहल्लों में जल भराव की समस्या के निदान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

64-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का इलाहाबाद के अल्लापुर, मधवापुर, बैरहना, तुलाराम बाग, मुट्ठीगंज, कीडगंज आदि क्षेत्रों में जल भराव की समस्या निदान हेतु बक्शी बांध अल्लाहपुर व गऊघाट में स्थित सीवेज पम्पिंग स्टेशनों में क्रमशः 4 पम्प 30 क्यूसेक व 6 पम्प 55 क्यूसेक लगावाकर क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी-पत्र दिनांक 12-05-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बक्शी बांध बाढ़ पम्पिंग स्टेशन पर 30 क्यूसेक क्षमता के 03 नग विद्युत चालित पम्प संयंत्र अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 02 पम्प को एक साथ चलाये जाने का प्राविधान /व्यवस्था है एवं 30 क्यूसेक क्षमता का 01 पम्प स्टैण्ड बाई है। उक्त के अतिरिक्त 10 क्यूसेक क्षमता के 02 नग विद्युत चालित एवं 07 नग डीजल चालित पम्प संयंत्र अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार पम्पिंग स्टेशन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 180 क्यूसेक एवं पम्पिंग क्षमता 150 क्यूसेक है।

गऊ घाट मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर लगभग 25 क्यूसेक क्षमता के 04 नग हारीजेन्टल नॉन क्लाग पम्प एवं लगभग 12.5 क्यूसेक क्षमता के 03 नग नॉन क्लाग सबमर्सिबल पम्प लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[दिनांक 11-6-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0-88 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी नगर में कूड़े के निराकरण हेतु पुरानी सफाई व्यवस्था लागू किये जाने की मांग

66-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि वाराणसी नगर में कूड़े का निस्तारण करने वाली ए टू जेड कम्पनी अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पा रही है, इस कारण नगर में कूड़े का अम्बार है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर की सफाई के लिये पुरानी सफाई व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम सीमा में कूड़े का अम्बार नहीं लगा है। जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी नगर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना रु0 1867.73 लाख पर स्वीकृत है। परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करसड़ा में उपलब्ध करायी गयी 38 एकड़ भूमि पर मेसर्स ए टू जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (वाराणसी) लि0 द्वारा पीपीपी मोड पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने तथा लैण्डफिल तक ले जाने व अन्य संबंधित कार्य सम्मिलित है। कूड़े के वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग/निस्तारण किये जाने की पद्धति को लागू किये जाने के फलस्वरूप ग्राम करसड़ा में प्रोसेसिंग प्लान्ट को दिनांक 08-06-2012 से मेसर्स ए टू जेड द्वारा क्रियाशील किया जा चुका है। इस प्रकार परियोजना के पूर्ण होने पर नगर क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण भी होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पुरानी सफाई व्यवस्था लागू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

विधायकों की संस्तुति पर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-II नल लगाये जाने की मांग

67-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पीने के पानी के लिये इण्डिया मार्का-II नल लगाने की नीति है ? यदि हां, तो विधायक की संस्तुति पर कितने नल लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराये जाने की मांग

68-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी की व्यवस्था न होने के कारण विधायक निधि तथा अन्य मदों के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में खर्च होने वाले धन का अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी कार्य मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कराये जाने हेतु अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सक्षम तकनीकी अधिकारी नगर निगम में तैनात हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संबंधित तकनीकी अधिकारी उत्तरदायी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में निर्मित कतिपय अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

69-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में कितनी सड़क, पुल व रपटा विगत एक वर्ष में बने हैं तथा कितने बनने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां के 14 ग्राम सभाओं से सम्बन्धित मजरों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0 रोड बनाये जाने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में सांसद एवं विधायक निधि योजना के अन्तर्गत 10 सोलिंग कार्य तथा 02 रपटा बनाये जाने हैं। यह कार्य प्रगति में है।

प्रगति में चल रहे उपरोक्तानुसार मार्गों के कार्य माह जुलाई, 2012 तक तथा रपटों के कार्य माह अगस्त, 2012 तक पूर्ण हो जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधायक निधि बढ़ाये जाने की मांग

70-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण भवन-निर्माण सामग्री के बढ़ते हुये मूल्यों एवं सरकार की विकास हेतु प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये विधान सभा क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रदेश की वर्तमान आर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

आगरा नगर की कतिपय गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

71-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में विजय क्लब पुरानी विजय नगर कालोनी से शान्तिवेद नर्सिंग होम होते हुये मोतीलाल नेहरू रोड तक की सड़क वर्ष 2008 से जर्जर व गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है, जिसका स्थल निरीक्षण कराकर धनांक रु0 5,22,700.00 का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा नगर के रिंग रोड की जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

72-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में गंगेश्वर कैम्पस के अन्दर डाक्टर के0के0 फ्रूथी के बराबर से रिंग रोड की सड़क वर्ष 2005 से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मार्ग का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मार्ग क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण कराकर धनांक रु0 4,35,350.00 का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा नगर की धोबियों की गली की क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

73-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की धोबियों की गली, कारवान लोहामंडी की सड़क वर्ष 2008 से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के विभिन्न क्षतिग्रस्त स्थलों को ठीक कराने हेतु आगणन रु0 2.61 लाख का तैयार करा लिया गया है। निकाय निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद कार्य कराया जायेगा।

प्रदेश में बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

74-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीमार व्यक्तियों के इलाज व आपरेशन हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने का मापदण्ड क्या है ? क्या विधायकों की संस्तुति पर मरीजों के इलाज व आपरेशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली के अन्तर्गत बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। प्राप्त संदर्भों (जिनमें मा0 विधायकगणों की संस्तुतियां भी होती हैं) पर सम्बन्धित जनपदों से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की कानपुर रोड कालोनियों के कतिपय सेक्टर में पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

75-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के प्रताप पैलेस काम्पलेक्स, (सत्कार गेस्ट हाउस) के पीछे म0नं0 एस0एस0-232, 233,234, 235, 260, 261 एवं 262 के सामने सेक्टर-एफ0-एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में नदियों के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

76-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में 80 प्रतिशत इलाका गंगा और घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित है जहां आर्सेनिक युक्त पानी पीने से स्थानीय लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विकास खण्ड बैरिया, मुरलीछपरा, बेलहरी (आंशिक) एवं रेवती (आंशिक) आते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र की 143 बस्तियों के इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा (50 पी0पी0बी0) से अधिक पायी गयी है।

इन आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजनाओं, अतिरिक्त गहरे हैण्डपम्पों एवं आर्सेनिक रिमूवल प्लाण्ट के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य-योजना है।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित समस्त बस्तियों में दिनांक 31-03-2013 तक आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर की न्यू लायर्स कालोनी से एपेक्स कोचिंग व नगला नदी सड़क व गली को ठीक कराये जाने की मांग

77-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की न्यू लायर्स कालोनी में एपेक्स कोचिंग से लेकर पप्पू पंडित जी के मकान के सामने होते हुये जाने वाली नगला पदी सड़क व नाली जर्जर है ? यदि हां तो सरकार इसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक,? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में ठीक स्थिति में है। 02 स्थानों पर जल निगम द्वारा लाइन डालने हेतु रोड कटिंग की गयी है, जिसका जल निगम द्वारा पुनः निर्माण किया जाना है। रोड कटिंग को ठीक कराने हेतु महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जीवनी मण्डी, आगरा को नगर निगम, आगरा द्वारा पत्र दिनांक 05-06-2012 भेजा गया है।

आगरा नगर की नगला पदी की जागेश्वर नगर की गली की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

78-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की नगला पदी की जागेश्वर नगर की गली नम्बर 3 की सड़क लगभग 170 मी0 पूरी तरह जर्जर है जिसके कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है।

सड़क एवं नाली निर्माण हेतु रु0 8,14,600.00 का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

आगरा नगर की कमला नगर एक्सटेन्शन की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

79-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की कमला नगर डी ब्लाक से कमला नगर एक्सटेंशन की सड़क व नाली विगत 5 वर्षों से जर्जर है? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

कमला नगर डी-ब्लाक से कमला नगर एक्सटेंशन तक की सड़क पर सीवर का कार्य यमुना प्रदूषण इकाई, जल निगम द्वारा कराया गया था। सीवर का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त जल निगम द्वारा सड़क का पुनः निर्माण करा दिया गया है। सड़क आवागमन हेतु ठीक हालत में है तथा वर्तमान में कार्य की आवश्यकता नहीं है।

निदेशालय महिला कल्याण उ0 प्र0 के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के विपरीत कार्यरत का कथित प्रकरण

80-श्री सुरेश बंसल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो विगत दस वर्षों से या उससे अधिक समय से स्थानान्तरण नीति के विपरीत कार्यरत हैं। क्या सरकार नीति के अन्तर्गत ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुणा कुमारी कोरी-

निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0 में स्थानान्तरण नीति के विपरीत कोई अधिकारी/कर्मचारी विगत 10 वर्षों से या उससे अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर नगर की सड़कों के मरम्मत/पुनर्निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर नगर की 17 सड़कों के मरम्मत/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-12-2011 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शाहजहांपुर नगर की 15 सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-12-2011 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है।

पत्र के क्रम संख्या-1 पर अंकित कार्य पालिका सीमा से बाहर है।

क्रम सं0 04 पर अंकित कार्य छावनी परिषद् सीमा में है जो निर्मित है।

क्रम सं0 07 पर अंकित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

क्रम सं0 14 पर अंकित कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

शेष कार्यों के आगणन तैयार किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जपनद पीलीभीत की नगर पालिका बीसलपुर में जलापूर्ति हेतु दूसरी टंकी बनवाये जाने की मांग

82-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका बीसलपुर में जल आपूर्ति हेतु निर्मित टंकी की क्षमता मात्र 1500 कनेक्शन की है किन्तु कनेक्शनों की संख्या अधिक होने के कारण जलापूर्ति की व्यवस्था छिन्न भिन्न है और संकट गहराता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर में दूसरी टंकी लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर क्षेत्र बीसलपुर में 500 किलोमीटर का ओवर हेड टैंक स्थापित है। यहां पर वर्तमान में 1560 पानी के कनेक्शन हैं।

उक्त ओवर हेड टैंक के अतिरिक्त पालिका क्षेत्र में 189 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प, 30 छोटे हैण्डपम्प स्थापित हैं तथा 2500 लीटर के दो पानी के टैंकर, 3000 लीटर तथा 6000 लीटर के एक-एक पानी के टैंकर पालिका में उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से नगर की जनता को पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है।

बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में नगर निगम की सीमान्तर्गत अनेकों क्षेत्रों में सीवर लाइन का कार्य कराये जाने की मांग

83-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में नगर निगम की सीमान्तर्गत कैलाश नगर भूड़ भारत नगर, केला भट्टा का अधिकांश अंश, गौपुरी, बाबू, मिर्जापुर इत्यादि अनेक क्षेत्रों में अभी तक सीवर लाइन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सीवर लाइन का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में नगर निगम की सीमान्तर्गत वार्ड नं0 13 कैलाश नगर में तथा वार्ड नं0 15 मऊपुरी व भूड़ भारत नगर के आंशिक क्षेत्र एवं मोहल्ले में कुल 3160 मीटर सीवर लाइन विस्तार का कार्य वर्तमान में प्रस्तावित है। कार्य हेतु अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत परिव्यय प्रस्ताव रु0 1,35,74,938.00 अवस्थापना विकास निधि समिति द्वारा दिनांक 23-05-2012 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्थानीय निकाय निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर धन उपलब्धता की स्थिति पर अग्रेतर सीवर लाइन का विस्तार कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित कराये जाने की मांग

84-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में मुस्लिम बाहुल्य कैला भट्टा क्षेत्र की आबादी लगभग एक लाख से अधिक है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कब्रिस्तान हेतु जमीन आबादी के अनुरूप बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्तमान में मोहल्ला कैला भट्टा राजस्व ग्राम कैला, तहसील व जिला गाजियाबाद की भूमि पर बसा है। राजस्व ग्राम कैला में खतौनी खाता संख्या-1128 पर अंकित खसरा नम्बरान क्रमशः 131 मि0/क्षे0-0.0630 है0, 158/15/क्षे0-0.0510 है0, 158/32/क्षे0-0.7590 है0, कुल 4 किता क्षेत्रफल 0.9240 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के रूप में अंकित है। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा राजस्व ग्राम कैला के खसरा नं0-315 मि0 में 22000 वर्ग गज भूमि कब्रिस्तान हेतु उपलब्ध करायी गयी है, जिसका वर्तमान में कब्रिस्तान हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के दुर्गा पार्क की जर्जर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण व पैदल पथ का निर्माण कराये जाने की मांग

85-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के मेन मार्केट कमलानगर के पास दुर्गा पार्क की बाउन्ड्रीवाल बहुत जर्जर है तथा इस पार्क में घूमने के लिए पैदल पथ भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर सौन्दर्यीकरण कराते हुए पैदल पथ का भी निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बाउन्ड्रीवाल जर्जर अवस्था में नहीं है तथा पार्क में घूमने के लिये पैदल पथ बना हुआ है।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया। पार्क की बाउन्ड्रीवाल सही स्थिति में है। पार्क के अन्दर फुटपाथ बना हुआ है। पार्क के अन्दर हरी घास, पेड़-पौधे उपलब्ध हैं।

आगरा नगर की लक्ष्मी नारायण मन्दिर पार्क की जर्जर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

86-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ई0 ब्लाक स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर पार्क की बाउन्ड्रीवाल जर्जर होने के कारण पार्क में लगे पेड़ पौधों को आवारा पशु खा जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। पार्क की बाउन्ड्रीवाल एवं पैदल पाथ-वे ठीक अवस्था में है। पार्क में घास एवं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की नगर पंचायत बीघापुर के कतिपय मन्दिरों के तालाबों व घाटों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

87-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बीघापुर जनपद उन्नाव स्थित गोदा बलेश्वर मन्दिर, सन्दोही देवी मन्दिर तथा नागेश्वर मन्दिर स्थित सरोवरों (तालाबों) का जीर्णोद्धार करने, जनता घाटों का पुनर्निर्माण पर्यटकों की सुविधा हेतु करायेगी ? यदि हां, तक कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पंचायत बीघापुर जनपद उन्नाव स्थित उक्त सरोवरों (तालाबों) के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण हेतु वर्तमान में कोई योजना/धनराशि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गाजियाबाद नगर के प्रताप विहार कालोनी में गंगाजल ट्रीटमेन्ट से आपूर्ति करने के सम्बन्ध में

88-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगर के प्रताप विहार कालोनी में गंगाजल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा होने के बाद भी पेयजल हेतु खारा पानी आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्दिरा पुरम्, बैशाली, बसुन्धरा आदि पॉश इलाकों की भांति प्रताप विहार कालोनी में भी गंगाजल ट्रीटमेन्ट से आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गाजियाबाद नगर के प्रताप विहार कालोनी में गंगाजल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगा है तथा इससे प्रताप विहार कालोनी में जलापूर्ति नहीं होती है। प्रश्नगत कालोनी का पेयजल खारा नहीं है। यहां का भूमिगत जल पेय योग्य है।

गंगाजल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से इन्दिरा पुरम्, बैशाली बसुन्धरा आदि कालोनी में 30 क्यूसेक जलापूर्ति पूर्व कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत है, जिससे उक्त क्षेत्रों में ही मात्र एक घण्टे सुबह-शाम जलापूर्ति हो पाती है। अतः अन्य क्षेत्रों में इस प्लांट से जलापूर्ति संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में हैण्डपम्प को रिबोर एवं पानी की टंकियों को ठीक कराये जाने की मांग

89-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0 खं0 बरोली अहीर, अकोला तथा बिचपुरी के कतिपय ग्रामों में काफी समय से पानी की टंकियां, टी0टी0एस0जी0 तथा हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार हैण्डपम्पों को रिबोर तथा पानी की टंकियां टी0टी0एस0जी0 को ठीक करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बरोली अहीर, अकोला (आंशिक) तथा बिचपुरी में कोई भी पाइप पेयजल योजना बन्द नहीं है।

इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 512 टी0टी0एस0पी0 योजनाओं के सापेक्ष कुल 36 योजनाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा उचित रखरखाव न करने के कारण बन्द हैं एवं कुल अधिष्ठापित 7746 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 1045 हैण्डपम्प खराब हैं।

जी हां।

स्थाई रूप से खराब इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 100 नग नये/रिबोर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लक्ष्य के सापेक्ष रिबोर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकियों हेतु अवमुक्त धनराशि

90-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0 खं0 बरोली अहीर, बिचपुरी तथा अकोला के कतिपय ग्रामों में विगत वर्ष में स्वीकृत पानी की टंकियों, (टी0टी0एस0पी0 टंकियां 428, बड़ी टंकियां 16) के निर्माण हेतु धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त कर दी गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत विकास खण्ड बरौली अहीर, बिचपुरी तथा अकोला (आंशिक) के कतिपय ग्रामों में विगत वर्षों में 709 टी0टी0एस0पी0 तथा 15 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसके सापेक्ष आंशिक धनराशि अवमुक्त हुई है।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमत्रित की जा चुकी हैं तथा निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध सम्पादित होने के पश्चात् निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में जल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

91-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला कली कहरई अंकोला में निर्माणाधीन पानी की बड़ी टंकियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त टंकियों का निर्माण पूरा कराकर कब तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

ग्राम नगला कली एवं कहरई की पेयजल योजना के निर्माण कार्य जुलाई, 2012 तक पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम अकोला की पेयजल योजना की स्वीकृति दिनांक 06-10-2011 को प्रदान की गयी है, जिस पर अभी तक कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त थानों व कोतवाली में दर्ज अपराधों में कार्यवाही की मांग

92-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर.खीरी के समस्त थानों और कोतवाली में 01 अप्रैल, 2011 से 01 अप्रैल, 2012 तक दर्ज अपराधों के कितने अपराधी जेल भेजे गये, शेष अपराधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त थानों और कोतवाली में दिनांक 01-4-2011 से दिनांक 01-4-2012 के मध्य दर्ज 6840 अभियोगों में 8869 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा 1799 अभियुक्तों ने पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते मा0 न्यायालयों में आत्मसमर्पण किया। विभिन्न मामलों में 111 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनकी गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के बरसाना एवं नन्दगांव में तीर्थयात्रियों के वाहनों से जबरन टोल टैक्स वसूलने का वाधि प्रकरण

93-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना एवं नन्दगांव में ठेकेदारों के रंगदार द्वारा निश्चित पार्किंग पर शुल्क लेने के अलावा तीर्थयात्रियों के वाहनों के प्रवेश

करते ही जबरन टोल टैक्स भी अवैध रूप से वसूला जाता है ? क्या सरकार द्वारा धार्मिक नगरों में कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस रंगदारी टैक्स को रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो0 आजम खां-

नगर पंचायत नन्दगांव में 01 व बरसाना में 02 निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ठेकेदार द्वारा निर्धारित रेट सूची के अनुसार ही पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। नगर पंचायत की सीमा में प्रवेश करने पर तीर्थयात्रियों के वाहनों से किसी प्रकार का कोई टोल टैक्स या अन्य कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर में पेयजल के निदान हेतु हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

94-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर में वाटर लेबल 70 फुट से नीचे चले जाने के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल समस्या के निदान हेतु खराब हैण्डपम्पों की रिबोर कराने व नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तोक कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर के मात्र 08 गांव में भूजल स्तर 70 फुट से 80 फुट के बीच पहुंच गया है। शेष ग्रामों के भूजल स्तर 70 फुट से कम है। अतः वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की बोरिंग 60 मीटर तक कराई गयी।

विकास खण्ड शाहपुर में अभी तक कुल 2767 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। उक्त के अतिरिक्त 07 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड शाहपुर हेतु कुल 100 नग नये/रिबोर इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बहेट में पेयजल आपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

95-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बहेट पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अप्रैल, मई तथा जून माह में पेयजल आपूर्ति निर्बाध

रखने हेतु शासन द्वारा 30 से 45 लाख रुपया जनरेटर, डीजल वे टैंकर सप्लाई के लिये दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष शासन द्वारा उक्त धनराशि अब तक अवमुक्त नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के निवासियों को पेयजल आपूर्ति हेतु पूर्व की भांति धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में वर्ष 2005.06 से वर्ष 2011.12 तक पेयजल आपूर्ति निर्वाध बनाये रखने हेतु निम्नानुसार धनराशि जनरेटर डीजल हेतु दी गई है-

वित्तीय वर्ष	धनराशि (रु0 लाख में)
2005-06	16.43
2006-07	18.83
2007-08	00.00
2008-09	07.38
2009-10	11.87
2010-11	10.00
2011-12	46.18

टैंकरों से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

जी हां।

जी हां।

दिनांक 30-06-2012 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के थाना खड्डा में थानाध्यक्ष द्वारा भूमि विवाद में लाठी चार्ज करने के प्रकरण की जाँच व कार्यवाही की मांग

96-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17.5.2012 को खड्डा, कुशीनगर जनपद पुलिस द्वारा दो पक्षों के भूमि विवाद में थाने पर बुलाकर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर 10 साल के नाबालिक लड़कों, वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के घायल होने के घटनाक्रम की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में श्री यादवेन्द्र बहादुर पाल, थानाध्यक्ष खड्डा के आचरण के सम्बन्ध में जांच पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा दिनांक 24-05-12 को श्री जय प्रकाश अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को निर्दिष्ट की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के गांव पटनियां के सोमपाल पुत्र जोगराज की हत्या में पंचनामा व शवविच्छेदन की कार्यवाही न करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

97-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के गांव पटनियां के अन्तर्गत दिनांक 23-03-2012 को सोमपाल पुत्र जोगराज की हत्या की गयी है ? क्या यह सही है कि पुलिस उपनिरीक्षक ने शव बरामद किया परन्तु पंचनामा एवं शवविच्छेदन की कार्यवाही न करके शव का दाह संस्कार करवा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

थाना बीसलपुर पर मृतक सोमपाल की हत्या के सम्बन्ध में रामचन्द्र व सेवाराम पुत्र वादी जोगराज तथा गांव के जय सिंह को साथ लेकर थाने में सूचना देकर वापस गांव चले गये और गांव में सलाह मसविरा करके लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। स्थानीय पुलिस जब मौके पर पहुँची तब मृतक के परिजनों द्वारा मृतक की चिता को आग लगाकर दाह संस्कार कर दिया गया, फिर पुलिस को लिखित तहरीर दी गयी कि हम लोगों ने आपस में सलाह मसविरा किया कि इसमें किसी का दोष नहीं है। हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दाह संस्कार कर दिया है। इस बात का उल्लेख उपनिरीक्षक ने थाना बीसलपुर के रो0 आम रपट नं0 26 समय 20.10 बजे दिनांक 25-3-12 को उल्लेख किया गया है। बाद में वादी जोगराज पुत्र ख्यालीराम जाटव, निवासी ग्राम पटनियां थाना बीसलपुर, पीलीभीत ने गांव के कुछ लोगों के बहकावे में आकर आर्थिक सहायता मिल जाने के उद्देश्य से वादी द्वारा मा0 न्यायालय को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत थाना दिनांक 01-5-12 को थाना बीसलपुर पर मु0अ0सं0 417/12 धारा 147,149/302/201/506 भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट वादी श्री जोगराज पुत्र ख्यालीराम जाटव, नि0 ग्राम पटनियां थाना बीसलपुर, पीलीभीत ने अभियुक्तगण 1-ऋषिपाल, 2-कन्हई लाल, 3-ठकुरी, 4-नन्कू, 5-नन्हू पुत्र वरनू धीमर निवासी ग्राम पटनियां, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, बीसलपुर द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के मध्य लिये गये बयानात गवाहान व निरीक्षण घटनास्थल से मृतक सोमपाल की मृत्यु अत्यधिक शराब पीने से अधिक नशे में होने के कारण लड़खड़ाकर पानी में गिरने से डूब कर होना पाया गया। मृतक सोमपाल के साथ किसी जुर्म दस्तान्दाजी का होना नहीं पाया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की अन्तिम रिपोर्ट सं0 8/12 दिनांक 29-5-12 को मय जुर्मखारिजा के समाप्त की गयी।

पंचायतनामा व पोस्टमार्टम न करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के आदेश दिनांक 9-5-12 को प्रारम्भिक जांच के आदेश किये गये, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी बीसलपुर द्वारा सम्पादित की गयी। गवाहों के कथनों के अनुसार सम्पूर्ण जांच से उपनिरीक्षक द्वारा मृतक सोमपाल के अन्तिम संस्कार के समय स्वयं मौके पर मौजूद होने के उपरान्त भी पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही न करने तथा तत्समय उसकी शेष बची हड्डियों तथा राख को थाना बीसलपुर में दाखिल न करने के लिए पूर्णरूप से दोषी पाये गये है।। उप निरीक्षक श्री राम गोपाल सिंह को जांच के क्रम में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा दिनांक 10-6-12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विकास नगर से जी0टी0रोड तक जर्जर व गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की माांग

98-श्री सतीश कुमार निगम एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विकास नगर मार्ग से विसायकपुर होते हुए जी0टी0 रोड तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के सुधार हेतु रु0 40.00 लाख का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के इन्दिरापुरम से मकड़ी खेड़ा जाने वाली गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

99-श्री सतीश कुमार निगम एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के इन्दिरापुरम से मकड़ी खेड़ा होते हुए जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत/निर्माण हेतु रु0 850.00 लाख का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानुपर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर की प्राइवेट कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल किये जाने की मांग

100-श्री सतीश कुमार निगम एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में निजी सहकारी आवास समितियों द्वारा विकसित कालोनियों जैसे राधपुरम्, माधवपुरम्, साईपुरम्, मजदूर कोआपरेटिव सोसाइटी, आधार कालोनाइजर्स में सड़क, सीवर, पेयजल तथा जल निकासी आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में उक्त सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनियां प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। शासनादेश संख्या 5097/नौ-अ0-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26 मई, 2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि उक्त प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं, अतः यह दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याण के अन्तर्गत अनेकों ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के सम्बन्ध में

101-श्री सतीश कुमार निगम एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के कल्याण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा में आने वाले गांव खेवरा, जेवरा, गुजियारीपुरवा, सुखऊपुरवा, अचाकपुर, विनायकपुर, विनुवापुर, बरसाझापुर, मदारपपुर, रुद्रपुर, कल्याणपुर कलां, कल्याणपुर खुर्द, बैरीखेड़ा, गड़रियापुरवा, बारासिरोही, गड़रियापुरवा, रतनपुर, नौबस्ता तथा नानकारी, सहित अन्य सभी गांवों में नगरीय क्षेत्र की मूलभूत सुविधायें जैसे सीवर, सड़क, पेयजल तथा जल निकासी आदि का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गावों में मूलभूत सुविधायें मुहैया करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनियां प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। शासनादेश संख्या 5097/नौ-अ0-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26 मई, 2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि उक्त प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं, अतः यह दायित्व विकास प्राधिकरण का है। रतनपुर में मूलभूत सुविधाये जैसे सीवर, पेयजल तथा जल निकासी की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट का कार्य समयबद्ध सीमा में प्रारम्भ कराये जाने की मांग

102-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार एन0ओ0सी0 जारी करते हुए सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लांट बरेली का कार्य समयबद्ध सीमा में प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, बरेली के शाहजहांपुर रोड स्थित ग्राम रजऊ परसपुर में स्थित सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट ट्रायल रन की स्थिति में है। इसके संचालन हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र अपेक्षित है, जिसके लिए अनुरोध किया गया है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्लांट के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र एवं सहमति (संचालन हेतु) प्राप्त होते ही प्लांट को तीन माह में रेम्प-अप करते हुए कमीशनिंग के लिए तैयार कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज के कतिपय विकास खण्डों में मानक के अनुसार हैण्डपम्पों को स्थापित कराकर शुद्ध जल उपलब्ध कराये जाने की मांग

103-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीनों विकास खण्ड, सेवरही, तमकुहीराज, दुद्धी में लगभग जितने हैण्डपम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं सभी इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को 40.50 या 60 फीट पर ही बोरिंग की गयी है जबकि मानक 113 फीट का है जिसके कारण हैण्डपम्पों से पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार बोरिंग कराकर शुद्ध जल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड सेवरही, तमकुहीराज एवं दुद्धी में अधिष्ठापित सभी इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की बोरिंग मानक के अनुसार द्वितीय स्ट्रेटा में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था का विवरण

104-श्री वीरपाल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में महिला कल्याण विभाग द्वारा किसी संस्था का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो संचालित संस्था में कितने संवासी/संवासिनियां निरुद्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जनपद में संस्था खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में 04 राजकीय संस्थाएं यथा-1-राजकीय बाल गृह (बालक), 2-राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), 3-राजकीय पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठन (महिला) तथा 4-राजकीय महिला शरणालय संचालित हैं, इसके अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) संचालित है

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के पार्को में मालियों की नियुक्ति किये जाने की मांग

105-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत कुल कितने पार्क है तथा उन सभी में मालियों की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा मालियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर में 06 पार्क हैं। पालिका में माली का एक पद सृजित है, जिस पर कार्यरत कर्मचारी के दिनांक 30-6-2011 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् माली का पद रिक्त है।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में वाहनों की संख्या एवं चालक नियुक्ति करने की मांग

106-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत कितने तथा किस.किस प्रकार के वाहन है तथा क्या उन पर चालक हैं ? यदि नहीं, तो क्या चालकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में 09 वाहन हैं, जिसमें 03 ट्रैक्टर ट्राली, 04 हाइड्रोलिक टैम्पो थ्री व्हीलर, 01 डम्पर प्रेशर तथा 01 जे0सी0बी0 मशीन हैं। नगर पालिका में वाहन चालक का 01 पद स्वीकृत है, जो ट्रैक्टर ट्राली पर नियुक्त है। शेष वाहनों को संविदा/नियमित सफाई कर्मचारियों से, जो वाहन चलाना जानते हैं, चलवाया जा रहा है।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय योजनाओं में नालों का सी0सी0 निर्माण व उन्हें ढकने की योजनान्तर्गत जनपद इलाहाबाद को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जानकारी

107-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जे0एन0एन0यू0आर0एम/ राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण/विश्व बैंक द्वारा महानगरों में स्थित नालों का सी0सी0 निर्माण तथा आबादी में नालों को ढकने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो इलाहाबाद में किन.किन नालों को इसमें सम्मिलित किया गया है तथा सरकार द्वारा यह निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्यावरण सुधार तथा महानगरों की जल भराव व निकासी व्यवस्था को ठीक करने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में इलाहाबाद स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना, अनुमानित लागत रु0 499.84 करोड़ का प्राक्कलन विरचित किया गया है। उक्त प्राक्कलन में आबादी में नालों को आंशिक रूप से ढकने की योजना भी सम्मिलित है। गंगा नदी में गिरने वाले 45 नाले (मोरीगेट, रामबाग, साउथ मलाका, सी0एम0पी0 डिग्री कालेज, सलोरी, नागबायुकी, सलोरी.इंजीनियरिंग कालेज, गोविन्दपुर, रसूलाबाद, तेलियरगंज, सिविल लाइन्स, राजापुर, अशोक नगर, नेवादा, ड्रमण्ड रोड, नवाब युसूफ रोड, एम0जी0 मार्ग सिविल लाइन्स, कम्पनी बाग, दरभंगा, अल्लापुर, दारागंज, मटियारा रोड, एनीबेसन्ट स्कूल, लाल बिहारा, पोंगहट, बम्हरौली, नीम सराय, कोडरा, सुलेम सराय, धूमनगंज, नीवां गांव, जयन्तीपुर, धोबीघाट राजापुर, परेड ग्राउण्ड, बैरहना, नयापुरवा, मम्फोर्डगंज, बलरामपुर, सूनिवर्सिटी चैथम लाइन, मनमोहन पार्क, संजय नगर मलिन बस्स्ती, बाघम्बरी, पन्ना लाल रोड, सी0वाई0 चिन्तामणी रोड, डण्डिया, लखनऊ रोड फाफामऊ एवं फाफामऊ.सहसों रोड नाला) तथ यमुना नदी में गिरने वाले 12 नाले (घाघर, लूकरगंज, खुल्दाबाद, मीरापुर, चाचर, दरियाबाद, मुठ्ठीगंज, अतरसुइया, गऊघाट, कीडगंज, इमलियाघाट एवं चौखण्डी नाला) उक्त परियोजना में सम्मिलित हैं परन्तु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत उ0 प्र0 के लिए आवंटित परिव्यय (एलोकेशन) समाप्त हो जाने के कारण उक्त परियोजना को भारत सरकार के स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया जा सका। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम का आगामी चरण लागू होने पर परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात् ही परियोजना का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर शहर विधान सभा के सीमान्तर्गत जल निकासी व नालों का निर्माण कराये जाने की जानकारी

108-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर विधान सभा के सीमान्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में अभी भी जल निकासी हेतु नालों का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन नालों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महानगर के बाहरी क्षेत्र में अविकसित अथवा विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लिये बगैर कुछ कालोनियां जैसे मानबेला, इंजीनियरिंग कालेज से आगे आंशिक क्षेत्र, सेमरा गांव जंगल शालिग्राम, शिवपुर, सहबाजगंज का आंशिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल निकासी के लिये स्थानीय स्तर पर नालियां तो हैं किन्तु जल निकासी के लिये बड़े नालों की आवश्यकता है।

वर्ष 2012-13 में रामजानकी नगर में भूसे की दुकान से स्पोर्ट कालेज तक संत हुसैन नगर में मेन रोड का नाला, मेडिकल कालेज क्षेत्र की जल निकासी हेतु कालेज होते हुए नाले का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसकी निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। जिसे मा0 निर्वाचन आयोग को अनुमति हेतु भेजा गया है। इसके अतिरिक्त मानबेला क्षेत्र में प्राधिकरण की ओर से एक बड़ा नाला भी प्रस्तावित है

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर शहर विधान सभा में अविकसित क्षेत्रों की सड़कों का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

109- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर विधान सभा बहुत बड़े हिस्से में अभी गुणवतायुक्त पिच/इन्टरलाकिंग/सी0सी0 सड़के नहीं हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इन अविकसित क्षेत्रों की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाये जाने के बाद भी बनी हुयी सड़कों को दुबारा बनाये जाने के सन्दर्भ में नीति निर्धारित करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से पिच/इण्टलाकिंग/सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराया गया है।

जो मार्ग मरम्मत योग्य नहीं होंगे उनका यथावश्यकता पुनर्निर्माण संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर में पाइप पेयजल की आपूर्ति कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

110-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के कौन-कौन से क्षेत्रों में अभी भी पाइप पेयजल की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार ने इन क्षेत्रों को पाइप पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर महानगर के चार क्षेत्रों नथमलपुर, फतेहपुर, चरगांव एवं सालिगराम में पाइप पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 कार्यान्श के आगामी चरण के लागू होने के पश्चात् उक्त क्षेत्रों की पाइप पेयजल की परियोजना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाये जाने का कथित प्रकरण

111-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए निर्धारित क्रीमीलेयर की सीमा मंहगाई व छठा वेतन आयोग की निर्धारित सीमा के अनुरूप बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा की ग्राम सभा कीरतपुर चरूहार में निर्मित पानी की टंकियों से अवैध कब्जा हटवाये जाने की मांग

112-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा कीरतपुर चरूहार में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वजल धारा के अन्तर्गत निर्मित पानी की टंकियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कीरतपुर चरूहार में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006-07 में स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित 06 पानी की टंकियों पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों के ग्रेड वेतन के विशेष भत्ते से कटौती के सम्बन्ध में जानकारी

113-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों को ग्रेड वेतन क्रमशः रु0 6600 व रु0 5400 दिये जाने के उपरान्त उनको अनुमन्य विशेष भत्ते से क्रमशः रु0 600 एवं रु0 200 की कटौती की जा रही है ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ समीक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारी के बराबर विशेष भत्ता दिया जा रहा है, परन्तु उसके विशेष भत्ते से कटौती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पदोन्नति/अपग्रेड होने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। अनुमन्य विशेष भत्ते से क्रमशः रु0 600 एवं रु0 200 की कटौती शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुरूप की जा रही है।

सचिवालय भत्ता पदवार निर्धारित है किसी एक पदधारक को दूसरे पद के बराबर सचिवालय भत्ता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में रामगंगा कमाण्ड योजनान्तर्गत नहरों की कच्ची नालियों को पक्का करने की मांग

114-श्री वीर पाल राठी-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में रामगंगा कमाण्ड योजना अन्तर्गत बनने वाली नहरों की कच्ची नालियों को पक्का करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो माह मई, 2011 से अब तक कितनी नालियों को कहां.कहां पक्का किया गया और कितनी अवशेष हैं ? क्या अवशेष नालियों को पक्का करने हेतु सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में केवल पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कमाण्ड क्षेत्र में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार प्रक्षेत्र विकास कार्य (कच्ची नाली, पक्की नाली तथा जल निकास नाली एवं जल नियंत्रण संरचनाएं) कराये जा रहे थे। इस सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के निर्देश दिनांक 17 जून, 2009 द्वारा वाइन्ड-अप कर दिया गया है, जिसके उपरान्त जनपद बागपत में कोई कच्ची/पक्की नाली का निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने की मांग

115-श्री संजय कपूर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रान्सपोर्ट के व्यवसाय में लगे लगभग एक हजार ट्रकों को खड़ा करने की कोई व्यवस्था न होने से मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहता है ? क्या यह सही है कि यहां पर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की मांग भी काफी लम्बे समय से चली आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु केमरी में ट्रान्सपोर्ट नगर बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी जनपद रामपुर के अभिलेखों के अनुसार कस्बा केमरी के पते पर छोटे बड़े कुल 472 ट्रक दर्ज हैं। उपयुक्त जगह न होने के कारण काफी संख्या में ट्रक सड़क के किनारे खड़े रहते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा केमरी में कोई उपयुक्त शासकीय भूमि ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए उपलब्ध नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के हिण्डन नदी को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त करने हेतु धनराशि की मांग

116-अमर पाल शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी में प्रदूषित जल बह रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार हिण्डन नदी को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की राशि व अनुदान की मांग करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

गाजियाबाद में प्रमुख जल प्रदूषणकारी 12 उद्योगों से जनहित 8.2 एम0एल0डी0एवं नोएडा में प्रमुख जल प्रदूषणकारी 07 उद्योगों से जनित 3.1 एम0एल0डी0 उत्प्रवाह हेतु उत्प्रवाहशुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं।

गाजियाबाद शहर से वर्तमान में लगभग 208 एम0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उक्त के सापेक्ष यमुना कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर के ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र में हिण्डन नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु 56 एम0एल0डी0 तथा सिस हिन्डन क्षेत्र में 73 एम0एल0डी0 अर्थात् कुल 129 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधिष्ठापित किये गये हैं। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 74 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 56 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है। इस प्रकार कुल 259 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रटमेन्ट प्लान्ट की व्यवस्था हो जायेगी। जापान इण्टरनेशनल को.आपरेशन एजेन्सी (जायका) सहायतित यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर के ट्रॅान्स हिण्डन क्षेत्र एवं सिस हिण्डन क्षेत्र हेतु पृथक-2 दो सीवरेज परियोजनाओं का विरचन किया गया है, जो सितम्बर 20010 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति एवं धनावण्टन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा अब इन परियोजनाओं को नेशलन रिवर कंजर्वेशन प्लान (एन0आर0ससी0पी0) के अन्तर्गत वर्तमान दरों के अनुसार पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। परियोजनाओं के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 15 ससूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर में बढ़ते वाहनों और जाम से निजात दिलाये जाने हेतु मेमो रेल चलाये जाने अथवा कोई भी उपाय करने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री केशव प्राद मौर्य की-नहीं है। तीसरी सूचना श्री अजय मिश्रा की विधान सभा क्षेत्र निघासन लखीमपुर के मुख्य कस्बा व बाजार तिकुनियां के सार्वजनिक मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (श्री अजय मिश्रा ने अपनी सूचना पढ़ी)। चौथी सूचना श्री इन्दल रावत की-विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के ग्राम सभा ससपन, गढ़ी जिन्दौर, मवई बसन्तपुर, जेहटा पारा, भदराही में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की-नहीं हैं। छठवीं सूचना श्री मनीष रावत की-विधान सभा क्षेत्र सिधौली, जनपद सीतापुर में समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री मनीष रावत ने अपनी सूचना पढ़ी)।

सातवीं सूचना श्री मनबोध प्रसाद की विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत मझौली से नवलपुर में छोटी गण्डक नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में करवन नदी पर चेकडेम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री आलमबदी की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में टोंस नदी पर जनहित में रैपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में सन् 2006 से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की जनपद महोबा में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में हो रहे घोटालों की जांच कराये जाने एवं परियोजनाओं को समयसीमा के अंदर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह की है, (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित), तेरहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की है, (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित), चौदहवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त 11 चिकित्साधिकारियों तथा 01 महिला चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती तथा 05 महिला चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत कर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, पंद्रहवीं सूचना ठा0 सूरजपाल सिंह की जनपद आगरा की तहसील किरावली मुख्यालय में थाना खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो 4 लोग अनुपस्थित हैं तो मेरा अनुरोध है कि उसमें मेरी एक सूचना स्वीकृत कर लें।

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, मैं उपस्थित हूँ।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं-श्री बृजलाल सोनकर, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री प्रमोद तिवारी, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री अगयश राम सरन वर्मा, डा0 धर्म सिंह सैनी, डा0 धर्मपाल सिंह।

आपका तो आ गया। इसमें श्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं हैं। भीम प्रसाद सोनकर जी आ गये हैं, चलिये आपकी सूचना को ले लिया है। उनकी सूचना उप जिलाधिकारी आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। देखिये माननीय सदस्य जब यह सूचनायें दे तो जीरो आवर में सदन में बैठना भी चाहिए। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की जगह पर श्री सतीश महाना जी की सूचना स्वीकार की जाती है। और श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जगह श्री वीरपाल राठी की सूचना स्वीकार की जाती है। स्वीकृत सूचनाये पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।

वाराणसी नगर में बढ़ते वाहनों और जाम से निजात दिलाये जाने हेतु मेमो रेल चलाये जाने अथवा कोई भी उपाय करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय, वाराणसी नगर धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। कई विश्वविद्यालय हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक एवं दर्शनार्थियों का आवागमन होता है। सड़कों पर वाहनों का दबाव एवं जनसामान्य की अत्यधिक भीड़ के कारण पैदल चलना भी दुस्वार होता जा रहा है। जाम की समस्या से शहर को मुक्ति दिलाने हेतु अनेकों बार जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा आयुक्त के द्वारा बैठकें की गयीं जिनमें कुछ विशेषज्ञ भी होते थे लेकिन कोई ठोस उपाय करना सम्भव नहीं हो सका। वाराणसी विश्व की अत्यन्त पुराने नगरों में से एक है तथा इसकी अपनी विशेषतायें भी हैं जिनके कारण विश्व के और भारत वर्ष के कोने-कोने से तीर्थयात्री, पर्यटकों का आना लगा रहता है जिन्हें वाराणसी आने पर जाम के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वाराणसी की मान्य परम्पराओं एवं विशेषताओं को बरकरार रखते हुए जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना अति आवश्यक है। सड़कों पर अनेकों बिजली के पोल हैं जिन्हें हटाकर भूमिगत किया जाना भी आवश्यक है उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त नगर में जहां कहीं भी सम्भव हो जाम की समस्या को कम करने हेतु मेमो रेल तथा मेट्रो रेल चलाया जाना आज के वैज्ञानिक युग में सम्भव प्रतीत होता है। उक्त दृष्टि से मेरी मांग है कि वाराणसी नगर में मेमो रेल तथा मैट्रो रेल चलाये जाने की सरकार व्यवस्था करे।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन लखीमपुर के मुख्य कस्बा व बाजार तिकुनियां के सार्वजनिक मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्रा टेनी-

महोदय, तिकुनियां कस्बा व बाजार मेरे विधान सभा क्षेत्र निघासन का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र होने के कारण क्षेत्र के नागरिकों की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है परन्तु उस कस्बे के एक मात्र मुख्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण पिछले 15 वर्षों से नहीं हुआ है जिससे उक्त सडत्रक चलने लायक नहीं है। पड़ोसी देश नेपाल के लोगों का भी आना.जाना रहता है जिसके कारण इस मार्ग पर आवागमन का भारी दबाव रहता है। मार्ग के अत्यन्त जीर्णशीर्ण होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। उक्त संड़क चलने लायक नहीं रह गयी है प्रमुख बाजार होने के कारण क्षेत्र के किसान, मजदूर व्यापारी तथा कस्बे के निवासी सभी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराया जाय।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद जनपद लखनऊ के ग्राम सभा ससपन, गढ़ी जिन्दौर, मवई बसन्तपुर, जेहटा पारा, भदराही में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्दल कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम सभा ससपन, गढ़ी जिन्दौर, मवई बसन्तपुर, जेहटा, पारा भदराही आदि गांवों में विद्युतीकरण न होने से स्थानीय लागों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह गांव अब तक विद्युतीकरण से वंचित रहे है और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व जिसमें अधिसंख्य मतदाता समाजवादी पार्टी के है। पिछड़ा क्षेत्र है और इन गांवों में गरीब, पिछड़े वर्ग के ज्यादातर लोग रहते हैं। तत्काल इन गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की आवश्यकता है यह जनहित का लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु मांग करता हूँ।]

उप जिलाधिकारी आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। अनीता देवी के नाम से आय प्रमाण-पत्र संख्या 482111104137 दिनांक 9-6-2011 को जांच आख्या में तहसील में अभिलेख न होने और फिर जानबूझ कर आय प्रमाण-पत्र 9-6-2011 में सही मान लिये जाने का बड़े पैमाने पर फ्राड हुआ है। हल्का लेखपाल ने दिनांक 28-9-2011 को बयान किया कि पूरे ग्राम सभा मालपुर तहसील आलापुर में कोई आय प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया। फॅर्जी रूप से आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नियुक्ति लिये जाने की कार्यवाही की गयी। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की आवश्यकता है, प्रकरण गम्भीर है। श्रोतों से कम आय दर्शायी गयी है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आय प्रमाण-पत्र की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर में समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर में वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति बहुत कम मिल रही है जिससे व्यवसाइयों व छात्रों व आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति, आठ घन्टे दिन में व आठ घण्टे रात में किया जाय जिससे स्थानीय लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। मैंने बार.बार अनुरोध किया परन्तु आज तक सही तरीके से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। छात्रों, किसानों व व्यवसाइयों में रोष व्याप्त है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति किये जाने का निर्देश सम्बनधित अधिकारियों को दिये जाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत मझौली से नवलपुर में छोटी गण्डक नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध प्रसाद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कि हमारे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत सलेमपुर में नगर पंचायत मझौली राज से नवलपुर होते हुए नगर पंचायत लार होकर सड़क बिहार तक जाती है। जिसके बीच में छोटी गण्डक (नवलपुर) घाट पड़ता है। वहां पर पुल न होने के कारण क्षेत्र के आवागमन बाधित होता है। अगर इस गण्डक (छोटी) पर पक्के पुल का निर्माण हो जाय तो हजारों लोगों को प्रतिदिन सुविधा मिल सकती है। इस पुल को बनना जनहित में आवश्यक है। क्योकि इस पुल के न होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के सज्ञान में लाते हुए नगर पंचायत मझौली से नवलपुर छोटी गण्डक पर पुल बनाये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में करवन नदी पर चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[जनपद अलीगढ़ में स्थित करवन नदी जो इगलास तहसील में से होकर निकलती है इस नदी पर इगलास तहसील में एक भी चेकडेम नहीं है जिससे जमीन का भूजल स्तर गिरता जा रहा, जिससे जल का संकट बढ़ रहा है इगलास तहसील की करवन नदी पर कम से कम 6 चेकडेम की आवश्यकता है जिससे जमीन के भू.जलस्तर को बढ़ाया जा सके और जनहित में पानी के संकट को दूर किया जा सके।

अतः मैं उपरोक्त इस नदी पर चेकडेम निर्माण कराये जाने की अविलम्ब मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में टोस नदी पर जनहित में रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, मैं आपकी सेवा में मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

1-भदुली निजामाबाद मार्ग पर रानीपुर बाजार के दक्षिण तरफ स्थित ग्राम चक बुढ़ानपुर पर लकड़ी का पुल बनाकर ग्रामवासी निजामाबाद तहसील व उनके बच्चे स्कूल जाने का कार्य करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अब वहां पर नये पुल का निर्माण जनहित में अति आवश्यक हो गया है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्रीय जनता को सुविधा व क्षेत्रीय विकास को आवश्यक बल मिलेगा।

2-निजामाबाद फूलपुर मार्ग पर खपड़ा गांव बाजार से उत्तर तरफ औस नदी पर स्थित रेवरा घाट जो दूसरी तरफ तहबरपुर ब्लाक की मुख्य बाजार मुस्लिम पट्टी व पंडिताइन की पुलिया को जोड़ती है। इस पुल के निर्माण से तहबरपुर ब्लाक को आजमगढ़ जनपद की प्रसिद्ध बाजार सरासमीर को जोड़कर जनता को सुविधा व क्षेत्रीय विकास को अत्यधिक बिल मिलेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 वर्षो से टौस नदी पर दुर्वासा धाम पर बना रेपटा (Rapta) पुल जनसेवा में बड़ा कारगर और सफल रहा है।

जनहित में उक्त पुलों का निर्माण अति आवश्यक है। मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इसे यथाशीघ्र पूरा कराने का कष्ट करेंगे।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में सन् 2006 से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोठा, जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। जिसकी अबादी लगभग 14 हजार है। जिसमें सन् 2006 में मा0 मुलायम सिंह जी द्वारा प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई थी। जिसकी लागत लगभग 34 लाख 65 हजार थी। किन्तु अभी तक वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अधूरा ही है। जिसमें न तो कोई दरवाजा है न ही खिड़की है। जिसके कारण 42 वर्षो से ग्राम सभा के द्वारा बने अत्यन्त जर्जर मकान में अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। जो किसी भी समय धराशायी हो सकता है। जिससे किसी भी क्षण अप्रत्याशित घटना घट सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सन् 2006 से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जनहित में पूर्ण कराकर आरम्भ करायें जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महोबा में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं में हो रहे घोटालों की जांच कराये जाने एवं परियोजनाओं को समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र महोबा में सिंचाई विभाग द्वारा अरबो रुपये की अनेक परियोजनाये नाबार्ड द्वारा पोषित राज्य सरकार के देख-रेख में संचालित हैं जिनमें प्रमुख रूप से अर्जुन सहायक परियोजना, घसान नदी पर लहचूरा बांध का शीर्ष आधुनिकीकरण, विराट सागर परियोजना, के एन बेतवा लिंक परियोजना, क्योलारी बांध, परियोजना पहाड़ी (देवरी बांध योजना) चौधरी चरण सिंह चरखारी पम्प नहर के आलावा छोटे बांध कबरई बांध, चन्दावल बांध, उरमिल बांध, पर सिंचाई विभाग कार्य करा रहा है। जिसमें गुणवत्ता विहीन घटिया स्तर का कार्य करा रहा है। इन कार्यों में करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है। जिसकी उच्चस्तरीय जांच कराना अति आवश्यक है। साथ ही अर्जुन सहायक परियोजना, एवं अन्य योजना के तहत किसानों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भी दो वर्ष के बाद ही प्राप्त नहीं हुआ जिससे किसानों में रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित करते हुए किसानों का मुआवजा दिलाने के साथ ही क्षेत्रीय किसानों के सिंचाई के सुविधा को प्रदान करने हेतु उपरोक्त सभी परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूर्ण कराये जाने की राज्य सरकार से अविलम्ब मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त 11 चिकित्साधिकारियों तथा 01 महिला चिकित्साधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती तथा 05 महिला चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत कर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत स्थित सामु0 स्वा0 केन्द्र पयागपुर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर 03 चिकित्साधिकारी तथा एक महिला चिकित्साधिकारी तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र हजूरपुर तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर 02 चिकित्साधिकारी तथा प्र0 स्वा0 केन्द्र जरवल तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर एक चिकित्साधिकारी तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र बिशेश्वरगंज तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर चार चिकित्साधिकारी तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र कैसरगंज तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर एक चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है इस तरह से पूरे विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों के लिये चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 36 है जिसके सापेक्ष मात्र 25 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 11 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। केवल कैसरगंज सामु0 स्वा0 केन्द्र पर एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति है तथा पयागपुर सामु0 स्वा0 केन्द्र पर स्वीकृत एक महिला चिकित्सक का पद रिक्त है। हजूरपुर, जरवल, बिशेश्वरगंज प्रा0 स्वा0 केन्द्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा उसके अन्तर्गत आने वाले नये/अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर एक भी महिला चिकित्साधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। महोदय लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और उनके लिये पूरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में मात्र दो महिला चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा केवल एक चिकित्सक कार्यरत है। जिससे महिलाओं को अपने रोगों के निदान के लिये काफी कठिनाई हो रही है तथा कभी-कभी झोला छाप डाक्टरों के चक्कर में महिलाओं की जान चली जा रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा पयागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर रिक्त पड़े 11 चिकित्सकों तथा एक महिला चिकित्सक के पदों पर तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया जाय तथा महिलाओं को उचित चिकित्सा प्रदान करने के लिये सामु0 स्वा0 केन्द्र पयागपुर तथा कैसरगंज में एक-एक अतिरिक्त महिला चिकित्सकों तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र हजूरपुर, बिश्वेश्वरगंज, जरवल में एक-एक महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत करके नियुक्ति की जाय।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की तहसील किरावली मुख्यालय में थाना खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ठा0 सूरज पाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक पर आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि आगरा जनपद के अन्तर्गत तहसील किरावली मुख्यालय पर पुलिस थाना न होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि किरावली नगर पंचायत है जिसकी आबादी करीब 30,000 (तीस हजार) है। इसके पास लगे हुये करीब दो दर्जन ग्राम पंचायत हैं यहां पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी होने के बावजूद बड़ी संख्या में वारदात होती रहती है। इसलिये किरावली मुख्यालय पर थाना बनवाना अति आवश्यक है।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक के हलुआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक में हलुआ खेड़ा रजवाहा है, जिससे बड़ी मात्रा में किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता था। विगत कई वर्षों से बन्द पड़ा है। कई बार प्रयास करने के पश्चात् उक्त रजवाहा न चालू होने के कारण तिलसहरी, पाली, बहुसर, दीपापुर, हाथीगांव, बड़ा गांव, प्रेमपुर आदि गांवों के रहने वाले छोटे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई न होने के कारण उनकी खेती पर भी असर पड़ रहा है। यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि उक्त सरसौल ब्लाक डार्क ब्लाक की श्रेणी में आता है। जिससे ट्यूबवेल में भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और अधिकांश ट्यूबवेल ध्वस्त हो चुके हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सरसौल ब्लाक के हलुआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा के शबगा ग्राम से यमुना नदी तक तथा किरठल ग्राम से बरवाला ग्राम तक के दो नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर, मैं अपने माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व की एक सूचना की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरी विधान सभा छपरौली बागपत में दो नाले हैं।

1-शबगा ग्राम से यमुना नदी तक।

2-किरठल ग्राम से बरवाला ग्राम तक।

मान्यवर, उपरोक्त नाले विगत कई वर्षों से सिल्ट सफाई नहीं हुई है। जिसके कारण वर्षा के समय में नाले ओवर फ्लो हो जाते हैं। जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है तथा पानी भराव के कारण डेंगू मलेरिया आदि बीमारी फैल जाती है। इससे पशुओं की जान माल की हानि अक्सर होती है। अधिक पानी भराव होने के कारण खेतों में बुआई भी नहीं हो पाती जिससे किसानों की आर्थिक क्षति होती है। इन नालों की सफाई न होने के कारण किसान भुखमरी के कगार पर है।

अतः लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश शासन के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज के विधान सभा में मा0 सदस्यों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज से जोड़े जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 जून, 2012 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश शासन के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज को विधान सभा के माननीय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल सी0यू0जी0 सीरीज से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 तिवारी जी इस पर आपने पहले भी कभी उठाया था और इस विषय को मान लिया गया है, तो अब इसको उठाने की क्या जरूरत है।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है मान्यवर, अगर आ गया है तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष-

हमारे प्रमुख सचिव महोदय बता रहे हैं मैं इसको निकलवा कर दिखवा लूंगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

अच्छी बात है मान्यवर, मैंने तो सिर्फ इसलिये दिया है कि मा0 विधायकों का जो खर्च आ रहा है, वह बच जायेगा क्योंकि एक सीमित साधन था ना, आपने छः हजार, आठ हजार रखा था। सी0यू0जी0 मोबाइल का मतलब ही यही होता है कि आपस में फ्री बात हो सके या किसी तकनीकी कारण की वजह से अगर नहीं था, अब हो जाये तो अच्छा है तो जो विधायकों को आपस में बात करने पर खर्च करना पड़ता है वह बच जायेगा और जो सचिवालय हम लोग फोन करते हैं उसका भी खर्च बच जायेगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ऐसा था इसमें आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी प्रस्तावित थी, भारत सरकार से संचार मंत्रालय से भी किन्हीं को सरीक होना था और नेतागण भी आ जाने थे, तो निर्णय पर ही है, आप जब चाहें ऐसी बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

दूसरी सूचना श्री बृजलाल सोनकर की है, यह नहीं लिया गया है। तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की है, इसको भी नहीं लिया गया है।

मा0 सदस्यगण लगता है आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही कोई भी सूचना नियम 300 में लगा देते हैं। अपने मा0 नेता लोगों से निवेदन है कि अपने मा0 सदस्यों को नियम 300 के बारे में कभी-कभी जब बैठक हो तो उनको समझाइये भी कि कौन विषय कैसे लिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो दिन का प्रबोधन शिविर आपने लगवाया था, उसमें सब चीजें बताई गई थीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं समझता हूं, उसमें आपने भी समझाया था, लगता है ठीक से समझ नहीं पाये आपकी बात को लोग।

श्री अध्यक्ष-

मंत्रियों का कोई वक्तव्य नहीं है, इसलिये अब मैं कार्य-स्थगन ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 जून, 2012 को नियम 56 में कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनके श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती रूबी प्रसाद, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप कुमार, श्री संजय जायसवाल, श्री राधे श्याम, कुंवर कौशल सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री दिलनवाज खान, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री गयादीन अनुरागी, श्री संजय कपूर

की प्रदेश के विभिन्न इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूरे प्रदेश के भूगर्भ जल में खतरनाक आर्सेनिक प्वाइजनों पर नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, डा0 मुहम्मद मुस्लिम, डा0 रीता बहुगुणा जोशी की प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 35-ए के अन्तर्गत कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी में विद्युत् आपूर्ति मात्र 10-12 घण्टे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति समस्या को लेकर दिनांक 17-06-2012 को शाम 7.00 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान, शापिंग माल एवं रात्रि 10.00 बजे तक रेस्टोरेन्ट बन्द करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सैकड़ों गांवों में हुये भीषण अग्निकांड में प्रभावित पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच में घाघरा, सरयू, राप्ती नदियों में बालू के अवरोध से तटबन्ध के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की कानपुर के थाना घाटमपुर के अन्तर्गत दिनांक 5-5-2012 को श्री अवधेश कुमार की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। कुछ पर सुना जायेगा, कुछ पर ध्यानाकर्षण किया जायेगा वह जो विशेष उल्लेख है, शेष मा0 सदस्यों श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप एवं श्री वीरपाल राठी की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुई। आप लोग थोड़ा-थोड़ा ग्रह्यता पर बोले। थोड़े में अपनी बात कहें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं लाखों-करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस सवाल को इस उम्मीद के साथ उठा रहा हूं कि जो भी लापरवाही हुई है, जो भी कमी की गयी है, उससे हजारों-लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें अपमान, पीड़ा से गुजरना पड़ा है। मान्यवर, जो क्षमतावान विद्यार्थी हैं, वह चाहे समाज के जिस वर्ग से हो उन्हें अवसर मिलना चाहिये। सामाजिक स्थिति को देखते हुये कि जो पिछड़े वर्ग के छात्र थे, जिनमें क्षमता तो थी, लेकिन साधन नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी, जिसके अन्तर्गत मान्यवर, जिन विद्यार्थियों का चयन मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज या तमाम तकनीकी एवं प्रबन्धकीय विद्यालयों में होता था, मान्यवर, उनका एडमीशन तो हो जाता था, और उनकी जो फीस होती है, उसकी प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार किया करती थी। यह सर्वमान्य सिद्धान्त था और बहुत-ही लोकप्रिय सिद्धान्त था। पिछले कई वर्षों से इस पर एक तरह से डकैती डाली गयी है, मान्यवर, एक तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ मान्यवर, कि जिसे आप सुनेंगे तो इन छात्रों को जिस अपमान और पीड़ा से गुजरना पड़ा है, वह किसी को भी झकझोर देने के लिये काफी है। साल भर छात्र पढ़ रहा है, इसी स्कीम के तहत पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद जब परीक्षा देने की बारी आती है मान्यवर, तब तक जिस कालेज का पैसा रहता है, उस कालेज को नहीं दिया जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, तो बहुत से कालेज ऐसे हैं, जो मानवीय आधार उन्हें एपीअर कराते हैं। बहुत से कालेज ऐसे हैं, जो मानवीय आधार पर नहीं सिर्फ इसी आधार पर कि हम उन्हें नहीं शामिल होने देंगे। मान्यवर, इसमें उन छात्रों का क्या दोष है, उसके अभिभावकों का क्या दोष है, समाज का क्या दोष है ? लेकिन मैं आज चुनौती भरे शब्दों में, मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, कि कृप्या दिखवा लें कि 3-4 सालों से कितने विद्यालयों को जो बैकवर्ड छात्र थे, जिनकी किसी भी कीमत पर फीस प्रतिपूर्ति होनी थी, छात्रों की वह क्यों नहीं की गई और अगर नहीं की गयी तो उसका जिम्मेदार कौन है ? मान्यवर, उस छात्र पर क्या गुजरती होगी, जब उससे क्लास में पूछा जाता है कि तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई तुम आगे नहीं पढ़ सकते। उस छात्र का एक साल पूरा-का-पूरा बर्बाद हो जाता है, उसका इसमें क्या दोष है मान्यवर, वह तो गरीबी से आया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, यह मामला मा0 हुकुम सिंह जी ने एक बार उठाया था और इसी तरह के मामले में एक संसदीय समिति, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें आप भी थे, तो अब इसमें उसी संसदीय समिति की राय आ जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं मान्यवर, उस संसदीय समिति की बैठक जब हो तब हो, लेकिन एक काम तो सरकार कर ले कि तत्काल जो पैसा बकाया है, जो इसको लाने के पीछे मेरा उद्देश्य है मान्यवर, उसकी तत्काल आपूर्ति तो सरकार सुनिश्चित कराये या हमारी समिति बैठती रहेगी और उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि 3 साल पहले के, दो साल पहले के और एक साल पहले के जो मामले हैं, उनकी तो प्रतिपूर्ति कराई जाये। कमेटी बैठेगी, रास्ता हम ढूंढ़ते रहेंगे, लेकिन इन मेधावी छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है मान्यवर, वह तो बन्द हो। मेरा इसे लाने का सिर्फ यह उद्देश्य है कि इन विद्यार्थियों की तत्काल फीस प्रतिपूर्ति करायी जाये और कमेटी बैठकर इस सब पर विचार करती रहे और जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी एक आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उसकी बैठक करके इसका कुछ हल देखिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके निर्णयानुसार हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जो जवाब है, मैं खुद ही उससे संतुष्ट नहीं हूं, वह जवाब पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब बैठते हैं तो उसमें कोई रास्ता निकाल लेते हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें केन्द्र सरकार के पैसे का भी जिक्र है कि हमने लिखा और नहीं आया, तो इसकी बहस यहां ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी जी को सुना, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरा है, मा0 हुकुम सिंह जी का और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक-एक मिनट में हम दोनों बोलेंगे। एक मिनट हम बोलेंगे और एक मिनट डा0 साहब बोलेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, सर्वविदित है और सबकी जानकारी में है कि आज जिस प्रकार से पानी प्रदूषित हुआ और वह पानी पीने के लिये हम मजबूर हैं, क्योंकि शुद्ध पानी पीने के लिये उपलब्ध है नहीं। अब तो बाजार में जो बोतलें बिक रही हैं, मान्यवर, पीने के पानी की वह भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेश की जनता के सामने स्वास्थ्य का एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। कैसे बचें इससे और बचने के लिये व्यवस्था बनी हुई है, प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बना हुआ है, जितने उद्योग प्रदेश में लगेंगे उन सबके अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी लेना पड़ता है। मान्यवर, आज मेरे जैसे सामान्य नागरिक के मन में प्रश्न यह उठता है कि जब बोर्ड बना हुआ है तो क्या कभी बोर्ड अपनी उपलब्धि बतायेगा कि कितने उद्योगों को बन्द कराने या उन्हें मजबूर करने में सफल हुये हैं कि वह प्रदूषित पानी को जमीन में न जाने दें, जो आर्सेनिक पानी है उसे जमीन के अन्दर न जाने दें। मान्यवर, दो प्रकार की बातें सामने आ गईं एक तो यह कि जितने कैमिकल उद्योग लगे हुये हैं या गन्ने से सम्बन्धित जितने उद्योग लगे हुये हैं, सबके पानी को नदियों में डालकर नदियों को प्रदूषित कर दिया गया और शेष प्रदूषित पानी सीपेज के द्वारा जमीन के नीचे पहुंच गया और हम उसे पीने के लिये मजबूर हुये। दूसरा मान्यवर, एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका उद्योगों ने अपनाया, अब पानी बाहर डालने की जरूरत नहीं बल्कि अपने उद्योग के अन्दर ही बड़े-बड़े पाइप लगाकर प्रदूषित आर्सेनिक युक्त पानी को जमीन के नीचे पहुंचा दिया। आगे आवश्यकता इस बात की नहीं है कि पानी जमीन में बह रहा है या नहीं बह रहा है, पानी नदियों में जा रहा है या नहीं जा रहा है, सीधा-सीधा जो जमीन के नीचे का पानी है, जो पानी हमे नलकूप या टंकियों के द्वारा उपलब्ध होता है, उस पानी में वह प्रदूषण सीधे-सीधे जा रहा है। मान्यवर, क्या कर रहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सरकार किसी की भी हो लेकिन आज यह केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है, जिन अधिकारियों के ऊपर इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है वह उसके अभिन्न हिस्से बनकर रह गये हैं। अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना हो, यदि आप उनकी व्यवस्था के अनुरूप न चले तो आपको प्रमाण-पत्र मिलने वाला नहीं है चाहे आप जितने भी संयंत्र लगा लें और संयंत्र न लगायें आप उनको खुश कर दीजिये आप चाहे जो उद्योग लगाइये, चाहे जितना प्रदूषण फैलाइये, आपको प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। मान्यवर, आज आदमी के मरने की चिन्ता नहीं है उन्हें, आज कैंसर ऐसी बीमारी के रूप में समाज के सामने आया जिसका कि कोई इलाज नहीं है। अस्पताल भरे पड़े हैं और गरीब आदमी उस प्रदूषित पानी को पी-पी करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, आखिर कहां जायेगा समाज, कहां जायेगा प्रदेश। मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें और जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके लिये सख्त से सख्त कानून का प्रावधान तो है ही लेकिन मैं चाहूंगा कि उसे दिया भी जाना चाहिये। इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं चौपट होने जा रही है, व्यवस्था यह चौपट हो रही है कि तमाम अस्पताल बनने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और डाक्टर साहब हमारे बैठे हुये हैं, टेक्निकल आदमी हैं, सारी जानकारी उन्हे है वह एक मिनट में अपने विचार रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, इस विषय पर आप बहुत बोल चुके हैं इसलिये एक मिनट में अपनी बात कह दें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें इतने महत्वपूर्ण विषय को कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाने की अनुमति दी है। यह विषय हम लोग सदन के संज्ञान में इससे पूर्व ला चुके हैं। जिस समय मैं इस विषय को लाया था उस समय प्रदेश के 14 जनपद आर्सेनिक प्वाइजन से पीड़ित थे, आज पांच जनपद पीड़ित हैं, जो आंकड़े हम लोगों के पास हैं उसके अनुसार बरेली, चन्दौली, गाजीपुर, बहराइच और गोरखपुर इन पांच जनपदों के अधिकांश ब्लाकों का पानी आर्सेनिक से पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। बस्ती, बलिया, गोण्डा, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर, रायबरेली और बिजनौर इन जनपदों में बहुत अधिक आर्सेनिक प्रदूषण हो चुका है। मुरादाबाद, शाहजहांपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और मेरठ ऐसे जिले हैं, जो धीमे-धीमे आर्सेनिक प्वाइजन की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी प्वाइजनिंग है जो सरकार अपने कृत्यों के नाते नागरिकों को दे रही है। इस भारी प्वाइजनिंग के लिये प्रत्यक्ष रूप से सरकार जिम्मेदार है। जितनी भी डीप बोरिंग हम लोग करते हैं, प्रश्नकाल में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। अगर यह बोरिंग 60 फीट से अधिक और 300 फीट से कम गहरी है तो इस बीच में जितना पानी है वह प्रदूषित है। स्वास्थ्य के लिये जितनी आर्सेनिक की मात्रा हानिकारक होती है इस पानी में उससे अधिक आर्सेनिक की मात्रा है। अधिकांशतः शुद्ध पेयजल देने के नाम पर हम लोग नागरिकों को यही जल पिला रहे हैं चाहे वह ग्राम्य विकास की योजना हो या कोई दूसरी योजना हो।

मान्यवर, चर्चा के बावजूद अगर गतिविधियां वही बनी हुई हैं तो यह जहरीला पानी धीरे-धीरे चमड़े का कैंसर करेगा, लंग का कैंसर करेगा, किडनी का कैंसर करेगा, प्रोस्टेट का कैंसर करेगा, ढेर सारी चर्मरोग की बीमारियां होती चली जा रही हैं, हृदय की बीमारियां इसके नाते हो रही हैं, डायबिटीज की बीमारी इसकी वजह से बढ़ रही है, जो एड्स जैसी बीमारियां आज चर्चा में आ रही हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, पूर्वांचल में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज दिख रहे हैं उनके पीछे भी एक कारक के रूप में यह माना जा रहा है कि चूंकि आर्सेनिक का लेबल बहुत बढ़ गया है इसलिये उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय यहां लाने का छोटा सा उद्देश्य यह है कि शासन की जो जलापूर्ति व्यवस्था है, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, इस पर शासन को पुनर्विचार करना चाहिये और यह जो गहराई 300 फीट से अधिक गहरा है तो कोई बात नहीं अन्यथा अब यह जल सरफेस वटर के सोर्सेज जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, गांव में कुएं बना करके, पॉड्स बना करके और उनसे पाइप लगा करके यदि पानी नहीं दिया जायेगा तो हम स्वच्छ पानी के नाम पर उनको जहर दे रहे हैं और आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय, आप भी यहीं होंगे हम भी यहीं होंगे, एक समय आयेगा जब अधिकांश लोग इन बीमारियों से पीड़ित होंगे और इसी सदन को कोस रहे होंगे कि सदन इसे जानता था, सदन के संज्ञान में यह विषय लाया गया था, प्रभावी मंत्री, ग्रामीण विकास और नगर विकास सब यहीं बैठे थे और उसके बावजूद इस पर कार्रवाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं की गई और यह बीमारी बढ़ गई। अध्यक्ष महोदय, इसे लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसके समाधान उपलब्ध हैं, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बीमारी की भयावहता को पहचानें और समय रहते इस बीमारी पर नियन्त्रण कर पायें या न कर पायें लेकिन कम से कम अपने नाते इस बीमारी को बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन न करें।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रश्न प्रहर में इस विषय पर काफी चर्चा हुई। माननीय सदस्य ने गम्भीर प्रश्न उठाया है हम लोग इस पर बैठ करके विचार करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं एक जानकारी यह भी दे दूं कि मात्र जल निगम ही नहीं, जो रिपोर्ट मेरे पास है उसके अनुसार इसमें यूनीसेफ का भी बराबर सहयोग होता है तो जल निगम और यूनीसेफ मिलकर ही इसमें जांच करते हैं। मान्यवर, घटी है, 51 की सूचना है, लेकिन कोशिश का नतीजा यह हुआ है कि 49 तक आ गया है, दो कम हुये हैं। कोशिश करके और कम करेंगे, जितना कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। सहकारिता आन्दोलन मूलतः किसानों, निर्धन और छोटे व्यवसाइयों, उद्यमियों के लिये वरदान है, जिसमें जिला सहकारी बैंकों की अहम् भूमिका है। उत्तर प्रदेश के 25 जिला सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट 1949 की धारा-35ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कतिपय प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और उक्त अधिनियम में वर्णित धारा-11(1), 22 (ए), 18 एवं 24 का पालन न करने के कारण सन्दर्भित बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेंस भी निर्गत नहीं हुआ और इन प्रतिबन्धों के कारण प्रदेश के 50 फीसदी बैंकों में सामान्य बैंकिंग कार्य बाधित हो गया है। मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि वर्ष 2004 के जिला बैंकों के सन्तुलन पत्रों की संकलित हानियों में है कि वर्ष 2004 के जिला बैंकों के सन्तुलन पत्रों की संकलित हानियों की भरपाई हेतु केन्द्र सरकार, नाबार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एक एम0 ओ0 यू0 हस्ताक्षरित हुआ था और उस एम0 ओ0 यू0 के अन्तर्गत कतिपय विधिक एवं प्रशासनिक सुधारों का क्रियान्वयन नहीं किया गया जिसके कारण केन्द्र सरकार का जो मार्जिन है वह 922 करोड़ रुपये अवरुद्ध है और जिन 25 बैंकों का लाइसेंस रोक दिया गया था उनके 835 करोड़ रुपये थे। आज स्थिति यह है कि इन बैंकों की बहुत बड़ी धनराशि की देनदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ऋण राहत एवं कर्ज माफी की योजनाओं/घोषणाओं में कृषि एवं कृषि उद्योग के ऋणों की वसूली के अनुशासन को भी प्रभावित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला बैंकों को हानि का व्यवसाय करने के लिये बाध्य किया जाता है। मान्यवर, मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट की उपर्युक्त धाराओं का पालन सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंस विहीन 25 बैंकों को 1328.15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इसे वर्तमान में आर0 बी0 आई0/नाबार्ड द्वारा आंकलित किया गया है। मान्यवर, यह बैंक बन्द होने की वजह से लगभग ढाई हजार कर्मचारी और उनका परिवार भुखमरी का शिकार भी हो जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

और आज स्थिति यह है कि प्रदेश में अल्पकालीन ऋण तथा सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा पूर्णतया असफल हुआ है। द्विस्तरीय ढांचा सहकारिता आन्दोलन को मजबूती प्रदान करते हुये सम्पन्न एवं समृद्ध बना सकता है। यही एक मात्र विकल्प शेष है।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, अब सरकार का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। सहकारिता आन्दोलन को समृद्ध बनाने के लिये सरकार को इन बैंकों को वांछित राशि रु0 1328.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना चाहिये तथा स्थायी समाधान के रूप में प्रदेश में द्विस्तरीय ढांचा स्थापित किया जाना चाहिये। यह लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

जो कागज आप लिये हैं वह मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, वह आपके पास आ जायेगा, लेकिन यह एक बहुत गम्भीर मामला है। स्थिति यह हैं कि यदि आपने इन 25 बैंकों के बारे में नहीं सोचा और इसके लिये रु0 1328.15 करोड़ रुपये उपबल्ध नहीं कराये तो पूरे के पूरे को-आपरेटिव बैंक जो उत्तर प्रदेश में है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ेगा और आपका जो मार्जिन केन्द्र सरकार से आना है, आप अपने को उन नियमों के उसके हिसाब से एडजस्ट करिये जिससे केन्द्रांश भी ला सकें। इसमें 825 करोड़ रुपया उन बैंकों का भी शामिल है। इन बैंकों को चलवाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इतने नादान तो नहीं हैं। अपने प्रधानमंत्री जी से एक बार आप कह देंगें, वह तो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। सब कुछ उन्हीं के अख्तियार में है, वह चाहेंगे तो यह सिस्टम जिन्दा रहेगा, नहीं चाहेंगे, नहीं जिन्दा रहेगा। सब कुछ वहीं से तो आया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप तो बाल को तत्काल इधर ही हिट कर देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ये सारे बैंक आपकी कृपा पर चलते हैं।

*प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और वित्तीय मामलों के ज्ञाता हैं। 2004 में दिल्ली में जो एम0 ओ0 यू0 साइन हुआ उसके अन्तर्गत 922 करोड़ रुपया सेण्ट्रल का इसलिये बाधित हो गया क्योंकि उस एम0 ओ0 यू0 के अनुसार जो विधिक और प्रशासनिक सुधार यू0 पी0 की सरकार को लागू करना चाहिये था वह लागू नहीं किये गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिणाम यह हुआ कि 922 करोड़ रुपया ब्लाक हो गया। आपसे निवेदन है कि 2500 कर्मचारियों की जिन्दगी का सवाल है। पूरे सहकारिता आन्दोलन में आधे बैंक आपकी सहकारिता के बन्द पड़े हैं, इस पर थोड़ा विचार करें कि किस तरह से इसको रिवाइव कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करने के लिये कुछ धनराशि चाहिये। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर आप विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपको सारी स्थिति मालूम है और यह भी मालूम होगा कि जब सरकार छोड़ी थी तो सहकारिता आन्दोलन कहां तक पहुंच चुका था और बैंकों के पास कितना पैसा था ? आज इन पांच वर्षों में क्या स्थिति हुई है, कितने नंगे हो गये हैं बैंक ? बैंकों की हालत क्या है उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर यकीनन विचार होना चाहिये और यह सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने हुकुम सिंह जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना था, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता हैं इसलिये इसे भी अग्राह्य करता हूं।

माननीय श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मात्र दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ध्यानाकर्षण पर बोला नहीं जाता है।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वाराणसी से चुनकर आता हूं और आप जानते हैं, भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के मानचित्र पर वाराणसी का एक प्रमुख स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से व शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग भी हैं, व्यवसाय भी है और स्थानीय निवासी तो हैं ही। इसके अतिरिक्त हजारों देशी, विदेशी लोग वहां पर आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की इस कदर किल्लत उत्पन्न हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर इतनी चर्चा हो गयी, बजट पर भी चर्चा हो गयी। आप आधा मिनट बोल लीजिये, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करा देता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप हमारे ऊपर इतने कठोर क्यों हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर इतनी चर्चा हो गई बजट हो गया। आप एक सेकेण्ड बोल दें मैं ध्यान आकृष्ट किये देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी आप हमारे ऊपर इतना कठोर क्यों हो रहे हैं अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

बिजली पर इतनी चर्चा हो गई आपकी भी बात आ गई।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी इतना मेरे ऊपर कठोर न हों मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अध्यक्ष जी रात को एकाएक बिजली कटौती चालू हो जाती है। लोग सोते-सोते उठ जा रहे है बीमार पड़ जा रहे हैं। एक दिक्कत और हो रही है ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। पानी की घोर किल्लत हो जा रही है। लोगों के लिये दिनचर्या करना मुश्किल हो गया है। मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं मेरा वहां रहना मुश्किल है मैं भागकर विधान सभा आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

सदन ज्यादा दिन चलेगा आप यहीं रहिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अगर लोग मुझे पा जायें तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार से कहें कि कम से कम जो शेड्यूल है 20-22 घण्टे बनारस का शेड्यूल है कम से कम उतनी बिजली तो दिला दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी दो ही तो दादा इस देश में। एक श्याम दादा और एक प्रणव दादा। प्रणव दादा राष्ट्रपति हो रहे हैं कुछ इनका भी इंतजाम करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह आप ही चाहेंगे तब इनका कुछ होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य भागकर आये हैं और कितना फायदेमन्द है भागकर आना। टी0ए0डी0ए0 सब मिलेगा। इतना शुभ है सदन साल भी चले हम भागे यहीं रहेंगे। जायेंगे ही नहीं क्षेत्र में। दूसरी बात आपने यह कही कि जाने क्या कर देंगे लोग अरे इस उम्र में आपका क्या करेंगे। इस पर एक बढ़िया शेर सुन लीजिये। बिठाके यार को पहलू में रात भर गालिब-बिठाके यार को पहलू में रात भी गालिब जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य को सुना संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को आपकी कृपापूर्वक अनुमति से उठाने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश को ब्लैक आउट करने के लिये एक योजना सारे अखबारों में छपी है। कल एक तुगलकी आदेश जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि शाम को सात बजे के बाद कोई व्यवसायिक काम नहीं होगा। सारी की सारी दुकानें बन्द कर दी जायेंगी और रात को सारी स्ट्रीट लाइट बन्द कर दी जायेगी। सारे माल बन्द कर दिये जायेंगे। नौ साढ़े नौ बजे तक रेस्टोरेन्ट बन्द कर दिये जायेंगे। मान्यवर, बिजली की किल्लत तो थी और उसके बारे में चर्चा भी हो गई थी मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर बड़े विश्वास के साथ बोला था हम सब लोगों ने उसे आदर और विश्वास के साथ सुना था। आज स्थिति यह है कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक आउट है। आज सारे समाचार पत्रों में यही खबर है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की बिजली है ही नहीं। समाप्त हो गई है। क्या पनकी का उत्पादन शून्य हो गया है। आज यह आदेश हुआ कि सुबह 11 बजे से शम 7 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। 11 बजे धूप चरम पर होती है इतनी गर्मी और लू में आदमी 11 बजे घर से निकलना बन्द कर देता है। शाम को 6 बजे के बाद जिस समय उसको निकलने का अवसर आयेगा तो दुकानें बन्द हो जायेंगी। दोपहर के समय आपकी घोषित विद्युत् कटौती है। उसके अलावा अघोषित विद्युत् की कटौती है। उसके बाद यह तुगलकी आदेश है। मान्यवर, बड़े शहरों में पीने के लिये पानी नहीं है। बिजली नहीं आयेगी तो ट्यूबवेल नहीं चलेगा जिससे पानी नहीं आयेगा। उद्योग बन्द हैं उद्यमियों ने अपनी चाभियां सम्बन्धित जिले के अधिकारियों को सौंपनी शुरू कर दी हैं। इण्डस्ट्री समाप्त है। बिजली है नहीं दुकानें बन्द हैं। बच्चे रात को सो नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिये। आज हालत यह कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं लेकिन बहने बेटियां कहती हैं कि आपके यहां उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती है इसलिये नहीं आयेंगे। अगर शाम को किसी को घुमाने ले जायें तो वह भी नहीं ले जा सकते क्योंकि शाम को दुकानें बन्द हो जाती हैं। किस हालात में आदमी जीने के लिये मजबूर हो रहा है। तप रहा है एक शब्द है रोस्टिंग का आप बिजली की रोस्टरिंग करते हैं उस दिन आमिष और निरामिष के बारे में चर्चा हुई थी मुर्गा। भी रोस्ट होता है इस समय प्रदेश की जनता रोस्ट हो रही है। बिजली के इस हाहाकार के कारण कानपुर महानगर में। यह आदेश तो सारे प्रदेश के लिये है। मान्यवर, कानपुर जैसे बड़े शहरों में इस आदेश के कारण और बिजली की कमी के कारण आम जनजीवन बिल्कुल ठप हो गया है। मान्यवर, यह आदेश कल का है कि 7 बजे शाम के बाद से दुकानें बन्द हो जायेंगी तो आदमी खरीदारी के लिये जायेगा कहां। यह तो आप आम आदमी को रोस्टर नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। मान्यवर, यह प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है। उद्योगों से सम्बन्धित है। मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कोई आदेश नहीं है सुझाव है। आपको मालूम है कि प्रदेश में बिजली की क्राइसेस है। एक तो कोयला नहीं है। और कुदरती भी कमी है कि बारिश नहीं हो रही है। मान्यवर, इसको कोई स्टोर तो किया नहीं जा सकता है। गैस तो है नहीं। परेशानी आप सबके सामने है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो आपने जो रोस्टरिंग की बात कही है उसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। किसी जिलाधिकारी को किसी फैक्ट्री वाले ने चाबी नहीं सौंपी है। मान्यवर, आपने कहा कि लोग दिन में निकलते नहीं हैं। और शाम 7 बजे निकलते हैं। तो ऐसा आप की तरफ से क्या सुझाव आ सकता है कि दिन में बन्द कर दिया जाये और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक खोल दिया जाये। यह हल आप ही ने बताया है कि दिन में लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, इस आदेश से कानपुर नगर में व्यापारी परेशान हैं इसको वापस लेने का काम सरकार करे और वहां लोगों को पूरे समय बिजली दी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत से अरेबियन कन्ट्रीज हैं जहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है वहां पर दिन में दुकानें बन्द रहती हैं और रात में खुलती हैं। अगर आप कहें तो यह आप का सुझाव हो सकता है। यह आप जानते हैं कि माल्स में दिन में बिजली बहुत खर्च होती है। दिन में उनमें एसी का लोड बढ़ जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी सरकार घोषणा करती है कि 24 घंटे बिजली देंगे 24 घंटे बिजली देंगे यह सारे प्रदेश में आप की घोषणा की गूंज फैल रही है। आज स्थिति यह है कि आप बिजलीघर चला नहीं पा रहे हैं ओर दूसरी ओर शाम होते ही सारे बाजार बन्द करा रहे हैं। मान्यवर, आपकी बिजली की अव्यवस्था से सारी जनता, विद्यार्थी और व्यापारी परेशान हैं आप कहते हैं कि बिजली कहां से आयेगी आप उसको खरीदें। माल तो रात में ही चलते हैं। आपने यह कह दिया कि यह आदेश नहीं हैं सुझाव है। यह अखबार की यह मुख्य खबर है और उसमें यह भी है कि अगर उसमें किसी तरह का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्यवाही होगी तो यह आदेश माना जाये या सुझाव माना जाये। अब यह आदेश माना जायेगा, प्रस्ताव माना जायेगा या सुझाव माना जायेगा यह आप ही स्पष्ट कर दें मान्यवर, कम से कम कुछ बात तो स्पष्ट हो अगर यह प्रस्ताव है कि जो मानेगा मान लेगा जो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, कार्यवाही तो नहीं होने की, यह बात स्पष्ट करा दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, श्रमायुक्त के यह निर्देश हैं और श्रमायुक्त का यह बयान है, किसी का स्टेटमेन्ट नहीं है, अखबार का समाचार नहीं है। श्रमायुक्त का बयान है कि शासनादेश का सख्ती के साथ पालन किया जायेगा और जो भी उसको खोलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, यह सरकार का कोई सुझाव के रूप में नही है, यह स्पष्ट आदेश है। जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है कि वह जो आदेश है वह सुझाव के रूप में उन आदेशों को वापस ले लेंगे, कार्यवाही तो नहीं करेंगे जो लोग खोलेंगे शाम 7 बजे के बाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दोनों माननीय सदस्यों को प्रश्न भी मालूम है जवाब भी मालूम है। मान्यवर, जो श्रम आयुक्त का स्टेटमेंट है वह जिस वक्त तक बाजार खुलने का है उसका कड़ाई से पालन, उस समय के बाद जो खोलेंगे उन पर कड़ाई की बात है। सारी रात आप खोले रहेंगे माल, नहीं जो समय है।

श्री हुकुम सिंह-

समय तो 9.00 बजे तक का है इसको साफ कर दें 7.00 बजे तक का नहीं है कहीं पर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

महाना जी से पूछ लें कब तक का है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, 9.00 बजे तक का है, आप 9.00 बजे तक करा दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कोई समय सीमा उसके उस बयान में नहीं है। अखबारों का संज्ञान तो यहां लिया नहीं जाता है, अखबारों में तो जाने क्या-क्या छपा था आपके बारे में अभी चुनाव में तो क्या हार गये आप। तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता लेकिन जो समय सीमा है बाजार खुलने की उससे आगे बढ़ेंगे तो कड़ाई से उसका पालन कराया जायेगा।

अच्छा बताइये, क्या कड़ाई से पालन हुआ, किसी का चालान हुआ, अरे मान्यवर, थोड़ी डराने की कोशिश कर रहे हैं, डर गये डर गये, नहीं डरे तो नहीं डरे।

श्री अध्यक्ष-

आप कह देंगे तो कोइ डरेगा भी नहीं। अब आज बजट बहुत है महाना जी, अब हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बिजली को लेकर चारों तरफ हाहाकार है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बिजली के बारे में बात साफ होनी चाहिए। बनारस में हाल यही, माननीय चौधरी साहब ने उठाया।

मान्यवर, कुछ तो बात आये सरकार की तरफ से। मान्यवर, अगर इतना भी आश्वासन हमको नहीं मिलता है कि शहरों में बिजली की आपूर्ति होगी, पानी की आपूर्ति होगी तो आखिर कहां जायेगा यह उत्तर प्रदेश। यहां की जनता कहां जायेगी, यहां का किसान कहां जायेगा, यहां का व्यवसायी कहां जायेगा। सरकार के इस रवैये के विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचनाएं श्री राम चन्द्र यादव जी की है और श्री मुकुट बिहारी वर्मा और राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज जी का है इस सब पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बिजली की हालत बहुत खराब है। यह बहुत गम्भीर मामला है, गरीब दुकानों को दुकानदारी से रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

छठीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव जी की जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सैकड़ों गावों में हुए भीषण अग्निकाण्ड में प्रभावित पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सातवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच में घाघरा, सरयू, राप्ती नदियों में बालू के अवरोध से तटबन्ध के कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, आठवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की कानपुर नगर के थाना घाटमपुर के अन्तर्गत दिनांक 5-5-2012 को श्री अवधेश कुमार की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

माथुर साहब, आप किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं सरकार की जनविरोधी नीति के कारण अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश प्रताप जी आप काहे हाथ उठाये हो, तिवारी जी उधर जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं आप किधर जायेंगे सोच लीजिए।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या 7 ले रहे हैं वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इतना जरूर था कि तिवारी जी इसका ख्याल रखते थे कि अगर भाजपा किसी इश्यू पर वाक आउट करती है तो कांग्रेस का वाक आउट नहीं कराते थे। प्रदीप माथुर जी ने आज भाजपा का पहली बार सहयोग दिया है पहली बार ऐसा हुआ है, प्रमोद तिवारी जी होते तो वह ऐसा नहीं करते।

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,54,47,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

बजट अनुदान को एक साथ प्रस्तुत करने का सुझाव

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 नेता विरोधी दल, ये सब को एक साथ रखवा के, एक बार जो जिस पर बोलना चाहे बोले कि अलग-अलग कटौती कराके, अलग-अलग चर्चा हो, या तो कटौती करा दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आधे-आधे घण्टे में सबका अलग-अलग कर दीजिये।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा पर मतदान अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (क्रमागत)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, हम प्राविधिक शिक्षा, अनुदान सं0-47 के कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सदन के बीच कुछ बातें रखना चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रदेश में दो तकनीकी विश्वविद्यालय क्रमशः लखनऊ और नोयडा में स्थित है तथा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 07 इंजीनियरिंग कालेज एच0बी0टी0आई0 कानपुर, बी0आई0ई0टी0 झांसी, यू0पी0टी0टी0आई0 कानपुर, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर, के0एन0आई0टी0 सुल्तानपुर, आई0ई0टी0 लखनऊ तथा लखनऊ कालेज आफ आर्किटेक्चर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में 317 बी0टेक0 की शिक्षा देने वाली तथा 381 एम0बी0ए0 एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कराने वाली व्यावसायिक संस्थायें हैं। राज्य नियंत्रणाधीन सरकारी इंजीनयिरिंग कालेज तथा निजी क्षेत्र की कतिपय अच्छी अभियंत्रण संस्थाओं में स्नातकोत्तर, एम0टेक0 स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रदेश के दोनों विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु शोध कार्य करते हुये पी0एच0डी0 की उपाधि भी प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में 02 इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना प्रदेश में की जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये वर्तमान में 78 राजकीय पालीटेक्निक, 19 अनुदानित पालीटेक्निक एवं 171 निजी क्षेत्र के पालीटेक्निक संचालित है। प्रदेश के जिन जनपदों में वर्तमान में 54 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन है तथा 07 छात्रों के छात्रावास एवं 52 छात्राओं के छात्रावास निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्क वर्ग के छात्र-छात्राओं के कल्याणार्थ एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत 15 जनपदों में 17 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन राजकीय पालीटेक्निक छात्रावास एवं इंजीनियरिंग कालेज के शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं शिक्षण कराये जाने की सरकार की प्राथमिकता है। तकनीकी शिक्षा में निरंतर गुणवत्ता की वृद्धि लाने हेतु एवं आधुनिक औद्योगिक मांग के अनुसार तकनीकी रूप से पूर्णतया कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उद्योग को उपलब्ध कराये जाने एवं सुनिश्चित कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय से शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निंरतर सभी पाठ्यक्रमों का रिवीजन एवं रिव्यू किया जाता है। शिक्षकों का निरंतर परीक्षण किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा डिग्री स्तर पर तथा डिप्लोमा में गुणवत्तापरक तथा रोजगारपक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में निजी निवेश आकर्षित करने का माहौल हमारी सरकार तैयार कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर की सभी अभियंत्रण संस्थाओं में

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा विकलांग छात्र-छात्राओं को क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। डिग्री डिप्लोमा स्तर पर संचालित संस्थाओं में संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराके पारदर्शी तरीके से प्रवेश दिलाया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, कम्युनिटी डेवलपमेण्ट थ्रू पालीटेक्निक योजना के अन्तर्गत 26.67 करोड़ रुपये का आय-व्ययक में प्राविधान प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 35 हजार रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में युवकों-युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों से प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगारपरक बनाया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, गत वर्ष प्राविधिक शिक्षा विभाग, आप जानते हैं कि लगभग 5 सालों से लगातार बुरे तरीके से, तमाम तरीके से घोटाले घपलेबाजी करके, पैसे लेकर एडमीशन करना तमाम तरीके से मैनेजमेंट से सैटिंग रखना, जिस तरीके से चाहें लूटें खायें। इस तरीके से व्यवस्था थी लेकिन मान्यवर, गत वर्ष जो इसका बजट था और इसी तरीके से इन्होंने बजट में प्राविधान भी कराया था। गत वर्ष प्राविधिक शिक्षा विभाग में आयोजनागत बजट 1 अरब, 99 करोड़, 64 लाख, 47 हजार मात्र था जबकि हमारी सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये इस वर्ष इसे बढ़ाकर रुपया 2 अरब 95 करोड़, 22 लाख, 17 हजार रुपये कर दिया है। इस प्रकार गत वर्ष आयोजनेत्तर बजट 1 अरब, 49 करोड़, 43 लाख, 94 हजार मात्र था, इस वर्ष बढ़ाकर के 1 अरब, 79 करोड़, 81 लाख, 94 हजार कर दिया गया है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर के डिग्री तथा डिप्लोमा धारकों को रोजगार देने के लिये प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या-47 हेतु आवंटित परिव्यय रुपया 100 करोड़ है। आयोजगत पक्ष में 2 अरब, 95 करोड़ 22 लाख और आयोजनेत्तर पक्ष में 1 अरब, 79 करोड़ 22 लाख का आय-व्यय प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने कुछ नई योजनाओं का प्राविधान इस बजट में किया है जैसे सोनभद्र तथा कन्नौज जनपदों में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, नये पालिटेक्निक की स्थापना हेतु 5 करोड़, 20 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कन्या विद्या धन योजना आप जानते हैं कि हाई स्कूल व इंटर की कक्षा पास करने पर हमारी सरकार ने जो पहली बार 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन की योजना बनाई थी। हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना जितनी भी गरीब कन्याएं हैं उनको प्रोत्साहन दिये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया है। बी0पी0एल0, ए0पी0एल कार्ड धारक परिवारों में कक्षा 10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिये अनुदान के लिये रुपये 2 करोड़ की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 2003-04 में हमारी सरकार बनी थी और

(इस समय 01 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री आरिफ अनवर हाशमी पीठासीन हुये)

आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे उस समय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये तमाम योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलती थी। यहां से लेकर भारत सरकार तक तमाम योजनाएं चलती थीं और उन योजनाओं के लिये अरबों, करोड़ों रुपये खर्च होता था। जो गरीब तबका है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके अन्दर शिक्षा की जागृति पैदा हो सके भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक ने अरबों, खरबों रुपये इन योजनाओं में फूंके। तमाम तरह से प्रचार प्रसार किया जाता था, आपने देखा होगा, कहीं दीवारों पर लिखा जाता था, गांव में कैम्प लगा-लगा करके लोगों में शिक्षा की जागृति लाने का प्रयास किया जाता था लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि उससे हमारे

गांव के दो परसेन्ट लोग भी, हमारे गांव की दो परसेन्ट बच्चियां, हमारी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाई थीं। लेकिन 2003-04 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को यह महसूस हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो गांव से निकला हुआ हो, जो गांव की तकलीफों को समझा हो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी गांव से निकले थे और गांव की तकलीफ को समझते थे इसलिये उन्होंने कन्या विद्या धन योजना का आगाज किया और जब प्रदेश में कन्या विद्या धन का आगाज हुआ तो प्रदेश में 50-60 परसेन्ट तक हमारी ऐसी बच्चियां जो गांव में शिक्षा विहीन रहती थीं उससे उनमें जागृति आई। उसे आप देखते होंगे कि गांव में तमाम ऐसी महिलाएं जिनके पति बाहर रहते थे और बाहर से चिट्ठी भेजते थे तो वह लेकर दौड़ती थी। गांव-गांव में कि कोई पढ़ा लिखा आदमी उसकी चिट्ठी को पढ़ दें लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी गांव में रहते थे, उन्होंने ऐसी जागृति फैलाई। वह 20 करोड़ रुपये खर्च करके उत्तर प्रदेश में लाये और आज हम जानते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर की बच्ची शिक्षित न हों और आगे न बढ़ रही हो। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि उसके बाद जब बी0एस0पी0 की गवर्नमेन्ट आई तो इतनी बड़ी योजना जिससे समाज में जागृति आ रही थी, हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ रही थीं उस योजना को समाप्त कर दिया लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, नेता सदन को जो सदन में बैठे हैं 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन जारी किया था।

आप जबसे प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, आपने उसमे चार चांद लगा दिया और पूरे प्रदेश को मैसेज दिया कि बहनों तुम गांव से आगे निकलो आज की डेट में तुम्हारा भाई मुख्य मंत्री है। जो योजनायें बंद थी उनको चलाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने पढ़े-लिखे मुख्य मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम जानते हैं कि इतना पढ़ा लिखा मुख्य मंत्री नहीं रहा है। आप जानते हैं अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी की अलग सोच है। अध्यक्ष जी, कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके पिता जो करके जाते हैं वह सोचता है कि साइड लाइन लगाकर दूसरे तरीके से अपनी उपलब्धि हासिल करूं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने पिता जी के जो हम लोगों के मा0 नेताजी हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर जो काम किया है वह बधाई के पात्र हैं और सदन की ओर से, और जो उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता है उसकी तरफ से हम मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। श्रीमन् अब इस पर विस्तार से चर्चा दीपक पटेल करेंगे।

*श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे प्राविधिक शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2012-13 के कटौती प्रस्ताव पर बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आज जो बजट इस विभाग का प्रस्तुत किया है इसको पढ़कर यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतीत होता है कि बजट में जो विसंगतियां हैं यह यथास्थिति रूप में अगर पारित हो गया तो इसके बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में एक तरफ सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों पर गरीब जनता का धन लुटाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कालेज, जो संस्थान बंद हो रहे हैं उनको बन्द करने का भी प्रयास किया गया है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार, लाखों-लाख छात्रों के साथ, जिसके साथ अभिभावकों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, पर इतनी असंवेदनशील और अदूरदर्शी क्यों है। मैं कहना चाहूंगा कि बजट पुस्तिका के पेज-2 के बिन्दु-1 पर विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के कालेजों को भी सरकारी धन उपलब्ध कराया जा रहा है। मान्यवर, इस पूरी बजट पुस्तिका में इसका विवरण दिया हुआ है कि दस संस्थान जिसमें तीन निजी क्षेत्र के हैं और सात सरकारी क्षेत्र के हैं इन पूरे के ऊपर 6250/- लाख रुपये का धन सरकार गुणवत्ता सुधार हेतु दे रही है। मैं जानना चाहूंगा कि सात जो सरकारी क्षेत्र के हैं। इनका तो ठीक है, लेकिन जो निजी क्षेत्र के तीन इंजीनियरिंग कालेज हैं, इनको किस आधार पर चयनित किया गया। इनके पीछे क्या उद्देश्य था, यह जांच का विषय है। मान्यवर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सात सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज में 40 से 50 हजार के बीच फीस ली जाती है लेकिन यह जो तीन जो निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज जो हैं इनमें 80 से 90 हजार तक की फीस ली जाती है। अगर सरकार इनको सहायता दे रही है तो इनकी फीस भी सरकारी कालेजेज के हिसाब से होनी चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ-साथ पेज-3 के बिन्दु 2 में यह लिखा गया है कि जो भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उसमें खासतौर से बी0टेक0 के पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता है विज्ञान, गणित विषयों के साथ इण्टरमीडिएट हो, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि समस्त संस्थायें जो संचालित हो रही है यह ए0आई0सी0टी0ई0 के आदेश पर संचालित होती हैं और अकेला हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, हमारा जो प्राविधिक विश्वविद्यालय है, बार-बार लिखकर भेजा जाता है कि इसकी कटआफ 60 फीसदी कर दी जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है? आज हमारे प्रदेश का जो छात्र 50 फीसदी अंक पा रहा है, जो सेकेण्ड डिवीजन पास हो रहा है, क्या उसे अपने प्रदेश में इंजीनियरिंग करने का हक नहीं है? पूरे देश में 50 फीसदी अंक पाने वाला छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है और उत्तर प्रदेश में प्राविधिक विश्वविद्यालय और हमारे जो लोग हैं, जो अपने को बहुत योग्य कहते हैं, बार-बार कहते हैं कि यहां पर 60 फीसदी से कम अंक पाने वाले छात्र इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेंगे। मान्यवर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यहां के लोग मजबूरी में अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। मान्यवर, एक चार्ट इन्होंने दिया है कि गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय में समस्त छात्रों की मासिक उपस्थिति का प्रेषण एक इन्टरेक्टिव वेब अप्लीकेशन साफ्टवेयर द्वारा संस्थानों से विश्वविद्यालय को की जा सकती है।

मान्यवर, यह बहुत ही भ्रामक है, यदि आप स्वयं आज की डेट में दिखवा लें, कहीं से न तो यह काम कर रहा है, यह सदन को गुमराह करने वाला है। मेरा प्रस्ताव है कि इसकी जांच करानी चाहिए। मान्यवर इसमें बहुत सारी विसंगतियां है। मैं चाहता हूं कि इस बजट के अलावा भी आप इस विषय पर अलग से समय दें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जैसा अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि अभी तक इस वर्ष के विशेष कर दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कालरशिप नहीं गयी है। पुनः रिजल्ट आ गए हैं, कौन्सिलिंग की डेट आ गई है, एडमिशन की तिथि निर्धारित हो रही है। किन

परिस्थितियों में इस वर्ष का एडमिशन संस्थान लेंगे, जबकि पुराने वर्ष की प्रतिपूर्ति ही नहीं हो पायी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह बहुत गंभीर मामला है, इससे प्रदेश के लाखों-लाख छात्रों और उनके अभिभावकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारा आपसे निवेदन है और सरकार को सुझाव है कि अपने बजट में संशोधन करके इन चीजों को जरूर शामिल करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उच्च शिक्षा से सम्बन्धित इस विभागीय अनुदान की बहस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

प्राविधिक शिक्षा विभाग का बजट रखा गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अच्छा, तीनों विभागों का बजट एक साथ नहीं रखा गया है। तीनों एक साथ कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया था कि यह तीनों बजट अलग-अलग रख लिये जाएं। इसमें अब अध्यक्ष जी की व्यवस्था हो गयी है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जैसा कहा था, यह उचित है कि अलग-अलग रख लिए जायें और अलग-अलग कटौती आ जाये। पारण मान्यवर, एक साथ होगा यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष सहमत होते हैं तो अगली मत ले ली जाए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा, सभी अनुदानों के बजट प्रस्तुत हो जायें और उस पर कटौती आ जाए और चर्चा आरम्भ हो जाये और सभी लोग उसमें सामूहिक रूप से हिस्सा ले लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसी परम्परा रही है, जब 3-4 एक जैसे विभाग जैसे तकनीकी शिक्षा, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा आदि हैं।, माननीय मंत्रीगण अब एक साथ रख देते हैं, कटौती अगर एक कोई रखता है तो रख देता है, अगर अलग-अलग रखते हैं तो रख देते हैं, उसमें माननीय सदस्यों को सहूलियत हो जाती है क्योंकि उनको बोलने का अवसर कम मिलता है और जब उन्हें अवसर मिलता है तो वह अपनी बात उच्च शिक्षा पर भी कह लेंगे, तकनीकी शिक्षा पर भी कह लेंगे और शिक्षा पर भी कह लेंगे। मेरा नेता विरोधी दल से एक आग्रह है कि अगर इसे स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा है, सारे प्रस्ताव आ जाने दीजिए और इधर से कटौती आ जाए और जब सदस्य बोलें तो अपनी इच्छा के अनुसार वह जिस पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं, वह दे लें, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित रहेगा, यही परम्परा रही है। एक नई चीज हम आज सुन रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह बात आई थी कि सब बजट एक साथ रख लिये जाएं। नेता विरोधी दल जी की आपत्ति हुई, उनका सुझाव था कि मदवार रख लिया जाए और उसी पर माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई। यदि नेता विरोधी दल इस बात से सहमत हों तो एक साथ रख दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम सहमत हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा का भी प्रस्तुत कर दें

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,15,62,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-69, व्यावसायिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,42,21,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूं और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखने का मुझे अवसर मिला है। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि यह विभाग माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी के पास है। मान्यवर, शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। राष्ट्र की उन्नति एवं विकास की कुंजी है और सम्पूर्ण मानवता के आदर्शो का स्तम्भ है। इन उद्देश्यों की पूर्ति और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवा वर्ग को तैयार करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा तंत्र की है। सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना और परम्परा को बनाकर रखने के दायित्व भी शिक्षा विभाग का है। इसलिए उच्च शिक्षा से ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदला जा सकता है। मान्यवर, इसके संदर्भ में मैं कुछ सुझाव के रूप सदन को अवगत करना चाहता हूं। उससे पहले मैं अपने देश और प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, 1950 से 2011 के बीच देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर लगभग 500 से अधिक तक पहुंच गयी है। देश में कालेजों की संख्या 500 से बढ़कर लगभग 22000 तक पहुंच गयी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या 14 लाख 5 हजार 864 और छात्राओं की संख्या 10 लाख 67 हजार 265 आयी है। यानी आज 2011-12 में उत्तर प्रदेश में जो सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या है यह 24 लाख 73 हजार 129 आती है। जैसा कि आपके बजट में पेज संख्या 42 में भी स्थित है। मान्यवर, इसी तरह प्रदेश के जो राज्य सम्पोषित विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 13 हैं और हर साल कालेज में प्रवेश लेने वाले लगभग 25 लाख छात्र इन विद्यालयों से रोजगारपरक शिक्षा लेने का अवसर ढूंढते रहते हैं। मान्यवर, समय-समय पर शिक्षा में सुधार के लिए तमाम कमेटियों का गठन भी हुआ करता था, मैंने जैसा अध्ययन किया लाइब्रेरी से अन्य स्रोतों से तो मान्यवर, पूर्वान्चल के लिए उच्च शिक्षा विकास के लिए दो कमेटी बनी थी एक छाबड़ा कमेटी बनी थी, एक राममूर्ति कमेटी बनी थी। मान्यवर, दोनों कमेटियों ने पिछड़े क्षेत्रों में चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हों, पिछड़े क्षेत्रों का संज्ञान लिया इन दोनों कमेटियों ने और इन लोगों ने प्रोफेशनल एजूकेशन का राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने की आवश्यकता बताई थी, लेकिन मान्यवर, यह ढांचा आज, लेकिन मान्यवर, यह ढांचा आज तक तैयार नहीं हो पाया, जिसका परिणाम विशेषतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश जेसे पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भुगतना पड़ता है। मान्यवर, यही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे छात्रों को एक तरह से बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री है। मान्यवर शिक्षा की बदहाली पर एक बार और पटेल आयोग की रिपोर्ट आई थी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में उच्च शिक्षा की दयनीय हालत को सुधारने के लिए क्रेश प्रोग्राम की जरूरत बताई और लोक सभा में भी बहुत पुरानी बात है, सांसद विश्वनाथ सिंह बहमनी ने संसद में यहां की युवा पीढ़ी के दर्द को जो मार्मिक बयान दिया था उसे तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू सुन कर के उनकी आंखें भी नम हो गई जैसा कि यह लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मान्यवर, एक और सुझाव आया था एक राष्ट्रीय समिति बनी थी कि जो राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी है उसका उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्यों में 6 प्रतिशत उपयोग होना है किन्तु उत्तर प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कुल 3.8 प्रतिशत का ही उपयोग हो सका। मान्यवर, यह भी गम्भीर चिन्ता का विषय है। मान्यवर, उच्च शिक्षा में सुधार के बारे में हमारे कुछ सुझाव है मान्यवर, दुःखद है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के लगभग 16 हजार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं जबकि हमारे महाविद्यालय में, जो महाविद्यालय हैं हमारे प्रदेश के जैसा कि जो आंकड़ा दिया गया है 2009-2010 में हमारे छात्रों की संख्या थी 19 लाख 95 हजार 77 वर्तमान में यह संख्या बढ़ कर के 24 लाख 73 हजार 129 हो गई यानी लगभग 25 लाख। मान्यवर, 2009 में यह संख्या 20 लाख और 2011-12 में यह संख्या लगभग

25 लाख हो गई। मान्यवर, जो कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ हमने अध्ययन किया है यह केवल सुझाव के लिए हम बता रहे हैं कि हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। मान्यवर, लगभग पांच लाख एक साल में हमारे छात्र इजाफा किये, बढ़ोत्तरी किये और इसकी तुलना में हमारे अध्यापक कितने हैं मान्यवर, 2009-10 में 15 हजार 539 हमारे सम्मानित प्रोफेसर थे, वर्तमान में 15 हजार 567 मान्यवर, मात्र एक साल में हम सिर्फ 28 प्रोफेसर बढ़ायें हैं और हमारे छात्रों की संख्या कितनी बढ़ी है, पांच लाख। तो आप सोच सकते हैं कि पांच लाख छात्रों की मानीटरिंग 28 प्रोफेसर कैसे कर पायेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात की तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जैसा कि जो संज्ञान में आया है मान्यवर, पहले जब तक आयोग से प्रोफेसर, अध्यापक नहीं रखे जाते थे तब तक प्राचार्य के जिम्मे इतना अधिकार होता था कि वह मानदेय पर अध्यापक रख लेते थे और उनका जो अनुबन्ध होता था उन मानदेय पर अध्यापक रखने का, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता था कि जब अयोग से या किसी भी चयन व्यवस्था से इस पद के प्रोफेसर या असिस्टेन्ट प्रोफेसर जब चुनकर आयेंगे तो फिर यह मानदेय पर जो रखे गये हैं यह स्वतः इनको हटा दिया जायेगा, लेकिन मान्यवर, यह भी व्यवस्था समाप्त हो गई है। यह भी अधिकार खत्म हो गया है, अब आप मानदेय पर भी नहीं रख सकते हैं। मान्यवर, कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे किसी कालेज में एक सब्जेक्ट है और उस एक सब्जेक्ट में एक ही अध्यापक है, एक ही प्रोफेसर है, मान लीजिए उनका रिटायरमेण्ट हो गया। या कभी वह अवकाश पर चले गए तो पूरी तरह उस महाविद्यालय में उस सब्जेक्ट की पढ़ाई जितने दिन वह अवकाश पर रहते है, पूरी तरह से बाधित रहती है। इसमें मेरा सुझाव है कि हर सब्जेक्ट के कम-से-कम दो प्रोफेसर रहे या दो अध्यापक रहें। इससे यह होगा कि यदि एक का रिटायरमेन्ट हो जाता है या किसी विशेष अवकाश पर चले जाते हैं तो उस महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में, उस विषय की शिक्षा बाधित नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

श्री उमाशंकर-

मा0 जो कुछ भी बता रहा हूं, अगर कहीं गलत होगा तो फिर मुझे बताइएगा। थोड़ा सा समय लेंगे मान्यवर। मान्यवर, वर्ष 2005 के बाद हमारे प्राचार्यो की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, वह बंद रही है। वर्ष 2005 से हम एक भी प्राचार्य नहीं रख पाए हैं और लगभग हमारे 100 प्राचार्य यह हम लगभग बता रहे हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं या अवकाश ले लिए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, सरकार इसके प्रति गंभीर है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, प्रतिपक्ष इसीलिए होता है कि हमें जो समझ में आता है कहते हैं, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी मान्यवर। तो मान्यवर, जो हमारे अस्थायी प्राचार्य हैं, अगर हम अस्थायी प्राचार्य को न रखकर उसकी जगह पर। चूंकि हमने नियुक्ति तो वर्ष 2005 के बाद करी नहीं है, तो हम उसमें अस्थायी प्राचार्य रखते हैं, तो मान्यवर, आप भी जानते हैं कि कालेजों में, विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्य कितने कारगर होंगे कितने लॉ एण्ड आर्डर और कितनी वहां की व्यवस्था को कंट्रोल कर पाएंगे। यह एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है। मान्यवर, एक और बात सुनने में आई है, जैसा कि प्राचार्यो के

नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वर्ष 1983, जो उच्च शिक्षा नियमावली के तहत बनाई गयी थी, उसमें यह होता था कि जो हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर होते थे, चाहे 20 वर्ष के, चाहे 22 वर्ष के, चाहे 24 वर्ष के जैसा उन्हें अवसर मिलता था, उन्हें प्राचार्य के पद पर बैठाया जाता था, लेकिन इधर जो एक नई विसंगति देखने में मिली है, शायद ऐसी कुछ नियमावली बनी है कि अब हमारे प्राचार्य की नियुक्ति के लिए उन्हें लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं है।)

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, हम जो बोल रहे हैं, किताब से बोल रहे हैं, नियमावली से बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब समाप्त करें।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, देखिए मा0 सदस्य लोगों को नहीं पता है। ऐसी नियमावली बनी है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच में टोकने पर)

आप अपने जवाब में कहिएगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। यह विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है इसलिए मैं इस बात को संज्ञान में ले रहा हूं। मान्यवर, जो हमारे 20 साल के, 25 साल के अनुभवी प्रोफेसर हैं, यदि हम उनको हटा करके या फिर जब आप लिखित परीक्षा दें तब, यह उनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान रखा गया है। इस तरह का जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटस लोगों ने नियम बनाए हैं, तो इसमें मान्यवर, एक सीधा सवाल आता है कि मान लीजिए हम ब्यूरोक्रेटस लोगो को ले लेते हैं तो हमारे ब्यूरोक्रेटस जब आई0ए0एस0 बनकर आते हैं, तो मान लीजिए कि उनकी पहली नियुक्ति डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर होती है, और फिर जब उनकी कमिश्नर बनने की बारी आती है तो क्या हम दोबारा उनकी लिखित परीक्षा लेते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मान्यवर। इसलिए यह हमारे गुरुजनों के साथ भी अन्याय है कि अगर हम उनके अनुभव का बाध्य करेंगे तो यह भी मान कर चलिए कि जो नया व्यक्ति आएगा उसे कितना उस कालेज के बारे में अनुभव होगा। यह एक व्यवहारिक दिक्कत है। मान्यवर, एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा की परिणाम जो आए हैं वह 90 प्रतिशत परिणाम आए हैं। मान्यवर, अब छात्र संघ भी बहाल कर दिए गए हैं, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, उस स्थिति को हम समझ रहे हैं। मान्यवर, जब हमारा एडमीशन खुलेगा तो, हमारे पास आज जो सीमित सीटें हैं, वह सीटें इतनी जल्दी ब्लाक हो जाएंगी तथा फिर हमारे कालेजों में शासन के बड़े अधिकारी और हमारे यूनियन के लोग आंदोलन करेंगे की सीट बढ़ाइए। इसके लिए मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर, एडमीशन खुलने से पहले ही.....

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच में बोलने से व्यवधान की स्थिति)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया आप लोग शांत रहें।

श्री उमाशंकर-

कृपया मा0 सदस्य सदन की गरिमा का भी ध्यान रखे, मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें, आपका सुझाव आ गया है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, अभी मैं अभी एक महत्वपूर्ण सुझाव बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपका कटौती की प्रस्ताव भी आ गया है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, एडमीशन से पहले मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम 20 प्रतिशत पहले ही एडमीशन का कोटा बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारे छात्रों को, अभिभावकों को इस तरह की परेशानी का सामना बाद में न करना पड़े। मान्यवर, एक चीज और है व्यावहारिक दिक्कत जो आती है। मान्यवर, हमारे प्राचार्यो की नियुक्ति आयोग करता है और जब प्राचार्य विद्यालय में ज्वायन करने के लिये जाते हैं तो पहले प्रबन्धक महोदय कहते हैं कि आयोग ने आपकी नियुक्ति कर दी, लेकिन हम तो आपको ज्वायन नहीं कराते। फिर वह प्राचार्य मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं और संज्ञान भी ले सकते हैं कि फिर वह प्राचार्य कहां से शुरूआत करता है। वह प्रबन्धक महोदय उससे एक मोटी रकम लेते हैं, इसके लिये मान्यवर, आपसे आग्रह है कि शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों, उनके भी संज्ञान में इसको लाया जाये और उनके माध्यम से प्राचार्यो की ज्वाइनिंग कराई जाये। मान्यवर, एक और व्यवहारिक दिक्कत है कि माध्यमिक शिक्षा के हमारे जो प्रोफेसर हैं, जब उनकी तैनाती होती है तो एक साल के बाद यदि वह अपने गृह जनपद में या कहीं भी उस सब्जेक्ट का अगर जगह खाली है तो वह अपना प्रतिवेदन देते हैं और उनको अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के जो प्रोफेसर हैं, उनके लिये यह समय सीमा 5 वर्ष रखी गयी है तो इसके लिये यह व्यवस्था हो कि उनके लिये भी एक साल का समय रखा जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपकी सारी बात आ गयी। अभी तमाम दलीय नेताओं को बोलना हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को भी बोलना है। जो आप और बातें रखना चाहते हैं वह आप लिखकर भी दे सकते है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 10 हजार ऐसे प्रोफेसर/अध्यापक पड़े हुये हैं जिनको भारत सरकार से 80 प्रतिशत यू0जी0सी0 के माध्यम से धनराशि मिलनी है। पहले भारत सरकार कहती है कि अपने यहां रिटायरमेन्ट की अवधि 65 साल करिये, तब हम आपको यह धनराशि अवमुक्त करेंगे। लेकिन कई प्रदेश और कई सरकारों ने यह कहा कि हम यह उम्र बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम 62 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है और वह 80 प्रतिशत धनराशि आपको अवमुक्त कर दिया है। तो मान्यवर, 10 हजार लोगों की यह बकाया राशि है, उनको भी यह पैसा जारी कराने की कृपा करें।

मान्यवर, एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पूर्वांचल में जब से विश्वविद्यालय बने हैं, वैसे तो राज्य में 13 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पूर्वांचल में कुल 4 विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो सबसे अन्त में बना है वह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 1987 में बना है। मान्यवर, आज विश्वविद्यालय बने 25 साल हो गये। पूर्वांचल में कोई एक भी निजी विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 16 है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आयोग का एक सिस्टम बना था कि 100 महाविद्यालय पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन 25 साल से हम लोग पूर्वांचल में कोई विश्वविद्यालय नहीं खोले हैं। हमारे तीन जनपद ऐसे हैं बलिया, गाजीपुर और मऊ। कभी इनको आगरा से सम्बद्ध किया जाता है, कभी इनको फैजाबाद से सम्बद्ध किया जाता है, कभी गोरखपुर से किया जाता है, कभी जौनपुर से किया जाता है और आज यह बनारस काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध है। मान्यवर, इन तीनों जिलों की दूरी काशी विद्यापीठ यानि बनारस 180 किमी0 है। मेरा निवेदन है कि इन तीनों जिलों के बीच में कोई सेन्टर बनाकर जैसे औद्योगिक क्षेत्र रसड़ा है, वहां से गाजीपुर की दूरी 35 किमी0 है, मऊ की दूरी 35 किमी0 है तो मान्यवर, अगर वहां पर कोई नया विश्वविद्यालय खोला जाये तो इन तीन जिलों की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायेगी और यहां के छात्र-छात्राओं का रिजल्ट जो समय से नहीं आ पाता है या परीक्षा प्रणाली में इतना विलम्ब होता है, उसको सुधारने में काफी मदद मिलेगी। मान्यवर, काशी विद्यापीठ में 250 विद्यालय सम्बद्ध हैं और 30 विद्यालय पाइप लाइन में हैं। इस प्रकार 280 विद्यालय हो जायेंगे जबकि 100 विद्यालय होने चाहिए। इसलिए तीसरा विश्वविद्यालय रसड़ा में खोला जाना बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, तमाम महाविद्यालयों में बी0एड0 और बी0पी0एड0 की व्यवस्था सरकार द्वारा दी गयी है। लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कत यह आ रही है इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सरकार की जो अनुमन्य फीस है, वह वहां नहीं ली जाती है। किसी का भी जब एडमीशन होता है वह जब जाता है तो प्रबन्धक/प्राचार्य महोदय उससे मोटी रकम की बात करते हैं। वह छात्र अगर देने लायक है तो देता है और यदि नहीं देने लायक है तो नहीं देता है। वह अपनी बी0एड0 की सीट भी छोड़ देता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप कभी-कभी आकस्मिक निरीक्षण करें, निरीक्षण करने से भले ही प्रबन्धक महोदय नाराज हो जायें लेकिन इससे 10 हजार लोग खुश होंगे। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा इन तीन विभागों के सम्मिलित बजट पर कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 2006 में इसी सदन में मैं एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था, उस समय छात्र संघों पर रोक लगी थी। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक के लिए और नौजवानों को राजनीति के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा सके, इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्देश्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि छात्रसंघ का चुनाव कराया जाये। 2006 में इस सदन में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, सदन में मुझे आश्वस्त किया गया था कि यह चुनाव कराया जायेगा, लेकिन जब तक चुनाव हो, सरकार बदल गयी और पूरे 5 साल तक हम लोग तरस गये कि कहीं भी छात्रसंघ का चुनाव हो सके। हम सब लोग छात्रसंघ की राजनीति से निकले हुए लोग हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम इस सरकार ने एक बार पुनः छात्रसंघ चुनाव की बहाली की घोषणा की है। इस सावधानी के साथ की है कि यह चुनाव लिंगदोह कमेटी की मान्यताओं के अन्तर्गत हो और मैं इस सावधानी पर विशेष रूप से इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत से दबाव अभी आपके अपने लोगों के द्वारा पड़ने वाले हैं, जब छात्रसंघ का चुनाव नजदीक आयेगा। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि चुनाव होने चाहिए और सिर्फ और सिर्फ लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप होने चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को सही तरीके से राजनैतिक प्रशिक्षण दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगो का देश तक्षशिला, नालन्दा के लिए पहचाना जाता है। जब दुनिया में लोग गड़रिया होकर घूमा करते थे, तो उस समय हमारे यहां विश्वविद्यालय चला करते थे। हमारे उन विश्वविद्यालयों से निकले हुए स्नातक और स्नातकोत्तर का बहुत सम्मान हुआ करता था। इतिहास की मान्यता है कि राजा जनक भी एक बार जब रास्ते से गुजरते थे, राजा जनक जिन्हें माना जाता है कि शायद वह पहले राजर्षि थे जिन्हें ब्रह्मर्षि की संज्ञा दी गयी, जिनका ज्ञान किसी भी ब्रह्म चेतना से सम्बद्ध व्यक्ति से अधिक माना जाता था और एक स्नातक और स्नातकोत्तर का इतना बड़ा सम्मान होता था कि राजा जनक भी जिस रास्ते से गुजरते थे, अगर कोई सामने से स्नातक आ जाये तो वह रास्ते से हट जाते थे, जब तक कि स्नातक उस रास्ते से गुजर न जाये। इस प्रकार कितनी ऊंचाइयों से हम लोग चले हैं और कहां तक पहुंचे हैं, यह हम लोगों के लिए चिन्तन का विषय होना चाहिए। जो लोग हमारे बीच में बनारस के होंगे, वह जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को बहुत बदमाश व्यक्ति की संज्ञा देनी होती है तो बड़े हल्के से मजाक में कह दिया जाता है, माननीय ओम प्रकाश जी ने काशी विश्वविद्यालय में बहुत लम्बे समय तक राजनीति की है, वह जानते हैं कि कह दिया जाता है कि बड़ी गुरू चीज हो तुम। जिस व्यक्ति को बहुत कायदे से बताना होता है वह गुरू जैसा शब्द जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समतुल्य मानते थे, आज हम मजाक में कह देते हैं कि बड़ी गुरू चीज हो। यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। इसलिए इस विभाग के ऊपर चर्चा का विशेष महत्व है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारी सम्पूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था है, यह कुछ उल्टी चल रही है। हम विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय बनाते चले जा रहे हैं लेकिन अगर डिग्री कालेजों के अनुपात की संख्या देखी जाये तो शायद देश में हम सबसे अधिक पीछे हैं। यह सब आंकड़ों के आधार पर है। एक लाख की जनसंख्या में किस प्रदेश में कितने डिग्री कालेज हैं ?

(इस समय 01 बजकर 51 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह सब भारत सरकार ने अपनी जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट तैयार करायी है उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। छोटे-छोटे प्रान्त, मिजोरम और मेघालय जैसे प्रान्त 01 लाख की जनसंख्या में 22-23 डिग्री कालेज चलाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रान्त जहां पर 01 लाख की जनसंख्या पर 9-10 डिग्री कालेज हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 01 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 04 डिग्री कालेज हैं। उसका परिणाम क्या है ? मैं उसी बात पर आता हूं कि

ये बच्चे कहीं न कहीं तो पढ़ेंगे ही। स्वाभाविक रूप से जब डिग्री कालेज नहीं होते हैं, इन सबकी भीड़ विश्वविद्यालय की ओर आती है। एक विश्वविद्यालय कैम्पस, आज जिसकी कल्पना हम इस बात की करते हैं कि विश्वविद्यालय उच्च शोध के केन्द्र बनेंगे। आज दर्शन शास्त्र पर कोई शोध नहीं होता, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों पर कोई रचनायें नहीं रची जाती। विज्ञान के क्षेत्र में कोई मौलिक शोध हमारे विश्वविद्यालयों में हो रहा है ऐसा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतिहास के विभिन्न मुद्दों पर हमारे प्रागैतिक इतिहास के बारे में, हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों से कोई बहुत बड़ा अनुसंधान निकल कर पूरे भारतवर्ष में चला गया हो, ऐसा नहीं होता। अर्थशास्त्र के विषय पर आज भी भारत की परिस्थितियों में हमारा अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए, हम इसकी चिंता नहीं करते। जो इकोनामिक्स की सीढ़ियां पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने बनाकर हमें दे दी, हम उन्हीं पर सुबह से लेकर शाम तक मगजमारी किया करते हैं क्योंकि जो मौलिक शोध हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए वह होता ही नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, आप चिंता न करें। मैं सैद्धान्तिक बात कहना चाहता हूं। आज विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि ये स्नातक के छात्रों के भीड़ का केन्द्र बन गये हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षक एक सेकेण्ड का मौका शोध के लिए नहीं पाते। सुबह से लेकर शाम तक उनका काम सिर्फ बी0ए0 और बी0एस0सी0 के लड़कों को डिग्रियां देना है। मैं इस बात को सदन में बार-बार लाता हूं। आप स्वयं जब आप यहां बैठा करते थे तो मैं दो बार इस विषय को ले करके आया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। विश्वविद्यालय शोधों के लिए बने हैं और उनमें से जो स्नातक छात्रों की भारी भीड़ लग गयी है इसे रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम जब तक इसे रोकेंगे नहीं विश्वविद्यालय अपनी नैतिक और शैक्षणिक, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पायेंगे, जो इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य है। जिस बात को मैं चार साल पहले कहता था, उसे कोई सुनता नहीं था। आज अध्यक्ष महोदय, मैं कल या परसों बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने, योजना आयोग ने जो उच्च शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट तैयार करायी है, मैं उसको पलट रहा था। वह रिपोर्ट इस बात को स्वीकार करती है कि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षाओं को आपस में मिला देना चाहिए। यह तीन वर्ष की जो स्नातक शिक्षायें देते हैं उसके बाद दो वर्ष की स्नातकोत्तर शिक्षायें देते हैं इसके नाते बहुत सी समस्यायें हो रही हैं। हमें स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षाओं को मिला करके, जैसे हम कानून के क्षेत्र में अब करने लगे हैं 05 साल की डिग्री देते हैं और उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। अपने प्रदेश में जो डा0 राम मनोहर लोहिया लॉ कालेज है उसमें यह डिग्री दी जा रही है। मैं उसी बात को विश्वविद्यालयों के बारे में कह रहा हूं। अब विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं का परिचालन बन्द होना चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं को मिलाकर पंचवर्षीय कोर्स चलाया जाना चाहिए जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वही आये जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास करना हो, जिसका उद्देश्य आगे चल करके शिक्षक बनना हो और समाज को दिशा देने का प्रयास करना हो। जिसके मन में यह भाव हो कि हमें शोध करना है, डाक्ट्रेट करनी है और इस प्रकार से हम इस बात का गर्व कर सकें कि पूरे देश में जो स्थिति है जितने सर्वोत्तम शोधकर्ता हैं, आप उंगलियों पर गिन लीजिएगा वह अधिकांशतः दक्षिण भारत से निकल कर आयेंगे। उत्तर प्रदेश के हिस्से में उच्च शोधों का कोई इतिहास नहीं आता है। इसलिए जो मूल विषय मैं इस सदन में ले करके आया

हूं, मैं बहुत सारी अन्य बातों को इसलिए नहीं कहना चाहता कि जब तक यह मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा। स्वयं योजना आयोग इस बात को मानने लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैं कह रहा हूं। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, मैं मानदेय शिक्षकों की चर्चा भी नहीं करना चाहता जिसके बारे में आपने घोषणा-पत्र में कहा हुआ था। संसदीय कार्यमंत्री जी आपको याद होगा कि पिछले सदन में आपकी सरकार ने घोषणा की थी और यह आश्वासन दिया था कि वह शिक्षक जो मानदेय शिक्षकों के रूप में काम करते रहे हैं उन्हें विनियमित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस पीड़ा से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपके पस भी लोग पहुंचे हुए हैं आज तक शिक्षक विनियमित नहीं हो पाये। यह नहीं कहते कि उनके अन्दर योग्यता न हो तो भी उन्हें विनियमित किया जाय लेकिन उनमें से जो योग्य हैं जो उस बात की योग्यता सिद्ध कर चुके हैं दसियों साल से, बीसियों साल से विश्वविद्यालय में पढ़ाते-पढ़ाते आज बूढ़े हो गये हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था अगर चल रही है कि इन्हीं मानदेय शिक्षकों के सहारे चल रही है। कुलपतियों ने अपने अहंकार के नाते उन मानदेय शिक्षकों को सड़कों पर खड़ा कर दिया है। डिग्री कालेजों में आपने मानदेय शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली बनाई थी नया विधेयक बनाया था और यह कहा था कि मानदेय शिक्षकों को विनियमित किया जायेगा आज उनको सड़क और चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षामंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस मौलिक परिवर्तन की मैंने बात की है सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और वह मानदेय शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी योगदान किया है उनके बेहतर भविष्य के बारे में चिन्ता करनी चाहिए। धन्यवाद।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी एवं सदन के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए मैं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि मैंने माननीय मंत्री के उद्बोधन को सुना है और मेरे भी उच्च शिक्षा विभाग को लेकर कुछ सुझाव है जिसका मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी संज्ञान लें। सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूं कि आज उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्रों में जिस कदर मारामारी है और सरकारी कालेजों में कम सीटें और ऊंची मेरिट होने के कारण उन्हें प्राइवेट कालेजों की ओर रुख करना पड़ रहा है। ज्यादातर सेल्फ फाइनेंसिंग कालेज हैं जो छात्रों को प्रवेश देने के लिए अधिक शुल्क लेते हैं। मैं सभी सेल्फ फाइनेंसिंग कालेजों की बात नहीं करती लेकिन ज्यादातर सेल्फ फाइनेंसिंग कालेज ऐसे है जिनको बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने खोल रखा है। इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है छात्रों का शोषण करना है अभिभावकों शिक्षकों का शोषण करना है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा न देते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्तर पर डिग्री कालेजों को और उच्च शिक्षा देने वाले कालेजों को खोलने पर विचार करें। इसके साथ ही जितने भी अशासकीय महाविद्यालय हैं उनके संबंध में कहना चाहती हूं कि नियमित शिक्षक जब वी0आर0एस0 ले लेते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके जो पद रिक्त होते हैं उन पर समय से नई नियुक्तियां नहीं होती हैं जिसके कारण ऐसे कालेजों में प्राचार्य का अभाव सदैव रहता है। ऐसे में प्रबंधतंत्र मनमाने तरीके से किसी भी शिक्षक को प्राचार्य की जिम्मेदारी दे देता है। ऐसा करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आज तमाम अशासकीय

महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें कई विषय ऐसे पढ़ाये जा रहे हैं जिनकी आज तक मान्यता भी प्राप्त नहीं हुई है और जो नियमित शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उनको हटाकर चार-चार, पांच-पांच हजार में अब क्वालीफाइड टीचर्स नहीं रखा जा रहा है एवं उनसे चार-चार विषय पढ़वाये जा रहे हैं। इस कारण बुरी तरह से छात्रों का शोषण हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें और इस संबंध में कठोर कार्यवाही करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी है किसी भी तरह से शोषण न हो सके। अन्यथा हमारे देश का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। यदि हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया तो परिणाम घातक होंगे। जहां तक शिक्षकों की बात है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि शिक्षकों के रिटायरमेंट के दो-दो, तीन-तीन साल बाद तक उनका पेंशन फण्ड, ग्रेच्युटी फण्ड, इन्स्योरेंस का भुगतान नहीं किया जाता है। कई-कई शिक्षक मेरी जानकारी में ऐसे हैं कि उनकी मृत्यु भी हो गयी उसके बाद तक उनका फण्ड नहीं मिल पाया। यह भी शिक्षकों के शोषण की श्रेणी में आता है। इस पर मंत्री जी पूर्ण रूप से ध्यान दें तथा उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूं कि आज कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें कई राजनीतिक दलों के युवा संगठन चल रहे हैं और कई युवा संगठनों की ऐसी स्थिति है कि पूरे के पूरे विश्वविद्यालय पर उनका कब्जा है जिसके चलते अध्यापकों/प्राचार्यों की उन युवा संगठनों के सामने कोई हैसियत नहीं रह गई है।

मान्यवर, आज अध्यापकों और प्राचार्यों का अपमान होता है और उनके साथ दुर्व्यहार होता है। मान्यवर, ऐसे कई अराजकतत्व हैं जिनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है वे स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेकर केवल राजनीति के नाम पर अराजकता फैलाने का काम करते हैं और पूरे विश्वविद्यालय का माहौल खराब करते हैं। जिनकी पढ़ने में रूचि है उनको भी परेशान करते हैं। छात्रावासों पर उनका जबरन कब्जा है। मैं चाहूंगी कि पुलिस बल का प्रयोग करके उनसे छात्रावास खाली कराये जायें और जो पढ़ने में रूचि रखते हैं उनको छात्रावास दिये जाये और छात्र राजनीति के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट किसी को न दी जाय।

मान्यवर, आज जो एकेडमिक डिग्री है जैसे बी0ए0, बी0काम0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0काम0, एम0एस0सी0 इनका कोई महत्व नहीं रह गया है। इन डिग्रियों को लेकर हजारों छात्र हर वर्ष कालेजों से बाहर निकलते हैं किन्तु उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इस तरीके से हजारों बेरोजगारों की लम्बी फौज हर साल तैयार हो रही है और उनका भविष्य अंधकार में है। मान्यवर, आज सरकार की ओर से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनको जाब सेक्टर में एब्जार्व करने के लिए क्या नीति बनाई गई है। मान्यवर, आज प्रोफेशनल डिग्री का तो महत्व है लेकिन ऐकेडमिक डिग्री का कोई महत्व नहीं रह गया है। ऐकेडमिक डिग्री ग्रामीण अंचल के गरीब छात्र हजारों की संख्या में हर साल कालेजों में प्रवेश लेते हैं। किन्तु बहुत दुखद है कि उनका भविष्य अंधकार में है और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है।

मान्यवर, जितने वाइस-चांसलर पदों पर नियुक्तियां होती है वह राजनीति से प्रभावित होती हैं। मैं समझती हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर किसी शिक्षाविद् को ही नियुक्त करना चाहिए क्योंकि वी0सी0 की योग्यता, उसके व्यवहार और उसकी कार्य प्रणाली पर ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का माहौल बहुत हद तक निर्भर करता है और वही वी0सी0 छात्रों, अध्यापकों, प्राचार्यों और हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स के बीच समन्वय स्थापित करता है और सामन्जस्य बिठाता है। अतः सरकार इस बिन्दु का संज्ञान ले।

मान्यवर, वाराणसी जनपद के रोहनियां विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है वहां मात्र 4 महाविद्यालय हैं मैं चाहती हूं कि वहां पर 2 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जायें। जिससे छात्राओं की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो सके।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी हाउस में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को सरकारी अवकाश घोषित करने पर सरकार विचार करें। मैं बताना चाहूंगी कि क्षत्रपति शाहू जी महाराज पटेल समाज के कुलभूषण हैं जिन्होंने सन् 1902 में अपने राज्य कोल्हापुर में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, की थी। मान्यवर, उन्होंने पूरे देश को व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दिया और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शायद आप छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कालेज का नाम बदलने पर विचार कर रहे हैं यदि संभव हो सके तो ऐसा न करें। किंग जार्ज जो हमारे देश के लिए गुलामी का प्रतीक है उनको सम्मान देने के बजाय छत्रपति शाहू जी महाराज का सम्मान किया जाय। धन्यवाद।

*प्रो0 शिवा कान्त ओझा-

मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा विभाग के लिए रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, उच्च शिक्षा से मैं 30-32 साल से जुड़ा रहा हूं। मान्यवर, पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितनी दुर्गति की है उसमें मैं कुछ संशोधन के सुझाव देना चाहूंगा।

मान्यवर, आज दक्षिण के जो प्रान्त हैं चाहे वह तमिलनाडु हो, केरल हो या आन्ध्र प्रदेश हो वहां पर महाविद्यालयों को खोलने के लिए युनिवर्सिटी ऑथराइज्ड हैं एन0ओ0सी0 देने के लिए और यहां तक की मान्यता देने के लिए भी। उनको यह निर्गत करने का अधिकार है। हमारे यहां यह कार्यवाही मण्डलायुक्त स्तर से प्रारम्भ होती है। आज की तारीख में इसकी क्या आवश्यकता है।

मान्यवर, हम लोग भुक्तभोगी इस बात के हैं कि पिछली सरकार ने जो व्यवस्था की एन0ओ0सी0 के लिए अगर एक सब्जेक्ट में आप मान्यता लेना चाहते हैं तो 9 महीने के पहले एन0ओ0सी0 निर्गत नहीं होगी। कारण बता दूं आपको एन0ओ0सी0 के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया विश्वविद्यालय के भीतर, विश्वविद्यालय से वह चलेगी कमिश्नर के यहां उच्च शिक्षा के यहां, वहां से फिर लौटी डी0एम0 साहब के यहां, डी0एम0 साहब के यहां से लौटती है ए0डी0एम0 साहब के यहां, ए0डी0एम0 साहब के यहां से एस0डी0एम0 साहब के यहां लेखपाल तक आती है फिर यह प्रक्रिया चलती है। तीनों बैठते हैं और नहीं बैठ पाये तो लटकी हुई प्रक्रिया रहती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का परमानेन्ट एफिलिएशन कालेज है अगर वह किसी एक विषय में एप्लाई करना चाहता है एन0ओ0सी0 मान्यता के लिए तो आप उसके लिए प्रक्रिया क्यों लागू करना चाहते हैं और दुख तो इस बात का है माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूं परमानेन्ट एफीलिएटेड कालेजेज के भीतर फैकल्टी के भीतर अगर कोई एक सब्जेक्ट खोलना चाहता है एक वर्ष में 3 सब्जेक्ट तीनों की एन0ओ0सी0 प्रक्रिया यही होती है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एन0ओ0सी0 की प्रक्रिया को संयुक्त कीजिए, मान्यता आटोनामस जो विश्वविद्यालय हमारे आपके हैं, मान्यता का अधिकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको प्रदान कीजिए, शासन को मान्यता देने का औचित्य क्या है वह भी उन विद्यालयों को जहां सहायता नहीं प्राप्त है उनको, अननुदानित विद्यालय हैं उनको सरकार की तरफ से मान्यता देने का औचित्य कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। जो गवर्नमेन्ट कालेजेज हैं जिनको आप सहायता देने की बात करते हैं उनके लिए तो वित्त से उनका नियंत्रण होगा, वित्त से उनका पैसा जायेगा लेकिन जो अननुदानित विद्यालय हैं जिनको सहायता प्राप्त नहीं है उनको शासन से मान्यता प्राप्त करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस बात का ख्याल किया जाना चाहिए जो लोग विद्यालय, महाविद्यालय खोल रहे हैं उनको इस बात की सुविधा दी जानी चाहिए। जो दक्षिण के विश्वविद्यालय इस काम को कर रहे हैं तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को क्यों नहीं कर सकती। दूसरा मान्यवर, दूसरा सुझाव है आज हालात क्या है उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय से लेकर चतुर्दिक करेप्शन है मैं इस बात को बता सकता हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के भीतर जो सेक्शन आफिसर काम करता है, बाबू काम करता है आज की तारीख में करोड़पति नहीं अरबपति कुछ लोग बने बैठे हुए हैं। जगह-जगह यह सवाल खड़ा होता है विद्यालयों के भीतर भयंकर शोषण हो रहा है, पैसों की लूट मची है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। माननीय समाज कल्याण मंत्री पूर्व बैठे हैं यहां पर बहुत सारे सवाल आये भी हैं इस बार, पिछली सरकार में पिछले 4 साल के भीतर दलित बच्चों को क्षतिपूर्ति की पूर्ति नहीं की गयी पिछले 4 सालों के भीतर यह सारा का सारा जो मकड़जाल भ्रष्टाचार का फैला हुआ है मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं अगर किसी विभाग के भीतर खाद्य रसद विभाग के भीतर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा सकती है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए आई0पी0एस0 आफिसर नियुक्त किया जा सकता है तो उच्च शिक्षा के भीतर जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है इसको बनाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाये जिसमें एक आई0पी0एस0 आफिसर नियुक्त हो जो इन सारे भ्रष्टाचार को देखे, उसकी जांच करे। एक बात ओर कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी मैं उच्च शिक्षा में काम कर चुका हूं और अब भी काम करता हूं। एक बात की जांच कराई जानी चाहिए कि पिछली सरकार के भीतर बड़े पैमाने पर, हजार दो हजार नहीं करोड़ों के पैमाने पर ऐसी पुस्तकें सप्लाई की गयी हैं गवर्नमेन्ट कालेजेज के भीतर, अनुदानित विद्यालयों के भीतर, महाविद्यालयों के भीतर, विश्वविद्यालयों के भीतर जिनकी कीमत मार्केट के भीतर 10-20-25 रुपये होगी, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक ऊपर का कवर कुछ है मान्यवर, नीचे मैटर कुछ दिखाई पड़ता है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय को कूड़ाघर बनाना चाहते हैं आप। महाविद्यालयों को कूड़ाघर बनाना चाहते हैं आप। अच्छे-अच्छे राइटर के विद्वानों की पुस्तकें न उपलब्ध करा करके बड़े-बड़े मूल्यों को लेकर लूटने का काम किया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एक उच्च श्रेणी का बनाना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है विश्वविद्यालयों का काम आइडिया और मैटर दोनों को प्रदत्त करता है। आइडिया है विचार अगर विचार विश्वविद्यालय नहीं दे सकता उच्च शिक्षा पर विचार नहीं दे सकता तो मैटर की भी उत्पत्ति वह नहीं कर सकता है, छिछला मैटर देगा, भौतिकता का छिछला स्वरूप प्रदान करेगा इसलिए अगर उच्च विचार आयेंगे, अच्छी आइडिया आयेगी तो उसके अनुरूप मैटर निकलने का भी प्रयत्न होगा इसलिए उच्च शिक्षा को उस श्रेणी पर ले जाने का हम प्रयत्न करें जहां हम एक अच्छी आइडिया दे सके जैसा प्लेटो कहा करता था अगर हमने अच्छी

आइडिया नहीं दी तो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो अच्छा समाज नहीं बना सकते। अच्छा समाज नहीं बना सकते अगर अच्छा समाज नहीं बना सकते तो अच्छी सरकार और अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते। मान्यवर, उच्च शिक्षा उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। हमारी अपनी शिक्षा की एक गुणवत्ता रही, हमारी अपनी शिक्षा की एक महत्ता रही है, उसके अनुरूप मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफसर्स के सेलेक्शन के भीतर, रीडर्स के सेलेक्शन के भीतर, लेक्चरर के भीतर अच्छी कमेटी जो गुणवत्ता का निर्धारण कर सकती हो और महाविद्यालयों के भीतर भी विश्वविद्यालयों के भीतर भी हम हर कीमत पर गुणवत्ता को मेनटेन करें, भ्रष्टाचार से मुक्त करें, यही मेरा विचार है। धन्यवाद।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से मा0 सदस्यों के अभी विचार आये। मैं प्राविधिक शिक्षा के बारे में एक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि तमाम ऐसे छात्र जो पालीटेक्निक करने के बाद अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और उन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास नहीं की है तो उनको सीधे स्नातक में प्रवेश नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार विचार करे कि जो छात्र टेक्निकल शिक्षा के लिए पालीटेक्निक में 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो उनको ये मान लिया जाये कि उन्होंने इण्टरमीडिएट कर लिया है, उनको स्नातक में प्रवेश मिले। इससे छात्रों का समय बचेगा और इससे उनका कल्याण भी होगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। आठवें नम्बर पर इसका स्थान है और अभी कुछ दिनों पहले, चूंकि मैंने भी वहीं से स्नातक किया है, मैं विश्वविद्यालय गया था तो वहां के कुलपति महोदय आदरणीय मिश्रा जी से मेरी भेट हुई तो उन्होंने यह सुझाव हम को दिया और अपनी कठिनाई बतायी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के वेतन का बड़ा अभाव है और आने वाले समय में वो बोल रहे थे कि हमारा कार्यकाल तो अक्टूबर तक है लेकिन वो बता रहे थे कि अक्टूबर के बाद शिक्षकों को वेतन देने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ओवर ड्राफ्ट करना पड़ता है तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और तमाम विभूतियां वहां से इस देश में पढ़ के निकली हैं तो इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सरकार कुछ ऐसे ले। चाहे वहां की फीस सरकार ले या वहां के जो गुरुजन हैं उनको समय पर वेतन मिले। यह व्यवस्था लागू हो। इस लखनऊ विश्वविद्यालय का जो नाम है, जो गौरव है वह बना रहेगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी बहुत से हमारे सदस्यगण राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के बारे में सुझाव दे रहे थे। हम शाहजहांपुर की जलालाबाद से चुन के आते हैं और जलालाबाद तहसील मुख्यालय पर एक राजकीय महाविद्यालय खुला हुआ है। लेकिन उसकी हालत यह है कि वहां पर न तो कोई सफाई कर्मचारी है, न चौकीदार नियुक्ति है लेकिन वो यहां लखनऊ में अटैच है। हमने वहां जब जानकारी करी तो वहां का चौकीदार और जो वहां का फोर्थ क्लास का चपरासी है वो यहां लखनऊ में किसी विशेष सचिव या सचिव के यहां अटैच है। वो यहां इनकी सेवा कर रहा है और महाविद्यालय में कोई गेट खोलने वाला नहीं है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है और छात्रों को जो वहां पर सुविधायें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। हमारे जलालाबाद के डिग्री कालेज में लगभग 1200 छात्र वहां पर रजिस्टर्ड है। 1200 छात्रों की संख्या वहां पर है तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस विद्यालय को जो उसकी गरिमा है बनाने के लिए, वहां पर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाये और जो लखनऊ में अटैच है, उनको यहां से मुक्त करके वहीं पर भेजा जाये। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

*श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 5 वर्षों की सरकार में प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। वह किसी से छिपा नहीं है। इस बात के लिए बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार बनने के बाद नौजवानों की जो नर्सरी होती है, जहां से हम जैसे छात्र संघ के पदाधिकारी निकल करके आते हैं और इस बात के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहते हैं कि आज अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहने के बाद आज इस सदन में अयोध्या जैसे विधान सभा क्षेत्र से जीतकर के आया हूं तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। मुझ जैसे गरीब परिवार का लड़का जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो अगर छात्र संघ को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने न बहाल किया होता तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष न बना होता और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी और हमको हमारे आदरणीय नेता जी ने टिकट दिया और मैं आज अयोध्या विधान सभा से जीत कर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहते हैं कि छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है जहां पर गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे भी राजनीति के माध्यम से इस सदन में पहुंच सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे दल के लोग भी हैं जिनको छात्र संघों से आपत्ति है, जो छात्र संघ की बुराई करते हैं। जो छात्र संघ की राजनीति करने वाले नौजवान हैं, उनको गुण्डे और अपराधी का अड्डा बताते हैं। हम उनकी इस बात की निन्दा करना चाहते हैं जिनके पास छात्र संघों की कोई जमीन नहीं है, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का कोई पदाधिकारी नहीं है। आज छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है मैं इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी से लड़ने वाला, उनकी पार्टी के झंडे दिखाने वाला और उनकी पार्टी की जयकार करने वाला कोई नौजवान छात्र नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी ने कभी छात्रों, नौजवानों के लिए कोई आन्दोलन नहीं किया। कभी फीस बढ़ाई गई तो फीस के मुद्दे पर आन्दोलन नहीं किया गया। कभी जब सीटें कम रहीं, छात्र इण्टर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक के लिए आये तो उनके लिए सीटों को बढ़ाने का काम नहीं किया। कभी जब छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ तो उनकी पार्टी के नेताओं ने उन छात्रों की लाठियों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। जब छात्रों, नौजवानों को जेलों में ठूंसा गया तो जेलों में जाकर छात्रों के दुःखों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। यह काम अगर पूरे प्रदेश में किसी ने किया है तो वह समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह जी और श्री अखिलेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यादव जी हैं। इसीलिए आज प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव होता है तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवान जीतकर आते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार पिछले साढ़े तीन साल में बनी थी और उसके पहले जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने पूरी शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया था। पूरी फीस को बढ़ाकर बाजारीकरण करने का काम किया था। गरीब, किसान परिवार का बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। अगर किसी गरीब परिवार में दो बच्चे होते थे तो डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 1995 की फीस थी उसको लागू करके गरीब किसान के बच्चों को भी डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका दिया था इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आज शिक्षा के बाजारीकरण को, शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए, शिक्षा में गरीब परिवार के बच्चों के पढ़ने के लिए एक व्यवस्था लागू की है। आज मैं इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है।

आज प्राविधिक शिक्षा में, इंजीनियरिंग की शिक्षा में, मेडिकल की शिक्षा में, पारदर्शिता लाने का काम आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं उसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक,
अम्बर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, शिक्षा एक चिन्ता का विषय है और जो भी सरकारें आई उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भेद-भाव का काम किया। आज ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों स्कूल टेक्नीकल एज्यूकेशन के हो सकते हैं लेकिन उसी के पास जेवर में और नजदी के खुर्जा में एक भी टेक्नीकल कालेज या उच्च शिक्षा का कालेज नहीं है। यदि सरकारें जैसा सदन में बताया गया कि आदरणीय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक नीति, एक मापदंड तय किया था कि एक जिले में 4 टेक्नीकल एज्यूकेशन या उच्च शिक्षा के कालेज होंगे। आज देश को आदेश हुए 65 वर्ष हुए आज जेवर में कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है, टेक्नीकल कालेज नहीं है और इस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस भेद-भाव के लिए जहां हम पिछली सरकार को कोस रहे हैं कि इस तरह के कालेजों की बाढ़ आ गई। मेरा एक निवेदन है, सुझाव है कि इस तरह के कालेज और संस्थाएं सभी जगह खोली जायं और जहां ज्यादा हैं उन्हें इस बात के लिए विवश किया जाय कि वे उन जगहों पर जहां नहीं हैं स्थानान्तरित करें ऐसी मेरी अपेक्षा है और सुझाव है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठे बहुत बजट है। पहाड़िया जी जेवर में अपना नहीं खुलवाते हैं सरकार से मांग कर रहे हैं। मंत्री जी आप इसमें जवाब देकर पास कराना चाहते हैं। या बुलवाना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं सुन लें। यह छात्र नेता जो बोल रहे हैं अरे, जरा बजट पर भी बोलो। बजट पढ़ो, इस पर भी बोलो।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं अभी बजट पर अपना उत्तर नहीं रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसके बाद पर्यटन, परिवहन, वन और उसके बाद भी बजट हमारे पास हैं मैं यह अनुरोध कर रहा था कि आप समय देख लें और जिन सदस्यों को आप अवसर दें, इसलिए मैंने अपनी बात ही नहीं रखी, प्रस्ताव रखकर छोड़ दिया, चर्चा आ जाये तो उत्तर संक्षेप में दे दिया जायेगा। मान्यवर, व्यवसायिक शिक्षा पर बजट रखा जा चुका है इस पर मैं देख रहा हूं कि किसी माननीय सदस्य की राय नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि नेता कांग्रेस प्रदीप माथुर जी व्यवसायिक शिक्षा पर बतायेंगे तो सुझाव अच्छे आयेंगे और माननीय अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है कि चाहे दो-दो मिनट दे दें जो छात्र संघों से निकलकर आये हैं बहुत दिनों तक इस पर ताला रहा है तो उन नौजवानों को दो-दो मिनट मौका दे दें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोग बैठ जाओ, जब तक पढ़ लो परफारमेंस बजट है उसकी किताब है उसको देख लो क्या-क्या है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उच्च शिक्षा पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैंने बहुत करीब से इन विश्वविद्यालयों को देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी और हमारे मा0 आजम खां साहब और वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं और सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि स्टैन्डर्ड आफ एजूकेशन बहुत गिरा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले विश्वविद्यालयों में, मैं कई बार एजूकेशन आफ काउन्सिल का मेम्बर रहा हूं, मैंने बड़े करीब से देखा है, आपके वाइस चांसलर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि रजिस्ट्रार और फाइनेंस आफिसर होते हैं। रजिस्ट्रार और फाइनेंस आफिसर की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वह प्रदेश सरकार की स्थिति को ढंग से रख नहीं पाते हैं। आज स्थिति यह है कि आज कोई भी पकड़ उन विश्वविद्यालयों पर नहीं है चाहे आपकी सरकार हो, चाहे इधर की सरकार हो। इसके स्टैन्डर्ड पर सरकार को ध्यान देना होगा और कोई न कोई नीति ऐसी बनानी होगी कि जो वहां पर एक वर्चस्व कायम हो जाता है उसको समाप्त करने के लिए आपको रजिस्ट्रार को पावरफुल बनाना होगा, आपको फाइनेंस आफिसर को पावरफुल बनाना होगा।

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, आप सरकारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं या गैर सरकारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मैं सरकारी रजिस्ट्रार और फाइनेंस आफिसर की बात कर रहा हूं। इसी तरह से वित्तीय व्यवस्थाओं को देखें तो बैलेन्स शीट और इनके एक्सीपेंडीचर एकाउन्ट को दिखवायेंगे तो उसमें लिखा होता है कि श्द बुक्स आफ एकाउन्ट्स प्रोड्यूज विफोर अस, जैसे कागज हमारे पास रख दिये गये वैसी हमने बैलेन्स शीट बना दी। जबकि उसमें इतनी भयंकर वित्तीय अव्यवस्थायें हैं, इतने भारी घोटाले हैं, यदि आप गौर से देखें, उसका स्टेटचुअरी आडिट करायें। तो आपको पता लगेगा कि बैलेन्स शीट और एक्सपेंडीचर एकाउन्ट की क्या स्थिति है। इसी तरह से कालेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के झगड़ों में प्रदेश के तमाम कालेजेज अव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। आपको कोई ऐसी नीति बनानी होगी कि एक प्रधानाचार्य 20-20 साल से है, एक बार आपके आयोग ने नियुक्त कर दिया। जब तक कि वह रिटायर नहीं हो जाते। कोई ऐसी नीति आप लेकर आइये कि प्रधानाचार्य 5 साल बाद ट्रासफर कर दिये जायें। इसमें काई ऐसा संशोधन लाइये कि प्रधानाचार्य बाई रोटेशन अलग-अलग कालेजों में जाते रहें। इससे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के झगड़े कम हो जायेंगे। मैनेजमेण्ट पर भी आप सख्ती करें, उसमें भी आज तब्दीली आयी है। मान्यवर, पिछली सरकारों ने तमाम विश्वविद्यालयों के नाम बदल दिये। लेकिन आप देखें आज भी आगरा विश्वविद्यालय ने उसमें आगरा मेंशन कर रखा है। आगरा विश्वविद्यालय का नाम अब डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा हो गया है। यदि आप महापुरुषों को सम्मान देना चाहते हैं तो आप उस महापुरुष का नाम लिखिये, उसके बाद उस शहर का नाम लिखिये, जिससे लोग पहचान तो पायें। डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि लोग समझ जायेंगे कि यही आगरा विश्वविद्यालय है। मान्यवर, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें उनके शहर का नाम ही गायब हो गया है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा, फर्जी मार्कशीट, टेबुलेशन में गड़बड़ी, बहुत गन्दा बिजनेस लोगों ने बना दिया है। फर्जी मार्कशीटें बन रही हैं, टेबुलेशन में हेराफेरी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इतने पुराने-पुराने विश्वविद्यालय हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, अगर वहां फर्जी मार्कशीट्स बनेंगी, वहां टेबुलेशन में गड़बड़ियां होंगी, कम्प्यूटर की सी0डी0 तक बाहर चली जाती हैं, इन विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्स को बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, वरना उत्तर प्रदेश कहां जायेगा, आप सोच नहीं सकते। मैं इस बात को एप्रिसिएट करूंगा कि कुछ परिवर्तन सरकार ला रही है।

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, माननीय मंत्री जी ने आपसे व्यावसायिक शिक्षा पर बोलने के लिए आग्रह किया था।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*डा0 संग्राम यादव-

अध्यक्ष महोदय, हम आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। हम ऐसे अवसर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने शायद हमारे मुख्यमंत्री जी के बजट को देखने का काम नहीं किया है। अगर उसे देखे होते तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा से स्वतः अवगत हो गये होते कि उच्च शिक्षा के बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बढ़ोत्तरी किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, डा0 साहब ने कहा कि हमने छात्र संघों की वकालत किया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छात्र संघ को कितना महत्व देते हैं। पिछली बार जब 21 अगस्त को वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिये थे, एक घण्टे भी नहीं बीता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैम्पस में उन्होंने जाने का काम किया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान का, दुनिया का एक बड़ा विश्वविद्यालय है। वहां छात्रों को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छात्र संघों की बहाली की घोषणा की थी और कहा था कि विश्वविद्यालय केवल अधिकारी ही नहीं पैदा करते, साहित्यकार ही नहीं पैदा करते, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत नेता भी बनाने का काम करते हैं। हम उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथी जो कह रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारत का लोकतंत्र दुनिया का बेहतरीन लोकतंत्र है, आपकी पार्टी जब भी सत्ता में आती है, छात्र संघों पर रोक लगाने का काम क्यों करती है ? क्योंकि आपकी पार्टी राजनीति में गुण्डों को, माफियाओं को लाने का काम करती है। आपकी पार्टी विधान सभा और लोक सभा के अन्दर ऐसे लोगों को भेजने का काम करती है जो कभी राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने का काम नहीं करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जब-जब छात्र संघों की बहाली की बात हुई। तो हमारे नेता ने सभी छात्र संघ के पदाधिकारियों को बुलकार खुद नेतृत्व किया है, आंसू गैस के गोले का सामना किया है, पानी की बौछार का सामना किया है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी बैठे हैं, आदरणीय आजम खां साहब बैठे हैं। आपने डी0ए0वी0 के छात्र संघ का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाकर डी0ए0वी0 छात्र संघ का उद्घाटन करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नेत्री का छात्र संघ के बारे में क्या दृष्टिकोण है। मान्यवर, हमारे किसी वक्ता ने कहा कि ऐसे पदों पर किसी शिक्षाविद् को होना चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि जब हमारी उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार थी तो चाहे रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति का सवाल हो या प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का सवाल हो हमारी पार्टी ने किसी नौकरशाह को कुलपति बनाने का काम नहीं किया। शिक्षाविदों को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा आयोग का चेयरमैन हमारी पार्टी के नेता ने एक शिक्षाविद् को बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन हमारी पार्टी ने एक शिक्षाविद् को बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा आयोग का चेयरमैन हमारी पार्टी ने एक शिक्षाविद् को बनाने का काम किया। हमारी पार्टी आज शिक्षा के सवाल पर हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लेपटाप देने की योजना है, जो टेबलेट देने की योजना है और छात्र संघों को बहाल करने का काम किया है वह सराहनीय है। आज हमारी पार्टी शिक्षा के सवाल पर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रही है। आज इस सदन में हमारे बहुत से छात्र संघ के पदाधिकारी बैठे हैं जिनको पूरे प्रदेश में अगर पहचान देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन के लिए आपने जो क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सदन में जब बहुत बड़ी-बड़ी बातें प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और छात्र संघ के बारे में हो रही है। हो सकता है मेरा विषय इससे संबंधित न हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र का हूं जहां 5 लाख की आबादी में एक भी व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये केवल एक डिग्री कालेज है जिसमें केवल आर्ट साइड के स्नातकों को शिक्षा देने का काम होता है। यह बड़ा शर्मनाक लगता है जब मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत सारी विसंगतियां इस उत्तर प्रदेश में हैं। मैं निघासन विधान सभा क्षेत्र से चुना गया है वहां पर केवल गन्ना किसानों का पैसा कटौती करके एक मात्र डिग्री कालेज बना है जो कि किसानों ने बनाया है। सरकार का कोई योगदान नहीं है। कन्या डिग्री कालेज और व्यावसायिक शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये सर्वथा हाई स्कूल और इण्टर कालेजों का भी अभाव है। प्राइमरी शिक्षा का तो काम हो रहा है। लेकिन इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों को भी छांटा जाये जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गये हैं और बजट में उसका प्राविधान किया जाय। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे यहां जो नौजवान हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाने के कारण उनकी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है और वहीं वह कुंठित भी हो रहे हैं। कुंठित होने का दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि पूरे क्षेत्र की प्रगति रुक जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर नौजवानों की ऊर्जा, बुद्धि और उनकी क्षमता का सदुपयोग नहीं होता है वह समाज पिछड़ता चला जाता है। ऐसे बहुत सारे विधान सभा क्षेत्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बजट में प्रावधान करके जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर डिग्री कालेज, हाई स्कूल और इण्टर कालेज खोलने का प्रयास किया जाये। निघासन विधान सभा क्षेत्र के लिए एक मात्र अनुरोध कर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक महिला डिग्री कालेज और एक डिग्री कालेज जो हमारा फंसा हुआ है गन्ना विभाग में हमारा पैसा जमा है उस पैसे को अवमुक्त कराकर के डिग्री कालेज खुलवाने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी बजट पेश किये गये हैं, वह बजट अत्यन्त संवेदनशीलता के द्योतक हैं और उनसे यह जाहिर होता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है और जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनको लागू करने के लिए जो भी बजट पेश हुए हैं मैं चाहता हूं और मेरा यह मानना है कि इस बजट पर किसी को कटौती प्रस्ताव रखने की कोई जरूरत नहीं है, यह बजट बहुत अच्छे पेश हुए हैं और जनहित में पेश हुए हैं। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि कि उच्च शिक्षा का जहां तक मामला है बिना सुबह बहुत बड़े-बड़े विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जो अनुदानित विश्वविद्यालय हैं मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था तो इसमें अरबी-फारसी का कथित विश्वविद्यालय खुला है उसका नाम भी मा0 कांशीराम जी के नाम पर रखा गया है क्या कोई फारसी

का हमारा स्कालर नहीं था, फारसी जानने वाला, क्या मुसलमानों से इतनी नफरत है लोगों को कि फारसी विश्वविद्यालय का नाम भी आप कांशीराम जी के नाम पर रखेंगे। दूसरी बात एक विश्वविद्यालय मौलाना जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर मुझे मिला इसमें लिस्ट में उसके सामने भी लिखा है कि संचालित नहीं है। तो मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि माइनारिटी के लोग जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है और रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है तो हम सबसे नीचे तरक्की की दौड़ में हैं, चाहे एजूकेशनली हो, चाहे फाइनेंसियली हों और चाहे सोशली हों। आज हम लोगों के इलाके में प्रस्ताव बजट के शुरू में दिया है कि ऐसे इलाके में कालेज खोले जायेंगे जहां माइनारिटी की मेजारिटी है, जो जिले माइनारिट के जिले कहलाते हैं। तो मेरी दरखास्त यह है कि मेरे क्षेत्र में सिवालखास एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा कस्बा है जहां उसके तीस-तीस, चालीस-चालीस किमी0 की दूरी पर कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है, जहां से कन्याओं को भेजने के लिए, लड़कियों को भेजने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मेरी दरखास्त है कि मेरे क्षेत्र सिवालखास में एक कन्या महाविद्यालय कायम किया जाय इसके अलावा चूंकि माध्यमिक का भी बजट है तो हमारे इतने बड़े-बड़े 15-15, 10-10 हजार आबादी के गांव हैं, 20-20 हजार आबादी के गांव हैं और माइनारिटी के गांव हैं, उन गांवों में जीरो परसेण्ट लिटरेसी है खासतौर से लड़कियों में, तो मेरी दरखास्त है कि उन गांवों की मैंने लिस्ट भी दी है, उन गांवों में भी इण्टर कालेजेज, राजकीय इण्टर कालेज कन्याओं के खोले जायें और इसी तरह से मेरा एक सुझाव है, मेरी दरखास्त है जो महाविद्यालय 10-10 वर्षों से माइनारिटी के द्वारा खोले गये हैं उन महाविद्यालयों को ग्राण्ट पर लाया जाय जो कालेज बी0काम0 और बी0ए0 वगैरह की शिक्षा वहां है, उनको भी अनुदान पर लाया जाय। माइनारिटीज की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए उनको अनुदानित किया जाय।

श्री ओम कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे शिक्षा के ऊपर जो बजट पेश हुआ उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं जिला बिजनौर की पहली बार बनी नहटौर विधान सभा से चुन कर के आया हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अन्दर दो कस्बे आते हैं एक नहटौर और एक हल्दौर, इन दोनों कस्बों में एक भी डिग्री कालेज नहीं है और न कोई उच्च शिक्षा के लिए इण्टर कालेज से ऊपर की कोई व्यवस्था है और वहां पर न कोई पालीटेक्निक स्कूल है न कोई इंजीनियरिंग स्कूल है, तो मैं मा0 अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे नहटौर विधान सभा के अन्दर जो दो कस्बे हैं। इनके किसी में भी नहीं हैं। इनमें 10 किलोमीटर का फासला है, यहां पर एक राजकीय डिग्री कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज खुलवाया जाये।

श्री नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव"-

मा0 अध्यक्ष जी आपने समय दिया बोलने का इसलिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद। कई दिनों से समय मांग रहा था और आज आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जितनी भी बातें इस शिक्षा के बजट में कही गई हैं, सारी चीजें पूर्णतः अपने आप में परिपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ जिले के सदर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर के आया हूं, जहां पर हमारी प्रतापगढ़ की महान विभूतियां इस सदन में बहुत ढेर-सारे महाविद्यालय, डिग्री कालेजेज और

इण्टर कालेजेस हैं। मान्यवर, मगर बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वहां पर आज भी झोले में ले जाकर के विश्वविद्यालय चलाये जाते हैं, जितनी बड़ी माफियागीरी प्रतापगढ़ जनपद में है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगी। जितने भी महाविद्यालय हैं, उनमें आरक्षण का कहीं भी किसी तरह से पालन नहीं किया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, वहां आरक्षण की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है। वहां पर पिछड़े और दलित वर्ग के मुसलमानों के एडमिशन में भी दिक्कतें पैदा की जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिनों बाद भी, आदरणीय नेता कांग्रेस इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं, दुर्भाग्य है प्रतापगढ़ जनपद में छात्र संघों का कहीं पर भी चुनाव आज तक नहीं कराया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराईयों से स्वागत करता हूं कि और यह मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में छात्र संघों का चुनाव कराया जाये। यह कराया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि प्रतापगढ़ की राजनीति में हम लोग प्रतापगढ़ से बाहर छात्र जीवन में पढ़कर के, राजनीति करके अब प्रतापगढ़ में छात्र संघों की बहाली के लिए जो आदेश हैं, उसका पूरी तरह से अनुपालन कराया जाये क्योंकि शिक्षा विभाग में जितनी बड़ी माफियागीरी है, उसको भी रोकने का काम जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, उनके द्वारा किया जाना जरूरी है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, इण्टर कालेज और डिग्री कालेज खोलकर उनके द्वारा जो कमजोर और पिछड़े तबके के लोग हैं, उनका शिक्षा के नाम पर शोषण किया जाता है और उनके जो हक और अधिकार हैं। उनसे उनको वंचित करने का काम किया जाता है। प्रतापगढ़ जनपद पिछड़े जनपदों में आता है, क्योंकि शिक्षा के बहुत बड़े-बड़े विद्यालय हैं और उनके प्रबंधन के लिए आये दिन कहीं न कहीं कोई विवाद होता रहा है। इस तरह से इन विद्यालयों पर कभी एक का कब्जा हो रहा है, कभी दूसरे का कब्जा हो रहा है। कभी कोर कमेटी बनाकर के, उसको दूसरी कमेटी बनाकर के हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और कभी जिला न्यायालयों से उन्हें बाधित करने का काम किया जाता है, जिससे पठन-पाठन का माहौल दूषित होता है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक सरल सा निवेदन है कि इस तरीके से जो शिक्षा विभाग में आये दिन प्रबंध तंत्र को लेकर के, यह अराजकता पैदा की जाती है। तमाम विद्यालयों को जिन्होंने विद्यालय खोला है, उनके विद्यालयों को छीन करके दूसरी कमेटी बना करके उस पर कब्जा करने का काम किया जाता है। इन सारी चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा अनुरोध है वह यह है कि प्रतापगढ़ में छात्र संघों की बहाली की जानी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा पर जो बजट आया है, मैं बहुत देर से सुन रही थी, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में यदि इतिहास उठाकर देखा जाये तो हिन्दू परम्पराओं में चाहे ब्याह हो, शादी हो, बच्चे पैदा हों, संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति में महत्व दिया गया था। माननीय मंत्री जी द्वारा जो पुस्तिका दी गई है, इसमें कहीं भी संस्कृत महाविद्यालय का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में चलता है, संस्कृत पढ़कर बहुत सारे छात्र समाज में चाहे वह ज्योतिष पढ़ रहे हों, चाहे वेद-वेदान्त पढ़ रहे हों या उपदेश दे रहे हों, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के परिवार पलते हैं। मैं देख रही हूं कि संस्कृत महाविद्यालयों की जो दुर्दशा है उसका मैं वर्णन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बजट में संस्कृत विद्यालयों को भी प्राथमिकता दी जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि हर बजट में बुन्देलखण्ड की चर्चा आती है, चाहे सूखे को ले करके हो, चाहे सिंचाई को ले करके हो। मान्यवर, महोबा और हमीरपुर यह दो जनपद ऐसे हैं जहां कोई भी व्यावसायिक विश्वविद्यालय नहीं हैं और न ही वहां कोई इंजीनियरिंग कालेज है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करती हूं कि हमीरपुर-महोबा के बीच में कहीं भी इंजीनियरिंग कालेज खोला जाये जिससे कि वहां के बच्चे वहीं पढ़ सकें। मान्यवर, एक सूत्र है "उजड़ते गांव और बिगड़ते शहर" मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। गांव क्यों उजड़ रहे हैं और शहर क्यों बरबाद हो रहे हैं, यदि गांव में लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाये, चाहे वह डिग्री कालेज हो, चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हों, किसी भी कालेज के माध्यम से यदि गांव में शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाये तो मुझे लगता है कि कस्बे भी नहीं उजड़ सकते और गांव को भी सुविधा मिल सकती है। इसलिए मान्यवर, यदि उजड़ते गांव और बिगड़ते शहरों को ठीक करना है तो गांव में शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान्यवर, जब डिग्री कालेजों में महिलायें या बच्चियां जाती हैं तो वहां की स्थिति ऐसी होती है कि मां-बाप अपनी बच्चियों को डिग्री कालेजों में भेजने से डरते हैं क्योंकि डिग्री कालेजों में लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं है। लड़की जाती है उसके साथ छेड़खानी की जाती है इसलिए मान्यवर, शिक्षा के साथ महिलाओं की सुरक्षा की भी चिन्ता की जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अभी बहुत सारे बजट हैं उस पर बोल लीजिएगा। माननीय मंत्री जी, जो मा0 सदस्य कटौती रखे हैं वह दो मिनट बोल लें उसके बाद समुचित उत्तर आप दे दीजियेगा।

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, जो कटौती रखे थे वह चले गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, एक शासनादेश जारी कर दिया था बी0एस0पी0 गवर्नमेन्ट ने।

श्री अध्यक्ष-

जब उच्च शिक्षा का बजट आयेगा तो आप बोल लीजिएगा।

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्राविधिक शिक्षा पर मैंने बजट प्रस्तुत किया था, हम लोग तैयारी भी करके आये थे लेकिन कोई माननीय सदस्य इस पर एक शब्द भी नहीं बोला, हां हल्के-फुल्के सुझाव अवश्य आये। मुझे उम्मीद थी कि माननीय सदस्य कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं हम उन पर विचार करेंगे और मैं चाहता हूं कि वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कटौती का प्रस्ताव रखना था लेकिन उन्होंने किसी और से रखवाया क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्राविधिक शिक्षा विभाग को इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से लूटा है, इस तरीके से बरबाद किया है, इस प्रकार से

इन लोगों ने पूरे प्रदेश में लूट-खसोट का डंका बजाया है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा था नहीं यह जानते थे कि अगर इम बोलेंगे तो पकड़े जायेंगे और सारी चीजें उजागर हो जायेंगी इसलिए इन लोगों ने इस बजट पर बोलने का काम नहीं किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक वित्तीय गुणवत्ता सहित क्षमता जुटाने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़ क्यों रहे हैं ऐसे ही बताइये।

राज किशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बस इतना ही बताना था हमारे माननीय सदस्यों ने प्राविधिक शिक्षा के बारे में जो बातें यहां पर कही हैं, जो सुझाव दिये हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार तो वैसे ही आज की डेट में खजाना खोले बैठी है, क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जितनी शक्ति हमारी सरकार के पास है पूरी झोंक रही है। इस सरकार में न तो लूट होगी न खसोट होगी और न ही एक पैसे की बेईमानी होगी और पिछले पांच वर्षों में जो क्षति हुई है प्रदेश की, उससे कई गुना ज्यादा प्रदेश विकास के रास्ते पर जायेगा, इसलिए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने जो-जो सुझाव दिये हैं उन पर हम अमल करेंगे, हमारी सरकार अमल करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई, मेरा अनुरोध है कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में आई0टी0आई0 बनने के लिस सरकार की ओर से गया था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आई0टी0आई0 व्यावसायिक शिक्षा में आता है, यह प्राविधिक शिक्षा का बजट है, इसलिए जब व्यावसायिक शिक्षा का बजट आयेगा तब आप इसे पूछ लीजियेगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,54,47,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

एक परम्परा है कि जो कटौती का प्रस्ताव रखता है वह अन्त में अपनी बात रखता है, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री उमाशंकर-

मान्यवर, जिन हमारे सम्मानित साथियों ने, वह चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर किसी न किसी रूप से अपनी बात रखी है। मान्यवर, जो किताब मिली हुई है, उसमें चर्चा की गई है कि प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जहां कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है, यदि वहां पर जमीन की उपलब्धता है तो वहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की सरकार की योजना है। मान्यवर, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें मेरा सुझाव था कि विकास खण्ड तो बहुत बाद में आते हैं पहले हम जिला मुख्यालयों को देख लें।

हमारे प्रदेश में कितने ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहाँ पर राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है, कितने नगरपालिका क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं हैं, तहसील मुख्यालय देख लें उसके बाद फिर विकास खण्ड आता है। विकास खण्ड में राजकीय कन्या महाविद्यालय बने यह अच्छी बात है लेकिन शुरुआत ऊपर से हो तो अच्छा रहेगा। यह जो बजट है उससे यह नहीं लगता कि सारे विकास खण्डों में एक साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय खोल सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जिला मुख्यालय हो, नगर पालिका क्षेत्र हो, पहले इनका चयन हो जाय उसके बाद यदि आपके पास बजट में अतिरिक्त धनराशि बचती है तो निश्चित रूप से आप टाउनएरिया पर जायं, विकास खण्डों पर जांय। मान्यवर, दूसरा, एक सुझाव मेरा और था क्योंकि जिस तरह से एक शोध हुआ था जो हमारे उच्च शिक्षा में पचास हजार से अधिक छात्र दूसरे प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। इसमें एक अनुमान लगाया गया था कि लगभग दो हजार करोड़ रुपया हमारे प्रदेश का दूसरे प्रदेशों में जाता है। कहीं न कहीं से हमारी शिक्षा व्यवस्था में खामियाँ हैं जिस पर चर्चा भी हुई है। उसमें कुछ सुधार करने के लिए दो-एक सुझाव रह गये थे। हमारे यहाँ आजकल प्रचलन है नया महाविद्यालय खोलने की। जगह-जगह पर नये महाविद्यालय बहुत तेजी से खुल रहे हैं। उसका कारण है कि उसके मानक तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें हैं, कहीं हमने जमीन देखी, तुरन्त विधायक निधि से हमने पैसा दिया और और दो-तीन कमरे बने और विद्यालय चलने लगा। विद्यालय चलने लगता है। अध्यापक कैसे रखते हैं, हम सर्टीफिकेट दिखाते हैं कुछ और कि यह इनका क्वालीफिकेशन है और इस-इस क्वालीफिकेशन के अध्यापक हम रखेंगे लेकिन रखते हैं बगल के विद्यालय से पढ़ा हुआ, जो नकल से अच्छा मेरिट ले करके आ गया उसको रख लिये। अब आप बतायें हम कागज में कुछ और दिखा रहे हैं। जो हमारे नये छात्र/छात्रायें जायेंगी उनको क्या शिक्षा देंगे। इस पर बहुत ठोस नीति बनानी पड़ेगी। जिससे इस पर अंकुश लगे। जो निर्धारित क्वालीफिकेशन है उसी स्तर के लोग कालेजों में शिक्षा दें। जो कालेज खुल रहे हैं, आप देखेंगे किसी भी महाविद्यालय में सुसज्जित प्रयोगशालायें नहीं हैं। प्रयोगशालाओं का केवल हम कागज देते हैं कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं। कहीं भी किसी महाविद्यालय में आप आकस्मिक दौरा करके देख लें। कहीं भी आपको प्रयोगशाला नहीं मिलेगी। एक और सुझाव था, जिसको हम रोजगारपरक कह सकते हैं। कुछ महाविद्यालयों में संध्याकालीन या प्रातःकालीन क्लासेज चलाने की आवश्यकता है, जिसमें हम अपने उन छात्रों को जो उनके कोर्स हैं, उसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक ज्ञान बढ़ायें। इस तरह की व्यवस्था जो अन्य प्रदेश के महाविद्यालयों में दी जा रही है। अपने यहाँ भी करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक अन्तिम सुझाव है कि इसमें अंकुश लगाने के लिए मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि बाकी प्रदेश छोड़ दें, अपने उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाय, जिससे समय-समय पर आयोग यह काम रहे, आकस्मिक दौरा करता रहे। शिक्षा में सुधार की सारी सम्भावनायें तलाश करके देती रहे। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। केवल इस बात का संज्ञान लेकर कि हमारे उच्च शिक्षा का बजट हमारे अभिभावक अम्बिका चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। वह भी उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि बलिया, मऊ, गाजीपुर जनपद यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती है, बनारस जाते हैं। बनारस के काशी विद्यापीठ में 280 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। इसलिये देख लें सेण्टर में हो। आपने बलिया का इतिहास देखा है, चाहे 1947, 1942 हो या 1975 हो, बलिया की कितनी अग्रणी भूमिका रही है। इसी के साथ निवेदन करेंगे कि इस पर विचार करें। इसके साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी, बोल लें उसके बाद पूछना।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता है। इतने महत्वपूर्ण विभाग के साथ पिछले दिनें जो कुछ हुआ है वह एक ऐसा इतिहास है जिस पर टिप्पणी करते हुए भी शर्म आती है, इस सवाल पर पूरा प्रदेश शर्मिन्दा है। राजनीतिक कारणों से हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन इसी सदन में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है और इससे ज्यादा दुःखद कुछ नहीं हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछली सरकार ने जिनके जिम्मे उच्च शिक्षा था उनके आचरण को लेकर स्वयं सरकार आखिरी समय में मान्यवर कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी पाप बहुत करता है और अन्तिम समय आता है, जब विस्तर से उठने चलने लायक नहीं रहता है, तब कहता है कि हे प्रभु बड़ी गलती हो गयी, मुझे क्षमा कर देना। परलोक हमारा ठीक कर देना, इह लोक तो हमारा गड़बड़ा रहा है। अन्तिम चरण में उनके पापों के बारे में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया। बड़ा कुत्सित, बड़ा घिनौना, बड़ा खराब हुआ। उन पर सभी तरह के सिद्ध आरोप थे। उनको सरकार ने स्वयं स्वीकार करके बरखास्त करने का भी काम किया। बाकी जो उनके साथ हुआ उसका जिक्र ठीक नहीं है। इस सदन की मर्यादायें हैं। इसलिये मैं उल्लेख नहीं करूँगा कि उनकी गाड़ी रायबरेली में कहाँ से वापस मंगवाई गई। मुख्यमंत्री निवास में गई। उसमें से क्या उतारा गया। उसका वजन कितना था। मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूँ।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अगर मर्यादा से बंधे हैं तो आपने कहा न होता। पूरी बात बताइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार जब से आई है, उसके पूर्व सभी ढांचे चरमरा कर गिर गये थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदेश का संवैधानिक ढांचा

प्रशासनिक तंत्र का मनोबल उसी प्रकार उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने मापदण्ड हैं यह पूरी तरह से नष्ट हो गये थे। अब पूरे प्रदेश की विश्वसनीयता इस महकमे में कायम हो सके। इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं इसके प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने इस विभाग का बजट 94.78 प्रतिशत जब अपने प्लानिंग में बढ़ाने का काम किया है। वह इसे बात का द्योतक है कि किस तरह से इस विभाग को पटरी पर लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए शब्दों नारों से नहीं बल्कि योजनाओं के माध्यम से और अपने बजट में जो प्रबन्ध किये जा सकते हैं, उन प्रबन्धों के माध्यम से हम उन व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना चाहते हैं। बजट के इस अवसर पर हम खासतौर से उल्लेख करना चाहते हैं कि हम सिर्फ घड़ियाली आँसू बहाकर नहीं बल्कि बजट को दो गुना करने का काम किया। पंच्चानवे फीसदी प्लानिंग का पैसा बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ। इस सदन को भी बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की क्या संकल्पबद्धता है। यह इससे स्पष्ट हो जायेगा। कई सुझाव आए और मुझे अच्छा लगा कि कटौती के प्रस्ताव पर भी माननीय सदस्यों ने कटौती रखने वाले माननीय उमाशंकर सिंह जी ने और डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल सहित सभी सदस्यों ने एक ने भी आलोचना नहीं की। क्योंकि इसमें आलोचना का विषय नहीं था। सुझाव बड़े मूल्यवान हैं। हम आपके सभी सुझावों का स्वागत करते हैं। उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ चीजों की आपको जानकारी होगी लेकिन या तो वह सही जानकारी नही है या फिर जानबूझकर उस जानकारी के मुकाबले कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं। श्रीमन् अभी उमाशंकर सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्लाकों की बात की गई। जिला मुख्यालयों की बात ही नहीं की गई। उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अगर आप देख लेते बजट साहित्य ठीक से पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता। गोण्डा, बहराइच, सुल्तानपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर यह पाँच जनपद हैं, जहाँ राजकीय कालेज नहीं थे। मान्यवर, भारत सरकार की इस सम्बन्ध में रिपोर्ट है कि यह पाँच जिले मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं और इन पाँच जिलों में हमने इस बजट में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) जो यह जिले छूट गये थे, उनका उल्लेख मैंने कर दिया है। पता नहीं किन कारणों से यह जिले रह गये थे। मैं उन कारणों में नहीं जाऊँगा। लेकिन मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी सहमत होंगे कि इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये और इनको सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने और सभी सदस्यों ने छात्र संघों की बहाली की बात कही है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह बात आयी कि 80 प्रतिशत राशि अभी भारत सरकार ने दे दी है। मैं बता दूँ कि अभी राशि नहीं दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द राशि जारी कर देंगे। मान्यवर, प्राचार्यों की नियुक्ति के बारे में बात उठी कि लिखित परीक्षा हो या न हो। मान्यवर, सरकार उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तय नहीं करती है। यह आयोग तय करता है। आयोग उसके लिये समर्थ है कि लिखित परीक्षा हो और किन विषयों पर प्रश्न पूछे जायें। मान्यवर, कहीं भी गुरू जी आचार्य से प्राचार्य होने के लिए किसी परीक्षा में बैठे तो वह कोई अपमान की बात नहीं हो सकती है। यह व्यवस्था प्राईवेट कालेजों के लिए है। जो राजकीय कालेज है। उनमें तो प्रमोशन के द्वारा सीनियारिटी लिस्ट के आधार पर होता है। अब मान्यवर, उनका लिखने का अभ्यास छूट जाय। आचार्य जी का तो फिर भी वह प्राचार्य बनना चाहें, तो उन्हें परीक्षा तो देनी ही चाहिये। मान्यवर, हमारे यहाँ हाउस में सदस्य वरिष्ठ सदस्य जब उधर आजम खाँ साहब और राम गोविन्द चौधरी जी बैठते थे तो भी वह सुबह अपनी नोटिस लिखते थे। यह नहीं हो सकता कि बगैर किसी सदस्य के लिखे आप नियम 51 की

नोटिस स्वीकार कर लें। मान्यवर, इसीलिये मेरा कहना है कि आयोग चयन की विधि तय करता है। मान्यवर, यह बात आयी थी कि प्राइमरी के बाद बच्चे जूनियर हाई स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। विद्यालयों की कमी के कारण यह स्थिति है, फिर जूनियर हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल में और फिर हाई स्कूल के बाद इण्टर में एडमिशन में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय औसत के हिसाब से डिग्री कालेजों की उपलब्धता कम है। मान्यवर, हम मानते हैं कि यह चिन्ता का विषय है। इस पर प्रयास करना चाहिये और प्रयास हमारी सरकार ने शुरू भी कर दिये हैं। भावी पंचवर्षीय योजना में राजकीय महाविद्यालयों की जो कमी है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इस वर्ष 23 अगले वर्ष 13 उसके बाद 12 और 2015-2016 में 11 स्थापित करेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो मानक है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो असेवित विकास खण्ड है, उनको संतृप्त करने के लिये योजना बनायेंगे और बजट दिया है, हम प्रथम वर्ष में पंचवर्षीय योजना के पहले साल में 23 महाविद्यालय और अगले साल 14 फिर 13, 12, 11 करके इसको संतृप्त करने की कोशिश में है, इससे काम अकेले पूरा नहीं होने वाला है, यह भी हम स्वीकार करते हैं। जो स्थिति है, मान्यवर, हमारे यहाँ 13 राज्य विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, 16 निजी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। आगे आने वाले दौर में इसको बढ़ाना पड़ेगा और इस पर गम्भीरता से प्रयास करने पड़ेंगे। सरकारी क्षेत्र में अगर नहीं खुल सकते हैं। संसाधनों की कमी वित्तीय तौर पर उतनी सुदृढ़ स्थिति अगर खजाने से नहीं होती कि हम सरकारी खजाने से कर सकें तो फिर भी हमको उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ सरकारी कालेजेज़, डिग्री कालेज खास तौर से या यह राजकीय विश्वविद्यालय यह हमारे उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा योगदान निजी क्षेत्र से आने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों का और विश्वविद्यालयों का है तो आगे आने वाले दौर में यह और बढ़े इस पर कोई सरकार को आपत्ति भी नहीं है और हमारा दृष्टिकोण भी यही है। हम इसको करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। एक जी पीपीपी मॉडल है। उसको उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे भी कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि सरकार का नियंत्रण रहे उसके प्रबन्ध पर, पूरी तरह से वह उससे मुक्त न रहे और गुणवत्ता बनाये रखकर, शिक्षा का स्तर बनाये रखकर हम उनके संसाधनों का इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र के और सहयोग से इसको चला सकें और बेहतर व्यवस्था मान्यवर, कर सकें इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं। मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बात आई है कि तमाम आईआईटी के लिए कामन टेस्ट, मेडिकल कालेज के इन्ट्रेन्स के राष्ट्रीय स्तर पर कोई टेस्ट उसी प्रकार वह अलग है, उसका विरोध भी है, समर्थन भी है, अलग स्तर है, अलग-अलग ढंग से लोग देख रहे हैं। लेकिन हम पहली बार राज्य विश्वविद्यालयों मे कोई डिसपैरिटी नहीं रहने देना चाहते हैं, जो हमारे स्टेट के विश्वविद्यालय हैं, उनके लिये हम एक कामन इलीजिबिलिटी टेस्ट कराना चाहते हैं। डॉ0 राम मनोहर लोलिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के द्वारा जो इस साल होगा, पहली बार किया है, और यह बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का स्तर समान रूप से पूरे प्रदेश में रहे और आप इस बात से कि कौन हीन है और कौन उच्च है, उसके भेदभाव के बिना सभी राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक स्टैण्डर्ड से हम उनके एडमीशन को तय कर सकें, इसके लिये कामन इलिजिबिलिटी टेस्ट इस साल कराया जा रहा है। मान्यवर, छात्राओं को हमने पूरी तरह से शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा है, यह हमारे घोषणा-पत्र में शामिल था और हमने

इसका प्राविधान किया है। छात्राओं को उच्च शिक्षा में पूरी तरह से शुल्क मुक्ति का प्रबन्ध किया है। चर्चा आई थी किसी माननीय सदस्य ने कहा, मुझे स्मरण नहीं है कि हमारे पास परी तरह से आंकड़े ही नहीं हैं। वह आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम उसका एक परमानेन्ट डाटाबेस बनवा रहे हैं। छात्रों का भी, अध्यापकों का भी, शिक्षा जगत से जुडे अन्य जो उससे जुड़ी जो अन्य जानकारियां हैं उसका भी करने जा रहे हैं, और सुनिश्चित करेंगे। प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी ने कहा कि पिछली बार जो खेल हुआ कि ऊपर का कवर बदलकर और 50 रुपये की किताब का मूल्य 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये किया गया, किसी हालत में यह लूट समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार में किसी भी कीमत पर इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार पैदा नहीं होने दिया जायेगा, पनपने की बात तो बहुत दूर हो गयी, थोड़ा सख्ती से इसको देखने का काम करेंगे। श्रीमन्, हमारे सामने केन्द्रीय स्तर पर यूजीसी स्तर से जो चीजें होनी चाहिये, उनमें भी आम तौर पर उत्तर प्रदेश की अनदेखी होती रही है। उस स्तर पर भी सम्मिलित रूप से प्रयास होना चाहिये और एक बात और मान्यवर, आज पूरा हिन्दुस्तान हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता की बात जब करते हैं और वहाँ के बड़े-बड़े लोग कहते हैं, यह आईटियन है, सबसे काबिल है, आईआईटी करके जाने वाले लोग उनसे पूछते हैं कि आपका सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कौन सा है, वह कहते हैं, हमारा आईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी रुड़की है, उन्होंने पूछा आपके यहाँ पिछले 10 सालों में कितने रिसर्च हुए, बेसिक तो सिर झुका लेते हैं, क्योंकि एक भी रिसर्च नहीं हुआ। बिना शोध के मान्यवर, सिर्फ पुरानी तौर पर अगर हम चलते चले जायं तो बड़े संस्थानों का कोई अर्थ नहीं है। रटी-रटाई पढ़ाई तो किसी भी स्कूल में हो सकती है। यहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है। लेकिन जहाँ विद्वान के मस्तिष्क का प्रयोग होना चाहिये शोध के मामले में हिन्दुस्तान बहुत पीछे है, और इसीलिये हर चीज में हम पश्चिम के देशों का मुँह देखते हैं। वहाँ जो रिसर्च होता है, जब वहाँ सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, वहाँ का कूड़ा-वूड़ा जब बच जाता है तो उस कूड़े को हम अपने यहाँ लागू करना शुरू करते हैं, क्योंकि अपना क्रीम वो हमको कभी देने को तैयार नहीं हैं और बौद्धिक सम्पदा के जो कानून है, मान्यवर, इन कानूनों के तहत वो सुरक्षित हैं। हम चाह करके भी उनको सीधे-सीधे कॉपी नहीं कर सकते। ये पेटेण्ट कानून, कॉपी राइट ऐक्ट और तमाम चीजें जो उन से जुड़ी हुई, इस ढंग से हैं कि वो इनका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया के जितने विकासशील देश हैं, उनका उससे शोषण होता है। उत्तर प्रदेश में हमको जो शुरुआत करनी चाहिये कि हम अपने विश्वविद्यालयों में शोध का माहौल ऐसा बनायें और उनको हम लायक करें कि उनको भीड़ से भी बचायें। ये सुझाव बहुत अच्छा है, और उनको हम लायक करें कि जहाँ अच्छे शोध हो सके और हम अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सकें और उसके साथ मान्यवर, इस समाज, प्रदेश और देश को अपना योगदान दे सकें। ऐसा एक माहौल बनाने की जरूरत है, सरकार इसमें बहुत गम्भीरता से विचार करेगी। अभी यद्यपि इस बजट में जो प्रस्ताव है उनमें कोई स्पेशिफिक बिल्कुल हमारे पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस तरीके का नहीं है। लेकिन यह सुझाव स्वीकार योग्य है और इस सुझाव पर बहुत गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है कि हम कैसे शोध का माहौल बनायें और अच्छे शोधों का प्रोत्साहन करें। और उनको प्रोत्साहन दे करके उनकी मेधा और प्रतिभा का कैसे इस्तेमाल कर सकें। इसको करने की आवश्यकता है मान्यवर। एक बार जरूर होगी कि सीटों का कुछ संकट की स्थिति हो सकती है कि इण्टरमीडिएट में ज्यादा विद्यार्थी पास हो गये और उनको हायर एजूकेशन में नहीं दे सकते। कुछ सुझाव आये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, व्यावसायिक शिक्षा भी है, उस पर भी आप।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप जो कहेंगे। व्यावसायिक शिक्षा पर किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं प्रस्ताव रख दूँगा, आप पास कर दीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

है, मेरे पास है।

श्री अम्बिका चौधरी-

इन लोगों ने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं कहा। कहने के बाद भी नहीं कहा। मान्यवर, इसलिये एक सुझाव आया कि शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा न दिया जाय। यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है। यह सुझाव बहुत व्यावहारिक नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बनी रहे और गरीब छात्रों को पढ़ने के अवसर कैसे प्राप्त हों। इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन मान्यवर, यह निजी क्षेत्र में यह न खोलें जायं। यह बात हम स्वीकार भी नहीं करते और इससे हमारी समस्याओं का हल भी निकलने वाला नहीं है। निजी क्षेत्र सिर्फ व्यवसाय केन्द्र न बन जाय, जहाँ छात्रों को लूट करके वो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बिल्डिंग खोलते रहें। मान्यवर, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये। लेकिन निजी क्षेत्रों में ये विद्यालय, महाविद्यालय न खोलें जायं, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। ये होना चाहिये, क्योंकि अकेले सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती और इसके लिये बहुत दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मान्यवर, जहाँ तक ये वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न है। मान्यवर, आप भिज्ञ हैं, इससे कि राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता है। नाम के सुझाव से लेकर के उसके चयन तक उसका कोई दखल इसमें नहीं होता। महामहिम राज्यपाल महोदय करते हैं और शायद यही एक काम ऐसा है, बाकी में महामहिम राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद् की सलाह से करते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है जिस विषय में सरकार को कोई आमतौर नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन मा0 मंत्री जी, कुछ राज्यों में सरकार भी करती है। गुजरात में कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ जगहों पर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं मान्यवर। वो कैसे हों, इस पर पूरे विश्वविद्यालय की छवि उसका पूरा माहौल और उससे जुड़े छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। इसलिये इस विषय पर सचमुच में इस पर गम्भीरता से आगे सोचने की आवश्यकता होगी। जैसा आपने इंगित किया है। मैं इसके आगे इस पर और कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक बात है कि सर्वोत्तम लोगों को वहां पर होना चाहिये और वो बख्शीश की तरह किसी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिये। योग्यता को ही मुख्य आधार माना जाना चाहिये यद्यपि हम यहाँ से कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं किसी की योग्यता नहीं थी, उसको वहाँ कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही वहाँ जाय। क्योंकि कालेज का प्रिंसिपल और यूनीवर्सिटी का वाइसचांसलर अकेले उसका नेतृत्व इतना प्रभावी होता है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय

और डॉ0 राधा कृष्णन ने जो परम्परा डाली तो आज भी जो वहाँ जाता है, उसको भय लगता है कि हम किस कुर्सी पर हैं और उसको बताया जाता है कि आप किस कुर्सी पर बैठे हैं, इससे दिशा बनती है उसकी। तो यह दिशा देने वाले लोग हैं। जो राज चलाने का रास्ता कहते हैं, वह राज क्या चलायेगा। राज कैसे चले यह नालंदा और तक्षशिला ने तय करने का काम किया था कि राज्य कैसा हो, राजा कैसा हो और नीतियाँ कैसी हों ? राजा को आवश्यकता होती थी कि विश्वविद्यालय से पूछे और पूछ कर अपनी नीतियों का निर्धारण करे। हम ठीक इसी तरीके से एक महौल बन सके उत्तर प्रदेश में, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आगे आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह पिछले 5 वर्षों में जो कुछ एन0ओ0सी0 के नाम पर हुआ, उस पर ज्यादा समय खर्च करके कोई बात नहीं करना चाहते, सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ मिट्टी डालिये उस पर।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

सरकार की नीति सामने आ गई कि जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप सुन तो लीजिये। अभी मेरा वाक्य पूरा ही नहीं हुआ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान्यवर, पिछले दिनों क्या हुआ। उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उस पर मिट्टी डालने की जरूरत है। जितनी भी धाँधली हुई है, उसमें एक भी अपराधी को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि अपराधी को अगर दण्ड न दिया जाय तो मान्यवर, तो यह एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि अपराध है, अपराधी को दण्ड देने का काम जिसके जिम्मे हो वह अपराधी को दण्ड न दे। इस सूबे के साथ जो कुछ हुआ है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। चर्चा करने लायक नहीं है, कार्यवाही करने लायक है। मान्यवर, इसलिये मैं अनुरोध यह करना चाहता हूँ कि आज जो यह बजट आया है, उच्च शिक्षा विभाग का। मान्यवर, यह स्वयं अपने मे इतने फीचर्स लिये हुये है कि और हमने सभी तरह के संसाधन के लिये इस बजट में प्राविधान किया है, देखा नहीं आपने। आई कालेज है जो क्रिश्चयन मिशनरी के लोग चलाते हैं, लेकिन मान्यवर, इतना प्रसिद्ध कालेज था लखनऊ का। इसकी भी अनदेखी लगातार हुई है, इसके लिये भी बजट में प्राविधान किया है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, लाइब्रेरी की स्थापना के लिये हमने मान्यवर 5 करोड़ का प्राविधान बजट में किया है। प्रदेश के न्यून सकल नामांकन वाले जिले में मॉडल महाविद्यालय की स्थापना के लिये हमने 95 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रबन्ध किया है और मान्यवर, मुझे बहुत खुशी है बहुत प्रसन्नता है कि जिस पर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया था, जमाना तो माफ नहीं करेगा इन्हें इसके लिये। आगे आने वाले दिनों में इन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मान्यवर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिये भी हमने अपने बजट में शानदार इंतजाम किया है 10 करोड़ रुपये का। पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा का माहौल इस तरह का हो सके, सभी वर्गों के प्रतिभावान छात्र-छात्रायें आगे आ सकें। शिक्षा का प्रकाश देकर इनके जीवन को रोशन किया जा सके, यह सरकार का इरादा है और इसका प्रबन्ध हमने अपने बजट में भी किया है। इसलिये मान्यवर, मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम आज सदन करे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो चर्चा शुरू हुई है उस पर सरकार का ध्यान लगाना चाहता हूँ। यह जो नेशनल कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं, आपने उसकी चर्चा की है, उसके बाद किसी विभाग में इसकी बात आनी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम नेशनल कॉमन इलीजिबिलिटी टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

हमारी बात सुन लीजियें हम समझ गये आपकी बात। यह अपने प्रदेश के हित में नहीं है। हमारे पास डाक्टर्स की कमी है और अगर यह राष्ट्रीय परीक्षाओं में हम सहभागिता कर लेंगे तो स्नातकोत्तर की अधिकांश सीटें हैं, यह उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों के पास चली जायेंगी और फल यह होगा कि जब चिकित्सालय में हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को खोजेंगे तो वह पढ़-पढ़ कर अपने प्रदेशों में जा चुके होंगे और हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी जहाँ की तहाँ रह जायेगी। इसलिये हमको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके पहले कि हम कपिल सिब्बल जी के उस प्रोग्राम पर हम अपनी सहमति दें। दूसरी बात आपके माध्यम से सदन मे आई यह बहुत मौलिक विषय है, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त हुए, कैसे हुए, क्या हुए, मैं नहीं जानता अप्रत्यक्ष रूप से आप सम्बन्धित हैं, बहुत ऊँचे विचार के कुलपति वहां आये होंगे, लेकिन जितनी नकल इस बार वहां हुई, माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इससे परिचित हैं, शायद कभी नहीं हुई होगी। तीन-तीन पर्चे आउट हो गये, ब्लैक बोर्ड पर बोल-बोल कर पर्चे लिखाये गये, पर्चे बाजार में फोटो स्टेट मशीन पर फोटो स्टेट कराकर स्कूटरों पर लादकर परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाये गये। परीक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ कि ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि चलते-चलते बात आई है, इसलिये माननीय मंत्री जी ने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का पक्ष रखा है, यहाँ यह बहस भले न हो सके लेकिन आपके स्तर पर सारे लोगों को बैठाकर बहस होनी चाहिये। यह जो शक्ति कुलपति के सन्दर्भ में दी है यह इस सदन का और सदन के माध्यम से सरकार की कोई भूमिका ही नहीं बनी है, कोई नियंत्रण ही नहीं बना है। मैं आपको यह बताऊँ अध्यक्ष महोदय, जब हमने इस परीक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार के बारे में लड़ाई की और हमारे मण्डलायुक्त ने उस पर कार्यवाही करने के लिए आदेश निकाला तो उन्हें फोन आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ? तुमने विश्वविद्यालय की व्यवस्था में हस्तक्षेप कैसे कर दिया ? तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते हो कि वह कहाँ से गवर्न होती है। यह जो व्यवस्था बनी है यह जो उछृंखलता थी इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह पी0एच0डी0 के लिए कामन एलिजिबिल्टी टेस्ट रखा है, यूनिवर्सिटीज के बीच में, मैं समझता हूँ, इससे असहमत होने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने स्पष्ट कर दिया क्लीयर हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्रीमन् उत्तर प्रदेश में लगभग 6 महाविद्यालय हैं जहाँ पर स्थायी प्राचार्य नहीं हैं। जुलाई का महीना शुरू हो जायेगा, 15 दिन बाद। एडमीशन की समस्या होगी। हर वर्ष यह प्रश्न सदन में उठता है कि 15-20 परसेन्ट सीटें बढ़ा दी जायं। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूँ कि जिन महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य नहीं हैं, क्या मंत्री जी इस सदन में घोषणा करेंगे और उनको इसी सत्र से स्थायी प्राचार्य देंगे। दूसरी बात जो इच्छुक छात्र हैं और जो नियमों में आते हैं, जिनके 40 परसेन्ट से ज्यादा मार्क्स हैं उन लोगों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया, हम मंत्री जी से जबर्दस्ती स्पष्टीकरण दिला नहीं सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्राचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। हम अधियाचन भेजते हैं और आयोग उनकी नियुक्ति करता है, स्थायी। हम सरकार की ओर से उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा विभाग की ओर से मान्यवर, उनका अधियाचन भेजा जा चुका है।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी कृपा आपकी, कि आपने हमें अपना प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मान्यवर, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 से 29 जून 2009 को एक शासनादेश जारी हुआ। पहले कालेजेज को खोलने के लिए एन0ओ0सी0 शासन देता था, यूनिवर्सिटी में प्रस्ताव जमा होते थे और शासन से एन0ओ0सी0 हो जाती थी, फैकल्टी खोलनी हो, या कालेज खोलना हो, इस शासनादेश से यह हो गया कि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें मण्डलायुक्त अध्यक्ष सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी और क्षेत्र के उच्च शिक्षाधिकारी उसके सदस्य होंगे, और इसमें इन्होंने यह कहा कि उक्त समिति द्वारा जो विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उनको एन0ओ0सी0 दे दी जायेगी, लेकिन इसमें एक कन्डीशन लगायी गयी कि 31 दिसम्बर तक अगर एन0ओ0सी0 जारी हो जायेगी तो जनवरी वाले सत्र में उसको एफीलेशन मिल जायेगा। मान्यवर, प्रश्न यह है कि अभी आचार संहिता लगी थी, प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और जिस तरह से मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उसमें करीब ढाई सौ से पाँच सौ तक ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर में एन0ओ0सी0 तो प्राप्त कर ली है, लेकिन इनको अगले सत्र में कक्षा संचालन की अनुमति दी जायेगी।

एक मा0 सदस्य-

इसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

तो इसको संशोधित कर दिया जाय और इसी शिक्षण सत्र से लाभ दे दिया जाय। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इनका प्रश्न है कि एन0ओ0सी0 नहीं मिली, पहले आपने नियम बनाया था बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया कि कमिश्नर, डी0एम0 और उच्च शिक्षा के अधिकारी जब एन0ओ0सी0 देंगे, कक्ष संचालन की, उसमें शर्त लगा दी है कि 31 दिसम्बर के पहले अगर नहीं हुआ तो अगला जुलाई का जो सत्र होगा, उसमें वह कक्ष नहीं बना सकेंगे। क्या इसमें आप कोई संशोधन कर रहे हैं ?

(डॉ0 अजय कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने मंत्री जी को बता दिया है, उनका जवाब आने तो दो। आप लिखकर मंत्री जी के कक्ष में जाकर पूछ लीजिये।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, यह जो शासनादेश हुआ है 29-06-2009 को, उसे माननीय हाईकोर्ट ने भगवती देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 16-06-2011 को जस्टिस आर0के0 शर्मा की बेंच ने क्वैश कर दिया। लेकिन बहुत दुःख की बात है, यह शासनादेश अभी तक चला आ रहा है। डबुल बेंच में स्पेशल अपील में गये और 02-08-11 को उसने भी खारिज कर दिया। शासन की स्पेशल अपील को डबुल बेंच ने खारिज कर दिया। यह बहुत दुःख की बात है कि पिछली सरकार में भी यह चलता रहा और हमारी सरकार को भी जिसे इसका संज्ञान लेना चाहिये था, यह जो आदेश है 02-06-2009 का, यह निरस्त हो जाना चाहिये था।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरीके से सचमुच में यह शासनादेश मुनासिब नहीं है और इस समस्या के हल के लिए हम संशोधित शासनादेश ले आयेंगे। मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने और कई सदस्यों ने पूछा कि सीटें बढ़ाने का क्या होगा ? मान्यवर, निर्देश जारी किये जा चुके हैं। सभी जो डिग्री कालेज हैं और सभी स्थानों पर 25 सीटें बढ़ाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि वह बढ़ा सकते हैं।

(माननीय सदस्यों ने सीटें थपथपाई)

श्री अनिल कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी कृपा करके सुन लीजिये। हमारे यहाँ जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उसके जो लोग शासन में अटैच हैं, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उन्हें कृपापूर्वक मुक्त कर दें ताकि वहाँ जो शासकीय विद्यालय चल रहा है, उसका अच्छे ढंग से संचालन हो सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ? अब कोई सुझाव मत दीजिये।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मंत्री जी को धन्यवाद भी दे दें। 25 परसेण्ट सीटें बढ़ाई हैं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, कुछ बातें तो रख लें। हमारे मंत्री विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम यह है कि जब आप कटौती का प्रस्ताव रखे, फिर बोले उसके बाद सब सदस्यों के बोलने के बाद आप फिर क्या बोलेंगे ?

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, यह तो आप पूछेंगे कि प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप चालाकी मत दिखाइये। आप बैठिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से एक जानकारी लेनी थी। प्रदेश के डिग्री कालेजों में प्रधानाचार्य के पद के लिये निर्धारित योग्यता है। जो व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा करता है, वही प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हो जाता है। अक्सर यह देखने में आता है कि जब कोई प्रधानाचार्य लम्बी छुट्टी पर जाता है अथवा रिटायर होता है तो मैनेजमेण्ट द्वारा अपने मनचाहे अध्यापक को अस्थाई रूप से चार्ज दे दिया जाता है। जबकि उसी अध्यापक को चार्ज दिया जाना चाहिये जो प्रधानाचार्य के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो और इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आ चुका है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस व्यवस्था को सही किया जाय, क्योंकि मनमानी का राज चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य स्पष्टीकरण पूछ रही हैं, जो मानक प्रधानाचार्य बनने का रखा है, जब प्राचार्य छुट्टी पर चले जाते हैं तो मैनेजमेण्ट मनमाना किसी को रख देता है। इस पर आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह तो आयोग का अधिकार है वह होगा और यह सम्भव नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया तो हम अगले दिन उसी के समकक्ष, उतने ही टेस्ट से अगले दिन बैठा दें। यह सम्भव नहीं है तात्कालिक व्यवस्था के लिए तो किसी को अधिकार देना पड़ता है। इसलिए तात्कालिक व्यवस्था में हम उनको ज्यादा बाध्य नहीं कर सकते।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस पर कटौती प्रस्ताव तो आया नहीं है इसे ऐसे ही पास करवा दीजिये।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, इस पर कटौती प्रस्ताव आया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर आया होगा तो इधर से चला गया होगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आप अपना जवाब दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्योंकि उच्च शिक्षा का बजट आया है और कटौती भी उसी पर आयी है। माहौल भी बड़ा भावुक रहा, उच्च शिक्षा में जितना पाँच साल में योगदान रहा सरकार का, वह इतना शर्मनाक, अफसोसजनक और जिल्लत भरा है शिक्षा के माथे पर इतना गंदा बदनुमा दाग है कि सोचिये तो शर्म आये उस व्यवस्था से जिस व्यवस्था ने उच्च शिक्षा को इतना जलील करके रखा था इतना घटिया और नीच करके रखा था, जहाँ पाँच सीटें अगर बढ़ानी हैं तो उसका भी पैसा दो। क्लासेस बढ़ाने हैं, उसका पैसा, कालेज बनाना है, उसका पैसा, युनिवर्सिटी बनाना है उसका पैसा पड़ता था। अधिकारियों का पैसा अलग, मंत्रियों का पैसा अलग और मुख्यमंत्री का अलग पैसा, उच्च शिक्षा विभाग की जो पिछले पाँच साल में दुर्गति हुई है और जहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है उसके बाद मान्यवर, यह बेचारी व्यवसायिक शिक्षा की क्या हैसियत है। हाथी के सामने चे पिद्दी, चे पिद्दी का शोरबा। (हँसी)। मान्यवर, इस बेचारे को ऐसे ही पास करवा दीजिये। जब हाथी निगल गये और डकार नहीं आयी तो ये पिद्दी से क्या होगा। उसका कोई पछतावा भी नहीं है। और मान्यवर, जिस गाड़ी की बात चली थी, मान्यवर, एक सफेद एम्बेसडर थी लाल बत्ती लगी हुई। रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये ताकि आने वाला इतिहास पढ़े और इस पर शोध होना चाहिये। रिसर्च होना चाहिये कि एक ऐसा भी दौर आया था। एक लाल बत्ती लगी अम्बेसडर लखनऊ से चली। मान्यवर, चूक कहाँ हो गयी। मान्यवर, मेरे कार्यालय में अक्सर मेरा जो सफेद कपड़ों वाला पगड़ी वाला बन्दा है, जब यह अन्दर खड़े होते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि तुम बाहर जाओ। क्योंकि वह जो अन्दर पगड़ी वाला खड़ा होता है वही पाँच कालीदास तक सूचना देता है। और पंचम तल तक सूचना देता है। मैं सीख गया। इसी वाकये से वह एक दुबला सा मरियल सा इनके कार्यालय में खड़ा रहता था, उच्च शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। यह समझिये कि यह कौन है, वह हर लिफाफा गिनता था और उसे मालूम था, यह कहाँ रखे जा रहे हैं। लिहाजा एक दिन ऐसा आया कि बड़ी-बड़ी अटैचियाँ लाल बत्ती वाली सफेद एम्बेसडर कार की डिग्गी में रखी गयी। पीछे उसकी हिफाजत के लिए पुलिस का एक्कोर्ट भी था। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती तो जब इस कार को रायबरेली में रोका गया और दो नीली बत्ती गाड़ियों ने रोका, मान्यवर, लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पर। यानी जहाँ दो अधिकारी आकर दोनों तरफ से गाड़ी घेर लें और कैबिनेट मिनिस्टर को बीच में कर दें और एक अधिकारी एक तरफ बैठ जाय और एक अधिकारी दूसरी तरफ बैठ जाय और ड्राइवर से कहे कि गाड़ी वापस लेकर चलो। यह हुआ है अपमान इन पाँच सालों में। शिक्षा का नहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाले 21 करोड़ लोगों को जलील किया है। और शिक्षा के स्तर को वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जब यह व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा था अधिकारियों से, मैंने यूँ ही पूछ लिया कि मान्यवर, इन पाँच वर्षों में किसी आई0टी0आई0 में आपने कोई औचक निरीक्षण किया, मालूम हुआ कि पाँच वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के एक आई0टी0आई0 में भी औचक निरीक्षण नहीं हुआ, एक में भी नहीं हुआ, यह सारी बातें मान्यवर, बहुत शर्मिन्दा करने वाली हैं। अधिकारियों ने भी कम पाप नहीं किया है, अब वह कब्जे के हैं ही नहीं, सींग इतने बाहर निकल आये हैं। बहुत सी स्कीम्स हैं मान्यवर, एक तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ाया है, हर क्षेत्र में बढ़ाया है, शिक्षा में भी विगत 2011-2012 में आयोजनागत पद में अनुदान संख्या-47 के अन्तर्गत रुपये 5344.80 लाख एवं आयोजनेत्तर मद में 15093.44 लाख कुल रुपये 20438.24 लाख बजट प्राविधान सदन में पारित

हुआ था, लेकिन इस साल मान्यवर, इसे बढ़ा कर तकरीबन डेढ़ गुना कर दिया गया है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया जैसे गम्भीर विचारक द्वारा समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए सभी वर्गों की महिलाओं को अनुसूचित जाति आदि के साथ शोषित एवं दलित वर्ग में ही रखने की आवश्यकता को अपने विचारों में प्रतिपादित किया गया है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु एक साइकिल एवं नकद धनराशि की व्यवस्था हेतु कन्या विद्या धन योजना लागू कर के बी0पी0एल0 परिवार के, मान्यवर, इसमें बी0पी0एल0 इसमें लिखा है लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को यह लाभ दिया जायेगा। प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपने निजी भवन बनाये जायेंगे तथा पूर्व से चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण कार्य को पूरा किया जायेगा। पूर्व से प्रशिक्षण हेतु चल रही योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था वर्तमान बजट में की गई हैं प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौशल विकास मिशन के रूप में चला कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार परक कौशलों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इसी के साथ मान्यवर, मैं यह जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा, यह बहुत लम्बी फेहरिस्त है, प्रदेश में कुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 267, प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता 69014, प्रदेश कुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं की शाखायें 48, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह रहेगी, मान्यवर कि इन स्कूलों में जिनसे हम ऐसे छात्र चुनकर के निकालते हैं जो आम जिन्दगी में अपनी मेहनत से अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। मान्यवर, सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के सहारे न समाज चलाया जा सकता है, न प्रदेश और न देश, लेकिन यह इतना अच्छा माध्यम हो सकते हैं। हमारे आई0टी0आई0 जहाँ हम दस्तकार तैयार करते हैं, जहाँ हम ऐसे नौजवानों को, लड़के, लड़कियों को प्रशिक्षित कर के बाहर निकालते हैं, जो बगैर नौकरी के भी अपने लिए सम्मानजनक जीविका का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। मान्यवर, मैं व्यवसायिक शिक्षा के इस बजट को आपके और सदन के सम्मुख पेश करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का बजट मुझे पेश करने का अवसर मिला है और उम्मीद करता हूँ मैं कि इस बजट को बहुत ही खुशदिली के साथ पास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है।

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गोण्डा जनपद के कर्नैलगंज तहसील में इस सरकार से पूर्ववर्ती सरकार एक आई0टी0आई0 खोली गई थी, जो कर्नैलगंज तहसील के तीन किमी0 की दूरी पर हमारे क्षेत्र के गौराखुर्द गांव में जमीन प्रस्तावित हुई थी जिस पर किसी ठेकेदार को काम भी आवंटित हो गया था, लेकिन इस सरकार में जो बसपा के प्रभावी वहाँ पर उस विधान सभा क्षेत्र में थे, उन्होंने जबरदस्ती उस ठेकेदार को कि काम हमारे लोग करेंगे। यह कहकर उसे भगा दिया। काम बन्द हो गया है। तब से वह वैसे ही पड़ी हुई है। मैं मा0 मंत्री जी

से निवेदन करूँगा कि वह कि कृपया बतायें कि वह आई0टी0आई0 मंजूर है या कैंसिल हो गई। वह बनेगी या नहीं बनेगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

श्रीमन्, मेरी जानकारी में आपने लाया है, बहुत ही गम्भीर बात है। ऐसा हुआ है कि कार्यदायी संस्थायें अलग-अलग हैं। मान्यवर, सूचना यह आई है कि इस आई0टी0आई0 को जौनपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया था। अब किन कारणों से हुआ, यह तो हम अभी नहीं बता सकेंगे और अगर थोड़ा रुक कर जानना चाहेंगे तो कारण भी बता देंगे और जरूरत होगी तो आप के यहाँ भी बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,15,62,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69 व्यवसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 व्यवसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,42,21,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,96,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

पर्यटन विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव कौन रख रहा है ?

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना, मान्यवर, विस्तार से डा0 धर्मपाल सिंह जी, अपनी बात रखेंगे।

मान्यवर, विस्तार से डा0 धर्मपाल सिंह जी अपनी बात रखेगें।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी सदस्य राजबली जैसल द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह पर्यटन का बजट हमने काफी गंभीरता से पढ़ने का काम किया, इस बजट में कोई नई योजना नहीं लाई गयी है। जो भी योजना है, वह हमारी पुरानी सरकार की लागू की हुयी है। केवल एक नई योजना सैफई में 3 करोड़ 25 लाख रुपये से पर्यटन गेस्ट हाउस बनाने की है, इसके अलावा इस बजट में कोई खास बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन आज विश्व का सबसे विशालतम उद्योग है। विश्व के अधिकांश भागों में पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। विश्व के कई देशों ने अपनी पर्यटन संभावनाओं का पूर्ण दोहन करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था को ही बदल डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन में व्यापक रोजगार सृजित करने की अपार क्षमता है। जर्मन भाषाविद् मैक्समुलर के शब्दों में, यदि हमें सम्पूर्ण विश्व में किसी ऐसे देश की खोज करनी हो जिसमें प्रकृति की सर्वाधिक सम्पदा, शक्ति और सौन्दर्य निहित हो और उसका कुछ भाग धरती पर हो तो मैं भारत देश का नाम लूंगा। यह बात जर्मन भाषाविद् ने भारत देश के बारे में कही।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का केन्द्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जहां आगरा, बनारस और बौद्ध परिक्षेत्र में आने का काम करते हैं, वही स्वदेशी पर्यटक भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़े स्थानों पर भारी संख्या में आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मानव श्रद्धा का विलक्षण समागम प्रयागराज का कुम्भ है। माननीय अध्यक्ष जी, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक जहां विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत है, वहीं स्वदेशी पर्यटक प्रदेश की आर्थिक उन्नति में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करते हैं। दोनों ही स्रोतों से अर्जित धन का धर्म एक ही है चाहे वह डालर हो या रुपया हो। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदूषण रहित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द सृजित करने वाले पर्यटन व्यवसाय को हमारे उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता प्राप्त नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार ने इस पर्यटन को अपनी प्राथमिकता में सबसे निचले स्थान पर रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमें जरूरत है कि आज हमें इस पर्यटन को प्राथमिक सेक्टर के रूप में रखकर विचार करना चाहिये। तद्नुसार उसकी कार्य योजना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनानी चाहिये और राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटकों के प्रदेश में आवागमन को तथा उनके प्रवास को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिये क्या-क्या सुविधायें देनी चाहिये, क्या-क्या करना चाहिये, यह प्रदेश का पर्यटन विभाग बहुत अच्छी तरह से जानता है किन्तु कार्यरूप में इसे परिणित करने की उनमें राजनैतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव है, आज इंटरनेट जैसे सम्पर्क साधनों ने वास्तव में ग्लोबल बेस की अवधारणा को मूर्त रूप दे दिया है। पर्यटन व्यवसाय वास्तव में इस देश में इसी पर आधारित हो गया है। पर्यटन व्यवसाय में अपने प्रदेश को इसी में फोकस करते हुये द्विस्तरीय एक्शन प्लान कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। एक ओर जहां हमें अल्पकालिक एंव दीर्घकालिक ढांचागत पर्यटन सुविधाओं का विकास करना चाहिये वहीं दूसरी ओर हमें प्रदेश को टूरिस्ट फ्रेंडली प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहिये। अगर हम प्रदेश को टूरिस्ट फ्रेंडली के स्टेट रूप में स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रदेश में आने वाले चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक हों, चाहे स्वदेशी पर्यटक हों, उनके सामने जो समस्यायें आती हैं, उन समस्याओं पर निराकरण की पहली आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी का, जिन्होंने पर्यटकों की समस्याओं के निराकरण के लिये आगरा में इस प्रदेश का पहला पर्यटक थाना खोलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज पर्यटन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में पर्यटकों की जो समस्यायें हैं, उनके लिये ओ0आर0जी0 मार्ग द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन आज तक सर्वे से जो परिणाम आये, उन परिणामों को इस प्रदेश में लागू नहीं किया गया। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि निश्चित रूप से हमने जो सर्वे कराया गया था पूरे प्रदेश में, उसके परिणामों पर जरूर विचार करना चाहिये। बौद्ध परिक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की तरफ से अभी बहुत कार्य किये गये हैं, हमारी सरकार ने भी बहुत कार्य किये थे लेकिन अभी भी बहुत कार्यों की वहां आवश्यकता है और उसके विकास के लिये माइक्रोलेविल प्लानिंग किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही एक पृथक् प्राधिकरण बनाने की भी आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैनें इस पर्यटन विभाग के बजट में बहुत खोजने की कोशिश की कि कहीं पर्यटन नीति के बारे में कुछ मिले, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में यही कहा गया कि अभी नीति बनाने पर विचार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड, अयोध्या, चित्रकूट धार्मिक पर्यटन के लिये बहुत अच्छे स्थान हैं। बुन्देलखण्ड में जब बरसात होती है तो वहां की नदियों, झरनों और झीलों में ऐसा दृश्य दिखता है जैसे वास्तव में पहले कभी कहा जाता था कि बुन्देलखण्ड इन्द्र का देश है। माननीय अध्यक्ष जी, झांसी में एक बहुत बड़ी बरूआ सागर झील है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि उस झील में जल क्रीड़ायें और जल से संबंधित कई प्रतियोगितायें की जा सकती हैं, जिसमें आने वाले विदेशी पर्यटकों की रुचि हो।

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हमारी सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, वह योजना थी अपनी जड़ों की खोज। जो विदेशी पर्यटक या प्रवासी भारतीय जो पैदा तो उत्तर प्रदेश में होते थे, जो दूसरे देशों में कहीं बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते थे या बड़े व्यापारी हो जाते थे, उन्हें लाकर अपने गांव में गांव के लोगों से बात कराई जाती थी, इस योजना का उद्देश्य था कि जब बड़ा प्रवासी भारतीय इस देश में आयेगा और अपने जन्मस्थान पर जायेगा तो निश्चित रूप से उस गांव और उस शहर के विकास के बारे में सोचेगा। यह योजना सरकार ने बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि इस योजना को जरूर शुरू करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन की बात हो पर आगरा की बात न हो यह कैसे सम्भव है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आगरा विश्व में एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विश्वस्तर के स्मारक हैं। ताजमहल, लालकिला, फतेहपुर सीकरी और दो अन्य स्मारक एतमाउद्दौला और सिकन्दरा वर्ल्ड हैरिटेज मूवमेंट होने की लाइन में लगे हैं। आगरा में एक कीठम झील है, जो नैनीताल झील से बड़ी झील है और वहां मरियम टाम्ब है, रामबाग है, बहुत सारे ऐसे आकर्षक स्थल है, बटेश्वर है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एस0आई0 ने देश में 116 ऐसे स्मारक चयन किये थे, जहां वह प्रवेश शुल्क लेने का काम करते हैं। पूरे देश से एस0आई0 को 87 करोड़ रुपया मिला था, जिसमें से अकेले आगरा से 20 करोड़ रुपया मिला था। उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को जो प्रवेश कर होता है जिसे आगरा में पथकर के नाम से जानते हैं, बहुत भारी संख्या में पैसा वापस सरकार को मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आगरा में अगर हम पर्यटन का पिछले सालों का रिकार्ड देखें तो अगर उत्तर प्रदेश में 15 लाख पर्यटक आते हैं तो उसमें से 12-13 लाख पर्यटक केवल आगरा में आने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और आगरा सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करता है और अगर विश्व में पर्यटकों के हिसाब से 10 जो सबसे सुन्दर स्थान है, आगरा का उसमें भी प्रथम स्थान है। लेकिन वर्तमान सरकार अगर सबसे कम कहीं सुविधायें देती है तो वह आगरा को देती हैं, यह न्यायसंगत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, निवदेन करना चाहते हैं कि आगरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन जाए जो आगरा की आज बहुत बड़ी जरूरत है। तो निश्चित रूप से आज जो पर्यटक बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, दिल्ली, मुम्बई आ रहे हैं, आगरा निश्चित रूप से आयेंगे और यह प्रदेश, पूरे देश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों के आने की जगह होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप करिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दो चार बिन्दु हैं। सभी जानते होंगे कि ताजमहल की जो नींव है वह लकड़ी पर आधारित है। यमुना के किनारे ताजमहल बना है और वह यह सोचकर बनाया गया था कि यमुना में हमेशा पानी रहेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यमुना में पानी बिल्कुल नहीं है। आगरा में पीने के पानी की बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। चाहे आगरा के निवासी हों, चाहे आगरा आने वाले पर्यटक हों एक-एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवदेन है कि आगरा में एक बैराज की बहुत बड़ी जरूरत है। ताजमहल और आगरा फोर्ट के बीच पहले हैरिटेज कोरीडोर बनाया गया था, वह किसी कारणवश बंद हो गया, आज वहां कूड़ा करकट डाल दिया जाता है, बहुत खराब स्थिति है। जब पर्यटक ताजमहल से आगरा फोर्ट के लिए आता है और उन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करता है तो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। जब पर्यटक विदेश में वापस जाते हैं तो आगरा की छवि खराब होने का काम होता है। मान्यवर, आगरा में 600 रुपये तक के मार्बल और स्टोन हस्तशिल्प कला करमुक्त है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस व्यवसाय को पूर्ण करमुक्त कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अपने पड़ोसी राज्यों में तीन हजार रुपये तक के होटल के कमरों पर लक्जरी टैक्स की छूट होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में यह नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पड़ोसी राज्यों में तीन हजार रुपये तक के होटल के कमरे, जो बजट होटल

होते हैं उन्हें कर मुक्त कर दिया जाए। ताज के निकट बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे स्वदेशी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक हों, जब ताजमहल देखने आता है तो वह और पास के क्षेत्र में भ्रमण करता है। वहां की स्थितियां बहुत खराब हैं। वहां जो मलिन बस्तियां हैं, जहां गरीब लोग निवास करते हैं, उन्हें देख कर अपने देश की और प्रदेश की छवि दूसरे देशों में बहुत खराब होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ताजमहल से लगे हुए क्षेत्र के लिए विकास की एक योजना बनायी जाए और उनमें तेजी से विकास किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, दो प्वाइंट रह गये हैं। आगरा में अभी एक एअरफोर्स का हवाई अड्डा है। कुछ प्राइवेट प्लेन वहां पर्यटकों को लेकर आते हैं। जो ए0टी0एफ0 फ्यूल है हमारे प्रदेश में उस पर वैट 21 प्रतिशत है जबकि और राज्यों में 4 प्रतिशत है। वैट 21 प्रतिशत होने के कारण जो विदेशी और देश की एअरलाइंस है। वह आगरा में अपनी फ्लाइट्स चलाने में बचती है, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर जरूर विचार करे कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा में नहीं बनता है तब तक कम से कम जो वैट दर 21 प्रतिशत है उ0प्र0 में, उसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी के बजट को काफी गम्भीरता से पढ़ा इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, यह रूटीन बजट है इसलिए अपने साथी भाई राजबली जैसल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने पर्यटन विभाग के बजट के समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सन् 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गयी थी। हमें लगता है कि इस निदेशालय की व्यवस्था इसलिए की गयी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे स्थान पड़े हुए हैं जो उपेक्षित हैं, उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में हम स्थापित कर सकें। अभी सदस्य ब0स0पा0 कह रहे थे कि पिछले पांच सालों में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। तमाम स्थानों का उन्होंने जिक्र भी किया। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में पर्यटक स्थल बनाने उसके विस्तार करने पार्कों के निर्माण एवं मूर्तियों को लगवाए जाने के नाम जो पैसा खर्च किया गया और उसके नाम पर जितना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया उससे पूरे प्रदेश में पर्यटन आगे नहीं बढ़ा है बल्कि पीछे गया है। जिस तरीके से पार्कों के नाम पर मूर्तियों के नाम पर विस्तार कराया गया एक तरफ नाम दिया गया कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है दूसरी तरफ यह स्थिति पूरे प्रदेश की बन गई जैसे कि हम लोग कहा करते हैं कि रुचिकर खाना और अरुचिकर खाना। रुचिकर खाना आदमी खाता है और कहता है कि खाना बहुत अच्छा लेकिन अरुचि खाना एक दिन तो आदमी खा सकता है लेकिन अगर उसे दूसरे दिन खिलाया जाएगा तो वह दूर से

नमस्ते करने का काम करेगा। इसी तरह से पार्क बने और मूर्तिया बनी गेट खुले रहते थे लेकिन कोई भी पर्यटक उसके अन्दर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हमने तो एक घटना देखी एक परिवार था उनके दो बच्चे थे वह अन्दर जाना चाहते थे लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मूर्ति को देखकर हमें डर लग रहा है हम पापा अन्दर नहीं जाएंगे। यह परिस्थितियां पूरे प्रदेश में रही। पार्कों के नाम पर मूर्तियों के नाम पर जिस तरह से राज्य की सम्पत्ति को सरकारी खजाने को लूटा गया घसोटा गया जितना भ्रष्टाचार किया गया, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी वह शर्म का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से पर्यटक को दबाया गया आगरा की बात आती है हमारे साथी सदस्य भी इस बात को कहने लगे कि जिस पर्यटक स्थल का नाम लीजिए उसमें 33 प्रतिशत पर्यटन स्थल के निर्माण के मुकदमें जांच के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग हैं। क्या कारण रहा कौन सा विकास कराया गया जिनकी केवल जांचें लम्बित हैं। कुछ सी0बी0आई0 कर रही है कुछ सी0बी0सी0आई0डी0 कर रही है। कहते-कहते यह भी कहा गया कि जितना पिछली सरकार ने पर्यटन पर ध्यान दिया उतना किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बजट की समता भी की गई दोनों की तुलना भी की गई हम याद दिलाना चाहते हैं 1993 का बजट सदस्य पढ़ लेंगे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी का रखा हुआ बजट है उनकी सरकार में 93-94 में पर्यटन में जो काम तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है उसका भी कहीं न कहीं तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। 2004-07 के बीच में पर्यटन के रूप में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम करने का काम किया उसकी भी तुलना कर लेनी चाहिए। 2011-12 के बजट को हम पढ़ रहे थे और पिछले साहित्य भी हमने लाइब्रेरी से देखे हैं। भारतीय पर्यटकों की और विदेशी पर्यटकों की संख्या दी गई है हम कहना चाहते हैं इस सदन में आपके माध्यम से कि 2004 में जो पर्यटकों की संख्या विदेशियों की रही है वह अगर हम देखें 2007-12 के बीच में वह संख्या पूरी तरह से गिरी है। अगर हम देखें भारतीय पर्यटकों की संख्या और उनके प्रतिशत को निकालकर देखेंगे तो कोई प्रतिशत नहीं बढ़ा है। यह इस बात का द्योतक है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 2007-12 के बीच कोई महत्वपूर्ण कदम और प्रभावशाली काम नहीं किया गया। हम आज आपके माध्यम से अपनी विधान सभा जहां से हम चुनकर आते हैं 183 उंचाहार विधान सभा जो जनपद रायबरेली से सम्बन्धित है वहां के तीन पर्यटक स्थलों जिनको कि हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे बजट में उन्हें शामिल किया जाय गंगा जी के किनारे एक गोगना घाट है जिसके बारे में इतिहास में यह बात उल्लेखित है कि गोकर्ण ऋषि की वह तपस्थली हुआ करती थी।

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि वहां हर वर्ष 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं उसको पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाये। मान्यवर, हमारे विकास खण्ड जगतपुर में राणा बेनी माधव जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ी हिस्सेदारी थी उनको देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि उस स्थल को भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। हमारी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक रोहनियां में माहे पासी का किला है। वह महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। उसको भी पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाये। मान्यवर, पर्यटन के नाम पर जिन स्थानों को सूचीबद्ध किया गया था 2012-13 में उसमें मैं 42 सालों की बात बता रहा हूं जिसमें 19 स्थान केवल सुल्तानपुर की एक विधान सभा क्षेत्र के हैं। उसमें जो पूर्ववर्ती सरकार के पर्यटन मंत्री थे उन्होंने उसमें 268 करोड़ का व्यय कराया है उसकी जांच करायी जानी चाहिये क्योंकि उसमें से

17 स्थानों में से 13 स्थानों पर काम ही नहीं लगा है और उनके नाम पर भुगतान कर दिया गया है। धन्यवाद।

*कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे यहां बिजनौर में विधुरकुटी तीर्थ स्थान है जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। पिछली सरकार में वहां पर रु0 65 लाख का काम किया गया, दिखाया गया। काम केवल 6 लाख रुपये का हुआ है। इसकी जांच करायी जानी चाहिए। वहां केवल सरकारी शौचालय बना है। मान्यवर, वहां गांव का गन्दा पानी सीधे घाट में और गंगा जी में आता है। उसको एक तो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बहुत जरूरत है। मान्यवर, सरकारी धन का जो दुरूपयोग हुआ है वहां पर उसकी जांच जरूर हो। गन्दा पानी उस तीर्थ स्थान पर जा रहा है। उस शौचालय का भी गन्दा पानी घाट पर जा रहा है। मान्यवर, वहां पर बहुत लोग आते हैं। महाभारत में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण विधुर जी के यहां विधुर कुटी में आये थे। उन्होंने बथुवे का साग वहां खाया था इसलिए वहां जंगली बथुवा बारहों महीने विधुर कुटी के पास उगता है। लोग उसके पत्ते बड़ी श्रद्धा के साथ ले जाते है। लेकिन उस सरकारी शौचालय का पानी उसमें जा रहा है और उन पत्तों को दूषित कर रहा है। मान्यवर, इस स्थान को पूरी तरह से स्वच्छ रखा जाये और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये, मान्यवर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड में कट गया है। गंगा जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजनौर में ही स्वच्छ जल के रूप में मिलती है। बाकी जगह पानी मटमैला हो जाता है। मान्यवर, इस वजह से विधुर कुटी के पास से एक कैनाल निकल कर वहां से गंगा जी की दूरी को समाप्त किया जाये। मान्यवर, राज्य मंत्री जी हमारे जनपद से है हम चाहते हैं कि विधुर कुटी के पास एक कैनाल/नहर बनवा दी जाये ताकि विधुर कुटी में बारहों महीने गंगा जी का अविरल और शुद्ध जल आता रहे। मान्यवर, गंगा बैराज एक बनाया तीर्थ स्थल है। वहां सरकार की ओर से एक घाट का विकास किया जाये। मान्यवर, कारबेट नेशनल पार्क तो उत्तराखण्ड में चला गया है। हमारे यहां जो अमानगंज रेंज हैं उसको वन्यजीव पार्क के रूप में विकसित किया जाये। वह निजी क्षेत्र में भी डेवलप हो सकता है और वहां होटल बन सकता है। यही मैं कटौती के प्रस्ताव में कहना चाहता हूं मुझे आशा है कि माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री हमारे जिले के होने के कारण मेरी बातों पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अभी वन विभाग है, परिवहन विभाग है, पर्यटन के समकक्ष विभाग हैं, दो विभाग हैं देख लीजिए 4.20 हो गया है तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा न करके आगे भी चर्चा करनी है।

*श्री राम लाल अकेला-

मान्यवर, पर्यटन विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे रायबरेली जनपद में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां के मुन्शीगंज पुल पर आजादी के दौरान अंग्रेजों ने गोली चलाने का काम किया था, रायबरेली जनपद के तमाम किसान वहां शहीद हो गये थे औव वह शहीद स्थल इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी यहां देश के लोग वहां पर जाने का काम करते हैं और रायबरेली के लोगों की मंशा है कि आजादी में जिन किसानों ने लहू बहाया, खूंन दिया है उस स्थान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का काम किया जाय। और एक स्थान हमारे विधान सभा बछरावां में है। गुरूजी चन्द्रिका प्रसाद जी जो इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने कंजेश्वर धाम में रहकर पूरी जिन्दगी तपस्या करने का काम किया था और सई नदी के पास उन्होंने भव्य मंदिर और भव्य घाट बनवाने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कंजेश्वर धाम और शेखपुर समोधा में झारखण्डेश्वर धाम जहां विदेशी पक्षी आते हैं उसको पर्यटन के रूप में डेवलप कराने की मांग करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, काफी विस्तार से अध्ययन करने के बाद हमारे पूर्व साथियों ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है मैं थोड़े दो एक सुझाव देना चाहता हूं। उत्तराखण्ड के अलग हटने के बाद हमारे प्रदेश के इस पर्यटन विभाग पर काफी असर पड़ा है लेकिन जो शेष बचा खुचा स्थल है और जो महत्वपूर्ण स्थान है इतने अतिमहत्वपूर्ण है, हमारा देश इतना सौभाग्यशाली है कि भगवान गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए उनकी जन्मस्थली तो बिहार में है।

श्री अध्यक्ष-

गौतमबुद्ध की बिहार में नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

बौद्धगया, जो भी कुछ है आप लोग अध्ययन ज्यादा करके आये होंगे, मैं समझ रहा हूं मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यटन की हमारे प्रदेश में बहुत सम्भावनाएं हैं पूरे देश में इस मत को मानने वाले 18 देश हैं और उन देशों का इन स्थलों से बहुत लगाव है इतना लगाव है कि समय-समय पर जैसा मैंने पढ़ा है जापान आदि देशों ने बौद्ध परिपथ के नाम से सड़क बगैरह और इनके सौन्दर्यीकरण के लिए समय-समय पर बहुत हमारी सरकार को सहयोग दिया है। इसके अलावा पर्यटन के लिए और कोई विशिष्ट जगह नहीं है, मैं चाहूंगा कि अगर इन 18 देशों को आमंत्रित करके इस क्षेत्र में काम किया जाय तो हमारे पर्यटन को और अच्छा बढ़ावा हो सकता है। पिछली बार जब चौधरी अजीत सिंह आये थे तो कहा था लखनऊ और बनारस का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, मैं चौधरी अजीत सिंह का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, आप बोलें, अरे इनको बोलने दो, आज तक कभी नहीं बोले हैं। दलबीर सिंह जी हो गया, हां मदन चौहान जी मैं जानता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दलबीर सिंह जी, अब आप खत्म करिये। अब क्या बचा है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

आप लोग मा0 सदस्य को सुन लीजिये, बोल रहे हैं, शांत रहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

श्री दलवीर सिंह-

जो बेकार बनी हुयी पड़ी हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी नीलामी निश्चित करी जाये। दूसरा बौद्ध परिपथ के साथ अलीगढ़ को भी जोड़ा जाये। अलीगढ़ की कई चीजें ऐसी हैं, हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फूड क्राफ्ट सेन्टर चलता है। फूड क्राफ्ट सेन्टर को विकसित कराया जाये। साथ ही साथ

हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जैन धर्म का मंगलायतन एक स्थल बनाया जाये जहां दुनियां के लोग आते है। मैं चाहूंगा कि पर्यटक स्थलों में उसको शामिल किया जाये। खेड़ेश्वर राम, भुमियां रावां, मंगलायतन, शेखा झील, पसना झील, भोजताल इन सबको पर्यटक स्थलों में शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिये। सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी जी। आप 2 मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, अतीत की स्मृतियां विस्मृत नहीं की जा सकतीं। पांच वर्ष के उस कार्यकाल की नियमानुसार समीक्षा करना भी फिजूल होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जौनपुर जनपद का नाम कम आता है। पुण्यसलिला, आदिगंगा गोमती की सरल, ताल सलिल पावन तलहटी में अवस्थित जमदग्नि ऋषि जिनके नाम से जौनपुर जनपद का जाना जाता है। वहां उनकी जन्मस्थली है। वही भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, वो देवी के रूप में वहा प्रख्यात हैं। हर वर्ष वहां लाखों की भीड़ होती है। ऐसी अवस्था में अगर इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाये तो बेहतर होगा और वहीं सई उत्तरि गोमती नहाये। सई और गोमती का पुण्य मिलन होता है।

(कई सदस्यों के साथ एक साथ बोलने से शोर की स्थिति)

[मान्यवर, वहां पर त्रिलोचन महादेव आराम करने के लिये आया करते थे।]

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भईया'-

मान्यवर, मथुरा, काशी आदि तो बहुत विकसित स्थान हैं। जो स्थान प्रदेश के उपेक्षित हैं, आप उनको लें।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बोलूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जहां आप दुनिया में देखें कि सिंगापुर, बैंकाक, स्विट्जरलैण्ड की इकोनॉमी उनके पर्यटन विभाग, पर्यटन पर चलती हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड के अलग हो जाने के बाद अब हमें बहुत ज्यादा संभावनायें ढूंढनी पड़ेगीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये। 83 करोड़ का बजट पर्यटन विभाग के लिये बहुत कम है। यह बजट कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिये और उसके हिसाब से नई पॉलिसीज और नये इन्फ्रास्ट्राक्चर डेवलप करने चाहिये। मैं आपको बता देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के विजन से, उनकी सोच से और उनकी कमर्ठता से और वे चाहेंगे जिस दिन बजट आ रहा था और बजट आने से पहले मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप पर्यटन विभाग का बजट ज्यादा रखें। पहले 40 लाख था, फिर 80 लाख हुआ, अब 83 लाख हो गया। मैं समझ रहा था कि ये बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वे पर्यटन का बजट जरूर बढ़ायेंगे। मान्यवर, जहां उन्होंने नाइट सफारी की घोषणा करी है 81 करोड़ की, उससे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आयेंगे आपके ग्रेटर नोयडा में। रोप वेज के निर्माण की बात करी है, वाटर स्पोर्ट को हम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहां भी बैराजेज बने हैं नरोरा का बैराज देख लीजिये, यमुना का गोकुल बैराज देख लीजिये। जहां भी नदियों में पानी है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वॉटर स्पोर्ट आप डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से बैलूनिंग का स्पोर्ट डेवलप कर सकते हैं, स्केटिंग का डेवलेप कर सकते हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास सिटीज हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे-मथुरा, आगरा, बनारस, मिर्जापुर, बुन्देलखण्ड, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर में नैमीषारण्य, अलीगढ़, रामपुर। तमाम ऐसे शहर हैं जो दुनिया में जाने जाते हैं। आजम साहब बैठे हैं रामपुर चक्कू के लिये मशहूर है। पूरी दुनिया में छूरियों के लिये मशहूर है। इन जगहों में हम टूरिज्म का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जितने पुराने किले हैं, आप विदेश यात्रा करेंगे तो देखेंगे विदेशों में किलों को इतना खूबसूरत डेवलप किया जाता है। हम सब लोग जब जाते हैं तो उन किलों को देखते हैं। आप किलों को आइडेंटीफाइ कराइये जितने पुराने किले हैं और उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में डेवलप करिये। एक सशक्त टूरिस्ट पालिसी बनाइये आप देखेंगे कि आपके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर्यटन विभाग से आने लगेगा। जो पुराने टूरिस्ट बंगले हैं उनकी हालत बहुत खराब है, उनका भी ऑक्सन करने की बात हो रही है। उनको भी डेवलप कराइये।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब समाप्त करिये। अभी और भी बजट हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

ताज महोत्सव, ब्रज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शरद महोत्सव तमाम महोत्सव होते हैं। इन्टरनेशलन ऐयरपोर्ट। अभी आगरा की बात हो रही थी। आगरा इस दुनिया का मशहूर शहर है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। पूर्णमासी जी बोलिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, वृन्दावन में पार्क डेवलेप करिये। अभी हमने केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपये दिलवाये हैं। मथुरा, बनारस, आगरा मेगा डिस्टीनेशन टाउन्स हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम पुकारने व माननीय सदस्य
श्री प्रदीप माथुर के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसीलिये मैं चाहूंगे कि पर्यटन के बारे में चर्चा कराइये और एक टूरिज्म पालिसी बनाइये जिससे सभी लोगों के भाव उसमें आ सकें। माननीय मंत्री जी इसको समझते हैं और दुनिया भर में घूमे हुए हैं मैं समझता हूं कि एक टूरिज्म पालिसी बने तो उसमें आप स्वयं बैठियेगा क्योंकि जो लोग उसको बना देते हैं उनमें विजन नहीं होता, सोच नहीं होती है, जब यह पालिसी बने तो विजनरी लोगों को बैठाकर बनायें। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अभी दो बजट हैं। एक परिवहन का और दूसरा वन विभाग। दोनों बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। अभी साढ़े चार बज गये हैं। हमारी राय है जो लोग बोलना चाहते हैं परिवहन पर बोलो वन पर बोलो।

(माननीय मदन चौहान व अन्य दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, रुकिये। अब आप लोग तय कर लीजिये कि और बजटों पर चर्चा नहीं होगी तो इस पर आप सब बोल लीजिये। पूरनमासी देहाती जी, आप बोलिये।

श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि कुशीनगर कस्या महात्मा बुद्ध की पावन धरती है। और राम कोला जो समाजवादियों का धाम है। रामकोला में मान्यवर, अनुसूइया माता का बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर की शाखा चित्रकूट में है। लंगड़ दास बाबा जो राम कोला के रहने वाले थे उन्होंने उसका निर्माण कराया था। यह बजट जो आया है बहुत अच्छा है मैं इसलिये अंत में मांग करता हूं कि चूंकि कस्या कुशीनगर महत्मा बुद्ध की पावन धरती है। रामकोला धाम को भी पर्यटक स्थल से जोड़ा जाय क्योंकि यह समाजवादियों का बहुत बड़ा धाम है, क्योंकि आप भी वहां जा चुके हैं माननीय नेता जी ने .....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। अब इसी पर चर्चा होगा तो वन और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, आपने पर्यटन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(श्री विशम्भर जी खड़े होने)

श्री अध्यक्ष-

विशम्भर जी, बैठ जाओ, अभी यह बोल रहे हैं।

*श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय 15 करोड़ 78 लाख पर्यटक हैं। जो 2011-2012 में भ्रमण किए हैं। इसके पूर्व 14 करोड़ 64 लाख पर्यटक थे। इसी तरह से मान्यवर, देखा जाए तो 2010 में 17 लाख 33 हजार विदेशी पर्यटक थे और 2011 में 18 लाख 87 हजार विदेशी पर्यटक थे। मान्यवर, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आगरा और वाराणसी में आते हैं। वाराणसी, मान्यवर, ऐतिहासिक नगरी है उसी प्रकार से उसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। काशी विश्वनाथ जी का मन्दिर, सारनाथ का महत्व और इसी के साथ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक मारकण्डेय जी का मन्दिर स्थापित है। उसका भी पौराणिक महत्व है, मान्यवर, और श्री भागवत पुराण में मारकण्डेय जी के विषय में यह कहा गया है "हे राजेन्द्र, मारकण्डेय तीर्थ प्राप्त होना दुर्लभ है, जो गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। उसमें स्नान करने से तथा एक लोटा जल चढ़ाने से अग्निस्त्रोम यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसके विषय में यह भी कहा गया है-

महाभारते वन युद्धिष्ठिर नारद वचनम्।
मारकण्डे यश्य, राजेन्द्र, तीर्थ मासाद्य दुर्लभम्।।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि मारकण्डेय महादेव मंदिर, गंगा और गोमती के संगम पर स्थापित है, और इसका अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। लोग इससे जुड़े हुए हैं इसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास होना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, वहां पर पेयजल की आवश्यकता है, वहां जो खाली जमीन है उसके विकास की आवश्यकता है। वहां शेल्टर बनाने की आवश्यकता है। लाखों लाख पर्यटक वहां पर आते हैं। इसी तरह से वन शक्ति का मन्दिर है वहां भी यह मान्यता है जब पाण्डव हार गए थें।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री त्रिभुवन राम-

इसके विकास की भी आवश्यकता है।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

इन लोगों ने पांच साल तक बरबाद किया टूरिज्म विभाग के 66 होटल थे जो लाभ में चल रहे थे उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इन्होंने चुपचाप विड कर दी, उस समय मै सार्वजनिक उपक्रम समिति की सदस्य थी और हम लोगों ने देखा उसकी विडिंग की गई, वह बाद में रुक गई यह अलग बात है, और उसमें लखनऊ का गोमती होटल भी था। जो लाभ में था जब विरोध हुआ है तब जाकर वह मामला रूका, चुपके-चुपके बेचने की तैयारी थी मेरा कुछ सुझाव है बहुत अच्छा बजट आया इस बजट के लिए पर्यटन विभाग का धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया बैठिए।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

बस इतना कहना है कि यह पूरा बैल्ट लैण्ड हमारे पास है जिसमें टूरिज्म की अपार संभावनायें हैं लखीमपुर खीरी जिले ले लेकर बहराइच तक का, उसको हम बहुत अच्छे टूरिज्म में डैवलप कर सकते हैं साथ ही गोरखपुर में बहुत बड़ा ताल है रामगढ़ताल, और राजस्थान में इससे छोटा तालाब है उसको फतेहसागर का नाम देकर इतना सुन्दर डैवलप कर दिया कि बहुत राजस्व आता है। अगर हम रामगढ़ ताल को डैवलप कर सकते हैं, अगर हम रामगढ़ ताल को टूरिज्म के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, साथ ही अपने गाजीपुर जिले की भी कुछ बात कह दूं, ऐतिहासिक स्थल है, अब्दुल हमीद के नाम से जिसने आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी।

श्री अध्यक्ष-

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र तो कुशीनगर में हैं, सिद्धार्थ नगर में है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हो गया।

(श्री विशम्भर सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

विशम्भर सिंह जी, परिवहन पर आप बोल लीजिए।

श्री विशम्भर सिंह-

अध्यक्ष जी, हमारे जिले में केवल एक ही चीज बची है, कालिंजर का किला। चित्रकूट तो कर्वी में चला गया। कालिंजर चूंकि खजुराहो से इतना नजदीक है कि खजुराहो जाने वाले पर्यटक कालिंजर जरूर देखना चाहते हैं। तो अध्यक्ष जी हमारा इतना ही कहना है कि कालिंजर का किला बहुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही मशहूर किया है, जिसको घेरा डाले हुए शेरशाह शूरी मारे गये थे, उनका मकबरा भी आज टूट-फूट गया है तो कालिंजर पर ध्यान दिया जाए।

श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष जी, आल्हा-ऊदल को कौन नहीं जानता है, 800 वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन वहां के लिए कोई योजना नही है। उमा भारती जी का चरखारी विधान सभा क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठिए।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आरोप लगा रहे थे कि पिछले चार साल में प्रदेश में पर्यटन की स्थिति खराब हुई है। मान्यवर, वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में जहां तक स्वदेशी पर्यटकों का सवाल है, गत वर्ष 1 करोड़ आगरा में पर्यटक आये हैं यह रिकार्ड है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में हर साल 1 लाख विदेशी पर्यटकों ने अधिक संख्या में आकर विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मंत्री जी ने कहा कि पर्यटन नीति बन रही है। हमारे पड़ोसी राज्य चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, इन राज्यों ने अपनी आकर्षक और सुन्दर पर्यटन नीति बनाकर बहुत बड़ी संख्या में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को अपने प्रदेश में आकर्षित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में जैसा कहा है, प्रदेश में पर्यटन नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जब प्रदेश में पर्यटन नीति बने तो उसको आर्थिक विकास के तन्त्र के रूप में विकसित किया जाए और उस नीति में ग्रामीण पर्यटन, घरेलू पर्यटन और लघु पर्यटन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पर्यटन के बजट पर जो बहस हुई है, उसमें अन्दाजा यह हुआ कि अगर हम 20-25 वर्षों का लाइब्रेरी से रिकार्ड निकाले कि पर्यटन पर क्या भाषण हुए हैं, क्या सुझाव आए हैं तो हमें लगेगा कि जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हैं, उन सज्जनों ने भी पुराने 2, 4, 5 बरस के कटौती के भाषण पढ़ लिए हैं और वही रखे है। मेरे पास जो सामग्री है और जो पर्यटन के सिलसिले में मशविरे हैं, उसमें भी ज्यादातर हमें यही नजर आया कि हम पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे हैं। अभी माथुर साहब ने एक सुझाव रखा था, हमें ग्लोबली बहुत सी चीजों को देखना होगा। मान्यवर, पर्यटन किसी प्रदेश, किसी एक देश का मामला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर्यटन के सहारे चलती है और इस रास्ते पर चलती है। पूरी दुनिया अपने अपने मुल्क में उन जगहों को जो उनकी यादगारें हैं कही गुलामी की, कही आजादी की, कहीं जंग की, कही कुर्बानी की, कही धर्म की, कही आस्था की उन बुनियादों पर उन यादों को सजाकर रखते हैं और इस तरह रखते हैं कि दुनिया की तवज्जो उस तरफ जाये। यह जरूरी नहीं है कि हर मुल्क में ताजमहल हो। यह जरूरी नहीं है कि हर जगह कुतुबमीनार हो, यह जरूरी नहीं है कि हर जगह जामा मस्जिद हो, यह जरूरी नहीं है कि हर जगह दिल्ली का लालकिला हो। जरूरी नहीं है कि हर जगह राम जन्म भूमि और कृष्ण जन्म भूमि भी हो। लेकिन जहां जो देश है वह अपने इतिहास के एतबार से अपने यहां स्थल डेवलप करता है।

कितने स्थल ऐसे होंगे जो धर्म की बुनियादों पर होंगे, मजहबों की बुनियादों पर होंगे, नहीं हो सकते और दुनिया की इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। लिहाजा मेरे ख्याल से पर्यटन की दृष्टि से हमारी सोच में कुछ बदलाव आना चाहिए। हो सकता है किसी दूर देश से आने वाला कोई व्यक्ति किसी मजहबी इमारत में इतनी दिलचस्पी न रखता हो जितनी दिलचस्पी वह किसी झील में रखता हो किसी पहाड़ी में रखता हो। किसी ऐसे पत्थर में रखता हो जिससे कोई इतिहास जुड़ा हो। कोई रिसर्च स्कालर उसे देखने के लिए आया हो। मान्यवर, आप भी गये हैं, हम भी आपके साथ रहे हैं, हमने देखा है दुनिया वालों को, दुनिया वाले जिस तरह से पर्यटन से पैसा कमाते हैं, हम हिन्दुस्तान वाले उन रास्तों को अख्तियार नहीं कर सके। हमारा ताजमहल बहुत कीमती है। लेकिन ताजमहल पर आने वाले सैलानियों की वह तादात नहीं है जो यूरोप के उन खण्डरात की है, उन पत्थरों की है जिनकी सजावट उन्होंने बहुत सलीके से की है, जहां वह रोशनियों से कारोबार करते हैं, जहां वह पार्कों से कारोबार करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके दिल के अंदर अपने मुल्क के लिए दर्द है। क्योंकि वह मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, वह उस रास्ते से अपने मुल्क के लोगों का पेट भरना चाहते हैं, वह उस रास्ते से अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं। हमारे यहां क्या हुआ। हमने इतिहास की दौड़ में शामिल होने के लिए पर्यटन के रास्तों को बिलकुल मुखतलिफ रास्तों पर ले जाकर छोड़ दिया। हमने ऐसी यादगारें बनाना चाहीं जिससे पर्यटन बर्बाद हो जाये लेकिन हम इतिहास के लोग हो जायें। अच्छे मशविरे भी आये हैं लेकिन हमारे पास जो घिसापिटा इतिहास है उसमें पर्यटन के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। गुंजाइश अब होगी। हम अपनी उन गल्तियों को भी मानकर चलें जो हमने अपनी सरकारों में पर्यटन को विकसित न करके की हैं। अभी हमारी एक साथी ने आपके सामने आपका थोड़ा सा इतिहास रखा कि जितने होटल्स थे उन सबको बेचने का काम किया जा रहा था। जो किसी बजह से रुक गया। आप ही में नहीं भारत सरकार में भी एक बार ऐसा हुआ था। मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश गया। मान्यवर, भोपाल बड़ा शहर है वहां की उस झील का नाम नहीं आया। तालों में भोपाल बाकी सब तलईयां, और आगे क्या है वह मैं नहीं कहूंगा। मैं एक ऐसे शहर का रहने वाला हूं जहां का इतिहास कांग्रेस के इतिहास से जाकर जुड़ता है। आपने रामपुर को ऐतिहासिक शहर बनाने के लिए वहां के चाकू का जिक्र किया। छुरी का जिक्र किया। लेकिन मुझे वह दिन भी याद है जब हम पहली बार वजीर हुए और कैबिनेट की मीटिंग हुयी और रामपुर के बने चाकू जिसमें चार इंच के फलके के बाद अगर चार इंच एक सूत का हो जाता था तो दफा 25 में उसका चालान हो जाता था। उस जमाने में सुरक्षा के यह इंतजामात नहीं थे। एक दूसरे पर भरोसा था और इसी विधान सभा में आने वालों के लिए कोई कैद नहीं थी। एक विधायक आगे होते थे और उनके साथ एक फौज चला करती थी। किसी को किसी से कोई डर और खतरा नहीं था। वह हमारी जिन्दगी के सुनहरे दिन थे और उस वक्त कैबिनेट में जाने के लिये यह तलाशियां नहीं होती थी, गाड़ियों के नीचे शीशे लगाकर यह देखा जाये कि मंत्री की गाड़ी में कोई बम तो नहीं लगा हुआ है। आज भरोसे का यह आलम है कि कैबिनेट मिनिस्टर की गाड़ी पर भी यह भरोसा नहीं होता क्योंकि अपने चरित्र से हमने भरोसे को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैबिनेट में हम दो पैकेट लेकर गये। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गयी तो हमने एक पैकेट खोला और इस तरह से रामपुर के बने हुए चाकू बिखेर दिये। पूरी कैबिनेट सकते में आ गयी कि यह क्या हुआ। क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि इसे एक नजर देख लें, दिखाने के बाद हमने सारे चाकू कलेक्ट किये। उन्हें उस डिब्बे में बंद किया जिसमें से वह निकाले थे।

उसके बाद फिर हमने वह छूरियां जो टाटा बनाते हैं, बिरला बनाते हैं, पूंजीपति देश के बनाते हैं, एक-एक छूरी इतनी लम्बी भैंसे के सिर पर मार दें तो सिर कट कर दूर चला जाय मान्यवर, उन छूरियों पर कोई बैन नहीं था, कोई दफा-25 का कानून नहीं लगता था, लेकिन चार इन्च के चाकू पर कानून लगता था, यह दिया था उस व्यवस्था ने जिसकी तारीफ की है आपने कि रामपुर चाकुओं के शहर से पहचाना जाता है, नहीं रामपुर चाकुओं के शहर से नहीं पहचाना जाता, ऐतिहासिक गुलामी की पहचान है रामपुर और जिसमें आज भी दिल्ली से लेकर रामपुर तक आपको लोग नुमाइन्दगी करते हैं उस गुलामी की 1857 में मेरठ से निकली हुई पहली टुकड़ी जिसका कत्ले-आम रामपुर में हुआ था याद कीजिए उस इतिहास को, चाकू के इतिहास को याद मत कीजिए। गुलामी की उस तारीख को याद कीजिए जो नवाबों के हांथों से हुआ था जो आज भी आपके साथ है। यहां से लेकर दिल्ली तक, यह यादें बनना चाहिए मान्यवर, इस पर शोध होना चाहिए मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए मान्यवर, क्योंकि यह गुलामी की ऐसी तारीख है जिस पर कांग्रेस को शर्मिन्दा होना चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर-

बात को कहां से कहां बाउंस कर देते हैं, पर्यटन पर हमारे बड़े भाई की तवज्जो चाहूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे साथी ने पर्यटन के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते हुए अपने आपको सीमित कर लिया ताज महल तक, ताज तेरे लिए साहिर का कान्सेप्ट अलग है, दूसरे शायरों का कान्सेप्ट अलग है, लेकिन ताजमहल किसी मुहब्बत की निशानी के लिए नहीं बना था, ताजमहल बना था एक शहंशाह की जिद की बुनियाद पर, हिन्दुस्तान के खजाने की बुनियाद पर बना था, अपनी मेहबूबा के नाम पर बना था और ताज सिर्फ संगमरमर का ही नहीं बल्कि संगेश्याह से बनने वाले ताज महल की बुनियादें आज भी उस जमुना में मौजूद हैं, वह यादगार जरूर बना दुनिया की, लेकिन उसी शहंशाह के बेटे ने अपने वालिद के उस अमल पर जिसने उस खजाने का नाजायज इस्तेमाल किया था जो हिन्दुस्तान की गरीब जनता के जिस्म से निकला हुआ खजाना था। हम मुगल सल्तनत के बादशाहों पर उंगली लाख उठायें, उस पर बहस भी करें, उनकी निन्दा भी करें, लेकिन मान्यवर आज के दिन हमें यह भी फर्क करना होगा कि ताजमहल बना जो दुनिया के लिए एक यादगार बना और पूरे हिन्दुस्तान का नाम हुआ ताज के नाम से, लेकिन उसी के बरखिलाफ एक बादशाह ने अपने बाप को कैद कर दिया, इसलिए कि उसने खजाने का नाजायज इस्तेमाल किया था, एक मुगलबादशाह अपने बाप को कैद करता है और उत्तर प्रदेश की रानी 21 करोड़ जनता के जिस्म से उनका खून और गोश्त निकाल कर पत्थरों के किले बनाती है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कैसे निन्दा करेंगे मान्यवर एक बादशाह अपने बाप को कैद करता है और एक शासक जनता की गाढ़ी कमाई का मजाक उड़ाता है मान्यवर, इसीलिए कहा होगा किसी ने "एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक" आप रहें सीमित ताजमहल तक, लेकिन ताज के सिवा भी कुछ है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की रानी का नाम आपने लिया जिक्र किया, यह भी मुगल काल के समय की बात है या किसी और समय की बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यही दो-चार दिन पहले की बात है। मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्कोप है उत्तर प्रदेश में, लेकिन शायद हमारी निगाह नहीं है उस तरफ, मेरे पास कागजों पर बिखरे हुए बहुत से शब्द हैं। आगरा फेज सेकेण्ड 18.26 करोड़, वाराणसी सेकेण्ड फेज 14.16 करोड़, मथुरा-वृन्दावन हमारे मोहतरम का।

श्री प्रदीप माथुर-

वह केन्द्र सरकार का पैसा है।

श्री हुकुम सिंह-

वह ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, उस पर हस्ताक्षर तो उन्हीं के है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सब मान्यवर, यह सारे आंकड़े तो आपको इस छपी हुई किताब में भी मिल जायेंगे जो मेरे हांथ में है, लेकिन असल बात यह है कि हम किस तरह पर्यटन को विकसित करें, हमारी नई सोच क्या होनी चाहिए, वह सोच भी आई है मान्यवर यहां, हमारे पास कृष्ण जन्म भूमि है, हमारे पास राम जन्म भूमि है।

जिसका फंसाने में कोई जिक्र न था, वह बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मान्यवर, बहुत से ऐसे स्थान हमारे कहीं तजकरे में नहीं आए क्योंकि हम गंगा-जमुनी तहजीब के लोग हैं। हम बहुत कुछ बढ़ावा दे सकते हैं। मान्यवर, बात आई गोरखपुर की झील की, यकीनन वह बहुत ऐतिहासिक झील बन सकती है। बहुत से ऐसे स्पाट्स हैं उत्तर प्रदेश में जिनके अंदर हम नेचुरल ब्यूटी ला सकते हैं वह पर्यटक स्थल बन सकते हैं। जो हमारे आलरेडी डेवलप हैं।, हमारे घाट डेवलप हैं, हमारा मथुरा, हमारा काशी, उसके अलावा भी कुछ बनाने की जरूरत है। उसके अलावा भी हमारी ऐसी बहुत सी यादें और निशानियां है जिसको डेवलप करने की जरूरत है। हमारी रेजीडेन्सी आज जिस हाल में है, क्या ऐसी ही होनी चाहिए थी। अगर यह यूरोप वालों के पास होती तो इस रेजीडेन्सी पर पूरी दुनिया का मेला लगा हुआ होता। हमारे पास ऐसी यादगारें हैं। हमारे पास अपनी गुलामी की यादें हैं। सात समन्दर पार के अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर जुर्म किया है, उसकी यादें हैं। हम नहीं उन्हें बना सकें, उन्हें बनाने की जरूरत थी ताकि दुनिया के लोग आते देखने के लिए कि सफेद चमड़ी वालों ने क्या किया ? साउथ अफ्रीका में हमने क्या देखा था आपने और हमने ? उन्होंने अपनी यादों को कैसा बना रखा है ? साउथ कोरिया में क्या देखा था हमने हर वारियर के हांथ में जो तलवार थी, टूटा हुआ डंडा भी था, तो उसका म्युजियम बनाया था उन्होंने और जिस तरह से उस म्युजियम को सजाया है, वह पूरी दुनिया के अट्रेक्शन का कारण बना हुआ है। खुद हमारे देश में, बापू के देश में, वह कुछ भी बापू की यादें नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में है, इसके लिए हमें शर्मिन्दा होना चाहिए। जैसा म्युजियम बापू का साउथ अफ्रीका में है, खुद बापू के देश में नहीं है। इसलिए मान्यवर, हमारे ऐसे बहुत से स्रोत हैं, पर्यटन के जिसमें हम बहुत कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत कुछ साख कमा सकते हैं। हम नेचुरल ब्यूटी में इजाफा करें, ताजमहल को और खूबसूरत करें। ताज से पहले से ही बहुत खूबसूरत है, अब और कितना खूबसूरत करेंगे ताज को। ताज सरताज है अब इससे बड़ा और ताज क्या होगा ? लेकिन हर शहर में ताज नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के हर कोने पर ताज नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन

हमारे यहां बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जिन्हें हम डेवलप करें तो हम आमदनी भी बढ़ा सकते हैं मान्यवर, और अपने प्रदेश को खूबसूरत भी कर सकते हैं। मैं उस रिवायती बजट की तरफ न जाते हुए, बस यही कहना चाहता हूं और यह संदेश भी देना चाहता हूं, प्रदेश वासियों को, आपको और अपने इस पर्यटन विभाग को भी, खुद उसने भी ताजमहल को ही अपनी इस मैगजीन की जीनत बनवाया है। इलाहाबाद में कुंभ मेला होने वाला है, वो भी एक हिस्सा है पर्यटन का और एक बहुत बड़ा स्रोत है, पूरी दुनिया में अपने नाम को उजागर कराने का। और आप देखेंगे, मैं बार-बार कह रहा हूं कि अर्द्धकुंभ भी हमने ही कराया था और यह कुंभ भी हम कराएंगे। वह भी ऐतिहासिक था और यह भी ऐतिहासिक होगा। (मेंजे थपथपाई गई) और जो पर्यटन के लिए फायदेमंद हो सकता है, लगभग 34 से 48 प्रतिशत का इजाफा है, पर्यटन में। आपने पर्यटन को बहुत-बहुत बढ़ावा दिया हम तो मानते हैं, 5 साल में आपने हमारे शरीर से खून की एक-एक बूंद निकाल कर उन्हें पत्थरों में तब्दील कर दिया। बताते हैं यह आपको कि उत्तर प्रदेश की गरीबी को जमीन के नीचे तक ले गए आप, मानते हैं ये हम। पर्यटन का फायदा तो तब है जब हम उन यादों को जिन यादों से हम दुनिया में अपनी पहचान करा सकते थे, उसे कायम करते। उसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया। 5 वर्ष आप सत्ता में रहे और इन्वर्टर हम लगवा रहे हैं। ताजमहल की लाइट्स काम नहीं कर रही है, यह 5 साल के शासनकाल में आपको नजर नहीं आया। अब आपको जरूरत पड़ रही है। पर्यटन में क्या-क्या सुझाव, क्या-क्या बदलाव होने चाहिए यह अब समझ में आ रहा है आपको। तो, हमें समझ है मान्यवर, और क्योंकि यह विभाग मा0 मुख्यमंत्री जी के पास है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक बढ़े हैं, लेकिन किसी सरकार की वजह से नहीं बढ़े हैं। खुद हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में ऐसा अट्रेक्शन है कि उसकी बुनियाद पर पर्यटक यहां आते हैं। हमारी सिर्फ व्यवस्था अच्छी हो जाए। कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, रास्ते अच्छे हो जाये और बिजली मिलने लगे तो पर्यटक और बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर, हमारे आगरा के दोस्त बहुत अच्छे हैं, कम-से-कम यह एक अच्छा काम करें, मोहब्बत के इस शहर में कटौती का क्या काम है, बढ़ौती का काम होना चाहिए। आप क्यों कटौती करते है, ताजमहल के साथ क्यों नाइंसाफी करते हैं। आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और सहयोग करेंगे सरकार का पर्यटन में मेरे पास सारे आंकड़े रखे हैं कहिये तो मैं आधे घण्टे तक आपको उन्हें पढ़कर सुनाऊं। मैंने तो सारा अंडरलाइन किया हुआ था कि सब आपको पढ़कर सुनाऊंगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैंने आगरा के विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये थे, एक गैराज का मामला था और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। माननीय मंत्री जी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यह दो काम भी बहुत अच्छे और बड़े काम हैं, उन्हें भी कर दें, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, उसके लिए जमीन भी एक्वायर हो गई है, पैसा भी एलाट हो गया है, वह बना रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं इन तकनीकी आंकड़ों में बिल्कुल नहीं गया इतने दशमलव इतने या इतने दशमलव इतने। मैं यह फर्म बताना चाह रहा हूं आपको कि दुनिया के लोग अपने टूटे हुए पत्थरों से अपने खण्डरात से इतना कमाते हैं कि पूरा देश चलाते हैं। किसी के पास ताजमहल नहीं है, लेकिन

उन टूटे दरों से और पत्थरों से वह इतना हासिल करते हैं जितना हम ताजमहल के हुस्न से हासिल नहीं करते हैं। मान्यवर, हमारे पास और भी बहुत कुछ है, हमारे पास देवा शरीफ है, हमारे पास बदायूं हैं, हमारे पास बहराइच है सादात मसूद गाजी रहमदुल्लाह अलैह का और कछौछा है, बरेली है। यहां तक कि जिस पर आपकी नजर नहीं है और मेरे ख्याल से पर्यटन विभाग की भी नजर नहीं है कि कितने जायरीन आते हैं यहां, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और उससे कितनी आमदनी है, इस पर नजर नहीं गई है और कोई शब्द है भी नहीं। शायद इन पर नजर भविष्य में जाएगी तो हम बढ़ावा देंगे। मैंने तो सुझाव दिया था कि बदायूं की अजीब तारीख है हिस्ट्री में, अगर बदायूं के इतिहास के बारे में थोड़ी सी स्टडी हो जाए तो शायद उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिलों में बदायूं एक होगा तो उस इतिहास को भी तलाश करने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा देश गंगा-जमुनी तहजीब का मालिक है, गंगा-जमुनी तहजीब से मतलब दो पानी की धाराओं का मिल जाना नहीं है बल्कि एक ऐसी तहजीब का संगम है जहां सैकड़ों हजारों साल से हम जिन रिश्तों के साथ रहते चले आ रहे हैं वहां अकबर भी है और जोधा भी है। इसी तरह हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वापस नहीं बल दे दिया है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

बल दे दिया ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराधि के अतिरिक्त 83,96,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,92,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की प्रदेश के आर्थिक विकास एवं अन्य सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में एक महत्वूपर्ण भूमिका है। परिवहन विभाग द्वारा रेगुलेटरी विभाग के रूप में कार्य करने के साथ-साथ जनता को अनेक प्रकार की सेवायें प्रदान करने एवं राजस्व अर्जन का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया जाता है। रेगुलेटरी विभाग के रूप में वाहनों का पंजीयन, मोटर चालक लाइसेंस, व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस एवं परमिट जारी करने, मोटरयान अधिनियम, 1988, उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 का क्रियान्वयन किया जाता है। सामाजिक सेवा के रूप में विभाग द्वारा जन सामान्य को परिवहन जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने, यात्री वाहनों से दुर्घटना की दशा में राहत देने, सड़क सुरक्षा की योजना का कार्यान्वयन करने तथा राजस्व एजेन्सी के रूप में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के अधीन देय राजस्व का संग्रह किया जाता है।

मान्यवर, नयी सरकार के प्रदेश में स्थापित होने के पश्चात जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील इस सरकार द्वारा मार्ग दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों को समय से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपात कालीन चल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने को राज्य सरकार ने अपनी शीर्ष प्राथमिकता में लिया है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 में परिवहन विभाग द्वारा रु0 2379.16 करोड़ (दो हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ सोलह लाख) राजस्व अर्जित किया गया था जो वर्ष 2010-11 में वसूल की गयी धनराशि 2067.07 करोड़ (दो हजार सरसठ करोड़ सात लाख) से 15.10 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये विभाग का लक्ष्य रु0 2,950.00 करोड़ (दो हजार नौ सौ पचास करोड़) निर्धारित किया गया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जन, धन, राष्ट्रीय सम्पदा, राजस्व संग्रह के प्रति सजग होने के साथ-साथ परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता विकसित करने हेतु भी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है।

मान्यवर, सदन के मा0 सदस्यगण निश्चित रूप से सहमत होंगे कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह आवश्यक है कि चालक लाइसेंस जारी करने से पूर्व चालन दक्षता का विधिवत् एवं कड़ाई से पालन किया जाय तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग पर संचालित होने वाली वाहन पूर्ण रूप से हर प्रकार के तकनीकी दोष से मुक्त हों। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग में मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना तथा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

इस क्रम में माननीय सदन को मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि चालक लाइसेंस जारी करने से पूर्व दक्षता को सुनिश्चित करने एवं तकनीकी प्रगति का लाभ इस क्षेत्र में प्राप्त करने के उद्देश्य से सारथी साफ्ट वेयर पर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड पर जारी करने की योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना भारत सरकार की संस्था निक्सी के माध्यम से क्रियान्वित की जानी है। इस सम्बन्ध में निक्सी से समझौते की कार्यवाही प्रगति पर है। इस योजना के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक बार बायोमेटिक डाटा के साथ सम्बन्धित अन्य डाटा भी सुरक्षित रखा जायेगा तथा चालक द्वारा अधिनियमों एवं नियमावलियों के उल्लंघन की दशा में उसे दण्डित किया जाना तथा लाइसेंसी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आसानी से सम्भव हो सकेगा।

मान्यवर, हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अन्य प्रगतिशील प्रदेशों यथा कर्नाटक आदि की भांति प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से जनपद स्तर पर आधुनिक तकनीक पर आधारित सेंसरबेसूड ड्राइवर टेस्ट ट्रैक स्थापित किये जाएं ताकि लाइसेंस तभी दिया जाए जब आवेदक ने आवश्यक दक्षता प्राप्त कर ली हो। इसी उद्देश्य से पूर्ति के लिए प्रदेश में निजी क्षेत्र में संचालित 242 मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुसज्जायुक्त प्रशितक्षण वाहनों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

मान्यवर, आदरणीय सदन को मैं यह बताना चाहता हूं कि विभाग की कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने एवं जन सामान्य को अवरोध रहित सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आधुनिक टेक्नोलाजी को अंगीकृत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्रम में विभाग में कम्प्यूटरीकरण की योजना प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 73 कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा इन कार्यालयों को योजना भवन, लखनऊ में स्थापित तथा एनआईसी द्वारा विकसित स्टेट रजिस्टर से जोडा जा चुका है। वर्ष 2012-13 में नव सृजित 4 जनपदों के कम्प्यूटरीकरण एवं उनकी कनेक्टीविटी एवं डाटा डिजीटाइजेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

मानयवर, ट्रकों में ओवरलोडिंग एक गम्भीर समस्या है। मार्गों पर ओवलोडेड माल वाहनों का निरंकुश संचालन एक आम समस्या हो गयी है, जिसके कारण एक ओर मार्गों की टूट-फूट होती है तथा दूसरी ओर इनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

इस समस्या का निराकरण हेतु आई0आई0टी0 कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञों से प्रारम्भिक विचार-विमर्श के आधार पर यह मत स्थित हुआ है कि ओवरलोड मालवाहनों को चेक करने हेतु वे-इन-मोशन की तकनीक के प्रयोग से एक पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जाय, ताकि उसके कन्ट्रोल्ड एवं मानीटर्ड संचालन के आधार पर को पूरे प्रदेश में लागू किये जाने हेतु दोष रहित सिस्टम विकसित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त परियोजना हेतु शासन द्वारा आवंटित परिव्यय के सापेक्ष 100 लाख रु0 का बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने यहां विभागीय कार्य प्रणाली में गुणवत्ता स्थापित करने पर बल दिया है वही जन सामान्य को सुविधा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है। इस क्रम में प्रथम चरण में अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों द्वारा उ0प्र0 में देय करों के ई-बैकिंग के माध्यम से आन-लाइन भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है। आन-लाइन कर भुगतान की व्यवस्था प्रदेश के अन्दर पंजीकृत वाहनों द्वारा देय कर के भुगतान के सम्बन्ध में कराया जाना भी प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से जहां कर दाताओं को संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यलयों में लाइन लगाने से निजात मिलेगी वही यह सुविधा भी प्राप्त होगी कि 24 घण्टे में जब चाहे तथा जहां से चाहे कर जमा कर सकते है।

प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ एवं मधुर बनाया जाये और उनसे आपसी सहमति कायम करके जन सामान्य को सुगम, सुलभ एवं सस्ती यातायात परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है। उक्त राज्यों के साथ करार को अन्तिम किये जाने की कार्यवाही गतिशील है।

मान्यवर, सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के भवनों के निर्माण योजना के अन्तर्गत परिवहन विभाग के 39 निर्मित कार्यालयों भवनों में कार्यालय संचालित हैं तथा 09 कार्यालयों निर्माणाधीन हैं। अवशेष 28 कार्यालयों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण होना है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों यथा बस्ती, मऊ, महराजगंज एवं देवीपाटन (गोण्डा) के निर्माणाधीन भवनों की दूसरी किश्त तथा के निर्माण तथा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय प्रतापगढ़, एटा, बिजनौर, कन्नौज एवं मुजफ्फरनगर में भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि पर नये भवन निर्माण/विस्तार हेतु कुल रु0 591.72 लाख (पांच सौ इक्यानबे लाख बहत्तर हजार) का बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मा0 सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि शासन द्वारा जल मार्गों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। प्रदेश में इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए एक जल मार्ग पूर्व से ही स्थापित है। हमारी यह योजना है कि प्रदेश में स्थित अन्य नदियों एवं नहरों का सर्वे कराकर जलमार्ग से यात्री परिवहन की संभावनाओं को तलाश कर प्रदेश में पर्यटन का विकास किया जाए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी वांछनाओं के अनुरूप पर्याप्त, समन्वित, दक्ष एवं मितव्यी बस सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में परिवहन निगम द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है।

निगम द्वारा जन सामान्य को पर्याप्त एवं उच्च कोटि की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपने बस बेड़े में 1000 नई बसें सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि कर बसें (साधारण, वातानुकूलित लक्जरी एवं सुपर लक्जरी बसें) अनुबन्ध पर ली जानी निर्धारित हैं। महानगरों में यात्रियों को अच्छी नगर बस सुविधा देने हेतु निगम द्वारा लो-फ्लोर वातानुकूलित एवं लो-फ्लोर साधारण बसों का संचालन किया जा रहा है। निगम के कार्यो की यह दिशा निश्चित ही प्रदेश के नागरिकों के हित में होगी। इसके अतिरिक्त 600 और नई बसें परिवहन निगम के बस बेड़े में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।

निगम द्वारा प्रदेश में बस संचालन हेतु स्वयं के 243 बस स्टेशन विकसित किये हैं। निगम के सभी वर्तमान बस स्टेशनों पर यात्री वांछनाओं के दृष्टिगत अवस्थापना विकास एवं उच्चीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में निगम लगातार प्रयत्नशील हैं मान्यवर यात्रियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में बसों की सफाई व धुलाई हेतु इटावा, आगरा, फैजावाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, आजमगढ़, इलाहाबाद गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद परिक्षेत्रों में आटोमेटिक वाशिंग प्लांट लगाने के आदेश पारित कर दिये गये हैं और इटावा, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर और बरेली क्षेत्रों में प्लांट लगाने हेतु एग्रीमेंट भी किया जा चुका है।

निगम अपने संचालन के माध्यम से समाज के सबसे गरीब एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों से तथा ग्रामीण जनता से सीधे तौर पर जुड़ा है। साथ ही निगम द्वारा यात्रियों की वांछनानुसार कई मार्गों पर उच्च श्रेणी की बसों जैसे वातानुकूलित लक्जरी एवं सुपर लक्जरी आदि का संचालन प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश की जनता को सम्मानजनक व आरामदायक सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कटिबद्धता के दृष्टिगत प्लैटिनम लाइन व गोल्डलाइन बस सेवा का शुभारम्भ किया गया है। यह गोल्ड लाइन बसें प्रातः 07 बजे अपने गन्तव्य के लिये प्रस्ताव कर सायं 4 बजे गन्तव्य से वापस चलती है। यह सेवायें

सीमित स्टापेज, ढ़ाबे पर न रुकने वाली तथा आनलाइन अग्रिम आरक्षण व्यवस्था युक्त है। इन सेवाओं के समयबद्ध संचालन का अनुश्रवण मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। परिचालकों के लिये वर्दी व नाम पट्टिका अनिवार्य होगा। इस सेवा में प्रयुक्त बसों के लिये पृथक कलर स्कीम निर्धारित की गई है। इससे प्रदेश में प्रर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वातानुकूलित लक्जरी एवं सुपर लक्जरी, गोल्ड लाइन एवं प्लेटिनम लाइन बसें जनता में बेहद लोकप्रिय हैं। निगम द्वारा परिहवन निगम में आई0टी0एम0एस0 (इंटेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम) का प्रयोग कर अग्रिम आरक्षण, काउन्टर बुकिंग, एम0एस0टी0 व आर0एफ0आई0डी0 स्मार्ट प्रीपेड कार्ड के प्रयोग, वैहीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को और अधिक सुविधायुक्त सेवा प्रदान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रणाली के निम्न लाभ हैः-

1-अग्रिम आरक्षण से यात्रियों को सीट सुनिश्चित होना।

2-एम0एस0टी0 व आर0एफ0आई0डी0 स्मार्ट प्रीपेड कार्ड के माध्यम से यात्रा मूल्य में डिस्काउन्ट, पूर्व से भुगतान कर सकने की सुविधा, वांछित राशि के टापअप किसी भी चिन्हित स्थान से करा सकने का विकल्प, एम0एस0टी0 के दुरूपयोग से उत्पन्न होने वाली यात्री समस्याओं का निराकरण।

3-वैहीकल ट्रैकिंग से ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण/यात्री सुरक्षा।

4-यात्री सूचना प्रणाली से रीयल टाइम लोकेशन, आगमन/प्रस्थान/विलम्ब की स्थिति जानकारी उपलब्ध होगी एवं बस स्टेशन इनक्वारी/एल0सी0डी0 डिस्प्ले/वेबसाइट आई0वी0आर0एस0 के माध्यम से रेलवे की भांति चिन्हित नम्बर से दूरभाष द्वारा, एस0एम0एस0 द्वारा तथा हेल्पलाइन के माध्यम से।

निगम द्वारा जन-सामान्य को समयशीलता के साथ उच्च कोटि की गुणवत्तापरक परिवहन सेवाऐं उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही करनी होगी जिससे न सिर्फ प्रदेश की जनता को वांछित स्तर की परिवहन सेवा उपलब्ध हों बल्कि निगम छवि राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी परिवहन निगमों की तुलना में और अच्छी हो सके।

निगम के चालकों एवं परिचालकों की कार्यकुशलता, दक्षता एवं यात्रियों से सद्व्यवहार करने के लिये निगम के प्रशिक्षण संस्थान में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाये जाने सेवाओं में गुणवत्ता के दृष्टिगत आवश्यक होगा। इसी कड़ी में कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसायिक लाइसेन्सधारियों तथा निजी क्षेत्र के ड्राइविंग लाइसेन्सधारियों को भी बस चलाने हेतु प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

यात्री-सुविधाओं में निरन्तर विस्तार करने की कार्यवाही के दृष्टिगत कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे ताकि यात्री सुरक्षा के दृष्टिगत सभी प्रकार की बसों के रख-रखाव के लिये वर्तमान कार्यशालाओं में उपर्युक्त आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो सके।

अन्त में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यद्यपि विभाग द्वारा, परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों को संकलित कर परिवर्तन के प्रयास किये जा रहे हैं तथापि मा0 सदस्यों द्वारा अपने बहुमूल्य अनुभवों और ज्ञान का लाभ प्रदेश की जनता के हित में विभाग को देने तथा उनके बहुमूल्य सुझाव का विभाग मे स्वागत रहेगा। आपके अनुभव एवं ज्ञान का लाभ उठाते

हुये परिवहन विभाग अग्रेत्तर सुधार के लिये अग्रसर हो सकेगा। आपके बहुमूल्य समय एवं ध्यान पूर्वक सुनने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि निगम हमें जिस हालत में विरासत में मिला है यह 934 लाख करोड़ के घाटे में है। इसकी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास होगा कि जनता को हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। और अपने संसाधन बढ़ाएं। लगातार डीजल की कीमतें भी बढ़ी है लेकिन परिवहन निगम में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे किसी की कीमत बढ़ाई जायं। अन्य जो कमियां रही है जनता को पांच सालों में अच्छी और बेहतर सुविधा नहीं मिली है।

मान्यवर, यात्री सुविधाओं को उनको हर प्रकार से विकसित किया जाय सरकार इसके लिए कटिबद्ध हैं मान्यवर हमारा इस दिशा में प्रयास होगा कि जनता को बेहतर और आरामदायक और सस्ती सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। मैं मा0 सदस्यों का आभारी रहूंगा कि यदि उनके अच्छे सुझाव इस बजट के अवसर पर और बजट के बाद भी मिलेंगे। जिससे परिवहन विभाग और परिवहन निगम की सेवाओं को सुधारने का हमें अवसर मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सुरेश कमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

मान्यवर,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया। मान्यवर मैं उम्मीद करता था कि मा0 मंत्री जी और यह सरकार इस विभाग को बहुत गंभीरता से लेगी। मान्यवर यह सही है कि किसी सरकार का कार्य का मूल्यांकन 3 माह की अवधि में कर पाना कठिन होता है लेकिन जितनी संवेदनहीनता इस विभाग के प्रति सरकार की रही है वह हम सब देख रहे हैं। मान्यवर मा0 मंत्री जी ने अपना लिखित भाषण सदन के समक्ष पढ़ दिया। अपनी ओर से कोई दिशा इसमें उन्होंने नहीं दी और न ही कोई कार्य योजना प्रदर्शित होती है और न ही ऐसा लगा कि समस्याओं का कोई समाधान वह करने जा रहे हैं। जिससे हम उनका स्वागत कर सकें। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने न ही ए आर टी ओ को उत्पीड़न रोकने के संबंध में कुछ कहा और न ही डग्गामार बसों के संचालन के संबंध में कुछ कहा। इसी तरह से जो दुर्घटना पीड़ित लोग है उनकी मुआवजा राशि में वृद्धि के संबंध में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सब महत्पूर्ण चीजों पर मा0 मंत्री जी का बजट मौन है। मान्यवर ओवर लोडिंग का जो सवाल है मान्यवर एक आई0आई0टी0 कानपुर की स्टडी के बारे में आपने जरूर बताया लेकिन उसमें ऐसा कोई सार्थक उपाय नहीं सुझाया गया है कि जिससे निजात मिल सके। मान्यवर, इस बजट में किसी भी समस्या का समाधान उल्लिखित नहीं है और बजट भाषण में ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसको हम कोट कर सकें।

मान्यवर, परिवहन विभाग देश और प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। देश में और प्रदेश में कम्यूनिकेशन सिस्टम और परिवहन सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। मान्यवर रेलवे और वायु मार्ग सेवायें तो केन्द्र सरकार के अधीन है। मैं यहां केवल परिवहन विभाग और रोड ट्रान्सपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। मान्यवर, पहले प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने की चर्चा हुआ करती थी।

कई पंचवर्षीय योजना चली गयी लेकिन वह प्रयास मूर्त रूप अभी तक नहीं ले सका है। मान्यवर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14-15 लाख रुपये का प्राविधान जरूर किया गया था लेकिन इस वर्ष के बजट में तो कोई भी प्राविधान इस संबंध में नहीं किया गया है। मान्यवर एक सदस्य का इस संबंध में प्रश्न विधान सभा में उठा था और यह जवाब आया था कि डिस्लिटिंग करके जल परिवहन का रास्ता साफ करेंगे। मा0 मंत्री जी ने उस आश्वासन को ध्यान में रख कर ही अपने बजट भाषण में जल परिवहन के बारे में कुछ कहा होता तो अच्छा लगता। मान्यवर हमारे यहां इलाहाबाद से लेकर बलिया तक गंगा जी है। इसी तरह से अयोध्या से लेकर बलिया तक घाघरा नदी है और वह प्रयास सार्थक भी हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

और इस प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है अगर हो सके। मान्यवर, जहां तक रोड परिवहन का सवाल है।

राजस्व मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इसी सदन में माननीय सुरेश खन्ना जी ने एक विभाग का निर्माण कर बताया लीपापोती विभाग और मान्यवर, मुझे उसका प्रभारी बनाने के लिए कहा कि वह विभाग इनके पास रहे। लेकिन श्रीमन्, आज मैं यह देख रहा हूं कि इतने सुन्दर बजट पर कटौती रखने में खाली लीपापोती कर हैं। यह विभाग जो उन्होंने मुझे दिया था वापस कब ले लिया जरा बतायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, एक विषय खत्म होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है तो बीच में व्यवस्था का प्रश्न होता है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस प्रदेश में 20 करोड़ की जनसंख्या के लिए जो परिवहन के साधन उपलब्ध है निगम के माध्यम से और निजी क्षेत्र में वह अपने आपमें अपर्याप्त है कोई बाहर का पर्यटक आता है तो सबसे पहले यह देखता है तो अगर वह परिवहन का साधन देख ले तो वही पर उसका मन बन जाता है कि किस स्थिति में होगा हमारा प्रदेश। अगर हम विदेशों में गये तो वहां पर ऐसा मन होता था कि टैक्सी से उतरकर खूबसूरत बसों में बैठकर यात्रा करें। मान्यवर, उम्मीद हम यह करते थे माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी राजा परिवार से हैं, बड़ी सोच होना चाहिए और वह इस विभाग के पहले भी प्रभारी रह चुके हैं। मैं उम्मीद यह करता था कि कुछ दरियादिली माननीय मंत्री जी दिखायेंगे और कुछ अच्छी नई बसें खास तौर से जो बसों का जो पुराना चलन चला आ रहा है कि एक हजार बसें हर साल बढ़ा दें कभी 987 बढ़ा दो कभी 932 बढ़ा दो निगम के कई वर्षों से मैंने देखा कि 700 से लेकर 1000 तक बसों में वृद्धि की बात कही गयी। इसलिए मैं मंत्री जी से उम्मीद करता था कि इतने बड़े प्रदेश के लिए खूबसूरत अच्छी कम से कम 2000 बसें मान्यवर बढ़ाने की आज घोषणा सदन में करेंगे लेकिन उसमें भी राजा साहब ने पूरी कंजूसी करी और 1000 बसों की घोषणा की। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े प्रदेश के लिए आवश्यक है कि 2000 बसों की वृद्धि उस बेड़े में हो। 1000-1500 बसें हर साल निष्प्रयोज्य हो जाती है, ओवर ऐज हो जाती है। मान्यवर, जहां तक मैं एक बात पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां लोग

वाहन खरीदते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं कभी हरियाणा में कराते हैं, कभी पंजाब में कराते हैं और कभी उत्तरांचल से कराते हैं हमारे यहां से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं मैं दो साल का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में मान्यवर, 656 बसें, 265 मिनी बसें और लगभग मान्यवर, 9770 ट्रैक्टर खरीदे तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लिए गये और रजिस्ट्रेशन मान्यवर, दूसरे प्रदेश से हो रहा है। हमारे यहां की टैक्स पालिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग हमारे यहां से वाहन खरीदें उसका पंजीकरण हमारे यहीं प्रदेश में कराया जाय। उससे सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी और उससे बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात मान्यवर, इनके पास अपने कार्यालय नहीं है स्वयं माननीय मंत्री जी अभी जो लिखा हुआ भाषण था उसको पढ़कर सुनाया कि 28 कार्यालय आगे पंचवर्षीय योजना में बनाये जायेंगे।

मान्यवर, निगम की जो स्थिति स्वयं उन्होंने लिट्रेचर में इस बात का स्वीकार किया कि 51 स्थान ऐसे हैं जहां पर कार्यालय नहीं हैं मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है और जब कार्यालय नहीं होंगे तो उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाने का प्राविधान मा0 मंत्री जी को बजट में करना चाहिये था। मात्र 591 लाख का प्राविधान नये कार्यालय को बनाने के लिये 5 करोड़ 91 लाख का प्राविधान मान्यवर, इस बजट में किया गया है। आप कल्पना करें कि इतनी महंगाई है मान्यवर कि किस प्रकार से वो कार्यालय बन सकेंगे इतने कम बजट में। हम उम्मीद करते थे कि एक बड़ा भाग कम से कम कार्यालय स्टैबलिशमेण्ट के लिये मा0 मंत्री जी इसमें जरूर करेंगे। खासतौर से जो विभाग के कार्यालय है और मान्यवर, बहुत से स्थानों पर इन्होंने कार्यालय किराये पर लिये हैं। रोज वो धमकी देते हैं, नोटिस देते हैं मान्यवर, कि किसी तरीके से हमारे कार्यालय खाली करो। लेकिन इस विभाग को उसकी चिन्ता नहीं है मान्यवर, जो सेण्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स है, जिसमें सेण्ट्रल से हमें सहायता मिल सकती है इन्सपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेण्टर, उनको स्थापित करने के लिये मान्यवर, 14 करोड़ 40 लाख का केन्द्र का प्राविधान है, केवल जमीन देनी है सरकार को और उसके बारे में तत्परता दिखानी चाहिये। उसके बारे में मा0 मंत्री जी ने एक लाइन भी अपने बजट भाषण में नहीं कही और न मान्यवर, बजट साहित्य में ही इसे कहीं दर्शाया गया है। अगर इस पर ही तत्परता कर लेते कि भारत सरकार से वो पैसा पूरी तरीके से मिलने वाला है और एक साल का खर्चा भी भारत सरकार उसके लिये देगी, उसके बारे में बजट भी मौन है और मान्यवर, सरकार भी मौन है। मान्यवर, रोडवेज की बसों की समय सारणी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोई समय सारणी नहीं है। कभी एक ही समय पर चार-चार बसें एक साथ खड़ी हो जाती है और कभी मान्यवर, घण्टों बसों का दर्शन नहीं होता। इसलिये मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसका विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाये कि समय सारणी को मेनटेन जरूर किया जाये। इससे हमारी गति भी बढ़ेगी और प्रदेश के विकास के लिये सार्थक भी होगा। छोटी गाड़ियों का परमिट मा0 मंत्री जी के विभाग से जारी होता है। मान्यवर, तीन साल के लिये यह परमिट जारी होता है, इससे लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई होती हैं मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि या तो यह छः महीने के लिये या फिर अधिकतम साल भर के लिये जारी हो जाये तो मान्यवर, राजस्व की वृद्धि भी होगी और उन लोगों को भी सुविधा होगी जो अपनी गाड़ियां बीच में हटाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इससे राजस्व में वृद्धि होगी। मान्यवर, आज जो सबसे बड़ी चिन्ता व्यक्त की जाती है, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जिस प्रकार से रेलवे में सीनियर सिटिजन्स को 30 परसेंट, 35 परसेंट, 40 परसेंट का रिबेट दिया जाता है टिकट पर। मान्यवर, उत्तर

प्रदेश सरकार को भी इसी प्रकार से सीनियर सिटिजन्स के बारे में सोचना चाहिये और सीनियर सिटिजन्स को यात्रा करने पर अगर 20, 25 परसेंट का ही रिबेट अगर उनको मिल जाये तो मान्यवर, वह स्वागत योग्य होगा। हम एक वाहन खरीदते हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन अगर किसी दूसरे जनपद में कराते हैं तो एन0ओ0सी0 लेने में पूरे टांके ढीले हो जाते हैं, इतनी फारमिलिटीज है, इतनी परेशानियां हैं मान्यवर, कि महीनों समय लगता है और उस एन0ओ0सी0 को लेने के लिये हमको सारे करम करने पड़ते हैं, समय भी बरबाद होता है। अगर जो कम्प्यूटरीकरण हो रहा है उसमें इस बात की व्यवस्था अगर हो जाये तो निश्चित रूप से हमारे समय की बचत होगी और मान्यवर, इससे एन0ओ0सी जल्दी मिल सकेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री का ध्यान इस ओर विशेष रूप से चाहता हूं कि मान्यवर, विकलांगों की व्यवस्था तो है बसों से चलने की, उसके लिये विशेष व्यवस्था है। लेकिन जो कण्डक्टर का व्यवहार होता है उनसे वो सम्मानजनक नहीं है। वो अपमानजनक भी है और उसको फटकार मिलती है जो व्यावहारिक स्थिति है। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों से हम समझौता करते हैं कई प्रदेशों से हमारा माल का समझौता है और यात्री बसें नई प्रदेशों से जैसे महाराष्ट्र है, चण्डीगढ़ है, हिमांचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इनकी बसें हमारे यहां आती हैं। समय-समय पर इनसे समझौते का रिन्युअल होता है मान्यवर। हम अपने रेट रिवाइज करके अपना राजस्व मान्यवर, इस चीज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

मान्यवर, दिल्ली में हमारे कौशाम्बी के सामने आनन्द बिहार बस अड्डा है। लाखों रुपये हमको महीने में किराये के रूप में देना पड़ता है। बसों की वहां पार्किंग करने के लिये। वो रुपया बच सकता है बजाय इसके कि हम आनन्द विहार में पार्किंग करें कौशाम्बी में ही अपना स्थल निर्माण करके उसको डेवलेप कर सकते हैं। मान्यवर, पिछली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय था। 13851 लाख, रुपये का 2865 लाख रुपये स्वीकृत हुआ और 1884 लाख रुपये मान्यवर, खर्च हुआ। मान्यवर मैं इसलिये इस बात को इंगित कर रहा हूं कि जो हाल पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना का हुआ कि परिव्यय 13 हजार करोड़ था और खर्च हुआ मात्र 18 करोड़ रुपया। मान्यवर, यह हाल इस बजट का भी हो क्योंकि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है। अगर यहीं से शुरूआत अच्छी होगी तो आगे तक यह ठीक चलेगा लेकिन अगर पुराना इतिहास माननीय मंत्री जी ने दोहराया तो इसका तो कोई अंत नहीं है। न तो ढीलेपने का अंत है क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को कहा गया था कि 13 हजार 3 सौ बसें होंगी लेकिन आज तक हम 85 सौ बसों से आगे नहीं बढ़ पाए। इसमें अनुबंधित बसें 13-14 सौ शामिल हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विभिन्न ट्रिब्यूनलों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनलों तक लगभग साढ़े उन्नीस हजार केसेज पेंडिंग हैं। दसियों हजार केसेज मान्यवर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से चाहूंगा कि इसमें विशेष रूप से पैरवी करके जल्दी निस्तारण करवाया जाय। आज की आवश्यकता यह है कि सभी स्थानों पर सी0एन0जी0 बसें हों। डीजल के स्थान पर सी0एन0जी0 बसेस का जितना ज्यादा हो सके इंतजाम करना चाहिए। 3-4 बातें और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना साहब अभी कितना समय लेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बस दो तीन मिनट लेंगे। सड़क सुरक्षा योजना में मात्र 30 लाख रुपये का प्राविजन किया गया हैं बजट साहित्य देख लें वर्ष 2009-2010 में एक करोड़ रुपये का प्राविजन सड़क सुरक्षा योजना में किया गया था लेकिन इस वर्ष 30 लाख रुपये का प्राविजन बजट में किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कम से कम इस धनराशि को जरूर बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, विभाग की कार्य कुशलता जितनी इसकी निन्दा की जाय, कम है क्योंकि इस सरकार की जिम्मेदारी अभी तीन महीने की है, इसके पहले जितनी बदइंतजामी और लापरवाही और जितने भद्दे तरीके से मान्यवर, निगम का संचालन होता है उसका पूरा प्रदेश भुक्तभोगी है। आज सम्भ्रान्त व्यक्ति इनकी निगम की किसी बस में चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान 50 किमी0 भी सफर करना नहीं चाहता। मजबूरी में उसको कुछ भी करना पड़े खुशी से नहीं करना चाहता। मान्यवर, मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं इससे पूरे प्रदेश की जैसे महाराष्ट्र की कोई बस आ जाय, गुजरात की कोई बस आ जाय, हरियाणा की कोई बस आ जाय, तो उनकी बसों में चलने में एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। लेकिन यहां की बस तो मान्यवर, कुछ न कहिये। पहले मान्यवर, विधायकों के लिये विशेष रूप से यह सुविधा अनुमन्य थी कि वह अपने एक सहयोगी के साथ जा सकते थे लेकिन मान्यवर, कई बार ऐसा हुआ है कि विधायक जी बैठे हैं और पता चला ड्राइवर ने कहा विधायक जी उतरिये बस में धक्का लगेगा। अब सवाल यह है कि जिस विभाग की स्थिति यह रही हो, जिस विभाग की कार्य कुशलता यह रही हो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और माननीय मंत्री जी का जो रवैया अभी आपके सामने रहा वह भी हम सबने देखा। अगर जरा भी संवेदनशीलता उस बारे में होती तो कम से कम कोई नई योजना ऐसी रखते उसकी कार्य कुशलता को बदलने की तो हम भी उसका स्वागत करते।

यह जो एम्बुलेंस और क्रेन की बात कही गई, दो करोड़ का बजट है। चुकारिया भर बारूद और अंग्रेजो से जंग, दो करोड़ के बजट में क्रेन भी आ जाएगी और तमाम एम्बुलेंस भी आ जाएंगी और पूरे प्रदेश में जितने स्टेट हाइवेज हैं उनमें सब कुछ हो जाएगा और उसी में से जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए या मृत हो गए उनके परिवारों को सहायता दी जाएगी। उसी दो करोड़ में सब हो जाएगा। समय कम है आप बार-बार पूछते हैं कितना समय लेंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कुल मिलाकर यह घोर निराशावादी बजट, दिशाहीन बजट है जिससे प्रदेश के विकास को छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार से हम एक परसेन्ट भी विकास की उम्मीद नहीं करते हैं। हम अगले साल भी हो सकता है यहीं खड़े हों और कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हों लेकिन इससे ज्यादा और गई बीती हालत अगले साल होने वाली है क्योंकि बजट में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं झलकती है। जिसके माध्यम से हम यह उम्मीद करें कि इस विभाग की कार्यकुशलता ठीक होगी या ओवरलोडिंग की समस्या ठीक होगी या ए0आर0टी0ओ0 की कार्य प्रणाली ठीक होगी या डग्गामार वाहनों से किसी प्रकार का निजात मिलेगा। कोई दिशा इस बजट में नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक परिवहन का भी बजट है यह शुद्ध व्यवसायिक है इसमें सरकारी खजाने से धन कम लग रहा है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने अपने बजट में काफी जिक्र बढ़चढ़कर बखान किया। मात्र एक हजार बसों के बेड़े का जिक्र किया। जो कि बहुत कम तथा खामियों से भरा है। आपने परिवहन विभाग के राजस्व के बारे में कहा मैं आपको बताना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी, कैसी विडम्बना है हमारे प्रदेश के बराबर हरियाणा प्रदेश है जो कि चौथाई से भी चौथाई छोटा प्रदेश है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर रजिस्ट्रेशन, चाहे मथुरा हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, कोई भी प्रदेश के जिले हों उत्तर प्रदेश के किसी जिले को ले लें, जितनी गाड़ी आप रोड पर देखेंगे सारे हरियाणा के नम्बर, की गाड़ियां हमारे प्रदेश में चल रही है, हमारी रोडों पर चल रही हैं और राजस्व हरियाणा प्रदेश ले रहा है। मान्यवर, आपको देखना पड़ेगा, हमारे प्रदेश में गाड़ी की कीमत का पांच परसेन्ट टैक्स है जबकि हरियाणा प्रदेश में दो परसेन्ट टैक्स है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर यहां का भी हरियाणा प्रदेश के बराबर रजिस्ट्रेशन फीस कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी राजस्व प्राप्त होगा। हमारे प्रदेश में जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और कम परसेन्टेज फीस जमा होगी तो निश्चित तौर पर मौजूदा से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। यहां 100 का रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर पांच सौ का होगा। मान्यवर, अगर वह दो परसेन्ट पर, हमारा रजिस्ट्रेशन 100 की जगह 1000 का हो जावे तो राजस्व भी बढ़ जाएगा हमें रेवेन्यू मिलेगा मैं परिवहन मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि एक तो इसको दिखवा लें। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी सबसे बड़ी चीज है मा0 परिवहन मंत्री जी ने एक हजार बस के बेड़े का एनाउन्स किया मान्यवर, एक हजार बसों में कहीं उसमें जिक्र नहीं है कि कितनी बसें ए0ए0सी0 होंगी कितनी बसें वाल्वो होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा से बीस बसें डेली मथुरा, गोबर्धन, बरसाना, बल्देव, नंदगांव से गोकुल वृन्दावन, हरिद्वार तथा और तीर्थ स्थानों पर बीस बसों की रोज बुकिंग होती है प्राइवेट वाले करते हैं क्या कारण है कि रोडवेज उसमें आगे नहीं आता है उसकी बुकिंग नहीं होती है। एक भी मथुरा में नॉट ए सिंगल ए0सी0 गाड़ी, नॉट ए सिंगल वाल्वो, जब इतना बड़ा तीर्थ स्थल है। हर दो तीन महीने में मंत्री जी मथुरा आते हैं और जाते हैं परन्तु ए0सी0 एवं वाल्वो बसों के अभाव में हमारा प्रदेश राजस्व से वंचित रह जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जनपद मथुरा से अपने परिवहन विभाग के अन्तर्गत आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो राया बस स्टैण्ड, फरह बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव सुनिश्चित करायें तथा दिन और रात के लिये कर्मचारी नियुक्त किये जायें एवं जो फरह और राया के जो कार्यालय बन्द पड़े हैं, उन्हें सुचारु करायें तथा लोगों के उठने-बैठने की शेड तैयार करायें एवं बलदेव में बस स्टैण्ड निर्मित करायें। चूंकि यहां पर दाऊ जी महाराज के दर्शन करने हजारों लोग आते हैं। यह सब होने पर निश्चित रूप से परिवहन विभाग की आमदनी बढ़ेगी साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की साख जो गिरी हुई है, वह उठेगी और लोगों को आवागमन सुलभ हो पायेगा तथा टैम्पो की ओवर लोडिंग से जो घटनायें होती हैं, उन पर अंकुश लगेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। चूंकि हम लोग गोरखपुर से तमकुही रोड जाते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से गया था और गोरखपुर से तमकुही रोड जाने के वक्त स्थिति यह थी कि जिस बस में मैं बैठा था, उसका कन्डक्टर उतर गया और कहता है कि यहां से जाने के लिये इस समय कोई बस नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि गोरखपुर से तमकुही रोड जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाने का काम करें। पडरौना में बस डिपो स्थापित है, बस डिपो का उद्घाटन हो गया लेकिन आज तक वह क्रियाशील नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको चालू कराया जाये। बड़ी बिडम्बना है, जब नई बसों का उद्घाटन होता है, एक जगह से दूसरी जगह के लिये, मैंने अक्सर देखा है, एकदम खटारा बसें उद्घाटन में जाती हैं और 1-2 दिन चलने के बाद वह खटारा बसें फिर नहीं चल पाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, हमारे क्षेत्र अमवा, सिसवा से लेकर गोरखपुर और दुदई से लेकर गोरखपुर तक बस चलाने की व्यवस्था दीगर करायें। बाहर अहसलीदाव एक सबसे बड़ी चीज है, चूंकि हम लोग यू0 पी0 और बिहार के बार्डर पर हैं, बार्डर पर सेवरही स्थित है। यू0 पी0 से बिहार जाने के लिये कोई बस नहीं है। इस बजट में भी उसको कहीं रखा नहीं गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां से बसें गोरखपुर आती हैं लेकिन यू0 पी0 की बसें बिहार नहीं जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यू0 पी0 से बिहार जाने के लिये बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एक और बात है, मात्र दो बोल्वो बसें गोरखपुर से लखनऊ के लिये चलती हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इनकी संख्या और बढ़ा देंगे तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी और आने-जाने में आसानी होगी।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। काफी कुछ करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, बस यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान है। मान्यवर, हम एक सुझाव देना चाहते थे, आप राजा हैं, चाहते हैं कि परिवहन विभाग ठीक-ठाक चले। पिछली सरकार में इस पूरे परिवहन निगम को चर लिया गया था और चरा ही नहीं गया, उसमें एक नारा लिखा हुआ था- ''बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'', मान्यवर, इस नारे को तो आप अभी के अभी हटवा दीजिये। इस नारे से यह हुआ-बहुजन दुखाय हो गया। बहुजन दुखी हुआ, इसलिये आप यह नारा कल से ही लिपवा दीजिये। जो पहले बसों का रंग होता था, उसमें जो हरे रंग की पट्टियां होती थीं, वह पट्टियां आयें। परिवहन निगम की बसों का पूरी तरह से बहुजनकरण कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, बसों का यह कलर आप तत्काल हटवा दीजिये और वहां के कर्मचारियों पर भी अंकुश लगे क्योंकि आमदनी बढ़ानी है, लेकिन कर्मचारी काम नहीं करते हैं। जो पुराने रोडवेज के बस स्टेशन थे, माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं किसने नक्शा बना दिया, हमारे यहां बलिया में इतना बड़ा बस स्टेशन था, जहां यात्री रात में भी रुक जाता था, इतना बड़ा बरामदा रहता था, बरामदे के आगे लान रहता था। उसे तोड़वा करके इतना छोटा कर दिया गया है कि पानी बरसने लगे तो 5 आदमी भी खड़े नहीं रह सकते हैं। पुरानी सरकार में पता नहीं किसने इस प्रकार के नक्शे बनवा दिये। पूरे बरामदे तोड़ दिये गये जिसके कारण बरसात के दिनों में और धूप में यात्रियों को बड़ी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठिनाइयां हो रही हैं, इसको आप दिखवा लीजिये, यात्रियों को कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वोल्वो बसों की मांग आज ज्यादा है, मैंने वोल्वो बस की यात्रा की है, बलिया तक गया भी, यात्रियों को जगह नहीं मिलती है और प्राइवेट लोग अपनी बसें आपके यहां लगाना चाहते हैं। अगर आपका फायदे में है तो उनको लगाने में क्या दिक्कत है। बस मालिकों से कान्ट्रेक्ट कर ज्यादा से ज्यादा वोल्वो, ए0 सी0 बसों को लगवा दीजिये। हर जिले में कम से कम 4-5 बसें चलें, लखनऊ मुख्यालय से। और दूसरे मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय तक भी वोल्वो बसें चलें। अभी हमने एम0 डी0 साहब को लिखकर दिया था तो उन्होंने बलिया के लिये एक बस बढ़ाया है। और इतने यात्री हैं कि उसमें भी जगह नहीं मिलती। एक रात में भी चलती थी, दिन में एम0 डी0 साहब ने बढ़वाया है। उसके बाद भी वहां टिकट के लिये मारामारी है। तो मान्यवर, वोल्वो बसो की संख्या बढ़ाया जाये। और आर0 टी0 ओ0 के द्वारा जो शोषण होता है उस शोषण पर रोक लगायी जाये। कहीं पर जब पकड़ा जाता है तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है तो इससे आमदनी घटती है। इसको रोका जाये।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। समाप्त करें।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा के तिंदवारी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे क्षेत्र से खनिज बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलता है। हजारों ट्रकें रोज गुजरती हैं। इस समय ट्रक मालिक सबसे ज्यादा दुखी है। चाहे आर0 टी0 ओ0 हों या पुलिस की थाना चौकी हों, लाठी लेकर बैरियर लगाकर दिनदहाड़े खुल्लमखुल्ला अवैध ढंग से वसूली होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वसूली किसी तरह से रुके। पहले भी और आज भी वही पोजीशन है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसका कोई इंतजाम जरूर करायें। सब ट्रक मालिक इतना दुखी है कि सब ट्रकें बेचने के कगार पर हैं। इसका कोई न कोई हल जरूर निकाला जाये।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट के शुभ अवसर पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पूर्व में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की सरकार में मंत्री थे और उस समय इन्होंने ट्रक वालों के लिये एक काम किया था आज भी वह ट्रक वाले उस काम को याद करते हैं। आज भी उस सुअवसर को ध्यान रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब वह दिन आयेगा कि उत्तर प्रदेश में सब ट्रक आपरेटरों के ट्रक अपने आप चलते दिखेंगे। उस समय यह व्यवस्था थी कि एक भी ट्रक कहीं रोका नहीं जा सकता था। न कोई खनन के हिसाब से रोकता था, न कोई सिपाही रोकता था, न कोई दरोगा बोलता था। उसके बाद माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी प्रदेश में यही काम किया। जिससे ट्रक वाले लाभान्वित हुये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह काम नहीं किया गया तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रक से ही पूरा प्रदेश चलता है, चलता फिरता उद्योग ही आप सबका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहयोग कर रहा है। अगर यह बन्द हो गया तो प्रदेश समाप्त हो जायेगा। आज प्रदेश की व्यवस्था ट्रक से चल रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें। मंत्री जी लूटमार से बचायें, जगह-जगह लूट हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य समाप्त करें।

(माननीय सदस्य के बोलते रहने पर)

माननीय नेता भाजपा यह ट्रक आपरेटर तो नहीं हैं।

(हंसी)

*श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं एक समस्या को आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मैं उस जनपद से आता हूं जहां रामपुर जनपद की तहसील विलासपुर है। यह उत्तरांचल के बार्डर पर है। उत्तरांचल में रेलवे की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली सरकार में सरकार बराबर आश्वासन देती रही और यह आश्वासन समिति में भी है कि विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनायेंगे। एक वहां पर सीएचसी है जो नई जगह ट्रान्सफर हो गई है, पुरानी सीएचसी जो खाली पड़ी है, उसका कैबिनेट के लिये नोट बन कर तैयार हो गया है, मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि परिवहन विभाग की आमदनी बढ़े तो जितना उत्तरांचल का टूरिस्ट है वह विलासपुर उ0 प्र0 का आखिरी बार्डर पर है उत्तरांचल के बार्डर विलासपुर अगर आप वहां पर रोडवेज का बस अड्डा बना देंगे, जिसके लिये जगह आपके पास उपलब्ध है, आपने यह कहा था कि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसे के लिये मैंने मा0 अम्बिका चौधरी जी से निवेदन किया है कि वह राजस्व की जमीन है, सरकार की जमीन है और अनौपचारिक से बस स्टाफ चल रहा है। और यह बिल्कुल नेशनल हाईवे-87 पर है, 87 पर उत्तरांचल के लिये जितना भी टूरिस्ट जाता है वह सब वहीं से होकर जाता है और हमारा आखिरी स्टेशन है विलासपुर उसके बाद उत्तरांचल की सीमा शुरू हो जाती है तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, बहुत बड़ी आमदनी का जरिया बनेगा काफी बड़ी जगह है अगर आप वहां पर बस अड्डा बना देंगे तो उसका फायदा बहुत बड़ा उस क्षेत्र की जनता को मिलेगा, धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं, मा0 अध्यक्ष मैं केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं जनपद सहारनपुर की गंगोह विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं और वहां पर जो बसों की व्यवस्था है, वहां पर डग्गामार वाहन जो चलते हैं वह बड़ी मात्रा में चलते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, उन डग्गामार वाहनों पर रोक लगे और उसके साथ-साथ जो वहां पर बसें चलने की व्यवस्था जो आज देखने को उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से होनी चाहिये। बसें जो वहां पर चलती हैं, जो बस रोडवेज परिवहन निगम की बस चलती है, वहां पर एक साइड तो उसकी राइड साइड में चलती है और उसका पिछला हिस्सा लेफ्ट साइड में चलता है। मा0 अध्यक्ष जी आगे आने वाले वाहन को रास्ता नहीं मिलता है। और पीछे से चलने वाले वाहन को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से ऐसी व्यवस्था वहां पर चाहता हूं कि ऐसी बसों को हटा कर के अच्छी व्यवस्था की बसों को लाकर के वहां पर चलवाने का काम करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिवहन के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मा0 परिवहन मंत्री जी के बजट के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, लखनऊ में पूर्व सरकार के द्वारा अम्बेडकर बस अड्डा आलमबाग में बनाया गया और जिस जमीन पर बनाया गया वह रेलवे की जमीन है, रेलवे सरकार उस जमीन को एल0 डी0 ए0 से जीत चुकी है और उस बस अड्डे को हटना है मान्यवर, मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने रैली करने के लिये एक पार्किंग स्थल हाईवे के किनारे शहीद पथ के किनारे बनाया है, 25 एकड़ में, जिस पर रायबरेली रोड, फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड की बसों का अड्डा अगर वहां पर बना दिया जाय जहां बहुत जगह है, वहां पर काफी पत्थर लगा हुआ है अगर उस पर बना दिया जाय ता बेहतर होगा और साथ ही मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राज कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री के भाई जिन्होंने 57 बीघे जमीन कानपुर रोड पर जो अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के लिये प्रस्तावित थी, उस पर उन्होंने खरीद लिया और जन संदेश अखबार निकालने लगे। अब तो अखबार बन्द हो गया है जब से बाबू सिंह जी जेल पहुंच गये हैं, तब से जन संदेश का अखबार बन्द हो गया है और अभी भी वह जमीन अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के लिये प्रस्तावित है और शहर में जाम बहुत रहता है, इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दोनों स्थानों पर बस अड्डा बना दें और साथ ही लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है भीड़ काफी हो गई है, शहर बहुत तेजी से बढ़ा है, मैं चाहता हूं कि राजधानी के 25 किमी0 तक सिटी बसें चलाने का प्राविधान अगर मा0 मंत्री जी कर दें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा। इसी के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

*श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, मेरा जिला जनपद संत कबीर नगर है मा0 अध्यक्ष जी वहां जिला मुख्यालय पर कोई परिवहन विभाग का डिपो नहीं है तथा बहुत पुराना बस अड्डा महदावल है, जो आजादी के समय से बना है वहां काफी जमीन भी परिवहन विभाग की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि महदावल को बस डिपो बनाया जाय तथा महदावल विधान सभा में जो बस्ती से चल कर करबैनी मार्ग है। उस पर रोडवेज की कोई बस नहीं चलती है। 10 किलोमीटर का 25 रुपये किराया लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कि बस्ती वाया करबैनी, गोरखपुर बस चलाई जाये और बस्ती डिपो की बसें जो लखनऊ कानपुर चलती हैं, उसको खलीलाबाद वाया नदावल होते हुये रूधौली, बिल्हौर मुख्यालय होते हुये बस्ती वाया लखनऊ कानपुर किया जाये। कुछ बसें चला दी जायें। धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्रीमती कृष्णा पासवान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवहन विभाग में कटौती के बजट प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 परिवहन मंत्री जब बजट रख रहे थे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, कि बहुत ही अच्छा परिवहन विभाग का बजट होगा। जो पूर्व की सरकार थी, उसके समय में पूरी भरी बसों में नारे लिखे होते थे। बस में जो यात्री बैठकर जाते थे हमारे जनपद फतेहपुर से और आने के बाद चाहे वह लखनऊ आयें, चाहे कानपुर आयें और चाहे इलाहाबाद जायें, वह यात्री बस से उतरने के बाद सबसे पहले हास्पिटल जाते थे। अपनी दवा कराते थे, उसके बाद अपने काम के लिये जाते थे। मैं सोच रही थी कि परिवहन मंत्री जी बहुत अच्छा बजट रखेंगे, लेकिन बड़ा निराशाजनक बजट रहा, मा0 मंत्री जी का। अपने इस तीन महीने के कार्यकाल में जो पूर्व की सरकार में कार्य हुये, वही आज भी हो रहे हैं। मेरा जनपद फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है। जनपद फतेहपुर से जो बसें चलती हैं, वह आज भी इतनी जर्जर हालत में हैं, लेकिन यात्री बैठने के लिये मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जनपद फतेहपुर में आज जो बस स्टाप बना हुआ है, बारिश नहीं हुई है पर चारों तरफ से नाले का पानी आकर के बस स्टाप में भरा रहता है, तो आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी, से कहना चाहती हूं कि वहां पर खुदाई करा करके जो कट स्टोन लगाये जाते हैं, उस बस स्टाप पर कट स्टोन लगा जायें। मेरी खागा विधान सभा क्षेत्र है और बीहड़ जमुना का किनारा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अर्जुनपुर से बस चालू कराके खागा, चन्दापुरगढ़ा से खागा और कानपुर के लिये बस चालू करायी जाये। नरौली से खागा के लिये बस चालू कराई जाये। किसानपुर से खागा के लिये बस चालू कराई जाये क्योंकि बीहड़ जमुना का किनारा है। आज भी वहां परिवहन की इतनी परेशानी है कि कोई भी साधन नहीं है, कोई प्राइवेट साधन भी नहीं चलते हैं। तो मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो भी, क्योंकि बजट में रखा गया है कि एक हजार बसें नई चालू कराई जायेंगी। चालू तो होती हैं। बजट में तो आता है, हरी झण्डी तो दिखायी जाती है, पर कहीं कोई नई बस नहीं दिखायी देती है और इस बजट को बढ़ा करके जैसा कि मा0 हमारे खन्ना जी कह रहे थे कि 2000 बसें चालू करायी जायें और जनपद फतेहपुर से इलाहाबाद के लिये, कानपुर के लिये, लखनऊ के लिये ए0 सी0 बस भी चलाने की व्यवस्था की जाये। मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र के आखिरी छोर नहीं, बल्कि इस देश के लगभग आखिरी छोर से मदनपुर सुकरौली से पडरौना कसया होते हुये बस देवरिया तक और यही मदनपुर सुकरौली से वही बस पडरौना कसया होते हुये गोरखपुर तक पचासों साल से चलती थी लेकिन विगत 8 साल से यह दोनों मार्ग की बस सुविधा बन्द होने से खड्डा विधान सभा क्षेत्र की जनता में बहुत कष्ट है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको नोट कर लें और इन मार्गों की बसें चलवाने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की भावना माननीय सदस्यों ने जो अभी व्यक्त की, बहुत से माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें इसके ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के कारण यह संभव नहीं हो सका। मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और अपने कटौती प्रस्ताव पर बल दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

वापस नहीं लेना है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कोई अच्छा काम करेंगे तो वापस भी ले लेंगे। मान्यवर, वर्ष 2009 में छठां वेतनमान लागू हुआ इस विभाग पर, लेकिन उसका एरियर कर्मचारियों का आज तक बकाया है, मैंने पूरा बजट साहित्य देख लिया, उसमें कहीं इसकी व्यवस्था भी नहीं है। दूसरी बात, जो 107 टैक्सियां इनके पास हैं। मान्यवर, अगर आप बजट साहित्य देखें तो 6 महीने में 80 लाख रुपये का घाटा उसमें भी है। अब टैक्सियों में घाटे का कोई मतलब नहीं है। 462 टैक्सियां मरम्मत योग्य हैं, वह तो अलग है। 107 चालू है, उसमें पिछले साल का घाटा 204 लाख का घाटा था, उसके पहले घाटा था 130 लाख का। इन टैक्सियों में इतने-इतने घाटे का क्या वजह है। यह विभाग की कार्य-कुशलता को दर्शाता है। इस सितम्बर तक 80 लाख का घाटा है, मान्यवर, इस पर हम आपका विशेष रूप से ध्यान चाहते हैं क्योंकि विभाग की कार्यकुशलता का जिक्र माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया था। इसलिये मैंने खासतौर से यह बात आपके सामने कोड की।

मान्यवर, मोटर व्हेकिल एक्ट में सेक्शन 207 जो सीज करने की पावर है वह रजिस्ट्रेशन सीज करने की पावर है और विशेष परिस्थितियों में ही गाड़ी सीज करने की बात आती है। लेकिन होता क्या है कि अगर तीन लोग बैठे हैं तो भी गाड़ी उठाकर थाने में बन्द कर दी जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस धारा पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि धारा 207 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। हेल्मेट के लिये व्यवस्था है लेकिन उसका न तो जनता कम्प्लायेंस करती है ओर न कम्प्लायेंस के लिये फोर्स किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिये अगर विभाग विशेष रूप से मन बना ले तो उसमें जनता को बहुत राहत मान्यवर मिल जायेगी। इसलिये मैं धारा 207 के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में आपका विशेष ध्यान चाहता हूं।

मान्यवर, मैं अब अपने शाहजहांपुर जनपद की कुछ बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शाहजहांपुर वह स्थान है जहां पिछले तीन सालों से लगातार निगम को लाभ हुआ है। वर्ष 2009-10 में 4 करोड़ 30 लाख का लाभ हुआ। वर्ष 2010-11 में 5.50 करोड़ का लाभ हुआ और 2011-12 में 7 करोड़ का लाभ हुआ। लेकिन कार्यालय ज्यों का त्यों है, एक ए0 आर0 टी0 ओ0 का जो दफ्तर है, वह 50 बरस पुराना है, जब से यह विभाग शुरू हुआ, तब से एक टूटी धन्नियों की छत के नीचे है। रोज वह नोटिस देते हैं कि हमारा कार्यालय खाली करो लेकिन कौन खाली करे और कौन उसका प्राविधान करे। विभाग जैसे तैसे चल रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि तीन बीघा जमीन वहां है और बाउण्ड्री पिछली सरकार ने तुड़वा दी थी। निगम का कार्यालय बनना भी जरूरी है और ए0 आर0 टी0 ओ0 का कार्यालय बनना भी जरूरी है। इसलिये वह कार्यालय बन जाये और शाहजहांपुर से खुदागंज का एक रास्ता है, करीब 50 किमी0 का दोनों रूटों से

वाया कटरा भी और निगोही भी। दोनों रूटों से इस पर स्टे है, बरसों से इस पर स्टे चला आ रहा है कोई स्टे लेकर बैठ गये। हम यह चाहते हैं कि यह स्टे खारिज हो और यदि निगम की बस न चल पाये तो इस रूट पर अनुबंधित बस ही चल जाये। कोई न कोई माध्यम इस पर अवश्य होना चाहिये। वहां पर यह सवारियों के हिसाब से भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। इसलिये मान्यवर, दो-तीन बातें मैंने आपसे कही हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें और इसके साथ ही अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

माननीय खन्ना साहब, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने आलोचना तो की है लेकिन जैसा कि कटौती के प्रस्ताव में होता है, कि नीति की आलोचना करते हैं और उसके बाद सुझाव आते हैं उतने वांछित सुझाव माननीय खन्ना साहब की तरफ से नहीं आये जिसका कि मुझे लाभ मिलता और उसका सीधा-सीधा लाभ हमारे निगम को मिलता और प्रदेश की जनता को भी मिलता। लेकिन फिर भी माननीय खन्ना साहब ने जो सुझाव दिये हैं, साथ ही जो जिज्ञासायें व्यक्त की हैं और समस्यायें उठाई हैं, वह काफी सही है, मैं उनको स्वीकार करता हूं। जैसा कि उन्होंने बताया कि धारा 207 का दुरुपयोग होता है, यह बात सही है, इसको मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसको हम लोग दिखवा लेंगे कि इसका दुरुपयोग न हो, इस दिशा में काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मान्यवर, प्रदेश में जो वाहन साफ्टवेयर आधारित पंजीयन आरम्भ हो गया है और जब यह डाटा डिजीटाइज हो जायेगा सभी परिवहन कार्यालय में एक्सेस स्टेट रजिस्टर हो जायेगा तो एन0 ओ0 सी0 जारी करने में जो समस्या आती है, वह समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, पुराने डेटा का भी डिजीटाइजेशन किया जायेगा, यह योजना भारत सरकार को अभी भेज गयी है।

मान्यवर, एक चीज की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मैं पहले परिवहन मंत्री था तो निगम के बेड़े में करीब 12 हजार बसें थीं लेकिन अब घटकर 4 हजार, साढ़े 4 हजार हो गयी हैं, इसके अलावा कुछ अनुबंधित बसें हैं। तो कुल मिलाकर 6 हजार हो गयी हैं, इसके अलावा कुछ अनुबंधित बसें हैं। तो कुल मिलाकर 6 हजार बसों का बस बेड़ा रह गया है। माननीय सदस्यों की और आम जनता की यह उम्मीद है कि ज्यादा-ज्यादा आरामदायक, सस्ती और सुलभ बस सेवा यात्रियों को मिल सके जिसे सब जगह पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर सेवा हम लोगों को दे सकें। माननीय खन्ना साहब ने कहा कि आपकी सोच आधारहीन है और दिशाहीन है। अब जैसे कि मांग यहां सदस्यों ने की है और आम जनता की भी मांग आई है कि वोल्वो और मर्सडीज बसों की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। यह दिशाहीन नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच का उदाहरण है कि वोल्वो ओर मर्सडीज बसें आम जनता की सुविधा के लिये, आप लोगों की सुविधा के लिये अन्य स्थानों पर देंगे, जहां पर खासतौर से पर्यटन की सुविधा हो या धार्मिक स्थलों पर यात्रियों का, दर्शनार्थियों का आना-जाना हो जिससे कि उनको सुलभ और अच्छी व्यवस्था मिल सके।

मान्यवर, हम लोगों ने गोल्ड लाइन बसों की व्यवस्था भी लागू की है जो जिले से जिले तक सीधा अपने गंतव्य स्थान तक जायेगी यह बस सुबह 7 बजे निकलेगी और शाम को 4 बजे वापस लौट आयेगी। यह भी एक नई कलर स्कीम के अन्तर्गत में सेवा दी गयी है ताकि यह रास्ते में ढाबे पर न रुके और आदमी को जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाये। इस दिशा में यह एक नई सोच

है और नई दिशा है क्योंकि पहले जैसा निगम अब नहीं है। पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और निगम 934 करोड़ के घाटे में चला गया और सरकार निगम को कोई पैसा देती नहीं, निगम अपने ही संसाधनों से सारी व्यवस्था करता है। 1000 अन्य बसें इस समय लेने का लक्ष्य है इसके अलावा 600 और बसें लेना प्रस्तावित है जिससे कि निगम की हालत हम सुधार सकें और खटरा बसों की जगह नई बसें आप लोगों के लिये और यात्रियों के लिये उपलब्ध करा सकें। और एक साफ्टवेयर जो सारथी साफ्टवेयर है जिसमें लाइसेंसिंग करने का बड़ा आसान तरीका है। उस साफ्टवेयर को हम पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, जिससे कि जो ड्राइवर है, उन्हें आर0 टी0 ओ0, ए0 आर0 टी0 ओ0 दफ्तर में चक्कर न लगाना पड़े। सारथी साफ्टवेयर के माध्यम से जनता को सहूलियत हो, अच्छी व्यवस्था हो, परेशानी कम हो। यह नई सोच का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेन्सरयुक्त ड्राइविंग ट्रैक बनाने के लिये हम लोग सोच रहे हैं। इसमें सेन्सरयुक्त ड्राइविंग ट्रैक वह होगा जिसमें चालक को, या किसी आदमी को टेस्ट करने के लिये गाड़ी चलाकर दिखाना होगा, बाकी सेंसर्स के माध्यम से ही रिजल्ट उनके सामने स्वयं आ जायेगा, कोई व्यक्ति उसको फेल या पास नहीं करेगा। वह स्वयं टी0 वी0 पर देख लेगें कि हमने गाड़ी सही चलायी या गलत चलायी। अगर सही चलायी तो पास हो गये और गलत चलायी तो पुनः अवसर मिलेगा। इस दिशा में यह नया पहल और प्रयोग है उत्तर प्रदेश में जिससे कि हम लोग लाइसेंसिंग की दिशा में जो परिवहन विभाग की या आर0 टी0 ओ0 दफ्तर की बदनामी का विषय था वह पूरी तरह समाप्त हो जायेगा। इस दिशा में मेरा प्रयास है। वे-इन-मोशन की जो व्यवस्था मैंने अपने बजट भाषण में बतायी है, यह पूरे भारत में यह पहली दफा यहां होगा कि वे-इन-मोशन तकनीक से जो ओवर लोडिंग की समस्या माननीय सदस्यों ने उठायी है वह समस्या समाप्त हो जायेगी। क्योंकि चलती हुई वाहन में अपने आप उसको देख लिया जायेगा कि ओवर लोडेड है या नहीं और आगे जो प्रवर्तन दल होगा वह चेक करके आपको बता देगा। जिससे यह जो भ्रष्टाचार का आरोप है वह भी खत्म होगा और जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से होगा।

मान्यवर, जो प्लैटिनम और गोल्ड लाइन बसें हम लोग चला रहे हैं यह उच्च श्रेणी की बसें हैं, वइ लगभग 100 बसें हैं और एक सुपर लग्जरी क्लास की बसें जनता को और मा0 सदस्यों को हम उपलब्ध करा सकें। जो क्रेन और एम्बुलेंस की बात माननीय खन्ना जी ने उठायी, ये क्रेन ओर एम्बुलेंस की बात उत्तर प्रदेश के बजट में नहीं है। यह केन्द्र के बजट से जो एन0 एच0 आर0 एम0 से पैसा आता है, उससे एम्बुलेंस और क्रेन खरीदी जाती है। वह क्रेन और एम्बुलेंस यहां उपलब्ध करा दी जाती है, क्रेन पुलिस विभाग को पकड़ा दी जाती है। एन0 एच0 आर0 एम0 की जो एम्बुलेन्स है वह एन0 एच0 आई0 पर खड़ी रहती है जिससे कि यदि कोई दुर्घटना हो तो तुरन्त उनको चिकित्सा उपलब्ध करा सकें।

मान्यवर, कौशाम्बी में नये बस अड्डे का निर्माण पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित है। मा0 सदस्य ने इसकी ओर ध्यानाकर्षण किया है, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा। लखनऊ में एक व्हीकिल इंस्पैक्शन और सर्टीफिकेट सेण्टर के लिये भी भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार में यह प्रस्ताव लम्बित है। इससे मोटर व्हीकिल का इंस्पैक्शन और सर्टीफिकेशन हो सकेगा जिससे मोटर व्हीकिल में कोई तकनीकी दोष न हो। यह अपने प्रदेश में पहली दफा स्थापित हो रहा है जिससे टेस्ट करके, सर्टीफाई करके कि यह दोषमुक्त व्यवस्था हो जायेगी, इसमें तकनीकी दोष न हो। ज्यादातर यह

देखा जाता है कि या तो तकनीकी दोष होता है या मानव चालक से कोई न कोई गलती हो जाती है तभी दुर्घटनायें होती हैं। जो दुर्घटनायें होती हैं वह उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है और मृत्युदर भी काफी अधिक है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा इस दिशा में एक प्रयास है। मान्यवर, जो प्रदेश के बाहर वाहनों का पंजीकरण कराते हैं, इस दिशा में गम्भीरता से सोचा जा रहा है कि जो बार्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं टैक्स बचाने के चक्कर में बगल के राज्यों में पंजीकरण करा लेते हैं जबकि जिम्मेदारी यह होती है कि जहां से मोटर व्हीकिल खरीदी जाये पंजीयन वहीं करायी जाये। लेकिन उनकी नीयत टैक्स बचाने की होती है चाहे हरियाणा हो या अन्य प्रदेश हों। टैक्स बचाने के लिये वहां पंजीयन कराते हैं। आगरा में ताज ट्रिपेजियम जोन होने के नाते डीजल व्हीकल्स का भारत माप-4 है उसका ही पंजीयन होता है, भारत माप-3 का नहीं होता है। इसलिये वह डीजल व्हीकिल का मथुरा या इधर-उधर पंजीयन कराते हैं। फिरोजाबाद में कराते हैं यह टैक्स बचाने के लिये कराते हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर भी हम विचार करेंगे चूंकि परिवहन विभाग एक राजस्व का भी विभाग है जो 29 हजार 50 करोड़ रुपया जो हम लोगों को राजस्व इकट्ठा करना है इसलिये बड़े पैमाने पर घटाया नहीं जा सकता है। सरकार की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये यह विभाग है। जब पैसा ज्यादा होगा तो हम आप लोगों को सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहेंगे बसें भी अच्छी देंगे निगम की भी व्यवस्था अच्छी करेंगे। हम लोगों ने पर्यटन विभाग की मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया था जिससे कंडक्टरों और ड्राइवरों का जनता के प्रति व्यवहार अच्छा हो। जो ए ग्रेड के कंडक्टर और ड्राइवर होंगे उन्हीं को गोल्ड लाइन और प्लेटीनम लाइन बसें देंगे। वही लोग इसमें चलें। माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें आपके यहां हम वोल्वो या मर्सडीज बस जरूर चलवा देंगे। जैसी कि आपकी अपेक्षा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, डग्गामार वाहन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या छोटी गाड़ियों का जो टैक्सी परमिट है उसकी अवधि तीन साल है उसी से डग्गामार वाहन जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका परमिट लेना मुश्किल है इसलिये लोग बिना परमिट के गाड़ी चला रहे हैं। उस तीन साल को क्या मंत्री जी घटाकर एक साल करेंगे। या अवधि को घटाऐंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

केन्द सरकार ने जवाहर लाल नेहरू अरबन रेन्युअल मिशन के अन्तर्गत सात शहरों को बसें दे रखी हैं वह बसें सिटी बसों की तरह तमाम शहरों में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सिटी सीमा से 20 किमी0 दूर, 50 किमी0 दूर, 100 किमी0 दूर वह बसें भेजी जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 की बसों को क्या वह लोकल बस सर्विस की तरह इस्तेमाल करायेंगे। मथुरा और आगरा में यह नहीं हो रही है। वहां 100-100 किमी0 दूर भेजी जाती है। क्या आप उन बसों को शहर की सीमा के अन्दर लोकल बस के रूप में इस्तेमाल करायेंगे। या यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 की बसों की तहर चलायेंगे। तमाम बसों पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अभी भी लिखा हुआ है क्या उसे मिटवा देंगे। तीसरी बात यह कहना चाहूंगा मथुरा के बस

स्टैण्ड से करोड़ों लोग वहां आते हैं। क्या मथुरा शहर के दोनों बस स्टैण्ड नेशनल हाई वे पर शिफ्ट करायेंगे।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मान्यवर, जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 जो बसें हैं वह वास्तव में शहर के उपयोग के लिये हैं। प्रयास यह रहेगा कि सिटी बस सर्विस के रूप में ही इनका उपयोग हो। उसकी आय बढ़ायें यही प्रयास है। बस स्टैण्ड शिफ्ट करने के बारे में आपने कहा उसको भी दिखवा लेंगे। जो डग्गामार वाहनों के सम्बन्ध में खन्ना साहब ने बताया और जो पंजीयन के बारे में बताया यह भारत सरकार के अधिनियम में है पांच साल के लिये है। इसलिये इस पर संशोधन संभव नहीं है। डग्गामार वाहनों के खिलाफ हम लोग अनवरत कार्यवाही करते हैं। अभियान चलाकर भी कार्यवाही करते हैं। जिससे कि उनको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,92,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-60 वन विभाग

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,84,04,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और यह सभी के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। मान्यवर, क्योंकि यह वन और पर्यावरण आम आदमी से जुड़ा हुआ है और वन्य जीवों से भी सम्बन्धित है। मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो अधिक वन क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया। जो सर्वे रिपोर्ट आयी है जो मानव जीवन के लिये आवश्यक है उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल का लगभग 33 प्रतिशत वन क्षेत्र रहना चाहिये लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मात्र 5 से 7 प्रतिशत वन क्षेत्र बचा है। मान्यवर, हम सबको अपने जीवन के लिये पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। और उस पर हम सबको बल देना होगा। मान्यवर, हमारे शाहजहांपुर के पास लगा हुआ दुधवा है दुधवा से आये दिन वन्य जीव बाहर निकल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बाघ बाहर आ गया उसको पकड़ने के लिये विभाग की पूरी टीम लग गयी। उसमें महीनों लग गये। आखिरकार उसको पकड़ नहीं पाये और मारना पड़ा। मान्यवर, इस तरीके से जो लापरवाहियां और कमियां हो रही हैं उन पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। मान्यवर, जब तक विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे और लापरवाहियां और कमियां करते रहेंगे तो यह शायद दूर नहीं हो पायेगा। मान्यवर, आज लकड़ी की कटान का काम उद्योग धन्धे की तरह हो रहा है। लोगों की लापरवाहियों से जो वन माफिया हैं उनके हौसले बुलन्द हैं। मान्यवर, सरकार ने कुछ समय पहले वन समितियां गठित की थीं लेकिन अब उन वन समितियों को कमजोर कर दिया गया है। हालत यह है कि वन विभाग के मुताबिक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक आज मानव जीवन की सुरक्षा के लिये स्वच्छ और अच्छा पर्यावरण बनाये रखने के लिये करोड़ों-करोड़ों पेड़ स्थापित किये जायें। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष का बजट मैं देख रहा था हर वर्ष पेड़ लगाने का प्लान रहता है। हम लोगों से भी कहा जाता है कि एक पेड़ रोप दीजिये। लेकिन उसके बाद शायद वह लगे हुये पेड़ 10 या 15 प्रतिशत जीवित रहते हैं 80 प्रतिशत पेड़ और 85-90 प्रतिशत पेड़ मृतप्राय हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से और पूरे सदन की सबकी यह चिन्ता होनी चाहिये कि आज जहां ग्लोबल वार्मिंग है आज जहां गर्मी हो रही है आज 18 जून है और अभी तक मानसून नहीं आया है। यह जो आज पूरा परिवर्तन हुआ है इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम सब लोग हैं। चूंकि लकड़ी की कटान से हरे पेड़ों पर प्रतिबन्ध लगा है लेकिन हरे पेड़ों की आवश्यकता, लकड़ी की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को रहती है हम लोगों के पास लोग आते हैं कि हरा पेड़ हमारा है हम उसको काट लें सिफारिश कर दीजिये मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है लेकिन लगता है कि हरा पेड़ नहीं कटना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि एक ऐसी विंग बनाई जाय एक ऐसा जोन बनाया जाय कि लोगों की जो आवश्यकता है लकड़ी की वह भी पूरी हो सके और हरे पेड़ भी न कटें। मान्यवर, जंगलों में आग लग जाती है आग लगने के बाद महीनों आग जला करती है पता नहीं लग पाता। विदेशी जंगलों में आग न लगे या आग लगती है तो उसको बुझाने के लिये एयरक्राफ्ट से पानी डाला जाता है लेकिन हमारे सीमित संसाधन है प्रदेश में लेकिन हमको आग से भी जंगलों को बचाना है और आज भीषण गर्मी में जहां 45-46-47 डिग्री टेम्प्रेचर है, तमाम वन्य जीव गर्मी में प्यासे मर जाते हैं। आज अखबारों में आता है कि गौरैय्या दिखाई नहीं पड़ रही है आज आ रहा है कि गिद्ध दिखाई नहीं पड़ रहा है तमाम ऐसे वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनकी मनुष्य के जीवन कि लिये आवश्यकता है। इसलिये सरकार पूरी गम्भीरता के साथ अधिकारियों को निर्देश दे कि जो इस तरह की अनहोनी या आग लगने की घटनायें या जैसे दुधवा या उसके जैसे हमारे प्रदेश में जो वन्य स्थल हैं दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, किशुनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी, रानीपुर वाइल्ड

लाइफ सेंचुरी बांदा, चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर, सोहलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती और बलरामपुर, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर, समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनपुरी, सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलिया, समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायबरेली, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुजफ्फरनगर, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्नाव, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा, सोहाजीबरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महराजगंज, सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई, लाखबोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्नौज, पार्वती आगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोण्डा, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौतमबुद्ध नगर, सूरसरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महोबा ये इतने जो हमारे वन्य जीव शरण स्थल हैं इनको और विकसित करके जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने, शायद एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलने आया था सिंगापुर की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में एक नाइट सफारी बनायेंगे हम माननीय मुख्य मंत्री जी के उस निर्णय का स्वागत करते हैं। मुझे एक बार सिंगापुर जाने का अवसर भी मिला मैंने उसको देखा भी। जो वहां पर टूरिस्ट आता है तो वह पर्यटक भी यहां आयेगा और साथ ही साथ जहां यह नाइट सफारी बनेगा उस वन्य शरण स्थल का पूर्णतया विकास होगा इसलिये यह एक सराहनीय कदम है लेकिन इसको वरीयता के साथ और गुणवत्ता के साथ नहीं किया गया तो शायद यह कागजों पर रह जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हर साल बजट आता है और बजट पर चर्चाएं होती हैं मैंने अभी 3-4 दिन लायब्रेरी में जो पिछले कटौती प्रस्ताव आये उनको भी पढ़ने का काम किया लेकिन आवश्यकता है हम सबको गम्भीर होने की। आने वाले समय में अगर हम कहीं चूक गये तो शायद मानव जीवन के लिये ही खतरा बन सकता है। आज लखनऊ में एक सर्वे चल रहा है। लखनऊ में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, वहां के प्रोफेसर हैं डा0 वेंकटेश दत्ता जी और एक इण्डियन स्पेश रिसर्च आर्गेनाइजेशन है जो लखनऊ में इस समय सर्वे कर रहा है और पूरे लखनऊ के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जिस तरह से लखनऊ में विकास हुआ है, उस विकास के बाद लखनऊ में जो वनों की स्थिति है मात्र 0.32 प्रतिशत। आज लखनऊ में विकास हो रहा है। लेकिन जो बेतरतीब विकास है, लखनऊ राजधानी है। लखनऊ 8 ब्लाकों का जनपद है और यहां से सटा हुआ मोहनलालगंज ब्लाक है, मोहनलालगंज रायबरेली रोड पर एक बहुत बड़ी जमीन वन विभाग के पास है। वन विभाग ने वहां पर जंगली बबूल लगा रखा है। मैं चाहूंगा कि राजधानी के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए उस जमीन पर छायादार, फलदार वृक्ष लगा के अगर उसको विकसित किया जाये तो वाकई में जो लखनऊ का वन क्षेत्र कम हुआ है, उसमें हम बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि तमाम सरकारी जो भवन हैं, तमाम जो बिल्डिंग हैं, चाहे वो मण्डी परिषद् हो या अन्य तमाम ऐसी जगहें हैं, वहां पर अब प्रायः यूकेलिप्टस का पेड़ लगाया जाता है और यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इसको अगर प्रतिबंधित किया जाये तो मैं समझता हूं कि जब इसे लगाने पर प्रतिबंध होगा तो वहां पर जो वृक्षारोपण होगा, वहां पर ऐसे पेड़ लगाये जायेंगे जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह हमारा सुझाव है आपसे और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बाघ को करेण्ट लगा के मार दिया गया। ऐसी घटनाओं को भी रोकने की जरूरत है और मान्यवर, चूंकि समय का अभाव है, अभी सदस्यों के विचार आने हैं तो मैं आपसे अन्त में कहना चाहूंगा कि सबको चिंता करनी चाहिए क्योंकि आज अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन चल सकता है लेकिन अगर वन नहीं होंगे तो शायद

मानव जीवन चलना मुश्किल हो जायेगा। इस पर हम सबको गम्भीरता से विचार करते हुए यह निर्णय करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हरे पेड़ों पर कब तक कुल्हाड़े चलते रहेंगे। हमको इसको रोकना होगा। मैं आपके माध्यम से अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सबके जीवन के लिए जिस तरह से वनों की उपयोगिता है इसको अपने कार्यकाल में सुदृढ़ करेंगे। यह आपसे उम्मीद करता हूं, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने वन विभाग के बजट पर हमको बोलने का मौका दिया। हम आपके आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी हम आपका ध्यान सोनभद्र की तरफ ले चलना चाहते हैं। जहां वन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में आदिवासियों के ऊपर लगभग 10 हजार मुकदमें कायम कर दिये गये हैं। जमीन उनकी है और उनकी जमीन पर उन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम करना, यह बहुत ही गम्भीर बात है। हमारे यहां वनाधिकार कानून भी लागू है और वहीं से व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है। चाहे वो हमारी विधायिका हो, हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। इस पर से विश्वास उठ करके वे आदिवासी वहीं से बन्दूकें उठाकर नक्सली बनने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो हम आपका ध्यान आकृष्ट यह कराना चाहते हैं कि जो दसों हजार फर्जी मुकदमें उनके ऊपर लादे गये हैं वन विभाग के द्वारा उनको खत्म करने से समस्या का समाधान हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। 7 लाख के एक नक्सली पकड़े गये। 3 लाख का एक ढ़ाई लाख का एक नक्सली बिना किसी हिंसा के इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कैंसर की तरह है, कैंसर का अगर आपरेशन कर दिया जाय तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता वह बढ़ता जाता है इसी तरह से यह नक्सली हैं इनको पकड़ने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा क्योंकि यह आदिवासी अपनी ही जमीन पर मुकदमा झेल रहे हैं। वो पलाश का पत्ता बेचते हैं तो मुकदमा लड़ने 100 किमी0 दूर जाते हैं, लकड़ियां बेचते हैं तो 100 किमी0 दूर जाते हैं और यह वन विभाग वाले इन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम करते हैं। दूसरी चीज एक और बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहां। हमारे यहां 500 वर्ग किमी0 का वन विभाग का नोटिफिकेशन है वहां वन विभाग के लोगों ने हमारे यहां 625 वर्ग किमी0 के लगभग अपनी जमीन कैनूर, वाइल्ड लाइफ में इन्होंने घेर रखा है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में राजस्व के नक्शे से हर चीज नापी जाती है लेकिन मेरे जनपद में, दूसरे जनपद का मुझे पता नहीं, मेरे जनपद में 625 वर्ग किमी0 एकदम अंधेर नगरी जहां तक चाहें नाप लिया कि यह हमारी है। राजस्व के नक्शे से इसका संयुक्त सीमांकन कराकर इसको अलग किया जाय क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ही कोई ट्रैक्टर लेकर जाता है, यह लोग मुकदमा कायम कर देते हैं, गाय, भैंस लेकर कोई जाता है यह लोग मुकदमा कायम कर देते हैं कि यह सेन्चुरी एरिया में आप कैसे आ गये ? संयुक्त सीमांकन कराकर के इन एरिया को बांट दिया जाय कि आपका अगर 500 वर्ग किमी0 का एरिया है तो आप 500 वर्ग किमी0 ले लीजिए। दूसरी एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमारे यहां आदिवासी अगर अपनी जमीन पर रह रहा है तो उस पर मुकदमा कायम होता है और वहीं दूसरी ओर हिन्डालको जैसी इन्डस्ट्री है जो रेनूकूट में खाता संख्या 39, 50, 66 खाढपाटर में खाता संख्या 30 जिसका रकबा है 325 हेक्टेयर उस पर वह फैक्ट्री लगी है लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हजारों हेक्टेयर जमीन वन विभाग की कब्जा कर ली गई और वहां एक भी

मुकदमा हिन्डालको के ऊपर कायम नहीं किया गया। वन विभाग की 1 किमी0 की वाउन्ड्री तोड़ दी जाती है पुनः उस पर निर्माण कराया जाता है उसके बाद पुनः वह वाउन्ड्री एक किलोमीटर तोड़ दी जाती है। हवाई जहाज से जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपका ध्यान और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह बहुत बड़ी समस्या वहां की है। हमारे यहां 54 प्रतिशत वन हैं, 6 परसेन्ट नदी-नाले, 9 पहाड़ हैं 40 परसेन्ट में हम जीवन यापन करते हैं तो हमारे यहां लोग नेक्सलाइड न बनें हमारे यहां के लोग मुख्य धारा से जुडें हमारे यहां का विकास हो तो वहां का संयुक्त सीमांकन कराकर उससे निजात दिलाई जाय। अभी खनन क्षेत्र में वन विभाग ने जो प्रदेश को इतना बड़ा राजस्व देने वाला जिला है वहां एक चिट्ठी भेज करके पूरा बालू का खनन का काम रोक दिया है। इसकी वजह से वहां बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जब तक उनका संयुक्त सीमांकन नहीं कराया जायेगा कि जितना भूमि का इनका नोटिफिकेशन है वह उतनी जमीन ले लें और शेष राजस्व विभाग की जमीन छोड़ दें।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद मान्यवर, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारा जनपद सोनभद्र वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अभी हमारे ही जनपद के एक माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे यहां 54 परसेन्ट वन क्षेत्र है, यह बात सही है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से वहां बड़ी कीमती लकड़ियां हमारे यहां होती है। सागौन, कत्था जिसे खैर कहते हैं वो भी बड़े पैमाने पर वहां कटवाया जाता है। पूरे वन समिति जायका के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा वहां पर आदिवासी जो धारा 20 की जमीन में रहते हैं उन पर कब्जा जमाते हैं उनकी झोपड़ियों को हटवाते हैं साथ ही साथ यह बात भी सत्य है कि हमारे यहां हिंडालको जो है हजारों एकड़ वन भूमि में कब्जा किया है पता नहीं किस आधार पर। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि यह एक हजार एकड़ जमीन हिण्डालको जो अपने कब्जे में किया है यह किस आधार पर किया गया है यह जंगल की जमीन है जिस तरह से हिण्डालको को मिली है उसी तरह से हमारे क्षेत्र में गरीब आदिवासी भाई हैं एक तरफ तो उनको उजाड़ा जाता है और दूसरी तरफ बड़ी कम्पनियों को जंगलों पर बसाया जाता है दूसरा हमारे जनपद सोनभद्र के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनिज सम्पदा विद्यमान है जिस खनिज सम्पदा को बसपा के पूर्व मंत्री और इनके करीबी पूर्व विधायक, मैं सदन में नाम नहीं लेना चाहती हूं की मिली भगत से प्रभावशाली उद्योगपति पोंटी चड्ढा के द्वारा जमकर लूटा गया है। मैं इस लूट के कुछ आंकड़े इस सदन में रख रही हूं। श्रीमन् ओबरा वन प्रभाग जनपद सोनभद्र के डाला रेंज अन्तर्गत ग्राम कोटा के आराजी संख्या 4084ख कनहर नदी वन भूमि में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। इस खनन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर खनन में मोटर वोट, नाव, पोकलेन, जेसीवी आदि बड़ी मशीनों का जमकर उपयोग किया गया है जिसकी वीडियो फुटेज भी मेरे पास उपलब्ध है। यह तो मात्र उदाहरण है इसके अतिरिक्त ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत ग्राम चोपन के आराजी संख्या 1767ख/10 वन भूमि रेलवे पुल के नीचे भी बालू का वृहद् अवैध खनन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्राम सिन्दुरिया के आराजी संख्या 756 में खनन पट्टा स्वीकृत कराकर बगल के वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। इन सभी वन क्षेत्रों में हुए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवैध खनन की वीडियो फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। यह तो जनपद में वन भूमि पर बालू खनन की दशा अब वन भूमि में पत्थर के अवैध खनन को बताने से पहले यह बताना आवश्यक है कि जनपद सोनभद्र में वनाधिकारियों से मिलकर बाकायदा खनन हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त कर खनन पट्टा स्वीकृत कराकर अवैध खनन किया जा रहा है इस प्रकार के कुछ खनन पट्टों का विवरण मैं दे रही हूं। जनपद सोनभद्र के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या 4478छ में श्री उमाशंकर सिंह पुत्र श्री छरहू सिंह, निवासी इमरती कालोनी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा वन भूमि पर स्थित है। जिस पर वृहद् पैमाने पर अवैध खनन भी हुआ है चूंकि आराजी संख्या 4478छ मिला-जुला नम्बर है और यह क्षेत्र लैण्ड ट्रांसफर की प्रक्रिया में है और अभी तक लैण्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र वन भूमि की श्रेणी में है। मान्यवर, जनपद सोनभद्र के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या 62229ख पर छात्र शक्ति इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमिटेड मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री उमाशंकर सिंह को दिया गया खनन पट्टा भी वन भूमि में स्थित है। जनपद सोनभद्र के ग्राम बरदिया के आराजी संख्या 1094 में वारसी क्रासिंग कम्पनी को वन भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया गया हे जिससे वन भूमि पर वृहद् पैमाने पर अवैध खनन किया गया है। वहां एक बहुत बड़ी कीमती लकड़ियां थी जिसको रोज वुड कहा जाता है वह तो जंगल में अब देखने को भी नहीं मिलता है। मान्यवर, मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि इन वन अधिकारियों और वन माफियाओं पर नकेल कसी जाये और जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, मैं माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज का जो बजट रखा गया है बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि मौर्या जी बैठे हैं और आप भी मान्यवर, उस सीट पर बैठा करते थे मान्यवर, जब पिछली सरकार थी तो हमने इसी सदन के अन्दर पीलीभीत के वन के बारे में इसी सदन में मामला उठाया था। इत्तेफाक से वह चुनकर भी नहीं आये हैं जो वन मंत्री थे। उन्होंने वायदा किया था, आश्वासन दिया था इस सदन में, जो अवैध कटान पीलीभीत में वनों में हुआ है उसमें हम जांच करायेंगे। जांच कराना तो अलग रहा, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पूरा वन जितने भू-भाग पर है, उसका लगभग 23 परसेण्ट वन अकेले पीलीभीत में है और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत वन है। लेकिन पिछली सरकार में लूट लिया गया। दो-दो सौ बरस के शाल के पेड़, ऐसे खूबसूरत पेड़ की देख लो तो भूख-प्यास जाती रहे, वह सारे के सारे पिछली सरकार के विधायकों और मंत्रियों द्वारा कटवा लिए गये और मैंने इसी सदन के अन्दर पिछली सरकार में 2-3 बार उठाया और कहा गया कि जांच करायेंगे लेकिन आज तक कोई जांच नहीं करायी गयी। मान्यवर, मुझे अपने वन मंत्री जी से यह भी कहना है कि "चूकाबीच" जो बनाया गया है, इत्तिफाक आपका भी है, आपको दावत दे पाऊं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को दावत दे पाऊं, अगर आप चूकाबीच पर पहुंचेंगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप उत्तर प्रदेश में हैं बल्कि देखते ही आपको यह मालूम पड़ेगा कि आप गोवा में आ गये हैं, गोवा के बीच पर आ गये हैं। इसको डेवलप करने के लिए वन विभाग तवज्जो नहीं दे रहा है। इसके साथ ही पीलीभीत के जंगलों में 42 शेरों की गिनती पिछली सरकार द्वारा कराई गई थी और अभी विगत एक माह के अन्दर 3 शेर मर गये, शिकार कर लिया लोगों ने या जहर देकर मार दिया वह अभी जांच का विषय चल रहा है। तो मैं पिछले कई बार से इस बात को कहता रहा हूं कि पीलीभीत में

अगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया जाये तो आज भी कहीं भी इतने खूबसूरत जंगल, इतने अच्छे जानवर दूसरी जगह पर कहीं नहीं पाये जा रहे हैं, जितने पीलीभीत के जंगलों में पाये जा रहे हैं और 42 शेरों का एक जंगल में होना इस समय की अद्भुत घटना है और पूरी दुनिया शेरों के रख-रखाव के लिए और उन्हें बचाने के लिए प्रयत्नशील है और ऐसी स्थिति में शेरों का मरना एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। इस पर भी मै। मंत्री जी से कहूंगा कि इस ओर भी तवोज्जो दिये जाने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष पर्यावरण का साधन है। सम्पूर्ण धरातल पर एक तिहाई वन होना चाहिए। मैं महराजगंज की नौतनवा विधान सभा का रहने वाला हूं। जनपद महराजगंज सौभाग्यशाली जनपद है कि वहां एक तिहाई क्षेत्र वनाच्छादित है, परन्तु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महराजगंज जनपद को अन्तर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने के बाद भी वन के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल से होने वाली परेशानियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वर्गीय राममनोहर लोहिया जी ने विशेष अवसर के सिद्धान्तों पर कहा था, विशेष सिद्धान्त के अन्तर्गत ही महाराजगंज जनपद के किनारे के गांवों को सुरक्षित रखने के लिए खाई और बाड़ लगाया जाये। पिछली सरकार के वन मंत्री जो आज भी इस सदन के सदस्य हैं, अपने क्षेत्र में जंगल के किनारे बाड़ लगाने का काम किये लेकिन जिले के अन्य क्षेत्रों को इससे वंचित कर दिया गया। दिनचर्या यह है कि आज हमारे वन क्षेत्र की जो सेन्चुरी घोषित हुई और आज जो वन के अन्दर गांव के लोग रह रहे हैं, वह सामाजिक धारा से कटे हुए हैं। आज उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। आदमी के सामने अगर 56 प्रकार का भोजन रखा हो तो लालच में वह खाने की कोशिश करता है, अगर उसी सेन्चुरी के लोग, उसी वनटानिया के लोग वन टहनियों को बेचने के लिए वन से बाहर जाते हैं, जो जंगल के अन्दर आग बुझाने का काम भी करते हैं तो उनसे फारेस्ट विभाग के कर्मचारी 10 रुपया से 15 रुपया वसूली करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरह पुलिस और फारेस्ट के अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल कटाई हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक डिलीगेशन बना दिया जाये।

एक-एक किमी0 तक जंगल खाली पड़े हैं। पेड़ों की कटान दिखाई दे रही है। जंगल में आग लगती है तो बुझाने के लिए हमारा किसान जाता है और जब जलावनी के लिए लकड़ी लेकर आता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। वहीं पर एक जमाना था कि लोग उसी जंगल के अन्दर शिकार करने के लिए जाते थे लेकिन आज उसी जंगल के जानवर अपने वंशजों का बदला लेने के लिए अपने जंगलों से निकलकर, जब हमारे गांव की बेटी-बहनें शाम को बाहर जाती हैं तो उनको वही सुअर और वही जानवर दौड़ाकर मारने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदय से कहूंगा कि मनरेगा के पैसे से 60:40 के रेशियो से जंगल के किनारे बाढ़ लगवा दिया जाये तो हमारा जंगल और किसान दोनों सुरक्षित रहेगा। फसल भी सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री महावीर सिंह राणा-

मान्यवर, मैं वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिवालिक वन पर्वत जो 22 किमी0 और 72 किमी0 की लम्बी पट्टी के रूप में उत्तराखण्ड और हिमांचल से जुड़ा हुआ सहारनपुर का हिस्सा है वहां पर पांच वन ग्राम हैं तीन ग्रामों में एक भी शिक्षक विद्यालयों में नहीं हैं। जब प्रदेश इकट्ठा था तो शिक्षा का वन विभाग का दफ्तर देहरादून में हुआ करता था। प्रदेश अलग होने से आज वह दफ्तर नहीं है और बच्चों की पढ़ायी के लिए शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो यह विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कर दिये जायें ताकि वन ग्रामों के जो सात गांव हैं उनके बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहारनपुर जनपद वन कृषि को छोड़कर किसान वन कृषि में आज नम्बर वन पर आया है। 67 प्रतिशत जमीन पर पोपूलर की खेती होती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद के 27 हजार लोग यमुना नगर में रोजगार से जुड़े हुए हैं। करीब 700 बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, 940 करोड़ का हरियाणा को राजस्व वसूल होता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि साग-सागौन, इमारती लकड़ी पर फोरेस्ट का कर नहीं लगना चाहिए, परमीशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बजट में उसकी चर्चा नहीं है। मान्यवर, किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वह इमारती लकड़ी तब कटवाये जब वह कम्प्लीट हो जाये। उसको काटने की परमीशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और पोपूलर की फैक्ट्रियां जनपद सहारनपुर, प्रबुद्धनगर में लगनी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल है कि कल 22 किमी0 लम्बा मार्ग छुटमलपुर से देहरादून तक का केरा मार्ग रोड को चौड़ा कर दिया जाये और वन कर्मी जो किसान के पेड़ हैं उनपर 20 प्रतिशत पैसा वन के और 20 प्रतिशत पुलिस के अधिकारी काटने पर पैसा लेते हैं, मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि किसान को परमीशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसका 40 प्रतिशत पैसा पेड किया जाये। जो पैदावार करता हो 20-30 साल केयर करता है उसकी लूट हो रही है। उस लूट से बचा लीजिए। इसी के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

*श्री रामलाल अकेला-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे साथी जो इस पर कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे और उन्होंने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और कहा उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में बहुत गर्मी है। पेड़ लगाये जाने चाहिए, पेड़ों का कटान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी सरकार में लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक बड़े-बड़े पेड़ काट डाले गये और वहां पर पत्थर लाकर डाल दिये गये। आज लखनऊ में और प्रदेश में जो गर्मी का कारण है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। मान्यवर, वन विभाग की जमीन जो किसी भी तरीके से किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ही एक गांव है मिश्रिनखेड़ा, राघवपुर, रायबरेली वन विभाग की जमीन है, वहां वन विभाग के पेड़ों को कटाकर बसपा के लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वन मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाये और जिन लोगों ने सरकारी लकड़ी को कटाया है और वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं बस एक मिनट लूंगा, मान्यवर, तमकुहीराज विधान सभा में एक दुदही ब्लाक है, दुदही ब्लाक के अन्तर्गत एक खैरवा गांव पड़ता है, खैरवा गांव एक ऐतिहासिक गांव है, आजादी की लड़ाई में इस गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अंग्रेजी हुकूमत को जवाब देने के लिए वहां के लोगों ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के आवाहन पर.....

श्री अध्यक्ष-

आप अपने क्षेत्र की बात करें, इतिहास न बतायें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अंग्रेजी लाइनों के उखाड़ने का काम और अंग्रेजी दुकानों को लूटने का काम किया है और वहां के लोगों का घर उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने जला दिया था आज वह लोग जो सैकड़ों साल से उस जमीन पर आबाद पहले राजस्व में था 1972 को उस जमीन को वन विभाग में ट्रांसफर कर दिया। आज स्थिति यह है कि वह खैरवा गांव के लोग जंगल जमीन जो वहां रहते हैं जब पक्का निर्माण करते हैं वहां जो वन विभाग के कर्मचारी जाते हैं वह गांव वालों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करते हैं जब कि सरकार ने उसे पुर्नवास की सुविधा प्रदान की थी। साथ ही साथ ग्राम सभा अमवाखास पुष्पकनगर में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ की त्रासदी में वह गांव उजड़ा था और पुष्पकनगर बसावा को गांव तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने जगह-जमीन को उस वक्त वहां पर बसाने का काम किया गया था। उन्हें भी वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी अब आप बैठ जायं, आपकी बात आ गई।

(तत्पश्चात् सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी का माईक आफ कर दिया गया।)

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वन विभाग के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, भाजपा के पहले ही सदस्य के रूप में मैं बोल रहा हूं इस बजट पर हम लोगों को कोई अवसर नहीं मिला था जबकि मैं जंगल के क्षेत्र का ही रहने वाला हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव का मैं निवासी हूं उसका नाम ही वनवीरपुर है, तभी मैं इस बजट पर बोलना चाह रहा था, मान्यवर, जो मेरे अपने प्रस्ताव हैं, उनको मैं बिन्दुवार ही रखना चाहता हूं मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नियम और कायदे बनते हैं वह आदमी की सुविधा के लिए बनते हैं, लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं, लेकिन जितना नियम और कानूनों का दुरुपयोग वन विभाग में हो रहा है, वैसा किसी भी दूसरे विभाग में नहीं हो रहा है। मैं जिस क्षेत्र से चुन करके आता हूं, निघासन विधान सभा क्षेत्र से, उसके आस-पास का बहुत सारा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है और जहां जंगल का किनारा है वहां 30, 40 साल और 50 साल से

लोग खाली जमीनों पर कृषि का कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप मे अपनी बात को कह रहा हूं, कृषि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग में डिमार्केशन के कारण अक्सर विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती है। वन विभाग के लोग अक्सर किसानों को उजाड़ने का काम करते हैं, वह खाली पड़ी जमीन जिसको वन विभाग के लोग अपना कहते हैं, किसान अपना कहते हैं, 40-50 साल से किसान वहां पर काबिज है, लेकिन उनको बार-बार उजाड़ने का काम किया जाता है और वहां पर वन विभाग बार-बार पौधा रोपड़ का काम भी करता है जिसमें सरकार के भी धन का भारी नुकसान होता है। मेरा ऐसा मानना है कि बार-बार यह काम न हो और वो जमीनें जिन पर 40-50 साल से लोक काबिज हैं उनको संक्रमणीय भूमिधर का दर्जा दिया जाय। दूसरा एक बहुत बड़ा नुकशान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यह होता है कि जंगली जानवर अक्सर आकर के फसलों का नुकशान करते हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं गन्ने की फसल के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। वहां हाथी दुधवा नेशनल पार्क में बहुत हैं, अक्सर हाथी आकर के गन्ने की फसलों को उजाड़ देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमारे विधान सभा क्षेत्र में जंगल और उस क्षेत्र के बीच में जो फसल के लिए होता है, खाइयों का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद खाइयां धीरे-धीरे पट गई और अब जंगली जानवर आराम से उस क्षेत्र में आ जाते हैं जिसके कारण क्षेत्र में भारी नुकशान हम लोगों को उठाना पड़ता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमेशा जो जंगल के किनारे रहने वाले लोग हैं वह जंगल में जानवरों को चराने के साथ-साथ घास, फूस, बल्ली इत्यादि की उनको सुविधा प्राप्त रहती थी, लेकिन अब इस तरीके के उन पर प्रतिबन्ध लग गये हैं कि लोगों के वहां पर जाने का अवसर नहीं मिलता, जबकि जंगली जानवरों से जो होने वाला नुकशान है, वह उनको उठाना पड़ता है। मेरा यह कहना है कि जंगली जानवरों से जो क्षेत्र के लोगों की फसलों का और जान-माल का नुकशान होता है, उससे रक्षा करने का अधिकार उनको होना चाहिए। हम लोग जानते हैं आई0पी0सी0 में भी 296 से 300 तक ऐसी धारायें दी गई हैं। जिसमें आदमी को आत्मरक्षा करने का अवसर है लेकिन हम अपनी फसलों को भी नहीं बचा पाते और जंगली जानवरों के द्वारा जो मनुष्यों का नुकशान होता है, उसमें भी हम लोगों को अवसर नहीं मिलता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल यह है कि जो जंगल के किनारे रहने वाले लोग हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कुछ गांव हमारे जंगलों में बसे हैं, वहां पर रास्ते की बड़ी समस्या है। वन विभाग के लोग इन रास्तों पर चलने से लोगों को रोकते हैं। कई बार तो वन विभाग के अधिकारी सामने आ गई तो यह और अच्छी बात है। कई बार बेगार का काम वन विभाग के लोग लेते हैं, यह अंग्रेजों के जमाने के याद दिलाता है कि इस रास्ते पर निकले हो तो यह काम करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ कुछ ऐसे मसले हैं राजस्व गांव भी बस गये हैं, जिसका मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। खैरीगढ़ ग्राम सभा है जिसमें उद्धवनगर, सिसयां और इंदिरानगर उसके मजरे हैं और उन मजरों से हो करके खड़ंजें का निर्माण का काम करने का था, लेकिन इसकी बात भी हो गयी थी, एस0डी0एम0 के साथ 1991 में गाटा संख्या 44 में आम रास्ता दर्ज है लेकिन वहां पर खण्डंजा नहीं लगाने दिया जा रहा है। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, बरसात के दिनों में वह क्षेत्र काफी भर जाता है और उसमें रहने वाले लोग, आम जन-जीवन से कट जाते हैं और उन्हें बीमारी के समय खुद भी नुकशान उठाना पड़ता है। लोग बहुत परेशान होते हैं, मैं बस इतनी बात कहकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मात्र दो सुझाव और मा0 मंत्री जी को देना चाहूंगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने पीलीभीत से अवगत कराया कि वहां पर 3 शेरों की हत्या हुई है। सन् 1972 में वन जन्तु संरक्षण अधिनियम बना दिया गया था। लुप्तप्राय जो प्राणी हैं, जन्तु हैं, उनको मारने पर रोक लगी है लेकिन उसके बाद भी ये घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके अनुसार 1500 के आस-पास बाघ हमारे देश में बचे हैं और अभी भारत सरकार ने प्रयास करके नामीबिया से कुछ चीते भी मंगवाये हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक हमारे प्रदेश में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं होगा, तब तक शायद यह घटनायें जो आये दिन हो रही हैं होती रहेंगी। मैं अन्त में आपका आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि वन है तो हम हैं। जल, थल और आकाश मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं तो इस पर्यावरण के निर्माण में यह महत्वपूर्ण विभाग पर आपने जो चर्चा का अवसर दिया है। इसमें एक नई पहल हो और अच्छे नतीजें आयें और अगर हम आप बैठ करके चर्चा करके खत्म कर देंगे और यहां हमारे तमाम वन विभाग के उच्च अधिकारी भी बैठे होंगे, वो भी इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि आज से हम वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करेंगे तो जरूर अच्छे नतीजे आयेंगे और आज से ही जो पर्यावरण विनाश के जो कुफल आये हैं, उससे चिंतित होते हुए हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। आइये, इसमें हम भी कुछ योगदान करें। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

(श्री पूरन प्रकाश के बोलने के लिए अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जायें। आप लिख कर भेज दीजिएगा।

श्री राज किशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या 60 वन विभाग के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, तमाम हमारे विधायक साथियों का सुझाव आया है और तमाम बातें लोगों ने घटना-दुर्घटना के बारे में बताने का काम किया है, अभी हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मा0 अध्यक्ष जी, कुछ बातें हम सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे कुछ सदस्यगण बहुत ब0स0पा0 सरकार द्वारा जितने कुकर्म व पाप इन्होंने किये चिल्ला रहे थे अन्दाजा नहीं उससे प्रदेश के किसानों को काफी यातनायें झेलनी पड़ी है। आप अभी बता रहे थे कि नक्सलाइट क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ जो यातनायें हुई हैं जो जिले में प्रोसीजर है, आप बता दीजिए कि यह कारनामा किसका है ? यह कारनामा हमारे सामने बैठे हुए साथियों का है। इसलिए हम सदन में बैठे अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाये रखने में वृक्षों का बहुत महत्व है एवं इसके सर्वांगीण विकास में वनों की तथा वन्य जीवों की विशिष्ट भूमिका रही है। पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने में वनों का अतुलनीय योगदान रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011-12 में वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 89 हजार 947 हेक्टेयर क्षेत्र में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

7 करोड़, 4 लाख 92 हजार पौधों का रोपड़ पिछली सरकार ने कराया था। हमारे तमाम साथी यहां बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितना रोपड़ हुआ है। मान्यवर, वन रोपड़ के स्थान पर हाथी रोपड़ का कार्य हुआ है यहां से लेकर नोएडा तक देख लीजिए, केवल हाथी रोपड़ का ही कार्य मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा है, अभी आप कह रहे थे कि यहां सर्वे हो रहा है, यहां सर्वे हो रहा है कि सबसे कम पौधे कहीं हैं और पर्यावरण का अगर कहीं सबसे ज्यादा खतरा है तो लखनऊ में है। बताओ यह किसकी जिम्मेदारी है, प्रदेश की आवाम से हम इस सदन के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कोई शुद्ध हवा नहीं दे सकता है तो ऐसे लोगों को कभी इस सदन में भेजने का काम उत्तर प्रदेश की आवाम नहीं करेगी। अभी तो इनकी संख्या 70-72 है, आने वाले समय में हो सकता है कि 10-5 की तादाद इनकी हो जाये। इसलिए हम कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, वन संरक्षण तथा वन्य जीव योजना में भारत सरकार से 12 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपये का प्रावधान प्राप्त हुआ और इसमें इनके द्वारा निम्न कार्य कराये गये। अगर भारत सरकार से इसकी जांच करा ली जाये तो हम जानते हैं कि जितना पैसा भारत सरकार से मिला है उसका 5 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। हमारे बगल में अभी राजा मनकापुर बैठे थे, हमारा क्षेत्र भी वन के किनारे हे, मैं जानता हूं कि जिस तरीके से अवैध वन कटान करके जिस तरीके से वन का लूटा जा रहा था और जिस तरीके से वन को बरबाद किया जा रहा था, किससे कहा जाये, अगर पुलिस के पास कोई शिकायत लेकर जाता था तो उसे बन्द कर दिया जाता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, राजा मनकापुर पीछे होंगे उनसे पूछिये कोई माफिया कोई गुण्डा वनों को नुकशान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनको जो भी पैसा मिला, उस पैसे को लूट लिया गया, वन विभाग को बहुत बुरी तरीके से लूटा गया है, वन विभाग को बुरी तरीके से बरबाद किया गया है, इस बात को सारे लोग जानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूर्व की सरकार पर ज्यादा आरोप लगाना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में उत्तर दे दीजिए।

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर, अभी हमारे साथी ने तमाम चीजें कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, जिससे पर्यटक हमारे क्षेत्र में आयें और हमारे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा पहली बार वन्य जीवों को देखने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नई योजना लाई गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार है-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजना, मान्यवर, इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में कर दिया गया है। इसके साथ-साथ इको पर्यटन विकास योजना है, इसके द्वारा पर्यटकों को नगर से दूर प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन के साथ-साथ प्राकृतिक सुन्दरता व वन्य जीवों से परिचित कराने हेतु प्रस्तावित योजना के लिए तीन करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। अभी दुधवा की बात हो रही थी, दुधवा नेशलन पार्क के वन विश्राम गृह तथा आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किया जायेगा। इस योजना में पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास हेतु संकल्पित है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2011-12 में 4 अरब, 84 करोड़, 21 लाख, 63 हजार रुपये के सापेक्ष 2012-13 के

आय-व्ययक में 5 अरब, 58 करोड़, 21 लाख, 47 हजार रुपये का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप वृक्षारोपड़ का अभियान चलाया जायेगा तथा ग्रीन बेल्ट का विकास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लायन सफारी पार्क, लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज एवं नवाबगंज पक्षी विहार है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,84,04,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,71,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,71,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 87,16,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 87,16,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या 46-प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,55,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने बीते वर्ष में अनुदान सं0-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,55,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,67,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,67,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैंने संशोधन प्रस्ताव क्यों रखा ? संक्षेप में मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं। यह अधिनियम, 1975 में पास हुआ, स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मेरा सौभाग्य है कि उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था। जो भाव उन्होंने व्यक्त किये, क्यों हम ला रहे हैं, क्यों लोक आयुक्त की नियुक्ति हम कर रहे हैं ? मैंने उस समय की कार्यवाही निकाली है, उसकी दो-चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं। हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसके पीछे दर्शन क्या था ? क्यों हम लाये थे ? मान्यवर, उन्होंने कहा "इस सदन के सदस्यों के पास चरित्र ही एकमात्र थाती है, अगर उस चरित्र की किसी भी सदस्य की हत्या हो जाती है तो वह उसकी मौत के बराबर है। अगर चरित्र हत्या का झूठा प्रयास किया गया तो प्रावधान किया गया है उस आदमी के खिलाफ लोक आयुक्त में मुकदमा चलेगा।" आगे उन्होंने सजा के बारे में कहा है उसको नहीं पढ़ रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई आदमी की मौत आ जाये तो मौत एक बार आती है लेकिन चरित्र हनन होता है तो मौत बार-बार आती है। मान्यवर, हम लोगों ने अपने आपको प्रस्तुत किया था। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, अगर हमसे कोई पाप हो जाये तो एक स्वतंत्र एजेंसी हो, वह हमारी जांच करे और जांच करने के बाद जो दण्ड का प्राविधान हो वह दण्ड हमको

मिले। यह खुद जनप्रतिनिधि अपने चरित्र के बारे में इस विधेयक को लाये और वह यहां पर पास हुआ। आज इस बारे में संशोधन आया है। संशोधन किस परिस्थिति में आया है, उसको देखकर के दुःख होता है। वर्तमान लोकायुक्त है, 2006 में उनकी नियुक्ति हुई और 15 मार्च, 2012 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ।

22 मार्च को अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि हम नई नियुक्ति नहीं कर पायेंगे नई-नई सरकार बनी है। समय लगेगा ठीक है समय लगना स्वाभाविक था शपथ तभी हुई थी। उसका एक प्रोसीजर भी दिया हुआ है अकेले सरकार कर भी नहीं सकती। विभिन्न स्तरों पर सलाह भी होनी है। सहमति भी होनी है लेकिन मान्यवर, संविधान में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर एक महीना लोकायुक्त की नियुक्ति न हो पाये तो कयामत आ जायेगी। प्रलय आ जायेगी इसके पीछे यह आशय था ही नहीं। दुख इस बात का है कि इसके पीछे आशय था कि व्यक्ति विशेष को ही लोकायुक्त रखें। शायद दूसरा लोकायुक्त हमें उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, इस प्रदेश में कोई कमी नहीं है सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों की माननीय मुख्य न्यायाधीशों की अगर हम यह सोचते कि इस पद की हमें सुरक्षा करनी है यह पद इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। क्या हमारा फर्ज यह नहीं था। 6 साल वह अपने पद पर आसीन रहे कार्यकाल पूरा हो गया। तो जब कार्यकाल पूरा हो गया तो दूसरा बन जाय 6 साल तक उत्तर प्रदेश की सेवा करनी थी वह सेवा उन्होंने की। आखिर क्या कारण था कि 22 मार्च को एक अध्यादेश लाकर 8 साल की अवधि बढ़ाते हैं और उसको 15 मार्च से प्रभावी करते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो सेवानिवृत्त हो गये पदमुक्त हो गये स्वतः पद मुक्त हो गये हम उन्हीं को चाहते हैं हम किसी और को नहीं चाहते हैं। हमारा विश्वास केवल उन्हीं पर है। मान्यवर, यहां उस पद का अवमूल्यन हुआ है जो अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पद का जो विधान सभा ने खुद इस बात को सोचकर माननीय विधायकगण ने इस बात को सोचकर माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सोचकर कि हमारी इज्जत पर कोई उंगली उठाने वाला न हो अगर कोई शिकायत हो तो सीधे लोकायुक्त के यहां जाओ हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई नियंत्रण वहां नहीं है। किसी मुख्यमंत्री का नियंत्रण वहां नहीं है। जाओ निष्पक्षता से हमारे खिलाफ जांच कराओ। अगर केस बनता है तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो। यह भाव उसके पीछे था। लेकिन जब हम एक व्यक्ति विशेष में रुचि दिखायेंगे तो वह भाव तो समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, यह पद ऐसा पद था जिसकी गरिमा कायम रखनी चाहिए थी कहीं ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए था कि हम इसका भी राजनीतिकरण करने जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में एक केन्द्रीय एजेंसी है बड़ा भारी नाम था निष्पक्ष रूप से काम करेगी लेकिन जब से उस एजेंसी का राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिक उद्देश्य से उसका दुरुपयोग हुआ तो आज उसके ऊपर उंगली उठने लगी। लोकायुक्त का पद भी ऐसा ही है। इसके प्रति सम्मान होना चाहिए नाम आते ही हमारे मन में एक भाव आना चाहिए कि लोकायुक्त है। लेकिन जब मैं यह कहूंगा कि व्यक्ति विशेष ही रहे उसको भी हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पूर्वगामी प्रभाव से लागू कर रहे हैं तो शक तो होना स्वाभाविक है। दूसरी बात आप जो अध्यादेश लाये 22 तारीख को आपने कहा कि पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा उसके पीछे कारण क्या है धारा 4 में यह प्राविधान है कि लोकायुक्त के पद पर आसीन रहने के बाद जब पदमुक्त हो जायेंगे तो आपकी दुबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है। सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं हो सकती। इसलिए आपने 15 मार्च से लागू कर दिया। 7 तारीख में यहां पर कोई

इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं आ रही थी आपात्काल की स्थिति नहीं पैदा हो रही थी कि अगर लोकायुक्त न रहे तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठप्प हो जायेगी। केवल इस कारण से लागू किया कि अगर हमने उनको अवकाश प्राप्त मान लिया पदमुक्त मान लिया इस कारण से उनको पूर्वगामी प्रभाव से लागू कर दिया। मान्यवर, हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आलोचना नहीं करनी है। मेरा आग्रह यह है सरकार से आग्रह है और आजम साहब से खासतौर से आग्रह है कि कम से कम एक पद को तो रहने दें। जिस पर उंगली न उठे। एक पद के बारे में तो यह न कहा जाय कि आपने राजनीतिक उद्देश्य से या किसी को सताने के लिए किसी के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए या किसी के सर पर तलवार लटकाने के लिए आपने उस पद को बनाकर रखा है।

अगर यह होगा तो कहां जायेंगे। जिस भावना के साथ लोक आयुक्त पद की संरचना करायी गयी थी उसकी ईमानदारी पर आज उंगली उठ रही है। 15 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ वह स्वतः पदमुक्त हो गये जो उनके यहां पत्रावली लम्बित रह गयी थी वह उन्होंने सरकार में वापस भेज दी उस पद की गरिमा को कायम रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक किया। अब आप इसे पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने के लिए जा रहे हैं। मान्यवर, टैक्निकली आप देखें कि कानून क्या है ? धारा क्या है ? आप 15 मार्च से लागू करेंगे तो दुबारा उनकी नियुक्ति मानी जायेगी। अंग्रेजी में एक शब्द है "फेट एक्मपलि"। इस पर आप बहुमत के आधार पर इसे पास करा लेंगे। मान्यवर, जो पद पर है ही नहीं उस समय आप अध्यादेश लाकर कार्यवाही कर रहे हैं तो एक हिसाब से वह पुनर्नियुक्ति है जो नहीं हो सकती है कानून में नहीं है और न ही संवैधानिक रूप से हो सकती है। मान्यवर, आज आप बहुत बड़ी कीमत लोकतंत्र को देने जा रहे है। इस लोक तंत्र को जिन्दा रखने के लिए एक अच्छे इरादे से इस महत्वपूर्ण पद की संरचना की गयी थी। आज उस पद पर उंगली उठाने का काम आप कर रहे हैं। मान्यवर, यह अध्यादेश पहली बार 1975 में लागू हुआ उसके बाद यह अधिनियम बना। मान्यवर, तब जो मा0 मुख्यमंत्री जी थे तो जो विलम्ब हुआ उसके बारे में उन्होंने सदन को बताया था कि हम अध्यादेश पहले सदन में लाना चाहते थे उन्होंने विलम्ब का कारण बताया कि केन्द्र सरकार से विचार विमर्श करना था और उसके बाद अध्यादेश पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति ली। यह अध्यादेश जिसके अन्तर्गत आप पुनर्नियुक्ति कर रहे हैं क्या उसकी अनुमति महामहिम राष्ट्रपति से ली गयी। जो संशोधन लेकर आये हैं वह प्रोसिजरल सही नहीं है। आपने एक अध्यादेश के द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ा दिया आपने इस विधेयक के द्वारा अधिनियम में कुछ कण्डीशन्स बढ़ा दी और उनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा दिया। जो इस तरह से कार्यकाल बढ़ाया है वह प्रोसिजरल सही नहीं है। वह एक सस्पेंशन है उसमें संशोधन करके आप लाये हैं। क्या उसके बारे में आपने महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति आपने ली, नहीं ली है। आपने सीधे गवर्नर साहब से अनुमति लेकर अध्यादेश जारी कर दिया। 1975 की कार्यवाही हमारे पास है। उसमें अध्यादेश का अनुमोदन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हुआ था और उसके बाद अध्यादेश जारी किया गया था। मान्यवर, मेरा द्वितीय बिन्दु यह है कि आप जल्दबाजी में हैं एक व्यक्ति विशेष को उस पद पर कायम रखने के लिए आप यह संशोधन प्रस्ताव लेकर आये हैं। आप यहां से पास करा लेंगे लेकिन हो सकता है वह अदालत में चैलेंज हो जाये। मान्यवर, लेकिन सदन की गरिमा का ध्यान रखना तो सरकार का काम है। मैंने अपनी बात आपके समक्ष रख दी आप माने या न माने यह आप पर निर्भर करता है। मान्यवर, मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं मैं सारे लीगल बिन्दु आपके सामने रख रहा हूं विचार करना आप का काम है।

मान्यवर, इस अध्यादेश में नाम आया है जस्टिस मेहरोत्रा जी का। आपने कारण उद्देश्य में लिखा है अध्यादेश लाने के बारे में। मान्यवर, जब नाम लिखित रूप में आ गया तो मैं कहना चाहता हूं कि वह हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इस पद पर आसीन होने के नाते मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष उनका स्तर है। मान्यवर, मैं सदन से अपील कर ही रहा हूं साथ ही साथ मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अगर इस पद की गरिमा को आपको बनाये रखना है आगे के लिए और कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है तो कम से कम इस प्रकार के व्यक्ति को ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए और उन्हें स्वतः इसे त्याग देना चाहिए और कह दे कि हम इस काम को नहीं करेंगे। इस गलत काम को नहीं करेंगे। मान्यवर, इसके द्वारा संदेश क्या जा रहा है कि इस आफिस का जो गरिमामय पद है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं उनसे अपील कर रहा हूं अब मानाना या न मानना उनका काम है। लेकिन आज बहुत ही भारी मन से मैंने इस संशोधन को रखा अपना दुख जताते हुये रखा क्योंकि मै। इस विधान सभा का सदस्य था जब यह मूल रूप से अधिनियम आया था, पास हुआ था यहां आकर के। उस वक्त जिन्होंने मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको प्रस्तुत करते समय भाव रखे थे आज उस भाव का, उस दर्शन का, उस फिलास्फी का पूरा-पूरा हनन हो रहा है मेरा आग्रह है कि आप जल्दबाजी में न जायं कुछ विचार कर लें और इस गरिमा को बने रहने दें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में यह विधेयक यहां आया है वह एक विशेष परिस्थतियां हैं। पूरे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर बहुत गहन चर्चा हुई है, बहुत सारे आन्दोलन हुये हैं यह आन्दोलन सफल हुये नहीं हुये उसके लिये यह सदन उसकी चर्चा के लिये नहीं है। लेकिन यह जरूर था कि इन सारे आन्दोलनों के प्रतिफल में केन्द्र सरकार एक लोकपाल बिल 2011 लेकर आई। उस बिल को राज्यसभा की स्टैण्डिंग कमेटी को रिफर किया गया। राज्यसभा की स्टैण्डिंग कमेटी में बहुत लम्बी चौड़ी बहसें हुई हैं उस पर। और स्टैडिंग कमेटी ने पूरी उस पर अपनी एक रिपोर्ट दी। मुझे नहीं मालूम कम से कम हम लोगों ने स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा और उस स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट में राज्यों में लोकायुकत नियुक्त करने के सम्बन्ध में पूरे एक अलग क्लास बनाये गये हैं। यह बात दीगर है कि जब संसद के सामने और राज्यसभा के सामने यह सारा विषय आया तो यह निर्णय लिया गया कि लोकायुक्त बनाने के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाय एक अलग बात है। जो स्टैण्डिंग कमेटी में बहसे हुई हैं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के और जो आज हम लोगों के सामने यह विधेयक आया है मैं इन दोनों के तुलनात्मक रूप में यह सारी बातें कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब यह संशोधन विधेयक हम लोगों के पास आया था तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैं बहुत आशान्वित हुआ था और मुझे लगा था कि हमारे पास एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं जिसके पास एक खाली स्लेट है जिसके ऊपर कोई राजनीतिक आरोप नहीं है वह पूरी तरह से पाक साफ है क्योंकि वह पहली बार सदन में आया है यह उसका सौभाग्य है हो सकाता है प्रदेश का सौभाग्य हो, वह आकर के सीधे मुख्यमंत्री बना है कोई आरोप नहीं है उसके ऊपर। जिसने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत एकदम साफ स्लेट से शुरू की हो किसी प्रकार का कोई आरोप न हो उसके पास इतना आत्मबल होना चाहिये कि मजबूती के साथ वह खुलकर कहे कि उत्तर प्रदेश का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोकायुक्त का ऐक्ट जब मैं संशोधित करूंगा तो जिन लोगों के ऊपर मुकदमा चल सकता होगा उस सूची में पहला नाम अपने स्वयं का रखूंगा, प्रदेश के मुख्य मंत्री का रखूंगा। स्टैण्डिंग कमेटी की बहस यही कहती है उस बिल में जो कुछ बनाया गया था उसमें प्राविधान मुख्य मंत्री का था स्टैण्डिंग कमेटी की बहस में यह चर्चा आई थी कि प्रधानमंत्री बनाम मुख्य मंत्री क्या बहस की जाय और यह रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि मुख्यमंत्री को लेकर के अगर मुख्य मंत्री के ऊपर लोकायुक्त के कार्यालय में मुकदमा चलता है तो प्रदेश के अस्तित्व और सुरक्षा को लेकर कोई संकट नहीं आने वाला है। इस नाते यह कहना कि हम मुख्य मंत्री को नहीं रखेंगे क्योंकि अगर मुकदमा होगा तो प्रदेश के सामने संवैधानिक संकट हो जायेगा, यह उचित नहीं है। पर अध्यक्ष महोदय एक सच्चाई दूसरी भी है उत्तराखण्ड में विधेयक बना है, मुख्य मंत्री उसके अन्तर्गत है, कर्नाटक में है जो कुछ हुआ है हम लोगों ने देखा है इस नाते हम लोग उसके साथ हैं।

मुझे इस बात का बहुत दुख है कि न जाने किन कारणों से मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मन से यह काम नहीं किया होगा जो कुछ हम लोग उनका आचरण देख रहे हैं। लगता है कि लोकतांत्रिक पद्धति में उनका बहुत विश्वास है, लगता है कि वह खुलकर काम करना चाहते हैं आखिर सत्ता पक्ष में बैठे हुये वह कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की सलाहें मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि आपको इस लोकायुक्त के प्राविधानों से अपने आपको बचाने का काम करना चाहिये। कौन से वे लोग हैं जिनको यह लगता है कि इतना ईमानदार नौजवान मुख्यमंत्री आने वाले समय में उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले हैं इसलिये अभी से बचाव की योजना बनानी शुरू कर दी। मेरी बहुत गम्भीर आपत्ति इस पर है कि या तो हम संशोधन विधेयक इस पर लेकर न आयें या अगर हम लाये हैं तो हमें एक ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आना चाहिये। जो पूरे देश के सामने एक आदर्श संशोधन विधेयक के रूप में स्थापित हो सकता था इसलिये नहीं कि हम किसी से डरे हुये हैं, इसलिए नहीं हमें किसी आन्दोलन की चर्चा है। लोकतंत्र में यहां सारे लोग बैठे हैं, सबकी अपनी-अपनी जमीनें और हवा में आन्दोलन चलाने वाले लोग किसी की जमीन को नहीं उखाड़ सकते। इसलिये क्योंकि यही आवश्यक है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे और परिवर्तन थे जो इस लोकायुक्त में ऐड हो सकते थे। जब हम इन परिवर्तनों को कर रहे थे तो उन परिवर्तनों को हमने क्यों छोड़ दिया। जैसे मांग अब बहुत स्थापित है कि एक इन्वेस्टीगेशन विंग अलग बननी चाहिये और एक प्रॉजीक्यूशन विंग अलग बननी चाहिये। लोकायुक्त के अधीन इन्वेस्टीगेशन विंग और स्वतंत्र प्रॉजीक्यूशन विंग दोनों का स्थापित करके जो मुकदमे, जो आरोप वहां पर जांच के लिये पहुंचते हैं, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के माध्यम से लोकायुकत के अधीन उन मुकदमों की जांच हो, उनके इन्वेस्टीगेशन हो और यदि आरोपित व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध होते हों तो उसका प्रॉजीक्यूशन विंग उसको प्रॉजीक्यूट करे, उसको एडजुडिकेट करें। प्रश्न यह है कि अगर यह व्यवस्था चारों ओर चल रही थी, उस लोकायुकत बिल के बाद जो नये राज्यों लोकायुक्त अधिनियम बनने लग गये, अभी उत्तराखण्ड का उदाहरण हम लोगों के सामने है। उसमें इन्वेस्टीगेशन विंग और प्रॉजीक्यूशन विंग की स्थापना के कॉन्सेप्ट को वैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है तो सरकार को बताना चाहिये, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो कुछ कहा मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं। अगर आपका विश्वास था कि लोकायुक्त वहां पर बैठा हुआ है तब भी आप उसको ये पावर नहीं दे पा रहे हैं कि वो इन्वेस्टीगेशन और प्रॉजीक्यूशन कर सके। इसका

मतलब आप बहुत डरे हैं। प्राविधान ये भी होने चाहिये थे अध्यक्ष महोदय कि जांच के बाद यदि किसी अधिकारी को प्रॉजीक्यूट करना हो तो सरकार से कोई परमीशन की जरूरत नहीं होनी चाहिये। यह प्राविधान लोकपाल बिलों में भी है, यह प्राविधान उत्तराखण्ड के लोकपाल बिल में भी है। सवाल यह है जब ये प्राविधान बन रहे थे, उस समय इस बात पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति दोषी भी अगर सिद्ध हो जाये तो भी आप मुकदमें नहीं चला सकते हैं क्योंकि सत्ता क्योंकि सत्ता में बैठे हुये लोग चाहे जो भी हों। सत्ता का एक अलग चरित्र होता है। सत्ता में बैठे हुये लोग उसको बचाने के लिये मुकदमें चलाने की अनुमति नहीं देंगे। यह प्राविधान लोकपाल बिल में था, यह प्राविधान अगर लोकायुक्त के विषय में था, यह प्राविधान अब नये बनने वाले लोकपाल अधिनियम अगर स्वीकार कर लें मा0 अध्यक्ष महोदय, यह प्राविधान इस संशोधन विधेयक में क्यों नहीं है, यह मेरी समझ से परे है। मान्यवर, जो पावर लोकायुक्त कि लिये मांगे जा रहे हैं, अगर हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो हमें अटैचमेण्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का अधिकार देना चाहिये। हमें यह अधिकार देना चाहिये था कि अगर लोकायुक्त यह महसूस करते हैं कि यह अधिकारी जो अपने पद पर बैठा हुआ है, उसके विरुद्ध जांच हो रही है तो जांच होने के नाते उसको उसके पद से सस्पेण्ड किया जाना आवश्यक है तो लोकायुक्त को यह अधिकार भी दिया जाना चाहिये था। और साथ में उस अधिकार की भी चर्चा होनी चाहिये थी जिसमें लोकायुक्त को यह अधिकार दिया जाये कि वो अगर चाहे तो राज्य सरकार की अनुमति से राज्य और केन्द्र की किसी भी मशीनरी की जांच करने के लिये अपना उपयोग कर सकता है।

हम इस जल्दीबाजी में लाये गये अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार अगर चाहती तो बहुत ठण्डे दिमाग से पूरे व्यवस्थित तरीके से एक ऐसा लोकायुक्त अधिनियम ला सकती थी जो प्रदेश के 20 करोड़ नौजवानों, नागरिकों के सामने मुख्यमंत्री की एक नयी छवि प्रस्तुत करते, एक नया इतिहास रचते और हम सब गर्व के साथ कह सकते थे कि हां हमारे सदन में एक ऐसा लोकायुक्त अधिनियम आया है जो वस्तुतः इस देश से, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये पूरी तरह संकल्पित है। पूरी तरह ताकतवर है, सक्षम है और हम अब उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय यह मेरी आपत्तियां है लेकिन एक आपत्ति मेरी इस अधिनियम के बारे में भी है। जो लोग शिकायत करते हैं, अगर उनकी शिकायत गलत पायी जाती है, उसमें अगर दुर्भावना पायी जाती है तो जो केन्द्र की जो ज्वाइण्ट पार्लियामेण्ट कमेटी थी, जो राज्य सभा की थी उसने इस पर विचार किया था और विचार करके यह तय किया था कि ऐसी गलत शिकायतों के बारे में, मैलाफाइड शिकायतों के बारे में, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के बारे में, अधिकतम आर्थिक दण्ड जो निर्धारित किया गया था। वह 25 हजार रुपये तक का था। इस सरकार ने उस दण्ड को भी बढ़ा करके 50 हजार रुपये कर दिया अर्थात् कहीं न कहीं वो लोग जो शिकायत करने की इच्छा रखते होंगे। उनकी इच्छा को दबाने और उसका पीछे ढकेलने का जिससे वह हिम्मत न जुटा पायें यह प्रयास भी इस अधिनियम में कहीं न कहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय इस आधार पर माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा जो कुछ प्रस्तुत है उसके समर्थन में अपनी बात कहता हूं।

*श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 2012 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय हुकुम सिंह जी ने और माननीय अग्रवाल साहब ने जो बाते रखी हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं। इस सम्मानित सदन को मैं बताना चाहता हूं और माननीय हुकुम सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने जो विचार रखे थे मैं समझता हूं हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण या अधिकारीगण अपने कर्तव्यों को निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी से जो नहीं करते थे या जो आज भी नहीं करते हैं या उनके आचरण पर कन्ट्रोल करने के लिये जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं यह संशोधन लाया गया था यह अधिनियम बना था और इस गरिमामयी संस्था की स्थापना उस समय की गई थी। मैंने बड़े नजदीक से इस संस्था को देखा है। मान्यवर, 15 मार्च, 2012 को माननीय श्री एल0 के0 मेहरोत्रा साहब का समय समाप्त हो गया। 15 से लेकर 21 तारीख तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका दफ्तर भी बन्द रहा। जब इस पीरियड में उनका पद जिन्दा ही नहीं था और उसी पद को लेकर के इसमें अध्यादेश लाया गया मान्यवर। जबकि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त 1975 की धारा-3 में यह प्राविधान है कि जब किसी की नयी नियुक्ति की जायेगी लोकायुक्त की मान्यवर तो उसमें उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा के नेता विरोधी दल की सहमति से उनकी नियुक्ति होगी। जबकि मान्यवर, इसमें ऐसा नहीं किया गया है। खुले आम इसका उल्लंघन किया गया है। संविधान के विरुद्ध यह अध्यादेश जारी हुआ है। आज जो संशोधन लाया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। जहां तक मल्होत्रा साहब की बात है मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। इस अधिनियत में जितनी धारायें हैं उन धाराओं का उल्लंघन उन्होंने पिछले 6 सालों में किया है अगर मेरी बात सही न हो मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं सदन में दोनों तरफ के लोगों से। समाजवादी पार्टी में जितने वकील साथी, कानून विद जीत कर आये हों उनकी एक कमेटी बना दीजिये जितनी जांचें इन्होंने की आज तक उनमें से चाहे धार 3 हो, धारा 4 हो, धारा 5 हो, धारा 6 हो, धारा 7 हो, धारा 8 हो पूरे ऐक्ट में किसी भी धारा का पालन उन्होंने नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने खुद 15 साल वकालत की है, मैंने खुद इसका अध्ययन किया है। उन्होंने जो काम किये हैं, जो निर्णय दिये हैं मैंने 10-15 निर्णय उसमें से देखे हैं, पढ़े हैं उन्होंने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है मान्यवर, और उनके ऊपर मान्यवर, लोकायुक्त संस्था बहुत ही गरिमामयी संस्था है और उन्होंने इसको कलंकित करने का काम किया है। कैसे किया है ? यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उपाध्याय जी, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में किसी न्यायाधीश या किसी उसके बारे में हम लोगों को यहां टिप्पणी या चर्चा नहीं करनी है। आप विधेयक पर जितना बोलना चाहें बोलें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

ठीक है मान्यवर। चूंकि मान्यवर, यहां पर उनका नाम भी आया है और मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा कि मैं बनाकर कह रहा हूं। जबसे वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से लेकर उच्च न्यायालय के मान्यवर, मैं वही पढ़ने जा रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं कर सकते। वह देखिये पूछ लीजिये आपके बड़े सीनियर बैठे हैं। विधेयक के बारे में जो कहना हो कह सकते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैंने भी पढ़ा है मैं नहीं कह रहा हूं इनकी शिकायतें हुई चीफ जस्टिस से उन्होंने आर्डर किया मैं उसे पढ़ना चाहता हूं-

अप्लीकेशन फार रिव्यू, रिकाल, माडीफिकेशन, क्लैरीफिकेशन, रेक्टीफिकेशन, करेक्शन आफ आर्डर्स पास्ड बाई आनरेबिल एम0 ए0 खान, जे आर आनरेबिल एन0 के0 मेहरोत्रा, जे प्रायर टू कमिंग इन फोर्स आफ द सप्लीमेन्ट्री कान्सटीट्यूशन डब्ल्यू0 ई0 एफ0 सेप्टेम्बर 30थ 2004, व्हेदर सिंगली आर इन डीवीजन बेन्च विल नाट बी लिस्टेड बिफोर द एफोरसेड आनरेबिल जजेज बट विल बी लिस्टेड बीफोर द रेगुलर डिवीजन बेन्च/सिंगिल जज हियरिंग द केसेस आफ दैट नेचर बाई आर्डर आंफ आनरेबिल दी चीफ जस्टिस।

मान्यवर, मारकण्डेय साहब सुप्रीम कोर्ट तक गये उनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया में उन्होंने यह आर्डर पास किया उनकी कारगुजारियों को देखते हुये और इसकी हिन्दी मैं कर दूं-मान्यवर, प्रार्थना-पत्र रिव्यू रिकाल मोडिफिकेशन, क्लीरिफिकेशन, करेक्शन ऑफ आर्डर जो कि न्यायमूर्ति एम0 ए0 खान व न्यायमूर्ति एन0 के0 मेहरोत्रा द्वारा अपने समक्ष टाइडप किया गया जो कि पूरक संविधान 13 सितम्बर, 2004 के पूर्व का है चाहे वह एकल बेन्च द्वारा या डबल बेन्च द्वारा पारित किया गया है वह सभी मुकदमें उपरोक्त न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिये नहीं लिस्ट किये जायेंगे। मान्यवर, यह इनका आचरण था यह इनकी कारगुजारी थी मान्यवर, इस ऐक्ट का सरेआम उल्लंघन हो रहा है यह ऐक्ट सम्मानित सदन ने बनाया यह उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिये उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिये यह संशोधन किया जा रहा है मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आपसे अपील करता हूं क्योंकि मैंने महामहिम राज्यपाल से भी शिकायत की है धारा-6 में इस ऐक्ट का दुरुपयोग अगर किया जाता है तो धारा-6 में प्राविधान है कि हम महामहिम राज्यपाल से शिकायत करें। हमने शिकायत की है मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं। हमारे सम्मानित मंत्री हैं बहुत सारे विधायक है सब जीतकर आये हैं, आप भी मान्यवर, जीतकर आये हैं आपके भी तमाम विरोधी होंगे झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। यह प्राविधान है। मान्यवर, धारा-6 में प्राविधान है कि लोकायुक्त महोदय अपने कर्तव्यों का पालन और ऐक्ट के अनुसार नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उसकी जांच कर सकें मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव पास करके यहां से महामहिम राज्यपाल को भेजना चाहिये। उन्होंने केवल उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है जो उनसे मिल लिये। मान्यवर, कटु सत्य मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी टिप्पणी पढ़ दी यह सफिशिएन्ट है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

वास्तव में अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो ए0 के0 मेहरोत्रा के अलावा किसी को बना दें हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विधेयक है इसमें नेता विरोधी दल की जरूरत नहीं है बोलने की। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है जिसके नाम होते हैं वही बोलता है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं हम आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहते हैं जैसा कि अभी वरिष्ठ नेता श्री हुकुम सिंह जी, रामवीर उपाध्याय जी ने अपनी बातें रखी हैं हम समझते हैं कि इन सब बातों के बाद कुछ और रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान्यवर, देश के किसी भी प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं है। संविधान विरोधी है और विधि सम्मत भी नहीं है जैसा कि मान्यवर, आम भी भिज्ञ हैं लोकायुक्त की नियुक्ति माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इन तीनों के आपसी सहमति और संस्तुति पर होती है और यह पूर्व से व्यवस्था चली आ रही हौै ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट गया कि पूर्व की परम्पराओं को नजरन्दाज कर, संविधान को नजरन्दाज कर देश में हम अनोखी परम्परा कायम करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पूर्व से परम्परा चली आ रही है उस परम्परा का निर्वहन होना चाहिये। अगर यह विधेयक आज पारित होता है तो यह काला विधेयक होगा, संविधान पर बदनुमा दाग होगा और मान्यवर, यह एक ऐसी परम्परा की शुरूआत होगी जिसके आगे चल करके आप भी शिकार होंगे। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह नई परिपाटी की शुरूआत नहीं होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में बहुत से माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, किसी के लिये जिसको भी नेता सदन कहते उसके लिये हमारी सहमति प्रदेशहित में रहती। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसी लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं जिस लोकायुक्त की नियुक्ति तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्य मंत्री जी के जो पिता जी हैं उनके कार्यकाल मे हुई थी। यह गलत परम्परा की शुरूआत होने जा रही है और मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के लिये एक काला विधेयक होगा और इसीलिये यह काला विधेयक इस सदन से पारित हो।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इतना शोर मत मचाओ, आपके खिलाफ जब दरख्वास्त पड़ेगी, आप इसीलिये अपना लोकायुक्त बना रहे हो कि आपकी [x x x] उस पर मुहर लगाने का काम करें। इसलिये मान्यवर, यह जो लोकायुक्त विधेयक लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह गलत है। पालतू कुत्ता शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह लोकायुक्त विधेयक पास हो, हम इस पाप में शामिल नहीं होना चाहते हैं, यह काला विधेयक है, उत्तर प्रदेश के लिये कलंक है। इसलिये मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(नेता, विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के वरिष्ठ सदस्य हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 हुकुम सिंह जी ने और डाक्टर साहब ने लोकायुक्त की अवधि बढ़ाये जाने पर अपना मत रखा है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के दो सदस्यों ने जिनमें से एक एग्रीव पर्सन थे, अफेक्टेड थे यानी कि लोकायुक्त से सजायाफ्ता थे। लिहाजा ऐसा व्यक्ति जो सजायाफ्ता हो, जो मुजरिम हो, जिसकी चोरी पकड़ी गयी हो, सदन में उसके किसी भी एतराज का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिये। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने लोकायुक्त के बारे में, अगर यह मान भी लिया जाये कि ताकत के बल पर यह बिल पास करा लिया जायेगा और यह कानून बन जायेगा। जाहिर है, लोकायुक्त, लोकायुक्त होंगे, ऐसे व्यक्ति के लिये जिसके लिये यह मानकर चलना चाहिये कि जो सरकार बहुमत में है और पूर्ण बहुमत में है, उसके लाये हुए इस बिल को पास करा लिया जा सकता है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मुझे सजायाफ्ता बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह बोल लें तब आप कहियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे अच्छा लगा। सजा के शब्द से डरे तो।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, लोकायुक्त महोदय ने 6 करोड़ रुपये लेकर मेरे खिलाफ यह नाटक किया है। आप जांच करा लीजिये। हमारे सम्मानित समाजवादी पाटी के लोग जांच कर लें। आप समिति बना दीजिये। अगर मुझे दोषी पाया जाये तो मैं सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लूंगा, यहां से इस्तीफा दे दूंगा। जो दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उसकी तरफ से सजायाफ्ता बता रहे हैं। यह परम्परा गलत है। माननीय आजम खां साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने बात कह दी, माननीय उपाध्याय जी उनको बोल लेने दीजिये।

(सदस्यों की टोकाटोकी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहते हैं कि मानो तो गंगा मईया न मानो तो बहता पानी। अगर कोई इतनी बड़ी सजा को भी सजा न माने, जरूरी नहीं है कि हथकड़ियां पड़ कर जेल में रहे तभी सजा है। समाज के सामने एक ऐसे सम्मानित मंत्री की जो कई बार मंत्री रहे हों उनकी यह छवि जनता और समाज के सामने आयी हो कि लोकायुक्त ने उन्हें मुजरिम माना है क्या इससे भी बड़ी सजा हो सकती है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

जो [x x x] वह लोकायुक्त कह रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आपने तो अपनी बात कह दी, आपका जवाब आ गया अब इनको बोलने दीजिये। आपने अपने आरोप को इंकार करते हुये बता दिया कि क्यों आरोप लगा था। माननीय सदस्य शांत रहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय हुकुम सिंह जी आपने कहा कि जब यह बिल पेश हुआ है जब अध्यादेश की शकल इख्तियार की है तो प्रेसिडेंट आफ इंडिया के इस पर सिग्नेचर हुये थे। उस वक्त सही था। लेकिन क्योंकि यह बिल और एक्ट इन कंटीन्यूएशन है और क्योंकि लोकायुक्त, लोकायुक्त थे और लोकायुक्त हैं। इसलिये अब इसमें प्रेसिडेंट की किसी भी कन्सेन्ट की जरूरत नहीं है। आप जैसा वरिष्ठ सदस्य अगर इसको न माने कि यह कानून की परिधि में हो रहा है तो जो हालात पैदा होते हैं वह यह है। जिस शख्स के नोटिफिकेशन को आप गलत कह रहे हैं कि उनकी सेवा समाप्त हो गयी, फाइलें वापस चली गयीं, लेकिन क्योंकि कानून का यह शब्द बहुत पुराना है और इस सदन में रोज आता है और यही कानून भी है, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वह उसी तारीख से लागू हो गया है। हम हर जगह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लागू करेंगे और यहां नहीं करेंगे। दोहरा मापदण्ड। मैं नाम लिये बगैर कह रहा हूं क्योंकि लोकायुक्त का नाम आया, मैं नहीं लेना चाहूंगा। यहां बहुजन समाज पार्टी के नेता और सदन के विपक्ष के नेता ने जो शब्द इस्तेमाल किया है क्या वह संसदीय शब्द है। क्योंकि उनकी नेता ने भी अब से दो रोज पहले राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त कांग्रेस के नाम के प्रपोज करने के वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिये जो शब्द कहा वह बहुजन समाज पार्टी के मुकम्मल चरित्र का पैमाना है। बहुजन पार्टी के संस्कारों का पैमाना है। जो यह अपने नेता से सीखते हैं। वही भाषा यहां आकर भौंकते हैं, जो भाषा सीखते हैं, वही भौंकते हैं, डर यह लगता है कि काट न लें, इसलिये थोड़े फासले बनाकर रखने की जरूरत है। मान्यवर, इसीलिये मैं हुकुम सिंह जी से दरखास्त करूंगा कि इस पर ज्यादा बहस न बढ़ायें, मैं दरखास्त करूंगा आपसे। कोई खूबी तो होगी जो हम इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, कुछ पकड़ हुई है, हो सकता है जो शख्स आज बकौल बहुजन समाज पार्टी के हम खुश हों और आपने यह इल्जाम भी लगाया कि छः करोड़ रुपया लिया है। हम से कहीं ज्यादा देने की हैसियत में आप हैं, दुनिया की आठवीं रईस महिला हैं आपकी नेता, हमारे नेता तो नहीं हैं आठवें रईस दुनिया के।

श्री रामवीर उपाध्याय-

नेता की बात नहीं है यह सीधे मुझसे बात कही गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी नेता दुनिया की आठवीं रईस महिला हैं लिहाजा वह भी लोकायुक्त को खरीद सकती हैं मान्यवर, और यह मान लिया जाय कि लोकायुक्त के आप कोई ऐब गिनाना चाहते हों, लेकिन सबसे

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बड़ी खूबी यह है कि आज सदन में अकेले खड़े होकर, लोकायुक्त के खिलाफ छः करोड़ की रिश्वत का इल्जाम लगाने की हिम्मत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं सच कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उनको भी सुनिये न, वह आपको तो कुछ कह नहीं रहे हैं वह कानून पर बात कर रहे हैं, आप बैठ जायं। आपको जो सफाई देना था, दे दिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा लोकायुक्त जिसने अपने कार्य-काल में कुछ ऐसे बुनियादी काम कर के एक अमुक राजनैतिक दल के नेताओं के चेहरे से नकाब हटाकर उनके असली चेहरे को दिखाया गया है, इसलिये मान्यवर, सरकार बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखती है इस बिल को पास होना चाहिये, इसे कानून बनाना चाहिये और ऐसे शख्स को लोकायुक्त रहना चाहिये जिसने समाज को सही तरीके से मार्ग दर्शन किया।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो टिप्पणी पढ़ दी थी पहले ही, अब क्या उसे दोहरा रहे हैं, अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिये रामवीर उपाध्याय जी, आपने जस्टिस काटजू जी की टिप्पणी जिस किसी के बारे में थी आपने पढ़ दी, वह इस कार्यवाही का अंग बन गया। आपने अपनी तरफ से एक बात कह दी, एक लोकायुक्त पर आरोप भी लगा दिया, अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया, अब क्या बचा है। अब नहीं, अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 हुकुम सिंह जी, मेरा आपसे आग्रह है, अगर आप जैसे संजीदा लोग ऐसे हालात में भी ऐसे बिल की मुखालफत करेंगे, तो याद कर लीजिये ऐसे लोगों को पकड़ने वाला फिर ऐसा लोकायुक्त उत्तर प्रदेश को मिलेगा नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात कह दूं। मेरा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिपक्ष में बैठ कर के मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझको लगे मैं कहूं, क्योंकि यह सदन इसी के लिये बना है, हम नहीं कहेंगे तो फिर कुछ बात भी नहीं होगी। अगर यहां वार्तालाप भी नहीं होगा, वाद-विवाद नहीं होगा तो मान्यवर, यहां बैठने का औचित्य क्या रहेगा हमारा। मान्यवर, मैंने केवल एक संवैधानिक बिन्दु रखा, गलत भी हो सकता है, हम उस पर ना इत्तेफाक भी हो सकते हैं, हर आदमी की सोच अलग-अलग है। जहां तक व्यक्ति विशेष की बात है, उनके सम्बन्ध में न मेरे मन में कभी डिजर्वेशन रहा, न है। मान्यवर, एक लॉ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया हमारे साथ में, प्रमुख सचिव के रूप में काम किया और उनके काम की सदैव हमने प्रशंसा की। जहां तक उसका

प्रश्न है, उसमें कोइ विवाद नहीं, लेकिन प्रोसीजर की बात हमने कही और इसलिये कही कि जो मूल अधिनियम बना था, मूल अध्यादेश आया था, वह मूल अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में आया था। कल को कोर्ट में भी यह बात जा सकती है। मैंने सोचा कि यह बात सही इस तरह से होनी चाहिये, मैंने आपके सामने रखी। आपने उसमें सहमति नहीं दिखायी तो ठीक है, वह आपका अधिकार है, लेकिन मेरा भी तो यह दायित्व बनता है, मान्यवर, कि मैं यहां बैठा हुआ हूं और मुझे यह कमी लगी और मैंने कमी को कुरैद दिया। लेकिन जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है, तो उसमें कोई टीका-टिप्पणी करने का सवाल नहीं है। मैं तो उन लोगों में से हूं मान्यवर, मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष उनका पद है उनके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी आनी ही नहीं चाहिये। आनी ही नहीं चाहिये मान्यवर, मैं खुद इस बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, जो आपने आरोप लगाये हैं, उन्हें इस कार्यवाही से निकाल दिया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं मान्यवर, एक बात और अर्ज कर दूं कि जो शंका हुकुम सिंह जी की है यह कन्टीन्यूएशन में नहीं है, यह शंका भी आपकी सही नहीं है, जो प्रोसेस है, वह कन्टीन्यूएशन में है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात आपके सही से समझा नहीं पाया। मैं अपनी बात इनको समझा देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि जो आप अध्यादेश लाये हैं, अध्यादेश पहले भी आया था। मूल रूप से नियुक्ति अध्यादेश के रूप में हुई थी और उस अध्यादेश के लाने से पहले अनुमोदन लिया गया था महामहिम राष्ट्रपति का और अब उसमें संशोधन कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से यह आवश्यक है कि संशोधन करने में भी राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना चाहिये। इतनी बात मेरी है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात रख दी है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं सिर्फ दो बातों का अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमन् क्योंकि सदन में ऐसी-ऐसी बाते आई हैं, कि जिसके नाते मैं आपका सिर्फ दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक बात बता दूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी इसके दो पक्ष हैं, क्योंकि तीन लोगों ने मान्यवर, प्रस्ताव रखा है। मा0 हुकुम सिंह जी ने, डॉ0 राधामोहन दास जी ने और इन्होंने रखा है, प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव आप लोगों ने रखा है और तीनों लोगों ने तीन बातें कही हैं, मान्यवर, मुझे उसमें कोई लम्बी टिप्पणी नहीं करनी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम राष्ट्रपति के सहमति की आवश्यकता पड़ी और आज महामहिम राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता क्यों नहीं है ? अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, गवर्नर साहब के उसमें इस तरीके का अध्यादेश जारी करने में महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है, सन् 1975 में क्यों आवश्यकता पड़ी, यह हम नहीं

कह सकते लेकिन आप संविधान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो विधेयक लाने की स्थिति में यह सदन सक्षम है। उस सम्बन्ध में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके सरकार के अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में, वह पूरी तरह से महामहिम राज्यपाल के पास हैं, इसलिये महामहिम राष्ट्रपति के यहां उसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और जहां तक मान्यवर, अवधि बढ़ाने का सवाल है तो यह मान्यवर, पहली बार नहीं बढ़ी है। पहले शुरू में जब आपने पास किया था तो पांच साल था और फिर पांच साल से छः साल हुआ तो छः साल से आठ साल करने की बात आई है तो मान्यवर, तो पहले क्यों विरोध नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के सदस्यों की पदावधि भी 2 साल, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल इसी अधिकरण में की गयी है। अन्य पदों में भी की गयी है। मान्यवर, यह कोई ऐसी पहली घटना ऐसी नहीं है कि मान्यवर, पदावधि बढ़ाने का काम किया गया हो। लोकायुक्त के सम्बन्ध में भी पहले ऐसा किया गया है और दूसरे पदों में भी ऐसा किया गया है। उप लोकायुक्त के सम्बन्ध में भी ऐसा किया गया है और मान्यवर, यह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में किया गया है, लोक सेवा अधिकरण में किया गया है। मान्यवर, वह तो रोज ही किया जाता है, कोआपरेटिव में इनको जब सूट करता था, 2 दो साल कर देते थे, कभी 2 साल का 3 साल और कभी 3 साल का 5 साल और कभी 5 साल का 1 साल कर देते थे, मजाक करके इन्होंने किया लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाना चाहते हैं। श्रीमन् जो सबसे गम्भीर बात आई है उसके अलावा यह है कि जो आपने कहा कि यह उनकी पुर्ननियुक्ति मानी जायेगी। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है और 15 तारीख को ही जो प्रोसेस प्रारम्भ हो गया और यथा स्थिति इफेक्ट्स जो विधेयक आ गया है वह अपने आप उन सारी जीचों को एक्सप्लेन करता है ओर हम प्रतिस्थानी विधेयक लेकर आये हैं, जब वह अध्यादेश कही चैलेंज नहीं हुआ है। मान्यवर, तो उसी विधेयक का प्रतिस्थानी विधेयक हम लेकर आये हुये हैं और इसमें कोई कानूनी बाधा-अड़चन नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो आक्षेप आया है। अपने चरित्र को इन लोगों ने प्रदर्शित करने का काम किया है, जो टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी ने की लेकिन मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो इनकी मुख्यमंत्री ने उसी लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अपने मंत्रि-परिषद् के आठ लोगों को बर्खास्त करने का काम किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। आज जो स्वयं इनके मुल्जिम हैं, और वह अगर ये बात कहते हैं और इस तरह का आक्षेप लगाते हैं, यह उनकी बदहवाशी का परिचायक है क्योंकि अब उनको लगता है कि जेल जाने से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिये मान्यवर, बदहवाशी में यह आरोप लगा रहे हैं इसलिये मान्यवर, आप उनके सारे गन्दे आरोपों को कार्यवाही से निकलवा दूंगा ऐसा आपने कहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा कि उन शब्दों को निकलवा देंगे, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उसके बारे में हमारे नेता हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा है। ठीक वही बात है, यह लोग जो वहां से सीखकर आते हैं, वही करते हैं, इसको आप स्वयं देख लेंगे जहां तक विधेयक की बात है तो इसमें कोई विधिक बाधा नहीं है और मैं समझता हूं कि आपको इसका स्वागत करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 को 15 मार्च, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में-

(क) उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी और दिनांक 15 मार्च, 2012 को रखी हुई समझी जायेगी, अर्थात्-

"(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुये भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद भार ग्रहण न कर ले।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि-

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।"

(ख) उप धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी और दिनांक 15 मार्च, 2012 को रखी हुई समझी जायेगी, अर्थात्-

"(3) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये अपात्र हो जायेगा।"

(ग) उप धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

''(6) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किया गया संशोधन उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को, यथास्थित, आसीन लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त पर लागू होगा।''

धारा 9 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) उप धारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द ''लोक सेवक'' के स्थान पर शब्द ''आसीन लोक सेवक'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

''(2) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ-पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों, और परिवाद के साथ उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 के अधीन दायर अभिकथन के परिवाद के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा।''

धारा 13 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्-

''(5-क) इस अधिनियम के अधीन यदि अन्वेषण के किसी प्रक्रम पर, जहां लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि परिवाद मिथ्या या तंग करने वाला है अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है या किसी लोक सेवक को अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है तो, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त परिवादी को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे परिवाद के अन्वेषण को अपने विवेकानुसार बन्द कर सकता है और पचास हजार रुपये से अनधिक की धनराशि तक हर्जाना लगा सकता है, जो राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित शीर्षक के अधीन जमा की जायेगी। यदि परिवादी द्वारा आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर हर्जाने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह परिवादी की सम्पत्ति से भू-राजस्व के रूप में कलेक्टर के माध्यम से वसूल की जायेगी।''

(5-ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकथन के अन्वेषण के पश्चात् यदि लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अन्वेषण के परिणाम स्वरूप सम्बन्धित लोक सेवक के साथ अन्याय हुआ है या उसकी मानहानि हुई है, तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उसके आवेदन करने पर कारण उल्लिखित करते हुये अपने विवेकानुसार ऐसे लोक सेवक को, जिसे अन्याय या मानहानि के कारण कोई क्षति हुई है उप धारा (5-क) के अधीन परिवादी पर अधिरोपित हर्जाने की धनराशि में से हर्जाने की अधिकतम सीमा से अनधिक धनराशि तक प्रतिकर प्रदान कर सकता है और ऐसा प्रतिकर राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।''

धारा 20 (का) का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 20-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात्-

''20-क-एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को या उनके सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ता और पेंशन, उनके कर्मचारीवर्ग और कार्यालय से सम्बन्धित व्यय और धारा 13 की उप धारा (5-ख) के अधीन अन्याय या मानहानि के लिये लोक सेवक को दी गयी प्रतिकर की राशि और इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2012

निरसन और अपवाद

6-(1) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

जब उधर से न नहीं है और सर्वसम्मति पर भी इंकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं दुबारा प्रश्न किये दे रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सर्वसम्मति से कैसे हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप उस समय तो थे नहीं। हां की संख्या अधिक है, इसलिये हां की संख्या अधिक होने से पास हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 जून, 2012 को नियम-51 की कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुईं-

पहली श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली की अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री मनोज कुमार की जनपद चन्दौली के सैय्यद राजा में स्थित चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय ''गामा'' की जनपद इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क में स्थित स्टेडियम को अन्यत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्री राधेश्याम की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ग्राम जमालपुर पिपरी में गोमती नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा पांचवीं श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड श्रीदत्त गंज में जले हुये घरों के पीड़ित परिवारों को बी0 पी0 एल0 सूची में अंकित करते हुये सभी सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं, छठीं श्री काली चरन सुमन की आगरा के ग्राम पंचायत अकोला के समस्त ग्रामों में खारे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के सभी विद्युत् उपकेन्द्रों द्वारा केवल 5-6 घण्टे विद्युत् आपूर्ति दिये जाने से उत्पन्न

स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री गुलाब चन्द सरोज की जनपद जौनपुर के केराकत में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के विधान सभा मध्य क्षेत्र में मार्टिनपुरवा हजरतगंज में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा दसवीं (1) श्री मो0 आसिफ, (2) श्री शेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं-

1-ठा0 सूरजपाल सिंह,

2-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',

3-श्रीमती अनुप्रिया पटेल,

4-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

5-श्री ममतेश शक्य,

6-श्री पूरन प्रकाश,

7-श्री दलजीत सिंह,

8-श्री राधे लाल रावत,

9-श्री लोकेश दीक्षित,

10-श्रीमती हेमलता चौधरी,

11-श्री रामचन्द्र यादव,

12-श्री बृजलाल सोनकर,

13-श्री मदन गोपाल वर्मा,

14-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

15-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

16-श्री गयादीन अनुरागी,

17-श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी,

18-श्री मनबोध प्रसाद,

19-श्री इन्दल कुमार,

20-श्री मनीष रावत,

21-श्री संजय कपूर,

22-श्री उमेश पाण्डेय,

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

24-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

25-श्री अजय मिश्रा,

26-श्री जय प्रकाश निषाद तथा

27-डा0 धर्म सिंह सैनी।

जनपद गाजीपुर स्थित बीरपुर पम्प कैनाल को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री सिबगतुल्ला अंसारी जी उपस्थित नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

प्रदेश में बी0 पी0 एड0, डी0 पी0 एड0 एवं सी0 पी0 एड0 डिग्री/डिप्लोमा धारकों को कार्यभार न ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी भी उपस्थित नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचखुरा में भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्या द्वारा अपनी उक्त सूचना के माध्यम से . . . .

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अवगत कराया है कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के सुमेरपुर विकास खण्ड के ग्राम सभा पचखुरा बुजुर्ग में डेढ़ महीने के अन्तर्गत दोपहर समय करीब 01.00 से 1.30 बजे के लगभग चौथी बार आग लगी जिसमें प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन लापरवाह नजर आया। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी तब दमकल की गाड़ियां पहुंची जब क्षेत्र की जनता ने अथक प्रयास करके आग पर काबू पाकर आग को बुझा दिया। दिनांक 11-06-2012 को लाला सिंह चौहान के घर पर आग लगी जिसमें भैंस व उसका बच्चा तथा पूरा घर जलकर खाक हो गया परन्तु सूचना देने के बाद भी कोई सहायता नहीं की गयी। उनकी मांग है कि भीषण अग्निकांड के पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाय और इसके लिये दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम पचखुरा बुजुर्ग में डेढ़ माह के अन्तर्गत दोपहर में चार बार आग लगने की सूचना सही है। सभी अग्निकाण्ड के कारण अज्ञात हैं। इस अग्निकांड में मानवीय हानि नहीं हुई है। इन चारों अग्निकाण्डों को दोपहर में घटित होना संयोग कहा जा सकता है। जांच में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया जिससे यह पता चले कि किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ग्राम पचखुरा बुजुर्ग जनपद मुख्यालय से लगभग 35 किमी0 दूर है तथा आने-जाने का रास्ता अत्यन्त खराब है। दमकल की गाड़ियां जिला मुख्यालय पर मौजूद रहती है। अग्निकाण्ड की सूचना दिये जाने के बाद इन गाड़ियों को पहुंचने में अधिक दूरी व रास्ता खराब होने के कारण समय लगना स्वाभाविक है। दिनांक 11-06-2012 को लाला सिंह चौहान उर्फ शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सुल्तान सिंह के घर में आग लगने की घटना सत्य है। इन घटनाओं में 07 व्यक्ति प्रभावित हुये हैं जिसमें से मानक के अनुसार 02 व्यक्तियों को आंशिक क्षति के आधार पर रु0 1900-1900 का गृह अनुदान तथा 01 व्यक्ति को अत्यधिक क्षति होने पर रु0 3200 का गृह अनुदान दिया गया है। शेष 04 व्यक्तियों के मकान गैर रिहायशी होने/क्षति 15 प्रतिशत से कम होने के कारण सहायता नहीं प्रदान की गयी है।]

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा मान लिया जाय तो ठीक है लेकिन मान्यवर, जब मैंने विधान सभा में सूचना दी थी कि लोगों की क्षति हुई है, अग्नि से। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन परिवारों को पाँच-पाँच लाख रुपये की सहायता राशि दे दी जाय, यह उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। मान्यवर, करीब 15 गाँव प्रभावित हैं, मैंने केवल एक गाँव की सूचना दी है। एक इस गाँव में आधा गाँव पूरी तरह से जल चुका है। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार में लेखपाल और थाने में बैठे हुए एस0ओ0 ठीक हो जायं तो आपकी सरकार शानदार ढंग से चलेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जिन 15 गाँवों की बात कही है, आप कल सदन में हमें एक पत्र दे दीजियेगा, जो पीड़ित लोग हैं, उनको राहत दे दी जायेगी।

जनपद कानपुर स्थित ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन एवं एन0टी0सी0 की बन्द पड़ी मिलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य सतीश महाना जी हैं ?

(सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिरसा टाउन एरिया और कुंवरवटी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्यमंत्री राजस्व मंत्री)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आदर्श जनपद योजनान्तर्गत.....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष जी-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड उरुवा के नगर पंचायत सिरसा में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा तथा विकास खण्ड उरुवा मे राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपट्टी, जेवनिया, जनपद इलाहाबाद के भवन का निर्माण, निर्माण एजेन्सी सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जल निगम से कराया गया है। भवन पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। उक्त विद्यालयों हेतु शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0, इलाहाबाद से पद सृजन का प्रस्ताव दिनांक 15-6-2012 को प्राप्त हो गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है

2-यह भी अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पंचायत सिरसा विकास खण्ड उरुवा तथा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपट्टी, जेवनिया, जनपद इलाहाबाद को शैक्षिक सत्र 2012-13 से संचालित करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं। यह व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के माध्यम से कर दी गयी है, जिसके आधार पर माह जुलाई, 2012 से विद्यालय मे पठन-पाठन प्रारम्भ हो जायेगा।

कृपया तद्नुसार वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।]

उत्तर प्रदेश राज्य में मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध बन्दियों को पेंशन के रूप में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं ?

(सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद बरेली के तहसील मीरगंज में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किये गये सार्वजनिक तालाब व टाउन एरिया की भूमि के पटान को तत्काल रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री सुल्तान बेग जी हैं ?

(सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 2007 के शेष 1746 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सुश्री अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं ?

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सदस्या के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 15वीं विधान सभा की क्षेत्रीय विकास निधि की द्वितीय किश्त अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)-

श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना.....

श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[जो नियम 51 में स्वीकृत है, में मुख्य रूप से अवगत कराया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी रामपुर द्वारा क्षेत्रीय विकास निधि के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-विलासपुर में स्वीकृत कार्यों के लिये वर्ष 2011-12 में पहली किश्त जारी होने के उपरान्त पन्द्रहवीं विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद दूसरी किश्त अभी तक जारी नहीं की गयी। सोलहवीं विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ हो गया है तथा पन्द्रहवीं विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है यह क्षेत्रीय विकास के अधिकार हनन का मामला है। इस विषय को सदन में रखने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी रामपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :-

श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्यकाल में अपने विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कुल 85 कार्यों हेतु प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी रामपुर को प्रस्तुत किये गये। उक्त कार्यों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुये स्वीकृत किया गया, जिसकी लागत रु0 125.33 लाख थी। स्वीकृत कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी।

3-29 कार्यों के लिये द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु की गयी, मांग के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा कार्यों का सत्यापन कराया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 12 कार्यों के लिये द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी। शेष 17 कार्यों के सत्यापन में कमियाँ संज्ञान में आने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी। कमियों के निराकरण हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया है।

4-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के प्रस्तर-4.4 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी रामपुर द्वारा द्वितीय किश्त को अवमुक्त करने हेतु उक्त प्रस्तर-3 के अनुसार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही की गयी है। अतः द्वितीय किश्त अवमुक्त न करने के लिये किसी अधिकारी के दोषी न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

5-मुख्य विकास अधिकारी रामपुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्यकाल में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कराये गये कार्यों की जाँच मा0 लोकायुक्त द्वारा की जा रही है।]

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट आयी है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 15वीं विधान सभा का मामला है, सवा करोड़ रुपये 85 कार्यों के लिए स्वीकृत हुये थे। 29 कार्यों का पैसा दिया गया था उसमें से भी केवल 12 कार्यों का दिया है और 17 कार्यों को नहीं दिया है। मैं चाहूँगा कि इसे टाइमबाउण्ड कर दें कि अगर जाँच होनी है तो टाइम से जाँच हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसमें दोबारा जाँच करा ली जायेगी और मैं भी इसी का मारा हुआ हूँ, मेरा भी 18 लाख रुपया चला गया है, कार्यालय की गलती से। कार्यालय में और ट्रेजरी ऑफिस में विवाद हुआ, उन्होंने इण्टरनेट नहीं किया, चेक वापस आ गया तो मान्यवर, जो इनके साथ हुआ वहीं हमारे साथ भी हुआ। मान्यवर, इसमें दोबारा जाँच करा लेते हैं और अपनी जाँच करा लेंगे।

जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर के अन्तर्गत नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप की रिपोर्ट न लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शहजिल इस्लाम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री शहजिल इस्लाम अंसारी जी हैं ?

(माननीय सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर)

जनपद मीरजापुर के ब्लाक हलिया व लालगंज में बेलन नदी के घाटों पर लिफ्ट कैनाल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भाई लाल कोल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खाँ (संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री)-

श्री भाई लाल कोल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 अध्यक्ष जी, विधान सभा, उ0प्र0 को...

श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[नियम 51 अन्तर्गत दिनांक 12-6-2012 को यह सूचना दी गयी है कि-

मैं आपके माध्यम से अति गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सभा खरिहट खुर्द ब्लाक हलिया जनपद मीरजापुर में बेलन नदी में विमौरी घाट लिफ्ट कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में एवं ग्रामसभा उसरी खम्हरिया बेलन नदी ब्लाक लालगंज जनपद मीरजापुर में बेलन नदी के देवघटा गहरवार घाट पर लिफ्ट कैनाल लगाया जाने किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्षेत्रों में किसानों के सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना जनहित में अति आवश्यक है।

उत्तर :-

बेलन नदी मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। जनपद मीरजापुर में बेलन नदी पर वर्तमान में एक मात्र लघु डाल नहर-कोटा (20 क्यूसेक क्षमता) कार्यशील है। बेलन नदी में विमौरी घाट एवं देवघाट गहरवार घाट पर लिफ्ट कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में नदी में जल उपलब्धता एवं लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के लिए तकनीकी परीक्षण एवं साइट की उपयुक्तता का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। इसके उपरान्त ही लिफ्ट कैनाल लगाये जाने की सम्भाविता पर विचार किया जा सकेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह 08 बजकर 24 मिनट पर
अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 18 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 170 विधान सभा-21-8-2012- 813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।